



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, सोमवार, 8 दिसम्बर, 2008 / 17 अग्रहायण, 1930

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग

शिमला-171002, 04 दिसम्बर, 2008

‘अधिसूचना’

**संख्या: श्रम (ए) 4-6/2007-BOCW.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 27) की धारा 62 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा- 5 के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति से परामर्श के पश्चात्, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्: —

भाग- 1

प्रारम्भिक

अध्याय- 1

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) नियम, 2008 है।

(2) ये नियम किसी स्थापन से सम्बन्धित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य को लागू होंगे, जिसके सम्बन्ध में समुचित सरकार अधिनियम के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार है।

(3) ये नियम ई-गज़ट (राजपत्र) हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं.—**इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) 'अधिनियम' से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम, 27) अभिप्रेत है;

(ख) 'प्रवेश' या 'निर्गम' से कोई गलियारा, मार्ग, सीढ़ियां, प्लेटफार्म, जीना (लैंडरज़) और कोई अन्य साधन, जो किसी भवन कर्मकार द्वारा सामान्यतया कार्यस्थल में प्रवेश करने या उससे चले जाने या खतरे की दशा में बचने के लिए उपयोग करने लिए है, अभिप्रेत है;

(ग) 'अनुमोदित' से अधिनियम की धारा— 42 की उप धारा (2) के भवन और सन्निर्माण के निरीक्षण के लिए नियुक्त मुख्य निरीक्षक द्वारा अधीन लिखित में अनुमोदन अभिप्रेत है;

(घ) 'आधार' (बेस प्लेट) से धातु मचान (ढांचा) की दशा में मानदण्ड से भार का विभाजन करने के लिए पट्टी (प्लेट) अभिप्रेत है;

(ङ) 'मचान' के संबंध में खण्ड कक्ष, से मचान के क्षैतज या उर्ध्व सहारों के मध्य का वह भाग चाहे वह उस भाग से टिका हुआ हो या उसके सहारे हो जहां से विभाग निलम्बित होता है, और जो लम्बाई में संलग्न है अभिप्रेत है;

(च) 'बंधनी' से मचान में स्थिरता के लिए आड़े— तिरछे रूप से लगाया गया जुड़ने और कसने वाला घटक अभिप्रेत है;

(छ) 'दिवाल' (बल्कहेड) से कार्यकरण दाब की अपेक्षा निम्न दाब के अधीन कार्यकरण कोष्ठ को मुक्त वायु से सा किसी अन्य कोष्ठ से पृथक करने वाली कोई वायुरोधी संरचना अभिप्रेत है;

(ज) 'नीचे कोष्ठक' से कोई ऐसा वायु या जलरोधी कोष्ठ, जिसमें व्यक्तियों के लिए समुद्री तल पर वायु मंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक वायु दाब के अधीन जल स्तर से नीचे सामग्री (पदार्थ) के उत्खनन का कार्य करना सम्भव हो, अभिप्रेत है;

(झ) 'काफरबांध' (जलापरोध) से, ऐसी संरचना जिसका सन्निर्माण सम्पूर्ण या भागरूप से जल स्तर से नीचे या भूगर्भ के भीतर जल स्तर से नीचे किया गया है और ऐसे कार्यस्थल का उपबंध करने के लिए आषयित है, जो जलमुक्त है, अभिप्रेत है;

(ञ) 'सक्षम व्यक्ति' से राज्य सरकार द्वारा उस रूप में अनुमोदित कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत में किसी परीक्षण स्थापन से सम्बन्ध रखता है, और जिसके पास उत्थापक साधित्रों, उत्थापक गियरों, तार— रज्जुओं या दाब संयंत्र या उपस्कर के परीक्षण, परीक्षा या तापानुशीतन और प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त अर्हता, अनुभव और कौशल है, अभिप्रेत है;

(ट) 'संपीडित वायु' (कम्प्रेसड ऐअर) से उस दाब तक यांत्रिक रूप से बढ़ाई गई वायु जो समुद्र तल पर वायु मंडलीय दाब से अधिक है, अभिप्रेत है;

(ठ) 'सन्निर्माण स्थल' से कोई ऐसा स्थल जहां भवन या अन्य सन्निर्माण से संबंधित कोई प्रक्रियाएं या संक्रियाएं कार्यान्वित की जाती हैं, अभिप्रेत हैं;

- (ड) 'प्रवहणी' (वाहक) से कोई ऐसी यांत्रिक युक्ति जिसका उपयोग एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक भवन सामग्री, वस्तुएं या पैकेज या ठोस प्रपुंज के परिवहन के लिए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किया जाता है, अभिप्रेत है;
- (ढ) 'खतरा' से दुर्घटना का या क्षति का या स्वास्थ्य के लिए खतरा अभिप्रेत है;
- (ण) 'निधारना' से व्यक्तियों का किसी मैन- लॉक में समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब तक द्रुत विसंपीडन अनुमोदन और इसके पश्चात् तत्परता से किसी निधारन लॉक में उनका पुनः संपीडन अभिप्रेत है, जहां उनका तब विसंपीडन अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार समुचित विसंपीडन टेबल के अनुरूप किया जाता है;
- (त) 'भंजित करने (गिराने) का कार्य' से किसी भवन से भिन्न किसी भवन या संरचना का सम्पूर्ण या आंशिक रूप से खण्डकरण (उद्ध्वस्त) करने या पूरी तरह से गिराने के आनुशंगिक या उससे संबंधित कार्य अभिप्रेत है और इसके अर्न्तगत मशीनों या अन्य उपस्कर का हटाना या खण्डकरण करना (उद्ध्वस्त करना) सम्मिलित है;
- (थ) 'उत्खनन' से सन्निर्माण या भंजित करने के कार्य के संबंध में मिट्टी, चट्टान या अन्य सामग्री का हटाना अभिप्रेत है;
- (द) 'कच्चा काम' से ढांचा या आकृति के लिए संरचनात्मक सहारा और ब्रेसिंग (अनुबंध) अभिप्रेत है;
- (ध) 'प्रज्वलन ताप' (प्रज्वलनांक) से न्यूनतम लिक्विड ताप अभिप्रेत है जिस पर कोई चिंगारी या ज्वाला लिक्विड से उपर वाष्प शून्य में तात्क्षणिक चमक पैदा करती है;
- (न) 'प्ररूप' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (प) 'चौखटा (फ्रेम) या प्रमापीय मचान' से ऐसा मचान अभिप्रेत है जिसका विनिर्माण इस प्रकार किया जाता है कि मचान की ज्यामिति पूर्व अवधारित हो और मुख्य घटकों का आपेक्षित फासला नियत हो;
- (फ) 'रक्षक पटरी (शलाका)' से स्तम्भ को सुरक्षित करने के लिए क्षैतिज पटरी (शलाका) अभिप्रेत है जो व्यक्तियों को गिरने से बचाने के लिए मचान, भूमि मार्गों, धावनमार्गों (रनवे) और मार्गिकाओं के खुली तरफ के पार्श्व में परिनिर्मित की गई है;
- (ब) 'परिसंकट' से खतरा या संभावित खतरा अभिप्रेत है;
- (भ) 'परिसंकटमय पदार्थ' से कोई ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो उसकी विस्फोटकता, जलनशीलता, विघटनशीलता, विषैलेपन या संक्षारक गुणों या अन्य समान लक्षणों के कारण:-
- (i) क्षति पहुंचा सकता है; या
- (ii) मानव-तंत्र को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है; या
- (iii) हथालने, परिवहन या भंडारण करते समय कार्य-पर्यावरण में जीवन को हानि या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है और राष्ट्रीय मानकों के अधीन या उस दशा में जहां ऐसे मानक विद्यमान नहीं हैं, साधारणतः स्वीकृत अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस रूप में वर्गीकृत है;
- (म) 'उच्च दाब वायु' से वायवीय औजारों और साधनों (युक्तियों) को शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयुक्त वायु अभिप्रेत है;

- (य) 'स्वतंत्र रूप से सहबद्ध मचान' से कोई ऐसा मचान अभिप्रेत है जिसका कार्यकरण प्लेटफार्म, आधार से टेकों की दो या अधिक पंक्तियों के सहारे है और जो आवश्यक सहबद्धों के अलावा भवन से पूर्णतया या मुक्त रूप से खड़ा है;
- (यक) 'आड़' से क्षैतिज रूप से फैला हुआ और लम्बाई में मचान को जकड़े हुए कोई घटक अभिप्रेत है जो कड़ी या पड़ी पट्टी के लिए सहारे के रूप में कार्य करता है;
- (यख) 'उत्थापक साधित्र' से सामग्री, वस्तुओं या भवन कर्मकार के उत्थापन के लिए प्रयुक्त कोई क्रेन, उत्तोलक, डेरिक, विंच, जिन पोल शीर लैग्ज, जैक, घिरनी आलंब या अन्य उपस्कर अभिप्रेत है;
- (यग) 'उत्थापक गियर' से किसी उत्थापक साधित्र की रज्जु, जंजीर, हुक, स्लिंग और अन्य उपसाधित्र अभिप्रेत है;
- (यघ) 'लॉक परिचर' से किसी मेन— लॉक या मेडिकल लॉक का कोई ऐसा प्रभारी व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे लॉकों में व्यक्तियों के संपीडन, पुनः संपीडन या विसंपीडन के नियन्त्रण के लिए सीधा उत्तरदायी है;
- (यङ) 'न्यून दाब वायु' से कार्यकरण कोष्ठों और मेन लॉकों और मेडिकल लॉकों के निपीड़न के लिए प्रदत्त वायु अभिप्रेत है;
- (यच) 'बारूद खाना' से ऐसा स्थान जिसमें, चाहे भूमि के उपर या उसके नीचे, विस्फोटकों का भंडारण किया जाता है या रखे जाते हैं, अभिप्रेत है;
- (यछ) 'मेन—लॉक' से मेडिकल लॉक से भिन्न कोई लॉक जिसका उपयोग कार्यशील कोष्ठ में प्रवेश करने वाले या उसे छोड़ने वाले व्यक्तियों के संपीडन या विसंपीडन के लिए किया जाता है, अभिप्रेत है;
- (यज) 'सामग्री उत्तोलक' से शक्ति या शारीरिक श्रम से प्रचालित निलम्बित कोई प्लेटफार्म या बाल्टी अभिप्रेत है जिनका स्तम्भ शलाकाओं (गार्डरेल) में प्रचालन किया जाता है और अनन्य रूप से सामग्री के उत्थापन या उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा प्रवहण से बाहर किसी बिन्दु से प्रचालन और नियंत्रण किया जाता है, अभिप्रेत है;
- (यझ) 'सामग्री लॉक' से ऐसा कोष्ठ जिनमें से होकर सामग्री और उपस्कर एक वायुदाब पर्यावरण से अन्य (दूसरे) में भेजे जाते हैं, अभिप्रेत है;
- (यञ) 'मेडिकल लॉक' से ऐसा दोहरा खण्ड लॉक जिसका उपयोग संपीडित या विसंपीडित व्यक्ति के विसंपीडित बुरे प्रभाव से चिकित्सा हेतु किया जाता है, अभिप्रेत है;
- (यट) 'राष्ट्रीय मानक' से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित मानक और भारतीय मानक ब्यूरो के ऐसे मानकों के अभाव में किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मानक अभिप्रेत हैं;
- (यठ) 'पार्श्ववध' से किसी भवन के भवनमुख से आगे निकली हुई संरचना जिसका भीतरी सिरा जकड़ा हुआ है, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत बाहुधरण (शहतीर) या अन्य सहारा सम्मिलित है;
- (यड) 'सयंत्र या उपस्कर' के अन्तर्गत कोई सयंत्र, उपस्कर, गियर मशीनरी, साधित्र या साधन अथवा उसका कोई पुर्जा आता है;

- (यढ) 'दाब' से स्तंभो बल्लियों में उतना वायु दाब अभिप्रेत है जो वायुमंडलीय दाब से अधिक है;
- (यण) 'दाब सयंत्र' से वायु मंडलीय दाब से अधिक दाब पर प्रचालित उसके पाइपों और अन्य फिटिंगों के साथ दाब वाहिका अभिप्रेत है;
- (यत) 'अडंवार (कड़ी)' से कोई क्षैतिज घटत अभिप्रेत है जिस पर कार्यशील प्लेटफार्म का बोर्ड, तख्ता या मंच रखे जाते हैं;
- (यथ) 'उत्तरदायी व्यक्ति' से नियोजक द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट कर्तव्य या कर्तव्यों का पालन करने के लिए उत्तरदायी हो और जिसके पास ऐसे कर्तव्य या कर्तव्यों के उचित पालन के लिए पर्याप्त ज्ञान और अनुभव तथा अपेक्षित प्राधिकार हो, अभिप्रेत है;
- (यद) 'प्रकट जोड़' से दो विपरीत सतहों के बीच किसी ट्यूब को कसने के लिए प्रयुक्त जोड़ ट्यूब और फिटिंग का संयोजन अभिप्रेत है;
- (यध) 'समकोण युग्मक' से समकोण पर ट्यूबों को जोड़ने के लिए स्विवेल या अडवार युग्मक से कोई युग्मक अभिप्रेत है;
- (यन) 'राक बोल्ट' से यांत्रिक विस्तरण बोल्ट या सीमेंट युक्त या रेज़िन बन्धन (रेज़िन एंकरिंग) प्रणाली के साथ प्रयुक्त बोल्ट जो राक क्षमता में वृद्धि करने के लिए महराव या सुरंग की दीवार में बेधित छिद्र में लगाया जाता है, अभिप्रेत है;
- (यप) 'छत ब्रेकैट' से ढलवां छत सन्निर्माण में प्रयुक्त ऐसे ब्रेकैट जिनमें खिसकने से रोकने के लिए नुकीले बिन्दु या जकड़ने के अन्य साधन हैं अभिप्रेत है;
- (यफ) 'सुरक्षा आवरण' से जल प्लावन या जलप्लावित सुरंग से आश्रय के और निकलने के सुरक्षित साधन की व्यवस्था करने के लिए सुरक्षा आवरण और दीवार के बीच में सुरंग के शिखर को जलप्लावित होने से रोकने की दृष्टि से मुख और दीवार के बीच संपीडित वायु सुरंग के उपरी भाग के आर-पार रखा गया कोई वायु और जलरोधी छिद्रपट अभिप्रेत है;
- (यब) 'सुरक्षित कार्यशील भार' से उत्थापक गियर या उत्थापक साधित्र की किसी वस्तु के संबंध से, सक्षम व्यक्ति द्वारा यथा निर्धारित और प्रमाणित वह भार अभिप्रेत है जो अधिकतम भार में ऐसी वस्तु या साधित्र पर सामान्य कार्यशील स्थितियों में सुरक्षित रूप में रखा जा सकता है;
- (यभ) 'मचान' से कोई ऐसी अस्थायी रूप से तैयार की गई संरचना, जिससे या जिस पर से भवन कर्मकार, ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में कार्य करते हैं, जिनको ये नियम लागू होते हैं और कोई ऐसी अस्थायी रूप से तैयार की गई संरचना, जो भवन कर्मकार को ऐसे स्थान पर पहुंचने में समर्थ बनाती है या सामग्री को वहां तक ले जाने में समर्थ बनाती है जहां पर उक्त कार्य किया जाता है अभिप्रेत है और इसके अर्न्तगत कोई रक्षक शलाका, रोक फलक या अन्य रखा कवच ओर सभी फिक्सिंग के साथ कोई कार्यकरण प्लेटफार्म, मार्गिका, धावन, निसैनी (सीढ़ी) या सोपान-निसैनी सीढ़ी {ऐसी निसैनी (सीढ़ी) या सोपान-निसैनी (सीढ़ी) से भिन्न जो ऐसी संरचना की भागरूप नहीं है} सम्मिलित है, किन्तु उत्थापक साधित्र या उत्थापक मशीन या कोई संरचना सम्मिलित नहीं है जो केवल ऐसे कोई साधित्र या ऐसी कोई मशीन को सहारा देने के लिए है या अन्य सयंत्र या उपस्कर को सहारा देने के लिए प्रयुक्त है;
- (यम) 'अनुसूची' से इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है;
- (यय) 'खण्ड' के अर्न्तगत सुरंग अनुप्रस्थ काट की वकता (गोलाई) के लिए निर्मित और सुरंग के आधार परिवेश के सहारे के लिए प्रयुक्त ढलवां लोहा या पूर्व निर्मित कंकरीट विभाजित संरचना आती है;

(ययक) 'सर्विस शाफ्ट' से किसी निर्माणाधीन सुरंग में भवन (निर्माण) कर्मकारों के आने जाने या सामग्री के लाने ले जाने के लिए शाफ्ट अभिप्रेत है;

(ययख) 'शाफ्ट' से क्षैतिज से पैंतालिस डिग्री से अधिक कोण पर अनुदैर्घ्य (लम्बा) अक्ष वाला कोई उत्खनन अभिप्रेत है, जो:—

(i) किसी भवन (निर्माण) कर्मकार या सामग्री के किसी सुरंग में आने-जाने उसमें से लाने-ले जाने के लिए है, या

(ii) किसी विद्यमान सुरंग की ओर है ।

(ययग) 'ढाल' से कोई जंगम चौखटा अभिप्रेत है जो सुरंग के खान अताग्र (अग्रभाग) और उसके ठीक पीछे के आधार को सहारा देने के लिए है और इसमें सुरंग का उत्खनन करने और उत्खनित क्षेत्रों को सहारा देने के लिए परिकल्पित उपस्कर सम्मिलित है;

(ययघ) 'आधार पट्टिका' से आधार पट्ट या काष्ठ मचान की खड़ी बल्ली से आलम्बी सतह पर भार के वितरण के लिए प्रयुक्त कोई घटक अभिप्रेत है;

(ययङ) 'ठोस या अच्छा सन्निर्माण' से ऐसा सन्निर्माण अभिप्रेत है जो सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के या उस दशा में जहां ऐसे राष्ट्रीय मानक विद्यमान नहीं हैं वहां अन्य सामान्य रूप से स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरी मानकों या व्यवहार संहिता के अनुरूप है;

(ययच) 'ठोस या अच्छी सामग्री' से उस क्वालिटी की सामग्री जो सुसंगत राष्ट्रीय मानकों या उस दशा में जहां ऐसे राष्ट्रीय मानक विद्यमान नहीं हैं वहां अन्य सामान्य रूप से स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरी मानकों या व्यवहार संहिता के अनुरूप हैं, अभिप्रेत है;

(ययछ) 'खड़ी बल्ली' से मचान के सन्निर्माण में उर्ध्व द्वारा या स्तंभ के रूप में प्रयुक्त ऐसा घटक जो भार को आधार पर या ठोस सन्निर्माण पर पारेषित कर देता है, अभिप्रेत है;

(ययज) 'मानक सुरक्षित प्रचालन व्यवहार' से वे व्यवहार अभिप्रेत है जिनकी पालना भवन और अन्य सन्निर्माण क्रियाकलापों में कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा ऐसे क्रियाकलापों में प्रयुक्त मशीनरी और उपस्कर के सुरक्षित प्रचालन के लिए की जाती है और ऐसे व्यवहार निम्नलिखित सभी या किसी के अनुरूप होंगे, अर्थात: —

(i) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित सुसंगत मानक;

(ii) राष्ट्रीय भवन संहिताय

(iii) उपस्कर और मशीनरी के सुरक्षित उपयोग के लिए विनिर्माता के विनिर्देश;

(पअ) समय-समय पर संशोधित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित सन्निर्माण उद्योग में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार (पद्यति) संहिता;

(ययझ) 'इस्पात की श्लाका' के अन्तर्गत उत्खात क्षेत्रों का आधार बनाने और स्थिरीकरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी विशिष्ट सुरंग अनुप्रस्थ काट (काससैक्शन) की अपेक्षाओं के अनुरूप आकृति के सभी इस्पात के बीम और अन्य संरचनात्मक घटक आते हैं, अभिप्रेत है;

(ययट) 'लटकी हुई मचान' से रस्सी या चेन के साधनो द्वार लटकी हुई मचान अभिप्रेत है तथा उसको खिंचने तथा नीचे ले जाने के लिए समर्थ है किन्तु इसमें बोटसवेन चेयर या उस प्रकार के यंत्र शामिल नहीं है;

(ययठ) 'परीक्षण स्थापन' से इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित उत्थापक साधित्रों या उत्थापक गियर या तार रज्जुक के परीक्षण, परीक्षा तापानुशीलन करने या वैसे ही अन्य परीक्षण या प्रमाणन के

लिए राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित परीक्षण और परीक्षण करने की प्रसुविधाओं सहित कोई स्थापन अभिप्रेत है;

(ययड) 'बंधन' से मचान को किसी दृढ़ स्थिरक स्थान से जोड़ने में प्रयुक्त समंजन अभिप्रेत है;

(ययढ) 'रोक फलक' से कोई ऐसा घटक जो भवन कर्मकार और सामग्री के कार्यकरण प्लेटफार्म, प्रवेश चौकी, प्रवेश मार्ग एक पहिया ठेला (व्हील बेरोरन), ढाल (रैंप) या अन्य प्लेटफार्म पर से गिरने का निवारण करने के लिए उसके उपर स्थिर किया गया है, अभिप्रेत है;

(ययण) 'मध्यपट्टी (आड़ी पट्टी)' से किसी स्वतंत्र संयोजन मचान में क्षैतिज रूप से रखी गई और एक आड़ को दूसरी से या एक टेक (बल्ली) को दूसरे से अनुप्रस्थ (तिर्यक) बांधने के लिए कोई घटक अभिप्रेत है;

(ययत) 'आधार (फ्रेम) मचान' के अर्न्तगत कोई ऐसा मचान आता है जिसमें प्लेटफार्म के लिए आधार निम्नलिखित में से कोई है और जो स्वावलम्बी है अर्थात:

(i) विभक्त सिरा (ii) मुंड़वों (फोल्डिंग) (iii) सोपान सीढ़ी (iv) तिपाई, या (v) पूर्वोक्त में किसी के समान चलायमान साधन (उपाय)

(ययथ) 'नालिकाकृत मचान' से नालिकाओं और युग्मकों से सन्निर्मित मचान अभिप्रेत है;

(ययद) 'सुरंग' से उपरीभार (उपरी स्तह) के नीचे उत्खनन द्वारा बनाया गया भूमिगत रास्ता जिसमें से कोई भवन कर्मकार काम करने के लिए प्रवेश करता है या जिसमें से प्रवेश करने की अपेक्षा है, अभिप्रेत है;

(ययध) 'अंतर्भोम (भूमिगत)' से शाफ्ट सुरंग, नीव कोष्ठक या काफरबांध (काफरडैम) के घेरे के भीतर का कोई स्थान अभिप्रेत है;

(ययन) 'यान' से कोई यान जो यांत्रिक या विद्युत शक्ति से नोदित (ढलेकना) या चालित है, अभिप्रेत है और इसके अर्न्तगत ट्रेलर, ट्रैक्टर, कर्षण इंजन, सड़क बनानेवाली मशीन और परिवहन उपस्कर आते हैं;

(ययप) 'कार्यकरण (कार्यशील) कोष्ठ' से सन्निर्माण स्थल का कोई ऐसा भाग अभिप्रेत है जहां संपीडित वायु पर्यावरण में काम किया जाता है किन्तु इसके अर्न्तगत मेन-लॉक या मेडिकल-लॉक नहीं आता है;

(ययफ) 'कार्यकरण प्लेटफार्म' से कोई प्लेटफार्म अभिप्रेत है जिसका उपयोग भवन कर्मकारों या सामग्रियों को सहारा देने के लिए किया जाता है और इसके अर्न्तगत कार्यकरण मंच आता है;

(ययब) 'कार्यकरण (कार्यशील) दाब' से कार्यकरण कोष्ठ में का दाब जिसके लिए भवन कर्मकार उच्छन्न है, अभिप्रेत है;

(ययभ) 'कार्यस्थल' से वे सभी स्थान अभिप्रेत है जहां भवन कर्मकारों से उपस्थित रहने या काम करने के लिए जाने की अपेक्षा की जाती है जो नियोजक के नियंत्रण के अधीन है;

**3. 'अपरिभाषित शब्दों का निर्वचन'**— उन शब्दों या पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

**4. 'व्यावृत्तियाँ'**— इन नियमों के उपबंध अधिनियम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए होंगे न कि उसके प्रतिस्थापन या महता कम करने के लिए।

## अध्याय-2

## नियोजकों, वास्तुविदों, परियोजना इंजीनियरों और डिज़ाइनरों, भवन कर्मकारों आदि के उत्तरदायित्व और कर्तव्य

5. **नियोजकों, कर्मचारियों और अन्यो के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.**—(1) प्रत्येक नियोजक का, जो भवन या अन्य सन्निर्माण से संबंधित या उसके आनुषंगिक ऐसी किन्हीं संक्रियाओं या संकर्मों को कर रहा है, जिसे यह नियम लागू हैं यह कर्तव्य होगा कि—

(क) इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालना करे जो उससे संबंधित हैं:

परन्तु इस खण्ड की अपेक्षाएं किसी भवन कर्मकार को प्रभावित नहीं करेगी यदि और जब तक किसी कार्यस्थल में उसकी उपस्थिति उसके नियोजक के निमित्त किसी कार्य को करने के अनुक्रम में नहीं है और उसे उसके नियोजक द्वारा कार्य करने के लिए अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से प्राधिकृत या अनुज्ञात नहीं किया गया है; और

(ख) इन नियमों की उन अपेक्षाओं की अनुपालना करें जो उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य, कृत्य या संक्रिया के संबंध में उससे संबंधित हैं।

(2) प्रत्येक नियोजक का, जो किसी मचान का परिनिर्माण या उसमें परिवर्तन करता है इन नियमों के उपबन्धों की ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने का कर्तव्य होगा जिसका संबंध ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों का ध्यान रखते हुए जिसके लिए परिनिर्माण या परिवर्तन करने के समय मचान को डिजाइन किया गया थाय मचान के परिनिर्माण या परिवर्तन से है, और ऐसा नियोजक, जो किसी ऐसे संयंत्र या उपस्कर का परिनिर्माण संस्थापन कार्य का उपयोग करता है, जिसे इन नियमों का कोई उपबन्ध लागू होता है, ऐसे संयंत्र या उपस्कर का परिनिर्माण, संस्थापन कार्य या उपयोग ऐसी रीति से करेगा, जो उन उपबन्धों की अनुपालना में हो।

(3) जहां कोई ठेकेदार, जो ऐसी किसी संक्रिया या संकर्म का वचनबद्ध करता है जिसको ये नियम लागू होते हैं, सेवाओं के लिए संविदा के अधीन कोई कार्य या सेवा को करने के लिए किसी कारीगर, व्यापारी या अन्य व्यक्ति को नियुक्त करता है, तो ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालना करे जो उक्त कारीगर, व्यापारी या अन्य व्यक्ति को प्रभावित करती हैं और इस प्रयोजन के लिए इन नियमों में किसी कर्मचारी के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे कारीगर, व्यापारी या अन्य व्यक्ति के प्रति निर्देश होगा और ठेकेदार उसका नियोजक समझा जाएगा।

(4) प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालना करे जो उसके द्वारा किसी कृत्य को करने या उससे विरत रहने से और इन नियमों को क्रियान्वित करने में सहयोग करने से संबंधित हैं।

(5) प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे किसी कर्मचारी को कोई बात करने के लिए अनुज्ञात न करे जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित मानक सुरक्षित प्रचालन व्यवहारों के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार न हो।

(6) कोई कर्मचारी कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट भवन और सन्निर्माण कार्य से संबंधित मानक सुरक्षित प्रचालन व्यवहारों के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार न हो।

(7) किसी भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से समबंधित कोई व्यक्ति जान बूझ कर ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे उसे या किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचे।



(8) प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भवन कर्मकार द्वारा उपयोग किये जाने वाले ऐसे उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, उत्थापक युक्ति, परिवहन उपस्कर, यान या किसी अन्य युक्ति या उपस्कर के उपयोग को अनुज्ञात न करे जो इन नियमों में दिए गए उपबंधों के अनुरूप न हो।

(9) नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह शौचालयों, मूत्रालयों धुलाई सुविधाओं और कैंटीन को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में बनाए रखें। कैंटीन ऐसे स्थान पर होगी जो शौचालयों और मूत्रालयों और प्रदूषित वातावरण से दूर हो और साथ ही साथ भवन कर्मकारों की सहज पहुंच में हो।

(10) नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों के अनुसार किसी अवधि के लिए मजदूरी के संदाय के लिए उसके द्वारा नियत और अधिसूचित तारीखों का पालन करें और ऐसी तारीखों और ऐसी अवधि में कोई परिवर्तन भवन कर्मकारों और निरीक्षक को सूचना के बिना प्रभावी नहीं होगा। नियोजक इन नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट समय पर उसके द्वारा अधिसूचित स्थान और समय पर मजदूरी को संदाय सुनिश्चित करेगा। जहां नियोजक ठेकेदार हो, वह यह सुनिश्चित करेगा कि भवन कर्मकारों को मजदूरी का संदाय स्थापन के नियोजक या परिसर के स्वामी, जिससे उसने ठेके पर कार्य प्राप्त किया है के प्रतिनिधि के उपस्थिति में किया जाए, और ऐसे प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मजदूरी के संदाय के साक्ष्य के प्रतीक स्वरूप प्राप्त करेगा।

(11) नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में प्रयुक्त उत्थापक साधित्र उत्थापक गियर, मिट्टी हटाने वाले उपस्कर, परिवहन उपस्कर या यान, इन नियमों के अधीन यथा उपबन्धित ऐसे उपस्कर के परीक्षण, परीक्षा और जांच संबंधित अपेक्षाओं के अनुरूप हो। सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में रत प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों में दी गई उससे संबंधित अपेक्षाओं की अनुपालना करें।

**6. वास्तुविदों, परियोजना इंजीनियरों और डिजाइनरों के उत्तरदायित्व.—**(1) किसी परियोजना या उसके भाग या किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य की डिजाइन के लिए उत्तरदायी वास्तुविद, परियोजना इंजीनियर या डिजाइनर का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि योजना अवस्था (प्रक्रम) पर भवन कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बातों पर सम्यक रूप से ध्यान दिया जाए जो यथास्थिति, ऐसी परियोजनाओं और संरचनाओं के परिनिर्माण, प्रचालन और निष्पादन में नियोजित है।

(2) परियोजना में अन्तर्वलित वास्तुविद, परियोजना इंजीनियर और अन्य वृत्तिकों द्वारा इस बात की पर्याप्त सतर्कता (सावधानी) बरती जाएगी कि डिजाइन में ऐसी कोई बात सम्मिलित न की जाए जिसमें ऐसी खतरनाक संरचना या अन्य प्रक्रिया या सामग्री का प्रयोग अन्तर्वलित हो, जो यथास्थिति, परिनिर्माण, प्रचालन और निष्पादन के अनुक्रम के दौरान भवन कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय हो।

(3) भवनों, संरचनाओं या अन्य सन्निर्माण परियोजनाओं की डिजाइन में अन्तर्वलित वृत्तिकों का यह भी कर्तव्य होगा कि संरचनाओं और भवनों के अनुरक्षण और रखरखाव से सहबद्ध सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखें जहां अनुरक्षण और रख रखाव विशेष जोखिम वाला है।

**7. राज्य सरकार और बोर्ड की सेवाओं में व्यक्तियों के उत्तरदायित्व.—**किसी राज्य की सरकार या किसी राज्य या बोर्ड की सेवाओं में व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे अधिनियम व इन नियमों के उपबंधों के उस राज्य में निष्पादन को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

**8. कर्मचारियों के कर्तव्य और दायित्व.—**(1) प्रत्येक भवन कर्मकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालना करे जो उससे संबंधित हैं और इन नियमों की अपेक्षाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही और सहयोग करे और यदि वह परिवहन उपस्कर या अन्य उपस्करों से संबंधित उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, उत्थापक युक्ति में कोई त्रुटि पाता है तो बिना अनुचित विलम्ब के ऐसी त्रुटियों की रिपोर्ट उसके नियोजक या फोरमैन या प्राधिकरण में किसी अन्य व्यक्ति को करेगा।

(2) कोई भवन कर्मकार, जब तक कि सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो या आवश्यकता की दशा में, के सिवाय, ऐसी किसी बाड़, मार्गिका, गियर, सीढ़ी हैच कवरिंग, जीवन रक्षक साधित्र, प्रकाश या कोई भी अन्य वस्तुएं जिनका उपबन्ध किया जाना अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, नहीं हटाएगा या उनसे छेड़छाड़ नहीं करेगा। यदि उपरोक्त किन्हीं वस्तुओं को हटाया जाता है तो ऐसी वस्तु ऐसी अवधि की समाप्ति पर जिसके दौरान उसका हटाया जाना आवश्यक था उक्त कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावर्तित की जाएगी।

(3) प्रत्येक भवन कर्मकार, प्रवेश के केवल ऐसे साधनों का उपयोग करेगा जिनका उपबन्ध इन नियमों के अनुसार किया गया है और कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे प्रवेश के साधनों से भिन्न प्रवेश के साधनों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत या आदेश नहीं करेगा।

(4) भवन कर्मकार का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नियोजक द्वारा उपबन्धित शौचालय, मूत्रालय धोवन बिन्दु, कैंटीन और सुविधाओं को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थितियों में रखें।

**9. छूट.**—राज्य सरकार, लिखित में आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्याधीन और ऐसी अवधि के लिए, जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए, इन नियमों की सभी या किन्हीं उपेक्षाओं से निम्नलिखित को छूट दे सकेगी—

(क) कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, यदि ऐसी सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे भवन का कार्य ऐसे कर्मकारों तक सीमित है, जहां इन नियमों में उपबन्धित उपायों का किया जाना सुविधाजनक नहीं है; या

(ख) कोई साधित्र, गियर, उपस्कर, यान या अन्य युक्ति, यदि ऐसी सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे साधित्र, गियर उपस्कर, यान या अन्य युक्ति की अपेक्षाएं प्रयोग के लिए आवश्यक नहीं है या उसके बदले में समान रूप से प्रभावी उपाय ले लिए गए हैं:

परन्तु ऐसी सरकार इस नियम के अधीन तब तक छूट नहीं देगी जब तक कि समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी छूट, भवन कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी।

## भाग— 2

### राज्य सलाहकार समिति, स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण

## अध्याय— 3

### राज्य सलाहकार समिति

**10. राज्य सलाहकार समिति गठन.**—राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य सलाहकार समिति कहा गया है) निम्नलिखित से गठित होगी: —

- |  |            |
|--|------------|
| (क) अध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;  | अध्यक्ष    |
| (ख) हिमाचल प्रदेश राज्य विधानमण्डल के दो सदस्य जो हिमाचल प्रदेश विधान सभा से निर्वाचित किए जाएंगे; | सदस्य      |
| (ग) केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य;                                      | पदेन सदस्य |
| (घ) मुख्य निरीक्षक भवन एवं निर्माण कार्य निरीक्षण;   | सदस्य      |

(ङ) मुख्य कारखाना निरीक्षक;	पदेन सदस्य
(च) नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्य;	सदस्य
(छ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्य;	सदस्य
(ज) दो व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनमें से एक राज्य स्तरीय वास्तुविदों या इंजीनियरों के संगमो को तथा दूसरा दुर्घटना बीमा संस्था का प्रतिनिधित्व करेगा।	सदस्य

**10. पदावधि.**—(1) राज्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष, राजपत्र में उसकी नियुक्ति अधिसूचित किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करेगा।

(2) नियम 10 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, यथास्थिती तीन वर्ष के लिए या हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य रहने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(3) नियम 10 के खण्ड (च), (छ) व खण्ड (ज) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, राजपत्र में उसकी नियुक्ति अधिसूचित किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इस रूप में पद धारण करेगा। परन्तु जहां किसी सदस्य के उत्तराधिकारी की नियुक्ति उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या इससे पूर्व अधिसूचित नहीं की जाती है, तो ऐसा सदस्य उसके पद की अवधि का अवसान होने पर भी तब तक ऐसा पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित नहीं कर दी जाती है।

(4) यदि कोई सदस्य समिति की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार, ऐसे सदस्य को और राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष को लिखित में सूचना देने के पश्चात्, बैठक में उपस्थित होने के लिये ऐसे सदस्य का प्रतिस्थानी नामनिर्दिष्ट करेगी और ऐसे प्रतिस्थानी सदस्य को, ऐसी बैठक की बाबत, ऐसे सदस्य के समस्त अधिकार और विशेषाधिकार होंगे।

(5) राज्य सलाहकार समिति का प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् पुर्नगठन किया जाएगा।

**11. त्यागपत्र.**—(1) राज्य सलाहकार समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, ऐसी समिति के अध्यक्ष को पूर्व जानकारी देकर सचिव (श्रम) के माध्यम से राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित में पत्र देकर अपना पद त्याग सकेगा।

(2) ऐसे सदस्य का स्थान उस तारीख से जिसको राज्य सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है या सरकार के सचिव (श्रम) द्वारा त्यागपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अवसान पर, इसमें जो भी पूर्वतर हो, रिक्त हो जाएगा।

**13. सदस्यता का समाप्त होना.**—यदि राज्य सलाहकार समिति का कोई सदस्य जो पदेन सदस्य नहीं है, ऐसी समिति के अध्यक्ष से ऐसी अनुपस्थिति के लिए छुट्टी प्राप्त किए बिना, समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है तो वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा।

परन्तु यह कि राज्य सरकार का यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा सदस्य तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह निदेश दे सकेगी कि सदस्यता की ऐसी समाप्ति नहीं होगी और ऐसा निर्देश दिए जाने पर ऐसा सदस्य ऐसी समिति का सदस्य बना रहेगा।

**14. सदस्यता के लिए निरर्हता.**—(1) कोई व्यक्ति राज्य सलाहकार समिति का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा—

(i) यदि वह विकृतचित है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

- (ii) यदि वह अनुमोदित दिवालिया है; या  
 (iii) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है।

(2) यदि यह प्रश्न उदभूत होता है कि क्या कोई निर्रहता उपनियम (1) के अधीन उपगत हुई है, तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय राज्य सरकार करेगी।

**15. सदस्यता से हटाया जाना.**—राज्य सरकार, राज्य सलाहकार समिति के किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी यदि उसकी राय में सदस्य ने हित का प्रतिनिधित्व करना बन्द कर दिया है जिसका उसके द्वारा ऐसी समिति में प्रतिनिधित्व करना तात्पर्यित है। परन्तु यह कि ऐसे किसी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्यवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे उचित अवसर न दे दिया जाए।

**16. रिक्तियां भरने की रीति.**—जब राज्य सलाहकार समिति की सदस्यता में कोई रिक्ति होती है या रिक्त होने की संभावना है, तब ऐसी समिति का अध्यक्ष, राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार, उस प्रवर्ग के व्यक्तियों में से जिनसे सदस्यता रिक्त करने वाले सम्बन्धित थे, नियुक्ति द्वारा रिक्ति भरने के लिए कदम उठाएगी (कार्यवाही करेगी) और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है।

**17. राज्य सलाहकार समिति के कर्मचारी वृन्द.**—(i) राज्य सरकार अपने किसी एक अधिकारी को जो राज्य श्रम विभाग में उप-श्रम आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, राज्य सलाहकार समिति के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगी और समिति को उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए उस सरकार की सेवा में ऐसे अन्य कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(ii) ऐसे कर्मचारी वृन्द को संदेय पारिश्रमिक ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए।

(2) राज्य सलाहकार समिति का सचिव:—

- (i) समिति की बैठक को बुलाने में ऐसी समिति के अध्यक्ष की सहायता करेगा।  
 (ii) ऐसी समिति की बैठकों में उपस्थित हो सकेगा परन्तु ऐसी बैठकों में मत देने का हकदार नहीं होगा।  
 (iii) ऐसी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख रखेगा; और  
 (iv) ऐसी समिति की बैठकों में लिए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

**18. सदस्यों के भत्ते.**—(1) राज्य सलाहकार समिति के शासकीय सदस्यों को यात्रा भत्ता पदीय कर्तव्यों के लिए उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए उसे लागू नियमों द्वारा शासित होगा और उसे वेतन का संदाय करने वाले प्राधिकारी (अथारिटी) द्वारा संदत्त किया जाएगा।

(2) राज्य सलाहकार समिति के गैर शासकीय सदस्यों को ऐसी समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए यात्रा भत्ते का संदाय ऐसी दर से किया जाएगा जो राज्य सरकार के ग्रेड-I अधिकारी को संदेय है तथा दैनिक भत्ते की गणना ऐसे ग्रेड-I अधिकारी को अनुज्ञेय भत्ते की अधिकतम दर पर की जाएगी।

**19. कारबार का निपटारा—1.** प्रत्येक मामला जिस पर राज्य सलाहकार समिति द्वारा विचार करना अपेक्षित है, उस पर उस समिति की बैठक में विचार किया जाएगा या यदि ऐसी समिति का अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को राय हेतु आवश्यक कागजात भेजते हुए ऐसा निर्देश देता है तो मामले का निपटारा बहुमत के विनिश्चय के अनुसार किया जायगा।

परन्तु यह कि जहां किसी मामले पर बहुमत की कोई राय नहीं है और ऐसी समिति के सदस्य समान रूप से बंटे हुए हैं वहां ऐसी समिति के अध्यक्ष का द्वितीयक या निर्णायक मत होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस नियम के प्रयोजन के लिए 'राज्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष' पद के अर्न्तगत ऐसी समिति का अध्यक्ष आता है जो बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नियम 20 के उप नियम (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट या चयनित किया गया है।

2. राज्य सलाहकार समिति का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि समिति के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है।

**20. बैठकें.**—(1) राज्य सलाहकार समिति ऐसे स्थानों पर और ऐसे समय पर जैसा कि समिति के अध्यक्ष द्वारा किया गया है बैठक करेगी और बैठक छः मास में कम से कम एक बार होगी।

2. ऐसी समिति का अध्यक्ष समिति को प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें वह उपस्थित होगा और उसकी अनुपस्थिति में वह उसके स्थान पर ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए समिति के किसी सदस्य को नामनिर्देशित कर सकेगा और अध्यक्ष द्वारा ऐसे नामनिर्देशन की अनुपस्थिति में ऐसी बैठक में उपस्थित ऐसी समिति के सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्वयं में से किसी सदस्य का चयन कर सकेंगे।

**21. बैठकों की सूचना और कारबार की सूची.**—(1) साधारणतया, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों को प्रस्तावित बैठक की दो सप्ताह की सूचना दी जाएगी:

परन्तु यह कि ऐसी समिति का अध्यक्ष यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना समीचीन है, तो ऐसी बैठक के लिए दीर्घतर अवधि की सूचना दे सकेगा जो एक मास से अधिक नहीं होगी।

(2) ऐसी समिति की बैठक के लिए कारबार की सूची में सम्मिलित से भिन्न किसी कारबार पर समिति के अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना ऐसी बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।

**22. गणपूर्ति.**—राज्य सलाहकार समिति की किसी बैठक में किसी कारबार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस बैठक में ऐसी समिति के कम से कम पांच सदस्य उपस्थित न हों:

परन्तु यह कि यदि समिति की किसी बैठक में पांच सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हों, तो ऐसी समिति का अध्यक्ष, उपस्थित सदस्यों को सूचित करते हुए बैठक को अन्य तारीख को स्थगित कर सकेगा और अन्य सदस्यों को सूचना देगा कि वह कारबार का निपटान स्थगित बैठक में करने का प्रस्ताव करता है, चाहे उसमें विहित गणपूर्ति हो या न हो, और उस पर यह विधिपूर्ण होगा कि वह उपस्थित सदस्यों की संख्या का विचार किए बिना स्थगित बैठक में कारबार का निपटारा करें।

#### अध्याय-4

#### स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण

**23. स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन करने की रीति.**—(1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप-1 में तीन प्रतियों में, अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, जिसमें कि स्थापन द्वारा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है कार्य प्रारम्भ करने से साठ दिन के भीतर किया जाना है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए, श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी फीस का संदाय दर्शाते हुए सरकारी खजाने की पावती संलग्न होगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से परिदत्त किया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आवेदन पर उसके द्वारा प्राप्ति की तारीख अंकित करने के पश्चात्, आवेदक को उसकी अभी अभिस्वीकृति प्रदान करेगा।

**24. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्रदान किया जाना-**(1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियम 23 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् स्थापन को रजिस्टर करेगा और आवेदक को आवेदन की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर यदि आवेदक ने इन नियमों में अधिकथित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया है और ऐसी अवधि के भीतर आवेदन किया है जो अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट है रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप-II में होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप-III में, स्थापनों की विषिष्टियों को दर्शाते हुये जिसकी बाबत उसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, रजिस्टर बनाएगा।

(3) यदि किसी स्थापन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट स्वामित्व या प्रबन्ध या अन्य विषिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है तो स्थापन का नियोजक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उस तारीख से तीस दिन के भीतर जिसको ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन की तारीख तथा विषिष्टियों की और उसके कारणों की सूचना देगा।

**25. अतिरिक्त फीस का संदाय और रजिस्टर का संशोधन आदि-**(1) जहां नियम 24 के उपनियम (3) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उस राशि से अधिक राशि जिसका संदाय स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के रूप में नियोजक द्वारा किया गया है तो वह ऐसे नियोजक से ऐसी अतिरिक्त राशि का संदाय करने की अपेक्षा करेगा जो ऐसे नियोजक के द्वारा पहले से संदत्त रकम को मिलाकर स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस की ऐसी उच्चतर रकम के बराबर होगी।

2. जहां नियम 24 के उप नियम (3) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप-III में रजिस्टर में यथा प्रविष्ट स्थापन की विषिष्टियों में कोई परिवर्तन उदभूत हुआ है, तो वह उक्त रजिस्टर और अभिलेख में उस परिवर्तन का संशोधन करेगा;

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप-(III) में रजिस्टर में कोई संशोधन तब तक नहीं करेगा जब तक कि नियोजक द्वारा समुचित फीस जमा न कर दी गई हो।

**26. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें-**(1) नियम 24 के अधीन प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा, अर्थात्;

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अहस्तांतरणीय होगा;

(ख) किसी स्थापन में भवन कर्मकार के रूप में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी; और

(ग) इन नियमों से यथा उपबन्धित के सिवाय रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देने के लिए संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी;

(2) नियोजक कर्मकारों की संख्या या कार्य की शर्तों में, परिवर्तन यदि कोई हो, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पन्द्रह दिन के भीतर सूचित करेगा।

(3) नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने और पूर्ण होने से तीस दिन पूर्व, जहां प्रस्तावित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य निष्पादन किया जाना है, उस क्षेत्र के अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को, यथास्थिति, इन नियमों से संलग्न प्ररूप- पत्र में प्रारम्भ की वास्तविक तारीख या ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के पूर्व होने की लिखित सूचना देगा;

(4) किसी स्थापन के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र ऐसे स्थापन द्वारा क्रियान्वित केवल ऐसे भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए विधिमान्य होगा, जिसके लिए उप नियम 3 के अधिन अपेक्षित सूचना दे दी गई हैं;

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति परिसर के सहज दृश्य स्थान पर जहां भवन और अन्य सन्निर्माण किया जा रहा है, समप्रदर्शित की जाएगी;

**27. फीस-** (1) नियम 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करने के लिए संदेय फीस वह होगी जो नीचे विनिर्दिष्ट है, अर्थात्- यदि किसी एक दिन में भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए भवन कर्मकार के रूप में नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित कर्मकारों की संख्या:

क.	10 से 50 के मध्य है -----	100-00 रुपये
ख.	50 से अधिक 100 तक-----	500-00 रुपये
ग.	100 से अधिक किन्तु 250 से अधिक न हो	1,000-00 रुपये
घ.	250 से अधिक किन्तु 500 से अधिक न हो	2,500-00 रुपये
ङ.	500 से अधिक -----	5,000-00 रुपये

2. यदि नियम 23 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उप नियम (1) में वर्णित फीस की दर, जहां विलम्ब एक मास तक का है वहा पच्चीस प्रतिशत और जहां एक मास से छह मास तक का है तो पचास प्रतिशत और जहां छः मास से अधिक का हो तो शत प्रतिशत विलम्ब फीस उदगृहीत की जाएगी, और श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी दो सौ रुपये की खजाने की पावती होगी;

## अध्याय-5

### अपील, आदेशों की प्रतिया, फीसों का संदाय आदि

**28. अपील अधिकारी के समक्ष अपील दायर करना.**-(1) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में की जाएगी और अपील अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेजकर प्रस्तुत की जाएगी।

(2) ज्ञापन के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है और श्रम एवं रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी दो सौ रुपए की खजाने की पावती होगी।

(3) ज्ञापन में संक्षिप्त रूप से और भिन्न शीर्षों के अधीन अपील के आधार वर्णित होंगे।

(4) जहां अपील ज्ञापन उपनियम (2) और उपनियम (3) के उपबंधों की अनुपालना नहीं करता है वहां अपीलार्थी को अपील अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर इसे संशोधित किए जाने के प्रयोजन से वापस किया जा सकेगा, जो उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपीलार्थी को संसूचित किया गया था तीस दिन से अधिक नहीं होगा।

(5) जहां अपील का ज्ञापन व्यवस्थित है, वहां अपील अधिकारी अपील को ग्रहण करेगा, उस पर ऐसी अपील की सुनवाई की तारीख पृष्ठांकित करेगा और इस प्रयोजन के लिए, रखे जाने वाली ऐसी पुस्तिका में अपील को रजिस्टर करेगा, जिसका नाम अपीलों का रजिस्टर होगा।

(6) (i) जब उपनियम (5) के अधीन अपील ग्रहण कर ली जाती है तब अपील अधिकारी, अपील की सूचना उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस पर मामले का अभिलेख अपील अधिकारी को भेजेगा।

(ii) अभिलेख प्राप्त होने पर अपील अधिकारी, ऐसी तारीख और ऐसे समय पर जो अपील की सुनवाई के लिए सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए अपीलार्थी को उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए अपीलार्थी को सूचना भेजेगा।

**29. सुनवाई की तारीख को उपस्थित होने में असफलता.**—यदि सुनवाई के लिए नियत तारीख को अपीलार्थी, उपस्थित नहीं होता है तो अपील अधिकारी, उपस्थित होने में चूक के लिए अपील को खारिज कर सकता है।

**30. अपीलों का प्रत्यावर्तन.**—जहां कोई अपील, नियम 29 के अधीन खारिज कर दी जाती है, वहां अपीलार्थी, अपील के प्रत्यावर्तन के लिए अपील अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और यदि अपील अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उपस्थित होने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो अपील अधिकारी अपील को उसकी मूल संख्या पर प्रत्यावर्तित करेगा:

परन्तु इस नियम के अधीन प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन, अपील अधिकारी द्वारा ऐसे खारिज किए जानें की तारीख से तीस दिनों के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा।

**31. अपील की सुनवाई.**—(1) यदि अपीलार्थी, उस समय उपस्थित है जब अपील सुनवाई के लिए ली जाती है, तो अपील अधिकारी, अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता को सुनने के लिए अग्रसर होगा और अपील पर उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है या तो पुष्टि करने वाला, उलटने वाला या फेरफारित करने वाला आदेश पारित करेगा।

(2) अपील अधिकारी के आदेश में अवधारण के लिए बिंदु उस पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चयों के लिए कारण कथित होंगे।

(3) अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया जाएगा और उसकी प्रति उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई थी।

**32. रजिस्ट्रीकरण के आदेश की या अपील में आदेश की प्रति.**—रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी के आदेश की प्रति सम्बन्धित व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, प्रत्येक आदेश के लिए एक सौ रूपये की फीस के संदाय के साथ, यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी को आवेदन करने पर, जिसमें सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की तारीख और विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट होंगी, प्राप्त की जा सकेंगी। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति भी खो जाने या विकृत हो जाने पर वैसी ही फीस के संदाय पर और उसी रीति से प्राप्त की जा सकेंगी।

**33. फीस की संदाय.**—(1) रजिस्ट्रीकरण, अपील रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतियाँ या दूसरी प्रतियों के प्रदाय के कारण संदेय धन की समस्त राशि, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी के पक्ष में क्रास माँग देय ड्राफ्ट के माध्यम से संदेय की जाएगी और ड्राफ्ट राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी के मुख्यालय में विनिर्दिष्ट बैंक की शाखा में संदेय होगा।



(2) उपनियम (1) के अधीन मांगदेय ड्राफ्ट की प्राप्ति पर, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट बैंक सुसंगत लेखा शीर्ष के अधीन श्रम मांग के वेतन और लेखा अधिकारी के लेखे में राशि को निक्षिप्त करने की व्यवस्था करेगा।

### भाग-III

#### सुरक्षा और स्वास्थ्य

#### अध्याय- 6

#### साधारण उपबन्ध

**34. अत्यधिक शोर, कम्पन आदि.**—नियोजक किसी भवन या सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि अत्यधिक शोर या कम्पन के बुरे प्रभावों से भवन कर्मकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए गये हैं और ऐसे सन्निर्माण स्थल पर शोर का प्रबलता स्तर किसी भी दशा में इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची छ: में अधिकथित सीमा से अधिक न हों।

**35. अग्नि से संरक्षण.**—नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

- (क) ऐसे सन्निर्माण स्थल पर निम्नलिखित की व्यवस्था की जाती है;
- (i) अग्निशमन उपस्कर जो ऐसे सन्निर्माण स्थल पर किसी सम्भावित अग्नि के शमन के लिए पर्याप्त हो;
- (ii) राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यापक दबाव पर पर्याप्त, जल प्रदाय;
- (iii) उपखण्ड (1) के अधीन उपबन्धित अग्निशमन उपस्कर के प्रचालन के लिए अपेक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या;
- (ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (i) के अधीन उपबन्धित अग्निशमन उपस्करों को उचित ढंग से रखा जाता है और उनका वर्ष में कम से कम एक बार उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा नियमित अन्तराल पर निरीक्षण किया जाता है, तथा ऐसे निरीक्षणों का अभिलेख रखा जाता है।

(ग) भवन कर्मकारों और चलित क्रेन सहित प्रत्येक उत्पाक साधित्र के कैबिन के परिवहन के लिए प्रयुक्त प्रत्येक लॉच या नोका या अन्य यान की दशा में, उपयुक्त प्रकार के वहनीय अग्निशमन की पर्याप्त संख्या की व्यवस्था ऐसे प्रत्येक लॉच या नोका या यान या उत्पाक साधित्र पर की जाएगी।

**36. आपातकालीन कार्य योजना.**—नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा, कि जहां ऐसे सन्निर्माण स्थल पर पांच सौ से अधिक भवन कर्मकार नियोजित किए जाते हैं वहां निम्नलिखित आपात स्थिति, जैसे—

- (क) अग्नि और विस्फोट;
- (ख) उत्पाक साधित्रों और परिवहन उपस्करों का ढह जाना;
- (ग) भवन, शैड या संरचनाओं आदि का ढह जाना;
- (घ) गैस, रिसाव या खतरनाक माल या रसायनों का छलकना;
- (ङ) भवन कर्मकारों और वाहिकाओं (वेसलज़) का धंसना; और

(च) भू स्खलन, भवन कर्मकार का दब जाना, जलप्लावन, आंधी और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों से निपटने के लिए आपातकालीन कार्य योजना तैयार की जाती है और मुख्य निरीक्षक भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है।

**37. मोटरों आदि की बाड़ लगाना.**—नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) सभी मोटरों का गन्हील, जंजीरों और घर्षण गियरों, फलाईव्हील, धुरातंत्र, मशीनरी के खतरनाक और चलित पुर्जों (चाहे यांत्रिक शक्ति से चालित हों या नहीं) और वाष्प पाइपों की सुरक्षित रूप से बाड़ या लपेट लगाई जाती है;

(ख) मशीनरी के खतरनाक पुर्जों की बाड़ ऐसी मशीनरी के गतिशील रहते हुए या उसका प्रयोग करते समय हटाई नहीं जाती है।

(ग) किसी मशीनरी के किसी पुर्जे का, जो गतिशील है और जिसकी सुरक्षित रूप से बाड़ नहीं लगाई गई है निरीक्षण, स्नेहन, समायोजन या मरम्मत ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो ऐसे निरीक्षण, स्नेहन, समायोजन या मरम्मत के लिए कुशल व्यक्ति है;

(घ) मशीनों के पुर्जे ऐसी मशीन के रोके जाने पर साफ किए जाते हैं और;

(ङ) जब कोई मशीन सर्विसिंग या मरम्मत के लिए रोकी जाती है तब यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं कि ऐसी मशीन अनवधानता से पुनः चालू न हो जाए।

**38. अत्याधिक भार का उत्थापन और वहन.**—कोई नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जब तक कि किसी अन्य भवन कर्मकार या यांत्रिक युक्ति की सहायता न ली गई हो तब तक कोई भवन कर्मकार अपने हाथ से या सिर पर या अपनी पीठ या कंधे पर कोई सामग्री, वस्तु, औजार या साधित्र अधिकतम सीमा से अधिक भार नहीं उठाता है या ले जाता है: —

निम्नलिखित सारणी में दी गई

व्यक्ति	अधिकतम भार
व्यस्क पुरुष	55 कि० ग्रा०
व्यस्क स्त्री	30 कि० ग्रा०
कुमार पुरुष	30 कि० ग्रा०
कुमारी स्त्री	20 कि० ग्रा०

(ख) जब तक किसी यांत्रिक युक्ति की सहायता न ली गई हो तब तक कोई भवन कर्मकार अन्य भवन कर्मकारों की सहायता से हाथ से या सिर पर या अपनी पीठ या कंधे पर कोई सामग्री, वस्तु, औजार या साधित्र उस भार से अधिक नहीं उठाता है या ले जाता है, जो खण्ड (क) के अधीन पृथक-पृथक रूप से प्रत्येक भवन कर्मकार के लिए दी गई अधिकतम सीमा के कुल योग भार से अधिक है;

**39. स्वास्थ्य या सुरक्षा नीति.**—(1) (क) पचास या अधिक भवन कर्मकारों को नियोजित करने वाला प्रत्येक स्थापन, भवन कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की बावत नीति का लिखित कथन तैयार करेगा और मुख्य निरीक्षक, भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के अनुमोदन के लिए एन्करिंग स्तुत करेगा;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति में निम्नलिखित अन्तर्निष्ठ होंगे, अर्थात:

- (i) भवन कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में स्थापन के आशय और प्रतिबद्धताएं;
- (ii) अधिक्रम के विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व को विनिर्दिष्ट खण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति के कार्यान्वयन के लिए किए गए संगठनात्मक आयोजन;
- (iii) प्रमुख नियोजक, ठेकेदार, उप-ठेकेदार, परिवाहक या अन्य अभिकरण, जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में अन्तर्वलित हैं, के उत्तरदायित्व;
- (iv) सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के जोखिम के निवारण के लिए तकनीके और ढंग तथा उनके लिए उपचारी उपाय;
- (v) भवन कर्मकारों, प्रशिक्षकों पर्यवेक्षकों या सन्निर्माण कार्य में लगे हुए अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए इन्तज़ाम;
- (vi) खण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति को प्रभावी बनाने के लिए अन्य इन्तज़ाम,

(ग) खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट आशय और प्रतिबद्धता को, संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर, सामग्री और भवन कर्मकारों को लगाने के संबंध में विनिश्चय करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

(2) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित उपनियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी;

(3) स्थापन, उपनियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति का निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन, जब कभी आवश्यक समझा जाए, पुनरीक्षण करेगा, अर्थात: —

- (i) जब कभी ऐसा कोई विस्तार या उपान्तरण ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किया जाता है जिसका कि भवन कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा; या
- (ii) जब कभी ऐसा कोई नया भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, पदार्थ वस्तुएं या तकनीकें प्रारम्भ की जाती हैं, जिनका भवन कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा; या

(4) उपनियम (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति की एक प्रति हिन्दी और ऐसी स्थानीय भाषा में जो भवन कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाती है, सन्निर्माण स्थल पर किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

**40. खतरनाक और हानिकारक पर्यावरण.**—कोई नियोजक, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि:—

(क) जब कोई आंतरिक दहन इंजन परिरुद्ध स्थान पर, उत्खनन या सुरंग या किसी अन्य कार्य स्थान में, रेचित हो जाता है जहां वायुमण्डल के कार्बन मोनोक्साइड के अंश प्रति दस लाख पचास अंश से कम (नीचे) रखने के लिए न तो प्राकृतिक संवातन और न ही कृत्रिम संवातन प्रणाली पर्याप्त है, वहाँ स्वास्थ्य परिसंकटों से भवन कर्मकारों को बचाने की दृष्टि से ऐसे कार्यस्थल पर पर्याप्त और उपयुक्त उपाय किए जाते हैं;

(ख) जब तक कि ऐसी धूल, धूम (भाप) या अन्य अपद्रव्य और खतरों को जो उपस्थित हो सकते हैं, दूर करने के लिए और उसमें और वृद्धि होने के निवारण के लिए सभी व्यवहार्य कदम न उठा लिए गए हों, ऐसे कार्य स्थान या टैंक या खाई या उत्खनन को ऐसे भवन कर्मकारों के प्रवेश के लिए सुरक्षित और ठीक होने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित न कर दिया गया हो तब तक किसी भवन कर्मकार को, ऐसी किसी परिरुद्ध जगह या टैंक या खाई या उत्खनन में, जिनमें ऐसी प्रकृति की और उतनी मात्रा में धूल, धूम भापद्ध या अन्य अपद्रव्य निकाले गए हैं जो भवन कर्मकारों को हानिकारक या क्लेशकर (अप्रिय) हो सकते हैं

या जिसमें विस्फोटक, विशैला, उपायकर या गैसीय सामग्री या अन्य हानिकर वस्तुएं ले जाई गई है या भंडारित की गई है या जिसमें शुष्क बर्फ प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त किया गया है या जिसे धूमित किया गया है या जिसमें आक्सीजन की कमी की संभावना है, प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

**41. शिरोपरि (ओवरहैड) संरक्षा.—**(1) नियोजक, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माणाधीन प्रत्येक भवन की परिधि के साथ शिरोपरि संरक्षा का परिनिर्माण किया गया है, जिसकी ऊँचाई पूर्ण होने पर पन्द्रह मीटर या उससे अधिक होगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शिरोपरि (ओवरहैड) संरक्षा की चौड़ाई दो मीटर से कम नहीं होगी और भवन के आधार के ऊपर पांच मीटर से अनधिक की ऊँचाई पर परिनिर्मित की जाएगी और ऐसी शिरोपरि संरक्षा की बाहरी कोर (किनारा) उसकी भीतरी कोर (किनारे) से एक सौ पचास मिलीमीटर ऊँची होगी या उसका परिनिर्माण भवन में उसकी क्षैतिज ढलान से बीस डिग्री से अनधिक के कोण पर किया जाएगा।

(3) नियोजक, भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य पर यह सुनिश्चित करेगा कि सामग्री, वस्तुओं या पदार्थों के गिरने की जोखिम वाले किसी क्षेत्र को रस्सियों से बांध दिया गया है या घेरा डाल दिया गया है या ऐसे क्षेत्र में कार्यरत भवन कर्मकारों से भिन्न व्यक्तियों के अनवधानता से हुए प्रवेश से अन्यथा उचित रूप से रक्षित कर दिया गया है।

**42. फिसलने, ठोकर लगने, कट जाने, डूबने और गिरने संबंधी परिसंकट.—**(i) भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर सभी गलियां, प्लेटफार्म और सन्निर्माण कार्य के अन्य स्थानों को, नियोजक द्वारा धूल, मलवा के ढेर या वैसी ही सामग्री से, जिनके कारण ठोकर लग सकती है, मुक्त रखा जाएगा।

(2) कोई तीक्ष्ण प्रक्षेपण या बाहर निकली हुई कीलें या वैसे ही बाहर निकले हुए प्रक्षेपण को जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर भवन कर्मकार को कोई विदारण परिसंकट कारित कर सकता है, नियोजक द्वारा हटा दिया जायगा या उपयुक्त उपाय करके अन्यथा सुरक्षित बनाया जाएगा।

(3) कोई नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार को सन्निर्माण कार्य पर ऐसे गलियारे या मचान, प्लेटफार्म या किसी अन्य उत्थापित कार्यकरण स्थान का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा जो फिसलन भरी और खतरनाक स्थिति में है और यह सुनिश्चित करेगा कि जल, ग्रीस तेल या अन्य वैसे ही पदार्थ को जो स्थल को फिसलन भरी बना सकते हैं, हटा दिया जाए या उसे फिसलने के संकट से सुरक्षित करने के लिए उस पर बालू, बुरादा डाल दिया जाएगा या उपयुक्त सामग्री से आच्छादित कर दिया जाएगा।

(4) जब कभी किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर भवन कर्मकार जल में गिरने के संकट में फंस जाते हैं तो वहां उन्हें नियोजक द्वारा अपने आपको डूबने और ऐसे संकट से बचाने के लिए समुचित उपस्कर उपलब्ध कराए जाएंगे और यदि मुख्य निरीक्षक भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण यह आवश्यक समझता है तो ऐसे कार्यस्थल पर नियोजक द्वारा प्रशिक्षित कार्मिक सहित पूर्णतया सुसज्जित नौका या लांच की व्यवस्था की जाएगी।

(5) जहां कार्य की प्रकृति के कारणों से पहुंचना आवश्यक है, के सिवाय भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर प्रत्येक खुली जगह या द्वार, जिसमें या जिसमें से कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार, यान या उत्थापक साधित्र या अन्य उपस्कर गिर सकते हैं, ऐसे गिरने से रोकने के लिए नियोजक द्वारा अच्छादित या उपयुक्त रूप से रक्षित की जाएगी।

(6) जहां किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर भवन कर्मकारों को ऐसे कार्य पर नियोजित रहते समय उंचाई से गिरने के संकट का जोखिम है, वहां नियोजक द्वारा ऐसे संकट से उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त उपस्कर या साधनों की व्यवस्था की जाएगी तथा ऐसे उपस्कर या साधन राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे।

(7) जहां कहीं भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से संबन्धित सन्निर्माण स्थल पर किसी सामग्री, उपस्कर या भवन कर्मकार के गिरने की संभावना है, वहां नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त और उपयुक्त सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था की जाएगी।

**43. धूल, गैसों, धूम (भाप) आदि.**—नियोजक, धूल गैसों या धूम्रों (भापों) के संकेन्द्रण का निवारण, अनुज्ञेय सीमा के भीतर उनके संकेन्द्रण के नियंत्रण के लिए उपयुक्त साधनों की व्यवस्था करके करेगा, जिससे कि ये किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर भवन कर्मकार को क्षति या स्वास्थ्य संकट कारित न करें।

**44. संक्षारक (विनाशक) पदार्थ.**—नियोजक, यह सुनिश्चित करेगा कि संक्षारक पदार्थ जिसके अर्न्तगत क्षार और अम्ल भी है, किसी भवन या सन्निर्माण कार्य पर ऐसे पदार्थों से सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से भण्डारित और प्रयोग किए जाएं जिससे यह भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार को खतरा उत्पन्न न करें और नियोजक द्वारा ऐसे पदार्थों के हथालने या उपयोग के दौरान उपयुक्त संरक्षात्मक उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी और ऐसे पदार्थों के भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार पर गिरने की दशा में नियोजक द्वारा तुरन्त उपचारी उपाय किए जाएंगे।

**45. नेत्र संरक्षण.**—नियोजक द्वारा नेत्रों के संरक्षण के लिए उपयुक्त वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी और भवन कर्मकार, जो वैल्डिंग, कर्तन, छीलन, पीसने या इसी प्रकार की संक्रियाओं में लगे हैं, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर, अपने नेत्रों को संकट से बचाने के लिए उनका उपयोग करेंगे।

**46. सिर का संरक्षण और अन्य संरक्षा वस्त्र (परिधान).**—(1) प्रत्येक भवन कर्मकार को, जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के क्षेत्रों के भीतर कार्य करने या वहां से जाने की अपेक्षा है, जहां कहीं उस पर वस्तुओं या सामग्री के गिरने का संकट है नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रकार के और परीक्षित सुरक्षा-हैलमेटों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) प्रत्येक भवन कर्मकार को, जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर जल में या गीली कंक्रीट में या इसी प्रकार के अन्य कार्य करने की अपेक्षा है, नियोजक, द्वारा उपयुक्त (वाटर-प्रूफ) जूतों की व्यवस्था की जाएगी।

(3) प्रत्येक भवन कर्मकार को जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर वर्षा में या इसी प्रकार की गीली स्थितियों में कार्य करने की अपेक्षा है, नियोजक द्वारा टोप के साथ (वाटर-प्रूफ कोट की व्यवस्था की जाएगी।

(4) प्रत्येक भवन कर्मकार को जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर क्षार, अम्ल या अन्य वैसे ही संक्षारक पदार्थों का उपयोग करने और हथालने की अपेक्षा है, नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप समुचित संरक्षात्मक उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी।

(5) प्रत्येक भवन कर्मकार को जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर ऐसी तीक्ष्ण वस्तुओं के हथालने में लगा है, जो हाथों को क्षति कारित कर सकती है, नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपयुक्त दस्तानों की व्यवस्था की जाएगी।

**47. विद्युत् परिसंकट.**—(1) नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने से पहले किसी ऐसे विद्युत् उपस्कर या साधित्र, मशीन या विद्युत मय विद्युत सर्किट से, जो किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर उसके नियोजन के दौरान विद्युत् परिसंकट कारित कर सकता है, किसी कर्मकार के शारीरिक सम्पर्क में आने से निवारण करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगा।

(2) नियोजक, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के किसी सहज दृश्य स्थान पर हिन्दी में और किसी ऐसी स्थानीय भाषा में जो बहुसंख्यक भवन कर्मकारों द्वारा समझी जाती हो, उपयुक्त चेतावनी प्रतीकों को प्रदर्शित करेगा और उनका अनुरक्षण करेगा।

(3) किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के ऐसे कार्यस्थलों पर जहां भूमिगत विद्युत् शक्ति लाइनों की सही स्थिति ज्ञात नहीं है वहां नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रकार के जैक हैमर, हथोड़ा, सब्ल या अन्य दस्ती औजार का प्रयोग करने वाले भवन कर्मकारों को, जो विद्युत मय विद्युत लाइन के संसर्ग में आ सकते हैं, विद्युत् रोधी संरक्षक दस्ताने और जूते आदि की व्यवस्था की जाएगी।

(4) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि, यथासाध्य, कोई तार जो जल के संसर्ग में आ सकते हैं या जो यांत्रिक रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, किसी भवन या सन्निर्माण कार्य पर भूमि या फर्श पर छूटा न रह जाए।

(5) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर प्रयुक्त सभी विद्युत् साधित्र और धारा प्रवहण उपस्कर ठोस सामग्री से बनाए गए हैं और उचित तथा पर्याप्त रूप से भू-संपर्कित भूयोजित किए गए हैं।

(6) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर सभी अस्थायी विद्युत् संस्थापन में भू-क्षरण परिपथ नियोजक (ब्रेकजर्ज) की व्यवस्था की गई है।

(7) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा, कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर सभी विद्युत् संस्थापन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं।

**48. यानीय यातायात.**—(1) जब कभी कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, किसी सड़क पर या किसी स्थान पर जो सड़क से अति निकट अवस्थित है, किया जा रहा हो, जहां कोई यानीय यातायात भवन कर्मकारों को क्षति कारित कर सकता है, वहां नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य को रोधक किया जाता है और ऐसे खतरे से निवारण के लिए उपयुक्त चेतावनी प्रतीक और प्रकाश का प्रदर्शन या परिनिर्माण किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो वह ऐसे यातायात को नियंत्रित करने के लिए संबधित प्राधिकारियों को लिखित में अनुरोध कर सकेगा।

(2) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा, कि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर प्रयुक्त सभी यान मोटर यान अधिनियम, (1988 का 59) और तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं।

(3) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वर्ग या प्रकार के यानों का चालक जिनका प्रचालन भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर किया जा रहा है, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन विधिमान्य चालन अनुज्ञापति धारण करते हैं।

**49. संरचनाओं का स्थायित्व.**—नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी संरचना की कोई दीवार, चिमनी या अन्य संरचना या उसका कोई भाग ऐसी स्थिति में अरक्षित न छोड़ा जाए कि यह वायु दबाव, कंपन के कारण या भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल पर किसी अन्य कारण से न गिरे, न ढहे या न कमजोर हो।

**50. गलियारों, आदि का प्रदीपन.**—नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के उस स्थल पर जहां भवन कर्मकारों द्वारा कार्य करने या निकलने की अपेक्षा है, सुरक्षित कार्यकरण स्थितियां बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रदीपन की व्यवस्था हो और गलियारों, सीढियों और उतराई के स्थलों के लिए उससे कम प्रदीपन न हो जिसका उपबन्ध सुसंगत राष्ट्रीय मानकों में किया गया है।

**51. सामग्री का चट्टा लगाना.**—नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

- (क) सभी भवन सामग्रियों का भंडारण या चट्टा लगाई अवरोध से बचने के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित रीति से किसी गलियारे या कार्यस्थल पर की जाती है;
- (ख) सामग्री के ढेर का भंडारण या चट्टा लगाई ऐसे रीति से की जाती है जिससे स्थायित्व सुनिश्चित हो सके;
- (ग) किसी फर्श या प्लेटफार्म पर सामग्री या उपस्कर का भंडारण ऐसी मात्रा से अधिक नहीं किया जाता है जो उसकी सुरक्षित वहन क्षमता से अधिक हो; और

- (घ) सामग्री या उपस्कर का भंडारण या स्थानन फर्श या प्लेटफार्म के किसी किनारे के इतने समीप नहीं किया जाता है जो ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो जो उसके नीचे या समीप में कार्य कर रहे हों।

**52. मलवे का निपटारा.**— नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

- (क) मलवे की उठाई-धराई और व्ययन ऐसी किसी पद्धति से किया जाता है जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न न करें;
- (ख) मलवे का इस प्रकार एकत्रित करना अनुज्ञात नहीं किया जाता है जो परिसंकटमय हो जाए;
- (ग) धूल को अनुज्ञेय सीमा के भीतर रखने के लिए, मलवे को पर्याप्त रूप से नम रखा जाता है;
- (घ) मलवे को ऐसे भवन या सन्निर्माण कार्य को किसी ऊँचाई से भीतर या बाहर नहीं फेंका जाता है; और

(ङ) कार्य के पूरा होने पर बची हुई भवन सामग्री, वस्तु या अन्य पदार्थ या मलबे का व्ययन, किसी यातायात या व्यक्ति को किसी परिसंकट से बचाने के लिए यथा शक्य शीघ्र किया जाता है; और

**53. तलों का संख्यांकन और चिन्हांकन.**—नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रत्येक तल या स्तर, ऐसे तल या स्तर पर पहुंचने का स्थान समुचित रूप से संख्यांकित या चिन्हांकित है।

**54. सुरक्षा हेलमेटों और जूतों का उपयोग.**—नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी व्यक्ति जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में कोई कार्य या सेवा कर रहे हैं, राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा जूते और हेलमेट पहनते हैं।

## अध्याय— 7

### उत्थापक साधित्र और गिर

**55. उत्थापक साधित्र का सन्निर्माण और अनुरक्षण (रखरखाव).**—नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर;

(क) सभी उत्थापक साधित्र, जिनमें उनके भाग तथा कार्यशील गिर, चाहे वे स्थिर हैं या चल रहे हैं ऐसे सम्मिलित हैं और साधित्रों को एन्करिंग या स्थिरीकरण में प्रयुक्त कोई संयंत्र या गिर,

(i) ठोस सन्निर्माण, ठोस सामग्री के हैं और पर्याप्त मजबूत हैं जिससे कि वे प्रयोजन की पूर्ति कर सकें जिसके लिए उनका प्रयोग होना है और ऐसे सभी साधित्र प्रत्यक्ष दोष से मुक्त होंगे; और

(ii) उन्हें अच्छी मुरम्मत द्वारा और कार्यशील दशा में बनाए रखा गया है।

(ख) (i) प्रत्येक ड्रम या घिरनी, जिसके चारों ओर उत्थापक साधित्र की रस्सी लिपटी रहती है, ऐसी रस्सी पर्याप्त व्यास और ठोस सन्निर्माण की है;

(ii) कोई रस्सी जो उत्थापक साधित्र के वाइंडिंग ड्रम पर समाप्त होती है, ऐसे ड्रम के साथ सुरक्षित रूप से बंधी है और ऐसे उत्थापक साधित्र की प्रत्येक प्रचालन स्थिति में ऐसी रस्सी के कम से कम तीन पक्के घुमाव ऐसे ड्रम पर रहें; और

(iii) ड्रम का कोट फलैज ऐसी रस्सी की अंतिम सतह से परे, रस्सी के व्यास से दुगना प्रक्षेपित है और यदि ऐसा प्रक्षेपण उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी रस्सी को ऐसे ड्रम से निकलने से रोकने के लिए एंटी-स्लैकनेस गार्ड जैसे अन्य उपायों का उपबन्ध किया जाएगा;

(ग) प्रत्येक उत्थापक साधित्र में पर्याप्त और दक्ष ब्रेक लगाए गए हैं जो,

(i) लटके हुए भार (जांच भार सहित) को गिरने से रोकने में और जब भार नीचे किया जा रहा हो तो ऐसे भार को प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने में समर्थ है;

(ii) बिना आघात पहुंचाए कार्य करते हैं;

(iii) शूज़ से युक्त है। जिन्हें परिचालन के लिए आसानी से हटाया जा सकता है;

(iv) समायोजन के सरल और आसान पहुंच वाले साधनों से युक्त है परन्तु यह कि इस खंड में अंतर्विष्ट कुछ भी भाप विंच पर लागू नहीं होगा, जो इस खंड के अनुसरण में यथा उपबंधित ब्रेक के साथ उतने ही सुरक्षित रूप से प्रचालित की जा सकती है;

(घ) प्रत्येक उत्थापक साधित्र के नियंत्रण—

(i) इस प्रकार स्थित होंगे कि ऐसे साधित्र के चालक के पास अपने खड़े होने के स्थान या सीट पर प्रचालन के लिए व्यापक जगह हो और वह भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य का यथासाध्य अनिर्वाधित अवलोकन कर सकता है, और वह भार और रस्सियों के संबंध में स्पष्ट हो, और उसके ऊपर से कोई भार नहीं गुजरें;

(ii) ऐसे साधित्र के उचित प्रचालन के लिए अरगोनोमीट्रिक विचारों पर सम्यक ध्यान देते हुए स्थित किए गए हैं;

(iii) इस प्रकार अवस्थित हों कि ऐसे साधित्र का ड्राइवर ऐसे साधित्र के पूर्ण प्रचालन के समय हील खंड की उंचाई से उपर रहता है;

(iv) उपर या उसके पार्श्वस्थ पर उनके प्रयोजन और प्रचालन की रीति के लिए स्पष्ट चिन्हांकन है;

(v) जहां आवश्यक है, वहां आकस्मिक संचलन या सरकाव को रोकने के लिए उपयुक्त युक्ति लाकिंग लगाई गई है;

(vi) यथासाध्य पारिणामिक भार संचलन की दिशा में गतिमान हो; और

(vii) बिजली चले जाने की दशा में, जहां स्वचालित ब्रेक लगाई गई है, स्वतः ही अपनी तटस्थ स्थिति में आ जाए;

56. उत्थापक साधित्र की जांच और कालिक परीक्षण—नियोजक भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) सभी उत्थापक साधित्रों की, इनके सभी भागों और गियरों सहित, चाहे वे स्थिर हैं अथवा चलायमान प्रथम बार प्रयोग में लाने से पूर्व, या इसकी क्षमता अथवा स्थिरता को प्रभावित करने के लिए दायी परिवर्तन या मुरम्मत करने के पश्चात् या निर्माण स्थल पर खड़ा करने के पश्चात् और प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट रीति में, सक्षम व्यक्ति द्वारा जांच और परीक्षण किया गया है;

(ख) सभी उत्थापक साधित्रों का प्रत्येक बारह मासों में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा अच्छी तरह से परीक्षण किया जाता है और जहां ऐसा परीक्षण करने वाला सक्षम व्यक्ति यह राय बनाता है कि उत्थापक साधित्र सुरक्षित रूप से निरंतर कार्य नहीं कर सकता है, तो वह उत्थापक साधित्र के स्वामी को अपनी राय की तुरन्त लिखत में सूचना देगा;

**स्पष्टीकरण.**— यदि आवश्यक हो तो अन्य साधनों जैसे परिस्थितियों के अनुसार सावधानीपूर्वक किए गए हथौड़ा परीक्षण द्वारा अनुपूरक परीक्षण से चाक्षुष परीक्षा अभिप्रेत है, परीक्षण के भागों को सुरक्षा के विषय में विष्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और यदि आवश्यक हो तो ऐसी परीक्षा के लिए उत्थापक साधित्र और गियर के भाग (पुर्जे) खोले जाएंगे।

57. **स्वचालित सुरक्षित भार सूचक.**—(क) नियोजक भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;



- (i) प्रत्येक क्रेन के साथ जो यदि इस प्रकार बनी है कि निरापद कार्य भार जिन को ऊपर या नीचे करके अथवा अन्य किसी प्रकार से परिवर्तित हो सकता है, निरापद कार्यशील भार का स्वतः सूचक जुड़ा है जो जब कभी भार, निरापद कार्यशील भार से अधिक हो जाता है तो संचालक को चेतावनी देता है;
- (ii) जहां भी संभव हो कट आउट लगाये गये हैं जो यदि भार निरापद कार्य भार से अधिक हो जाता है तो प्रत्येक क्रेन के उत्थापक भाग के संचालन को स्वतः ही रोक देता है;

(ख) सिवाय वहां जहां स्वचालित निरापद कार्य भार सूचक संस्थापित करना संभव नहीं है, जिस दशा में क्रेन पर तत्समान आनतियों अथवा जिब के अर्धव्यासों पर लगी निरापद कार्य भार दर्शाने वाली सारणी की व्यवस्था पर्याप्त समझी जाएगी, खण्ड (क) के उप-खण्ड (I) के उपबंध लागू होते हैं।

- 58. संस्थापन.**—नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;
- (क) स्थापित उत्थापक साधित्रों की संस्थापना;
- (i) सक्षम व्यक्तियों द्वारा;
- (ii) इस रीति से की गई है कि ऐसे साधित्र भार, कंपन या अन्य प्रभावों के कारण विस्थापित नहीं हो सकते;
- (iii) इस रीति से की गई है कि ऐसे साधित्रों का ऑपरेटर भार, रस्सी या ड्रम के कारण होने वाले खतरों से बचा रहेगा; और
- (iv) इस रीति से की गई है कि ऑपरेटर या तो प्रचालन के क्षेत्र को देख सकता है या फिर सभी भार लादने और भार उतारने वाले स्थलों से सिग्नल या अन्य सम्पर्क प्रणाली से संपर्क कर सकता है;

- (ख) उत्थापक साधित्रों के भागों तथा भार;
- (i) स्थिर वस्तुओं जैसे दीवारें और चौकीय या
- (ii) इलैक्ट्रिकल चालकों के बीच पर्याप्त निर्बाधन उपबन्ध किया गया है;
- (ग) उत्थापक साधित्रों को, जब उन्हें वायु भार लदान के लिए प्रयोग किया जाये तो ऐसे भार लदान को सुरक्षित रूप से सहन करने के लिए अतिरिक्त शक्ति, मजबूती और दृढ़ता दी गई है;

(घ) उत्थापक साधित्रों के किसी भाग में, ऐसे साधित्र की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक परिवर्तन या मुरम्मत, सक्षम व्यक्ति की इस आशय (प्रभाव) की राय लिए बगैर, नहीं की गई है;

**59. विंचिज़ (घिरनी).**— नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

- (क) (i) यदि नियंत्रक लीवर अत्यधिक घर्षण या प्ले से प्रचालित (आपरेट) होता है, तो विंचिज़ (घिरनी) का प्रयोग नहीं किया जाता है;
- (ii) दोहरे गियर विंचिज़ (घिरनी) का प्रयोग तब तक कि नहीं किया जाए जब तक गियर शिफ्ट के लाक करने का सकारात्मक उपाय की व्यवस्था नहीं की गई हो;
- (iii) दो गियर वाली विंच पर गियर बदलते समय फाल और हुक असेम्बली के अतिरिक्त कोई अन्य भार न हो;
- (iv) विंच आपरेटर को असामान्य मौसम से पर्याप्त सुरक्षा दी गई है;
- (v) विंच ऑपरेटरों के लिए अस्थायी स्थानों या आश्रयों, जो विंच आपरेटरों या अन्य भवन कर्मकारों के लिए परिसंकट उत्पन्न कर सकते हैं, के प्रयोग की अनुज्ञा नहीं है;
- (vi) नियंत्रक लीवर तटस्थ स्थिति में सुरक्षित रखे जाते हैं, और जब कभी समय हो, तो जब भी विंचिज़ (घिरनी) अरक्षित छोड़े जाते हैं, तो बिजली बन्द कर दी जाती है ।

(ख) प्रत्येक भाप विंच (घिरनी) को प्रयोग में लाने पर (i) छूटती भाप से निर्माण स्थल या अन्य कार्य स्थल के किसी भाग के धुंधला पड़ जाने से या किसी भवन निर्माण कर्मकार को अन्य रूप से होने वाली प्रतिबाधा या क्षति से रोकने के लिए उपाय किए जाते हैं;

- (ii) विस्तार नियंत्रक लीवर जो अपने भार से गिर सकते हैं प्रति संतुलित किए जाते हैं;
- (iii) विंच ऑपरेटरों को पहिया टाइप नियंत्रणों पर छोटे हैंडलों के सिवाय विंच नियंत्रण विस्तारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है और ऐसे लीवर पर्याप्त मजबूत और सुरक्षित हैं तथा आलम्ब पर तथा स्थायी नियंत्रक लीवर पर धातु सम्बन्धनों के साथ जकड़े हुए हैं;

(ग) किसी भवन निर्माण कर्मकार को प्रत्येक इलैक्ट्रिक विंच कार्य करते समय, किसी त्रूटि की दशा में किसी इलैक्ट्रिक नियंत्रण सर्किट को स्थानांतरित करने, उनमें परिवर्तन करने या उनका समायोजन करने की अनुज्ञा नहीं है।

(घ) भवन निर्माण कार्य के लिए इलैक्ट्रिक विंचों का प्रयोग वहां नहीं किया जाएगा जहां—

- (i) इलैक्ट्रो-मेगनेटिक ब्रेक भार को उठाए रखने में असमर्थ हैय या
- (ii) एक या अधिक नियंत्रण स्थल, चाहे वे उत्तोलन के लिए हैं अथवा नीचे उतारने के लिए हैं, सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं।

**60. बाल्टियां—**नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि टिप-अप बाल्टियों में ऐसी युक्ति लगी है जो आकस्मिक उलटने को प्रभावकारी ढंग से रोकती है।

**61. पहचान और निरापद कार्य भार का चिन्हांकन—**नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) प्रत्येक उत्थापक साधित्र और वियोजित गियर इसके निरापद कार्य भार और पहचान के लिए स्टांपित करके या अन्य किसी उपयुक्त साधन द्वारा स्पष्ट रूप से चिन्हांकित किए गए हैं;

(ख) (i) प्रत्येक डैरिक, (डैरिक क्रेन से भिन्न)— जब ऐसे डैरिक का प्रयोग निचले ब्लाक के साथ एकल क्रय में या सभी ब्लाक स्थितियों में संघ क्रय में किया जाता है, उसके निरापद कार्य भार के लिए स्पष्ट रूप से चिन्हांकित है;

(ii) क्षैतिज से न्यूनतम कोण, जिस पर डैरिक का प्रयोग किया जा सकता है सुपाठय रूप से चिन्हांकित है;

(ग) प्रत्येक उत्थापक साधित्र जिसका एक से अधिक कार्य भार है, ऐसे प्रभावी साधनों से युक्त है जो आपरेटर को प्रयोग की सभी स्थितियों के अधीन प्रत्येक स्थान पर निरापद कार्य भार निश्चित करने में समर्थ करता है;

(घ) उत्थापक गियरों का ऐसी स्थितियों के अधीन जिनमें ऐसे गियर प्रयोग में लाये जा सकते हैं निरापद कार्यकरण भार (वर्किंगलोड) अभिनिश्चित करने में ऐसे गियर का प्रयोग करने वाले कर्मकार को समर्थ बनाने के लिए साधन दिय गए हैं, और ऐसे साधनों में निम्नलिखित होंगे;

(i) चैन स्लिंग की दशा में स्लिंग या टेबलेट या उससे दृढ़ता से संलग्न टिकाउ सामग्री की रिंग पर विशुद्ध अंकों या अक्षरों में निरापद कार्यभार का चिन्हांकन; और

(ii) या तो उपखंड 1 में विनिर्दिष्ट साधन अथवा तार रस्सी स्लिंग की दशा में विभिन्न आकारों को तार रस्सी स्लिंगों के निरापद कार्यकरण भार (वर्किंगलोड) का कथन करने वाली सूचना जो इस प्रकार प्रदर्शित की गई है कि किसी भी संबद्ध भवन निर्माण कर्मकार द्वारा आसानी से पढ़ी जा सकें।

**62. उत्थापक साधित्रों और उत्थापक गियरों की लदाई—**नियोजक, भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) कोई उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर या तार रस्सी असुरक्षित तरीके से और ऐसी रीति में प्रयोग नहीं की जा रही जिससे कि भवन निर्माण कर्मकारों के जीवन को जोखिम हो, और उन पर इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रीति में किसी सक्षम व्यक्ति के निदेश के अधीन जांच प्रयोजनों के सिवाय निरापद कार्य भार से अधिक लदाई नहीं की जा रही है;

(ख) कोई उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर या कोई अन्य सामग्री की उठाई, धराई करने वाला साधित्र प्रयोग में नहीं लाया जाता हैय यदि—

(i) अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक का जांच या परीक्षण के प्रमाण-पत्र अथवा इन नियमों के अधीन अथवा उपबंधित अनुरक्षित अधिप्रमाणित अभिलेख के संदर्भ में समाधान नहीं हो जाता है; और

(ii) ऐसे निरीक्षक की दृष्टि में, कोई उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर या कोई अन्य सामग्री की उठाई धराई करने वाला साधित्र भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित नहीं है; और

(iii) कोई गरारी ब्लाक भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में तब तक प्रयोग नहीं किया जाता जब तक ऐसे ब्लाक पर निरापद कार्यभार और इसकी पहचान स्पष्ट रूप से चिन्हांकित नहीं की जाती है;

63. आपरेटर का कक्ष (केब) या केबिन-नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण स्थल पर सुनिश्चित करेगा कि;

(क) बाह्य सेवा में प्रत्येक उत्थापक मशीन के आपरेटर को एक कक्ष (केब) या केबिन दिया जाता है; जो

(i) अग्नि प्रतिरोधक सामग्री से बना है;

(ii) उसमें उपयुक्त सीट और एक फुट-रेस्ट से युक्त है और जिसमें कंपन से सुरक्षा दी गई है;

(iii) आपरेटर को प्रचालन के क्षेत्र के पर्याप्त अवलोकन की सुविधा देता है;

(iv) केब (कक्ष) में कार्य भागों तक आवश्यक पहुंच की सुविधा देता है;

(v) आपरेटर को मौसम के प्रति पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है;

(vi) पर्याप्त रूप से संवातित है; और

(vii) उपयुक्त अग्निशामकों से युक्त है;

64. **उत्थापक साधित्रों का प्रचालन.**—नियोजक भवन निर्माण अथवा यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) प्रत्येक क्रेन चालक या उत्थापक आपरेटर के पास विशिष्ट उत्थापक साधित्र के प्रचालन के लिए पर्याप्त कुशलता और प्रशिक्षण है।

(ख) कोई अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी उत्थापक साधित्र या स्कैफोल्ड, विंच के नियंत्रण पर नहीं है या आपरेटर को सिग्नल देने का कार्य नहीं कर रहा है;

(ग) प्रशिक्षित आपरेटर द्वारा उत्थापक साधित्र को गति में आने से रोकने के लिए पुर्वावधानी ली जाती है;

(घ) उत्थापक साधित्र का प्रचालन सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सिग्नलों द्वारा विनियमित किया जाता है;

- (ङ) जब उत्थापक साधित्र आपरेटर कार्य कर रहा है तो उसका ध्यान भंग नहीं होता है;
- (च) किसी क्रैन, उत्तोलक, विंच या अन्य उत्थापक साधित्र अथवा ऐसी क्रैन, उत्तोलक, विंच या अन्य उत्थापक साधित्र के किसी भाग पर, सिवाय जांच प्रयोजनों के, निरापद कार्यकरण भार (वर्किंग लोड) से अधिक भार नहीं लादा जाता है;
- (छ) उत्तोलक प्रचालन के दौरान किसी व्यक्ति को ऐसे प्रचालन में भार (लोड) के नीचे खड़े होने या गुजरने से रोकने के लिए प्रभावी पूर्वाधानी ली गई है;
- (ज) ऑपरेटर उत्थापक साधित्र को ऐसी दशा में जब विद्युत चाल हो या ऐसे साधित्र पर भार (लोड) लगाया गया है, बिना देख-रेख के नहीं छोड़ता है;
- (झ) कोई व्यक्ति लटके हुए भार (लोड) पर या उत्थापक साधित्र पर सवारी नहीं करता है;
- (ञ) भार को प्रत्येक भाग को जब भार उत्तोलन हो रहा है या नीचे किया जा रहा हो, किसी खतरे से रोकने के लिए पर्याप्त रूप से लटकाया और सहारा दिया गया है;
- (ट) ईंटों, टाइलों, स्लेटों या अन्य सामग्री के उत्तोलन के लिए प्रयुक्त प्रत्येक पात्र, ऐसी किसी सामग्री को गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त रूप से बंद है;
- (ठ) उत्तोलन प्लेटफार्म, उस समय बंद रहता है, जब खुली सामग्री अथवा भार से लदे व्हील बैरोस सीधे ऐसे प्लेटफार्म पर रखे जाते हैं या जब ऐसी सामग्री अथवा व्हील-बैरोस नीचे उतारे जाते हैं।
- (ड) कोई सामग्री किसी उत्थापक साधित्र से इस प्रकार ऊपर, नीचे या धीमी नहीं की जाती है जिससे ऐसे साधित्र को अचानक झटका लगे;
- (ढ) किसी बैरो के उत्तोलन में समय ऐसे बैरो का कोई पहिया तब तक सहारे के साधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है जब तक ऐसे पहिए के एक्सल को बियरिंग में से बाहर फिसलने से रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं कर लिए जाते हैं;
- (ण) लंबी वस्तुओं जैसे प्लैंक्स या गर्डरस के साथ ऐसी वस्तुओं को ऊपर या नीचे करते समय खतरे की किसी संभावना को समाप्त करने के लिए टैग लाईन लगाई जाती है;
- (त) सामग्री को नीचे उतारने की प्रक्रिया के दौरान, किसी भवन निर्माण कर्मकार को, ऐसी सामग्री की लदाई और उतराई देखने के लिए खाली स्थान में झुकने की अनुज्ञा नहीं है;
- (थ) ऐसे स्थानों पर जहां यातायात का प्रवाह नियमित रहता है, भारों का उत्तोलन बंद स्थान पर किया जाता है या यदि ऐसा उत्तोलन बंद स्थान में अव्यवहारिक है, तो ऐसे उत्तोलन के दौरान यातायात रोकने अथवा, मोड़ने के उपाय किये जाते हैं;
- (द) भार को उसके उत्तोलन या उतराई के दौरान किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गए हैं जिससे ऐसे भार को खिसकने से बचाया जा सकें;
- (ध) भारी भारों को ऊपर या नीचे करते हुए भारी भार को दिशा देने के लिए साधित्र उपलब्ध कराये गए हैं और उनका प्रयोग किया जाता है जिससे ऐसे भार को ऊपर या नीचे करने के दौरान भवन निर्माण कर्मकारों के हाथों को दबने से बचाया जा सकें।

**65. उत्तोलक.**—नियोजक भवन निर्माण स्थल पर या अन्य निर्माण कार्य पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

- (क) उत्तोलक टावर सुंसगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार परिकल्पित किए गए हैं;
- (ख) उत्तोलक शाफ्ट में—
- (i) भूमि तल पर ऐसी शाफ्ट के चारों तरफ; और
- (ii) अन्य सभी तलों पर, ऐसी शाफ्ट तक पहुंच के चारों तरफ, कठोर पैनल या अन्य पर्याप्त बाड़ लगाई है।
- (ग) उत्तोलक शाफ्ट की दीवारें, पहुंच मार्गों के सिवाय, ऐसी शाफ्ट के फर्श या पहुंच के प्लेटफार्म से कम से कम दो मीटर ऊंची है;
- (घ) उत्तोलक के पहुंच मार्गों पर द्वार लगाए गए हैं; जो—
- (i) दृश्यता बनाए रखने के लिए जाली से युक्त है;
- (ii) कम से कम दो मीटर ऊंचे हैं; और
- (iii) ऐसी युक्ति (साधन) से युक्त है जो ऐसे उत्तोलक के प्लेटफार्म के लैंडिंग छोड़ने से पूर्व द्वार बंद कर देती है और जब तक ऐसा प्लेटफार्म लैंडिंग पर न हो द्वार खुलने से रोकती है;
- (ङ) उत्तोलक के पहुंचमार्ग पर्याप्त रूप से प्रकाशमान हैं;
- (च) अटकने की दशा में उत्तोलक प्लेटफार्म की गाइडस मुड़ने और उछलने से सुरक्षा कैच देकर पर्याप्त प्रतिरोध दिखाती है;
- (छ) शिरोपरि बीम और उनके सहारे ऐसे कुल अधिकतम चलायमान और स्थिर भार को जिनको ऐसी बीम और सहारों द्वारा कम से कम पांच सुरक्षा कारकों के साथ उठाना अपेक्षित होगा, उठाने में समर्थ है;
- (ज) (1) ऐसे पिंजरे या प्लेटफार्म का ओवरवाइंडिंग की दशा में पर्याप्त निर्बाध गति की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए पिंजरे या प्लेटफार्म के उच्चतम रूकने के स्थान के ऊपर; और
- (2) ऐसे पिंजरे या प्लेटफार्म के निम्नतम रूकने के स्थान के नीचे, खाली स्थान का उपबन्ध कराया जाता है;
- (झ) उत्तोलक शाफ्ट के शीर्ष के उपर सामग्री को ऐसे शाफ्ट में गिरने से रोकने के लिए, पर्याप्त आवरण का उपबन्ध कराया जाता है;
- (ञ) बाह्य उत्तोलक टावर पर्याप्त रूप से मजबूत नींव पर खड़े किए गए हैं और दृढ़ रूप से बंधे, नियंत्रित और स्थिर हैं;
- (ट) उस दशा में जब कोई अन्य सीढ़ी आसानी से पहुंच में नहीं है, तब प्रत्येक बाह्य उत्तोलक टावर के निचले तल से शीर्ष तक एक सीढ़ी लगाई गई है और ऐसी सीढ़ी राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन निर्धारित करती है;
- (ठ) किसी उत्तोलक इंजन की निर्धारित क्षमता ऐसे अधिकतम भार से कम से कम डेढ़ गुणा होगी जो ऐसे इंजन को चलाने के लिए अपेक्षित होगी;
- (ड) उत्तोलक इंजन की सभी गिअरिंग दृढ़ता से बंद है;

(द) उत्तोलन इंजन की भाप पाईप, किसी भवन निर्माण कर्मकार की ऐसी पाईप से दुर्घटनावश बचाव के लिए पर्याप्त रूप से संरक्षित है;

(ण) उत्तोलन इंजन के वैद्युत उपस्कर प्रभावी रूप से भूयोजित हैं;

(त) उत्तोलक में उत्तोलन इंजन को, जैसे ही ऐसे उत्तोलक का प्लेटफार्म अपने रोकने के उच्चतम स्थान पर पहुंचता है, रोकने के लिए उपयुक्त युक्तियों की व्यवस्था की गई है;

(थ) उत्तोलन इंजन, मौसम और गिरती हुई वस्तुओं से संरक्षण के लिए उपयुक्त आवरण से युक्त है;

(छ) किसी सार्वजनिक (आम) रास्ते पर लगाया गया उत्तोलन इंजन पूरी तरह से बंद है;

(ध) सभी भाप निष्कासक पाइपें ऐसी रीति में भाप का निस्सारण करती हैं कि इस प्रकार निस्सारित भाप किसी व्यक्ति को नहीं झूलसाती या आपरेटर के देखने में बाधा नहीं डालती

(न) उत्तोलक की गति की दशा तब तक विपरीत नहीं होगी जब तक वह पहले गतिहीन नहीं हो जाता जिससे कि ऐसी विपरीत दिशा में गति से होने वाली हानि से बचा जा सके;

(प) कोई उत्तोलक जो व्यक्तियों की सवारी के लिए परिकल्पित नहीं है, ऐसे उत्तोलक के प्लेटफार्म से गति में नहीं लाया जाता है;

(फ) उत्तोलक के पाल्स और अनिवर्ती पहिये, जिसमें ऐसे उत्तोलक के प्लेटफार्म को नीचे करने से पूर्व, ऐसे पाल्स को ऐसे अनिवर्ती पहियों से अलग करना अपेक्षित है, प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं;

(ब) उत्तोलक का प्लेटफार्म ऐसे अधिकतम भार की, जिसे ऐसा प्लेटफार्म कम से कम तीन सुरक्षा कारक के साथ उठा सकता है, उठाने में समर्थ है;

(भ) उत्तोलक का प्लेटफार्म उपयुक्त सुरक्षा गिरने से युक्त है जो उत्तोलक रस्सी के टूटने की दशा में ऐसे प्लेटफार्म को इसके अधिकतम भार के साथ उठा सकता है;

(म) उत्तोलक के प्लेटफार्म पर, व्हील बैरोज या ट्रक दक्षतापूर्वक सुरक्षित स्थिति में अवरुद्ध किए गए हैं;

(य) उत्तोलक का पिंजरा या प्लेटफार्म, जहां भवन निर्माण कर्मकारों का, लैंडिंग तल पर ऐसे पिंजरे में प्रवेश करना या प्लेटफार्म पर जाना अपेक्षित है, वहां ऐसे पिंजरे या प्लेटफार्म को, उस समय जब कोई कर्मकार ऐसे पिंजरे या प्लेटफार्म में प्रवेश करता है या छोड़ता है, गति में आने से रोकने के लिए लाकिंग इंतजाम की व्यवस्था है;

(यक) उत्तोलक के प्लेटफार्म के पार्श्व जो भार की लदाई या उतराई के लिए प्रयोग में नहीं होते हैं, ऐसे प्लेटफार्म से भार के किसी भाग को गरने से रोकने के लिए, टो बोर्ड और तारों के जाल या अन्य किसी उपयुक्त साधनों से युक्त हैं;

(यख) उत्तोलक के प्लेटफार्म, जिससे भार के किसी भाग के गिरने की संभावना है, इस प्रकार गिरने रोकने के लिए पर्याप्त आवरण से युक्त है;

(यग) उत्तोलक के प्रति-बाट, जो कई भागों का समूह है, इस प्रकार निर्मित है कि ऐसे भाग दृढ़तापूर्वक से एक साथ जुड़े हैं;

(यघ) उत्तोलक के प्रति-बाट, गार्डस के मध्य चलते हैं;

(यड) कार्य के प्रत्येक स्तर पर भवन कर्मकार को ऐसा कार्य करने के लिए पर्याप्त प्लेटफार्म की व्यवस्था है; और

(यच) हिन्दी के साथ-साथ स्थानीय भाषा में सुपाठ्य सूचना निम्नलिखित स्थानों पर उपदर्शित की गई है;

(i) उत्तोलक के प्लेटफार्म के सहजदृश्य स्थान पर और ऐसी सूचना ऐसे उत्तोलक की भार ले जाने की अधिकतम क्षमता को किलोग्राम में अभिव्यक्त करती है।

(ii) उत्तोलन इंजन के सहजदृश्य स्थान पर और ऐसी सूचना ऐसे उत्तोलक की भार-उठाने की अधिकतम क्षमता को किलोग्राम में अभिव्यक्त करती है;

(iii) व्यक्तियों को प्लेटफार्म या पिंजरे में सवारी करने के लिए प्राधिकृत और प्रमाणित उत्तोलक के सहजदृश्य स्थान पर और ऐसे उत्तोलक पर एक बार में ले जाने के लिए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या का वर्णन करती ऐसी सूचना; और

(iv) माल और अन्य सामग्री को ले जाने वाले उत्तोलक के सहजदृश्य स्थान पर और ऐसी सूचना यह वर्णन करती है कि ऐसा उत्तोलक व्यक्तियों की सवारी के लिए नहीं है।

**66. उत्थापक साधित्र तक पहुंच के साधन और उन पर बाड़ लगाना.**—नियोजक किसी भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) उत्थापक साधित्र के प्रत्येक भाग तक पहुंच के लिए सुरक्षित साधन की व्यवस्था है;

(ख) यांत्रिकी शक्ति से चालित प्रत्येक क्रेन या टिप पर आपरेटर के प्लेटफार्म पर दृढ़ बाड़ लगाई गई है और उस तक पहुंच का सुरक्षित साधन उपलब्ध है और जहां ऐसे प्लेटफार्म तक पहुंच सीढ़ी द्वारा है वहां;

(i) ऐसी सीढ़ी का पार्श्व, ऐसे प्लेटफार्म से समुचित ऊंचाई पर है या उसके स्थान पर व्यक्तियों को ऐसे प्लेटफार्म से गिरने से रोकने के लिए किसी अन्य उपयुक्त हैंडहोल्ड की व्यवस्था की गई है;

(ii) ऐसे प्लेटफार्म पर उठाई-धराई का स्थान बाधाओं और फिसलन से अनुरक्षित है; और

(iii) उस दशा में जब सीढ़ी की ऊंचाई छह मीटर से अधिक है तो ऐसी सीढ़ी पर उसकी ऊंचाई के प्रत्येक छह मीटर पर आराम करने के लिए प्लेटफार्म और जहां इस प्रकार उपलब्ध अंतिम प्लेटफार्म और ऐसी सीढ़ी के शीर्ष छोर के बीच दो मीटर से अधिक दूरी है वहां ऐसे शीर्ष छोर पर भी ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध है;

**67. डेरिको को रिगिंग.**—नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक डेरिक पर सामयिक तथा सुसंगत रिगिंग योजनाएं और ऐसे डेरिकों और उसके गिअर की सुरक्षित रिगिंग के लिए अन्य आवश्यक जानकारी है।

**68. डेरिक फुट का दृढ़ीकरण.**—नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि डेरिक के फुट को उसकी सॉकट या सहारे से ऊपर निकलने से रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं।

**69. उत्थापक गियर की संरचना और रख-रखाव.**—नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) प्रत्येक उत्थापक गियर;

(i) उस कार्य को, जिसके लिए इसका प्रयोग होता है, करने के लिए अच्छे डिजाइन तथा संरचना, अच्छी सामग्री और पर्याप्त मजबूती का है;

(ii) प्रकट त्रुटियों से मुक्त है; और

(iii) अच्छी मुरम्मत और चालु हालत में उचित रूप से अनुरक्षित है।

(ख) यदि किसी बिन्दु पर इसका कोई आयाम प्रयोगकर्ता द्वारा, दस प्रतिशत या अधिक कम हो जाता है तो प्रयोग के समय वियोजित गियर के संघटक नवीकृत किए जाते हैं;

(ग) कोई चैन, जब खींची जाने पर लम्बाई में उसकी लम्बाई से पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ जाती है या ऐसी चैन की कोई कड़ी विरूपित हो जाती है या अन्यथा नष्ट हो जाती है अथवा उसके स्कैरिंग ऊपर (विकृत) बेल्ट उभर आते हैं, तब प्रयोग में से हटा ली जाती है;

(घ) चैन से जुड़े रिग हुक, सिग्नल और अंतिम कड़ी उसी सामग्री से बने हैं जिससे ऐसी चैन बनी है।

(ङ) किसी चुम्बकीय उत्थापक साधित्र को की जाने वाली इलैक्ट्रिक आपूर्ति की वोल्टेज में उतार-चढ़ाव दस प्रतिशत कम या दस प्रतिशत से अधिक नहीं है;

**70. उत्थापक गियरो की जांच और कालिक परीक्षण.**—नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य के स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) कोई उत्थापक गियर विनिर्माता के लिए इसके प्रयोग से पूर्व या इसमें कोई सारभूत परिवर्तन, जो इसके किसी भाग को इसकी सुरक्षा को प्रभावित करने का दायी बनाते हैं, करने के पश्चात, किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचि (1) में विनिर्दिष्ट रीति में प्रारंभिक रूप से जांचा गया है और ऐसा गियर ऐसी जांच में परिवर्तित ऐसे गियर को तत्पश्चात प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार इसके स्वामी के उपयोग के लिए जांचा जाएगा;

(ख) प्रयोग किए जा रहे किसी उत्थापक गियर का किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा कम से कम प्रत्येक बारह मास में एक बार पूर्णरूपेण परीक्षण किया जाता है;

(ग) प्रयोग की जा रही किसी चैन का इसके प्रयोग के लिए कम से कम प्रत्येक मास में एक बार किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा परीक्षण किया जाता है; और

(घ) इन नियमों के अधीन वियोजित गियरों की प्रारंभिक और कालिक जांच और परीक्षण के प्रमाण पत्र इन नियमों से उपाबद्ध दिनांक प्रारूप (VII) में प्राप्त किए जाते हैं।

**71. रस्सियां.**—नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य के लिए किसी रस्सी का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि;

(i) वह अच्छी क्वालिटी की है और प्रकट त्रुटियों से मुक्त नहीं है; और

(ii) तार रस्सी की दशा में, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचि (I) में विनिर्दिष्ट रीति में, सक्षम व्यक्ति द्वारा उसका परीक्षण तथा परीक्षा की गई हो।



(ख) भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य में प्रयुक्त किसी उत्थापक साधित्र और उत्थापक गियर की प्रत्येक तार रस्सी का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार ऐसे प्रयोग के लिए किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाता है;

परन्तु जब ऐसी रस्सी में से ऐसी कोई तार टूट जाती है तो उसके पश्चात उसका निरीक्षण जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मास में कम से कम एक बार किया जाएगा;

(ग) कोई तार भवन या अन्य निर्माण कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं की जाएगी यदि उक्त रस्सी की लम्बाई वाले आठ भागों में से किसी एक के आयाम में दृश्यमान टूटी हुई तारों की संख्या उक्त रस्सी के कुल तारों की संख्या के दस प्रतिशत से अधिक हो जाती है या उक्त रस्सी में अत्यधिक टूट-फूट जंग या अन्य त्रुटियों के चिह्न दिखाई देते हैं जो निरीक्षण करने वाले व्यक्ति जो उसका निरीक्षण करता है या निरीक्षक, जिसको अधिकारिता है, की राय में प्रयोग के लिए अनुपयुक्त है;

(घ) तार से हुक, कड़े और अन्य ऐसे भागों को जोड़ने के लिए रस्सियों के कुंडी शिरोबन्धन और लूप उपयुक्त छल्ले से बनाए जाते हैं;

(ङ) किसी तार झूले में बनाए गए छल्ले या लूप शिरोबन्धन निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे, अर्थात: -

(i) तार झूले में रज्जू की पूर्ण लड़ों सहित कम से कम तीन लपेटें और उक्त लड़ों में से प्रत्येक तक आधे तारों तक काटी हुई दो लपेटें होनी चाहिए। प्रत्येक स्थिति में उक्त लड़ों की लपेट, रस्सी के बटान की दिशा में होंगी;

(ii) तार-रस्सी झूलों के किसी शिरोबन्धन में उक्त लड़ों के बाहर निकले हुए सिरों ढक दिए जाएंगे या इस प्रकार संसाधित किए जाएंगे जिससे सिरों पैने न रहें;

(iii) रेशे की रस्सी या रस्सी झूले में कम से कम चार लपेट होनी चाहिए उक्त लपेट का अन्तिम छोर उपयुक्त रीति में टांका गया होना चाहिए; और

(iv) कृत्रिम रेशे का रज्जू या रज्जू झूले में पूर्ण लड़ों की कम से कम चार लपेट होनी चाहिए जिसके बाद में एक और लपेट प्रत्येक उक्त लड़ तक आधे कटे तन्तुओं की होगी और अन्तिम लपेट आधे बचे शेष वियोजक रेशों की होगी। झूलों का कोई भाग जिसमें उक्त लपेटें हैं तन्तुओं की घटी संख्या सहित, उपयुक्त टेप या अन्य सामग्री से सुरक्षित रूप से ढका जाना चाहिए;

परन्तु इस उप खण्ड की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी अन्य प्रकार के झूले का, जिसे उपरोक्त मानकों सहित झूले के समान दर्शित किया गया हो, प्रयोग किया गया है।

**72. उत्थापक गियरों को ताप अभिक्रिया.**—नियोजक किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य के कार्यस्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) नियन्त्रण जंजीरों से भिन्न डेरिक से जुड़ी सभी जंजीरों और उक्त डेरिक के उत्तोलन या अवनयन (नीचे करना) में प्रयोग किए जाने वाले सभी कड़े, हुक, कुण्डे और फिरकियां प्रभावी रूप से किसी सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन और निम्नलिखित अंतरालों पर तापानुशीलित किए जाएंगे अर्थात:

(i) ऐसी जंजीरें, कड़े, हुक, कुण्डे और फिरकियां जिनकी लम्बाई साढ़े बारह मीलीमीटर से अधिक नहीं है प्रति छह मास में कम से कम एक बार उक्त तापानुशीलित किए जाएं; और

(ii) सभी अन्य ऐसी जंजीरें, कड़े, हुक, कुण्डे और फिरकियां, प्रति बारह मास में कम से कम एक बार उक्त तापानुशीलित किए जाएं;

परन्तु उपखण्ड (I) और उप खण्ड (II) में यथानिर्दिष्ट उक्त तापानुशीतन अपेक्षित नहीं होगा यदि अधिकारिता प्राप्त निरीक्षक, भवन एवं निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् निर्देश देते हैं कि ऐसी जंजीरो, कड़ो, हुको, कुण्डो और फिरकियों पर कुछ अन्य अभिक्रियाएं की जाएं और ऐसे मामलो में निरीक्षक द्वारा निर्देशित अभिक्रिया का अनुसरणकिया जाएगा:

परन्तु यह और कि उक्त डेरिकों पर अनन्य रूप से प्रयोग की जाने वाली ऐसी जंजीरो, कड़ो, हुको, कुण्डो और फिरकियों तथा अन्य उत्तोलन यंत्रो जो हाथ द्वारा चालित हैं की दशा मे यथास्थिति उपखण्ड (i) और उपखण्ड (ii) के उपबंध, लागू होंगे मानो यदि छह मास और बारह मास की अवधि के स्थान पर उसमें क्रमशः बारह मास और दो वर्ष की अवधियां प्रतिस्थापित कर दी गई हैं;

परन्तु यह और भी कि ऐसी दशा मे जहां कि अधिकारिता प्राप्त निरीक्षक की यह राय है कि आकार, डिजाइन, सामग्री या ऐसी जंजीरो, कड़ों, हुकों, कुण्डों और फिरकियों के प्रयोग की आवृत्ति के कारण भवन कर्मकारों के संरक्षण के लिए तापानुशील के लिए इस खंड की आवश्यकता नहीं है, मुख्य निरीक्षक, भवन एवं निर्माण निरीक्षण का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् वह उक्त नियोजक को लिखित में प्रमाणपत्र देगा कि उक्त प्रमाणन में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधधीन रहते हुए ऐसी जंजीरो, कड़ों, हुकों, कुण्डों और फिरकियों को उक्त तापानुशीतन से छूट प्रदान की जाती है और तत्पश्चात् इस खंड के उपबंध उक्त छूट के अधधीन रहते हुए लागू होंगे:

परन्तु यह और भी कि यह खंड निम्नलिखित को लागू नहीं होगा;

- (i) चक्र दन्त या दांतेदार पहियों पर कार्य करने वाली चूड़ीदार जंजीरे;
  - (ii) चूड़ीदार जंजीरो, गरारी ब्लॉक (I) या तुलन मशीनो से स्थायी रूप से संलग्न कड़ो, हुक और कुण्डेय फिरकियां; और
  - (iii) हुक और फिरकियां जिनमें बाल बियरिंग या अन्य कठोरीकृत आवरण के पुर्जे हैं;
- (ख) उच्च तन्य स्टील या मिश्रधातु स्टील से बनी कोई जंजीर या कोई असम्बद्ध (असंवेष्टित) गरारी जिस पर स्पष्टतः ऐसा चिन्ह अंकित किया गया है कि यह उक्त रूप में बनी है;
- (ग) उच्च तन्य स्टील या मिश्र स्टील से बनी कोई जंजीर या असम्बद्ध (असंवेष्टित) गरारी किसी प्रकार की ताप अभिक्रिया के अधीन नहीं होगी सिवाय वहां जहां कि ऐसी जंजीर या असम्बद्ध (असंवेष्टित) गरारी की मुरम्मत के प्रयोजन के लिए उक्त अभिक्रिया आवश्यक है और यह कि उक्त मुरम्मत सक्षम व्यक्ति के निदेशन के अधीन की जाती है।
- (घ) यह कि व्यंगारित (पिटवां) लोहे की गियर, जिसके पिछले इतिहास का पता मालूम नहीं है, के बारे में संशय है कि वह गलत ताप पर ताप संसाधित किया जाता था, यह किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य से प्रयोग किए जाने से पूर्व प्रसामान्य बना दिया जाता है।

**73. वास्तविक जांच और परीक्षण, इत्यादि के पश्चात् जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र.**—नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि नियम 56, 62, 71 और नियम 72 के प्रयोजन के लिए सक्षम व्यक्ति यथास्थिति, केवल वास्तविक जांच या उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट उपकरणों के परीक्षण के पश्चात् प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

**74. आवधिक (कालिक) परीक्षण, परीक्षा और उनके प्रमाण.**—पत्रों का रजिस्टर—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप-26 (XXVI) में एक रजिस्टर रखा जाता है और नियम 56, 62 और 72 के अधीन यथा अपेक्षित उत्पापक साधित्रों, उत्पापक गियरो और ताप अभिक्रिया के ऐसे परीक्षण और परीक्षा की विशिष्टियां ऐसे रजिस्टर में प्रविष्ट की जाती है;

(ख) निम्नलिखित में प्रत्येक की बाबत प्रमाणपत्र नीचे यथा उल्लिखित प्ररूप में सक्षम व्यक्ति से अभिप्राप्त किया जाता है, अर्थात:-

(i) नियम 56 और नियम 71 के अधीन आरम्भिक और आवधिक (कालिक) परीक्षा तथा परीक्षा की दशा में;

(क) विंच, डेरिक और उनके आवश्यक गियर के लिए, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 5 (V) में;

(ख) क्रेन या उत्तोलक और उनके सहायक गियर के लिए, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 6 (VI) में;

(ii) नियम 70 के खण्ड (घ) के अधीन लूज गियर के परीक्षण और परीक्षा की दशा में, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप-7 (VII) में;

(iii) नियम 62 के अधीन तार रस्सों के परीक्षण और परीक्षा की दशा में, उन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 8 (VIII) में;

(iv) नियम 72 के अधीन लूज गियर की उठमा उपचार और परीक्षा की दशा में, उन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 9 (IX) में;

(v) नियम 70 के खंड (ख) के अधीन लूज गियर की संपूर्ण परीक्षा की दशा में, सिवाय वहां के, जहां ऐसी छूट को अपेक्षित विशिष्टियां खंड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर में संलग्न की गई हैं, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 26 (XXVI) में, और ऐसे प्रमाण पत्र खंड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर में संलग्न किए जाते हैं;

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर और ऐसे रजिस्टर के साथ संलग्न खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र-

(i) यदि ऐसे रजिस्टर और प्रमाण पत्र उत्थापक साधित्रों, लूज गियर, तार रस्सों से संबंधित हैं तो ऐसे सन्निर्माण स्थल पर रखे जाते हैं;

(ii) अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक के समक्ष मांग पर प्रस्तुत किए जाते हैं, और

(iii) ऐसे रजिस्टर में की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख के पश्चात कम से कम पांच वर्ष के लिए प्रतिधृत किए जाते हैं;

(घ) ऐसा कोई उत्थापक साधित्र या उत्थापक गियर, जिसको बाबत खंड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है और यथास्थिति खण्ड (क) या खण्ड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे रजिस्टर में परीक्षण और परीक्षा का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना अपेक्षित है, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में तब तक नहीं प्रयुक्त होता जब तक कि अपेक्षित प्रविष्टियां ऐसे रजिस्टर और प्रमाणपत्रों में दर्ज नहीं कर दी गई हैं।

**75. निर्वात और चुंबकीय उत्थापक गियर.**-नियोजक कि किसी भवन के सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) किसी निर्वात उत्थापक गियर, चुंबकीय उत्थापक गियर या किसी अन्य उत्थापक गियर का, जहां इस पर भार आंसजक शक्ति द्वारा धारित किया जाता है, उस समय प्रयोग नहीं किया जाता है जबकि कर्मकार ऐसे गियर के नीचे संक्रियाएं कर रहे हों;

(ख) भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में प्रयुक्त चुंबकीय उत्थापक गियर के साथ विद्युत के ऐसे वैकल्पिक प्रदाय जैसे बैटरी की व्यवस्था की जाती है, जो मुख्य विद्युत आपूर्ति के असफल होने की दशा में, तत्काल प्रवर्तन में आ सकती है; और

(ग) कोई भवन कर्मकार उत्थापक गियर या भार या भवन या ऐसे उत्थापक गियर में लटकी हुई अन्य सन्निर्माण सामग्री के झूला क्षेत्र के भीतर कार्य नहीं करेगा;

**76. जंजीरों और तार रस्सों में गांठ होना.**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किसी गांठ वाली जंजीर या तार रस्से का प्रयोग नहीं किया जाता है।

**77. उत्थापक साधित्रों इत्यादि के द्वारा व्यक्तियों को वहन करना.**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन कर्मकार को निम्नलिखित के सिवाय किसी साधित्र द्वारा उठाया, नीचे लाया या ले जाया नहीं जाता है।

(क) क्रेन के पिंजरे (केज) में चालक के प्लेटफार्म पर; या

(ख) उत्तोलक पर; या

(ग) अनुमोदित लटके हुए पाड (मंच) (स्कैफोल्ड) पर परन्तु भवन कर्मकार को शक्ति चालित उत्थापक साधित्र द्वारा उठाया, नीचे लाया अथवा ले जाया सकेगा—

(i) ऐसी परिस्थितियों में जहां किसी उत्तोलक या लटके हुए मंच स्कैफोल्ड का प्रयोग युक्ति-युक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है और उपनियम (2) की अपेक्षाएं पूरी कर दी जाती हैं; या

(ii) किसी वामवीय केबल वे या वामवीय रोपवे/में जहां उप नियम (2) की अपेक्षाएं पूरी कर दी जाती हैं;

(2) उप नियम (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं, अर्थात:—

(i) यह कि ऐसे परन्तुक में निर्दिष्ट साधित्र को केवल एक स्थिति में संचालित किया जा सकता है ;

(ii) यह कि ऐसे परन्तुक में निर्दिष्ट साधित्र के संबंध में प्रयुक्त कोई विंच नियम 59 की अपेक्षाओं को पूरा करती हैं; और

(iii) यह कि ऐसे परन्तुक में निर्दिष्ट साधित्र द्वारा निम्नलिखित के सिवाय किसी व्यक्ति को नहीं ले जाया जाएगा—

(क) किसी कुर्सी या केज में; या

(ख) किसी स्किप या अन्य पात्र में जो कम से कम तीन फुट गहरा हो और जो किसी व्यक्ति के सुरक्षित वहन के लिए उपयुक्त हो और ऐसी कुर्सी, केज, स्किप या अन्य पात्र अच्छी संनिर्मिति का है, ठोस सामग्री का बना है और उसमें पर्याप्त शक्ति है और वह उसमें से किसी अधिभोगी को गिर जाने से बचाने के लिए उपयुक्त साधनों सहित उचित रूप से रखा गया है और किसी ऐसी सामग्री या औजार से मुक्त है जो ऐसे अधिभोगी की हाथ की पकड़ या पैर की पकड़ में हस्तपेक्ष कर सकता है या अन्यथा उसे नुकसान पहुंचा सकता है; और

(iv) यह की कुर्सी, केज, स्किप या अन्य पात्र को ऐसे चक्रण या उलटने (टिपिंग) से जो उसमें किसी अधिभोगी के लिए खतरनाक हो सकती है, रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

**78. व्यक्ति को वहन करने वाले उत्तोलक.**—नियोजक भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जब तक किसी उत्तोलक में केज की व्यवस्था न हो, तब तक इसके द्वारा किसी भवन कर्मकार का वहन नहीं किया जाएगा;

(i) जो इस प्रकार सन्निर्मित है कि जब उसके दरवाजे बंद कर दिए गए हों, तो ऐसे उत्तोलक द्वारा लाये ले जाने वाले किसी भवन कर्मकार को उससे बाहर गिर जाने से यह ऐसे केज (पिजरे) के किसी भाग और किसी नियत संरचना के बीच या ऐसे उत्तोलक के किसी अन्य सचल भाग से उसके फंस जाने से या उस उत्तोलक मार्ग पर जिसमें ऐसा उत्तोलक चल रहा है, गिरने वाली किसी वस्तु या सामग्री द्वारा आहत होने से निवारित किया जा सके; और

(ii) उसके प्रत्येक ओर इस तरह फिट किया गया है जिससे कि ऐसे दरवाजे से उतरने के लिए स्थान तक पहुंचने की व्यवस्था है जिसमें अच्छी इन्टरलाकिंग या अन्य युक्ति उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ऐसे दरवाजे को सिवाय तब तक नहीं खोला जा सकता जब तक कि ऐसा केज (पिजरे) स्थान, उतरने के लिए स्थान पर न हो और यह कि ऐसा केज किसी ऐसे स्थान से तब तक नहीं हटाया जा सकेगा जब तक कि ऐसा दरवाजा बंद न हो।

(ख) व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त ऐसे उत्तोलक के उत्तोलक मार्ग बाड़े में प्रत्येक दरवाजे पर यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छी इन्टरलाकिंग या अन्य युक्ति (उपाय) फिट की गई है ताकि ऐसे दरवाजे को सिवाय तब तक नहीं खोला जा सकता जब तक कि केज (पिजरे) का ऐसा दरवाजा उतरने के स्थान पर न हो और यह कि ऐसा केज किसी ऐसे स्थान से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि ऐसा दरवाजा बंद न हो।

(ग) भवन कर्मकारों को वहन करने (लाने ले जाने) के लिए प्रयुक्त प्रत्येक उत्तोलक में यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और अच्छी स्वचल युक्तियों (उपायों) की व्यवस्था की गई है कि ऐसे उत्तोलक का केज उस निम्नतर बिन्दु के उपर वाले बिन्दु पर विश्राम की स्थिति में आ जाता है जिस पर ऐसा केज घूम सके।

**79. भार के संलग्नक.**—नियोजक भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जब स्लिंग का उपयोग उत्तोलक की लंबी सामग्रियों के लिए उत्तोलन के लिए उपयोग किया जाता है, उत्थापक बीम का उचित संतुलन करने के लिए स्लिंग लेग्स के बीच स्थान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और जब भार स्लिंग के दो या अधिक बिंदुओं से लटका हुआ होता है, ऐसे स्लिंग के उत्थापक लेग्स के छिद्रों को, एक साथ जोड़ दिया जाता है और ऐसे जोड़ या जोड़े गए स्लेगों के छिद्र को हुक पर रखा जाता है या ऐसे उत्थापक लेग्स के छिद्रों को सीधे यथास्थिति, उत्तोलक ब्लाक, बाल या संतुलन बीम के साथ जोड़ा जाता है;

(ख) पत्थर, ईट, टाइल, स्लेट या अन्य वैसी ही वस्तुओं को उठाने या झुकाने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक पात्र या आधार, उत्तोलक के साथ इस तरह संलग्न किया जाता है कि ऐसी वस्तुओं को गिरने से रोका जा सके;

(ग) उत्तोलक के प्लेट फार्म पर उनको उठाने या झुकाने के लिए सीधे रखे गए लदे हुए व्हील बैरो को इस प्रकार सुरक्षित किया जाता है ताकि ऐसे व्हील बैरो हिल डुल न सकें और ऐसा प्लेटफार्म को व्हील बैरो में रखी गई अर्तवस्तु को गिरने से बचाने के लिए घेर दिया जाता है और

(घ) किसी उत्तोलक की लैडिंग इस प्रकार डिजाइन और व्यवस्थित की जाती है कि ऐसे उत्तोलक पर भवन कर्मकारों से उत्तोलक से किसी सामग्री की लदाई और उतराई के लिए खाला स्थान में झुकने की अपेक्षा न हो;

**80. टावर क्रेन.**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल पर अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि—

(क) प्रशिक्षित और उंचाई पर कार्य करने में समर्थ आपरेटर से भिन्न किसी व्यक्ति को टावर क्रेन चलाने के लिए नियोजित नहीं किया जाता है;

(ख) वह तल, जिस पर टावर क्रेन खड़ी की जाती है, पर्याप्त सहन क्षमता वाला है;

(ग) टावर क्रेनों और रेल पर चढ़ाए गए टावर क्रेनों के लिए ट्रको के आधार मजबूत और सपाट सतह वाले हैं, और ऐसी क्रेनों उत्खनन से युक्तियुक्त रूप से सुरक्षित दूरी पर खड़ी की जाती है और ऐसी क्रेनों के विनिर्माताओं द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ढलान सीमाओं के भीतर प्रचालित की जाती है;

(घ) टावर क्रेने वहां खड़ी की जाती है जहां निर्माण, प्रचालन की ऐसी क्रेनो को खोलने (डिसमैन्टल) करने के लिए साफ स्थान उपलब्ध हो;

(ङ) टावर क्रेनें इस प्रकार खड़ी की जाती है कि ऐसी क्रेनो के भार किसी दखलकृत परिसर, सार्वजनिक मार्ग, रेल या पावर केबलो के निकट हैडिल नही किए जाते है, सिवाय संनिर्माण कार्यों के, जिनके लिए ऐसी क्रेनों का उपयोग किया जाता है;

(च) जहां दो या अधिक टावर क्रेने खड़ी की जाती है, और प्रचालित की जाती है, वहां किसी खतरे या खतरनाक घटना से बचाने के लिए ऐसी क्रेनों के आपरेटरों के बीच सापेक्ष और उचित संचार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सावधानी बरती जाती है;

(छ) टावर क्रेनो का प्रयोग ऐसे लोडिंग मैग्नेट, या बाल सर्विस के विघटन, एकत्रीकरण प्रचालन या वैसे अन्य प्रचालनों के लिए किया जाता है जो ऐसी क्रेनों की क्रेन संरचना पर अधिक भार—दबाव अधिरोपित कर सकती है; और

(ज) ऐसी क्रेनों के बारे में, टावर क्रेनों के विनिर्माताओं के अनुदेश और मानक सुरक्षा पद्धतियों का ऐसी क्रेनों को प्रचालित करने के दौरान, अनुसरण किया जाता है।

**81. उत्थापक विंचों और सिंगनलर, इत्यादि के प्रचालक की अर्हता.**—नियोजक, किसी भी भवन के सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण कार्य पर सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्थापक साधित्र की, चाहे यात्रिक शक्ति से या अन्यथा चलाने या प्रचालित करने के लिए या ऐसे उत्तोलक साधित्र के चालक या आपरेटर को संकेत देने के लिए या किसी रीगर या डैरिक्स के प्रचालक के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाता है जब तक कि वह;

- (i) अठारह वर्ष से अधिक की आयु का है;
- (ii) पर्याप्त रूप से दक्ष और विश्वसनीय है;
- (iii) उत्थापक साधित्रों के प्रचालन में अंतर्गत (अंतर्निहित जोखिम का) (जानकारी) ज्ञान रखता है; और
- (iv) इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची VII में यथा विनिर्दिष्ट आवधिक रूप से चिकित्सीय जांच की जाती है।

## अध्याय— 8

### रनवे और ढलान

**82. भवन कर्मकार द्वारा रनवे और ढलान का उपयोग.**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) भवन कर्मकार द्वारा उपयोग के लिए प्रदत्त रनवे और ढलान चौड़ाई में चार सौ तीस मिलीमीटर से अन्यून है और पच्चीस मिलीमीटर से अन्यून मोटे प्लेक में या किसी अन्य पर्याप्त मजबूत सामग्री से निर्मित

है ऐसे रनवे या ढलान के स्पैन तथा ब्रेसिट के सम्बन्ध में अपेक्षित समर्थित भार या ढलान और पर्याप्त मजबूती के है तथा ऐसे रनवे या ढलान का अभिकल्प और सन्निर्माण सुसंगत राष्ट्रीय मानक के अनुसार है;

(ख) भवन कर्मकारों के उपयोग के लिए प्रदत्त प्रत्येक रनवे या ढलान मंजिल या तल से तीन मीटर से ऊपर अवस्थित है और खुले स्थान पर है, जिसके साथ पर्याप्त मजबूती वाली गार्ड रेल है और ऊँचाई एक हजार मिलीमीटर से कम नहीं है।

**83. यानों द्वारा उपयोग.**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण कार्य पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) सभी रनवे और ढलान पक्के और मजबूत सन्निर्मित हैं तथा सुरक्षित रूप से ब्रेसिड और समर्थित है;

(ख) परिवहन उपस्कर जैसे ट्रेलरों, ट्रकों या भारी यानों के लिए प्रत्येक रनवे या ढलान 3.7 मीटर से कम चौड़ाई की नहीं है तथा उनमें लकड़ी के चक्के (रिंग) लगाए गए हैं या पर्याप्त मजबूती की चौड़ाई में 200 मिलीमीटर x 200 मिलीमीटर की अन्य सामग्री सामानन्तर मोटाई वाले स्थान में दो सौ मिलीमीटर तथा दो सौ मिलीमीटर से कम नहीं है और ऐसे रनवे या ढलान के सिरे सुरक्षित हैं तथा ऐसे रनवे या ढलान सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाए गए हैं।

**84. ढलानों का झुकाव.**—नियोजक भवन के सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ढलान का झुकाव 1/4 से अधिक नहीं किया गया है और सामग्री ले जाने वाले या प्रयोग किए जाने वाले व्हील बैरो, भवन कर्मकारों द्वारा प्रयोग किए गए लगातार ढलान की ऊँचाई 3.7 मीटर से अधिक नहीं है लम्बाई में कम से कम 1.2 मीटर क्षैतिज अवतरण द्वारा उबड़ खाबड़ (खंडित) नहीं की गई हो जैसा कि सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपबंधित है।

**85. व्हील बैरो आदि द्वारा उपयोग.**—नियोजक भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) व्हील बैरो, हैंडकार्टस या हैंड ट्रकों के लिए उपयोग किए गए प्रत्येक रनवे या ढलान चौड़ाई में एक मीटर से अन्यून नहीं है और पचास मिलीमीटर से अन्यून मोटे प्लैकिंग से सन्निर्मित किए गए हैं, और ऐसे उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से समर्थित और ब्रेसिड है;

(ख) फर्श या भूमि से तीन मीटर से अधिक ऊपर अवस्थित प्रत्येक रनवे या ढलान पर्याप्त मजबूती की उचित गार्ड रेल के साथ खुली साईड पर उपबंधित है।

## अध्याय— IX

### जल या जल से लगे स्थल पर कार्य करना

**86. जल द्वारा परिवहन.**—(1) नियोजक किसी भवन के निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जब किसी भवन निर्माण कर्मकार को किसी भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल पर या किसी अन्य कार्य स्थल से भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए जल मार्ग द्वारा जाना हो तब उसके सुरक्षित परिवहन और उसके लिए उपयोग की जाने वाली नौकाओं तथा ऐसे प्रयोजनों के उपयोग के लिए उत्तरदायी

व्यक्ति को भार साधक बनाने, और उसके सुरक्षित नौपरिवहन तथा अच्छी दशा में रखे जाने के लिए समुचित उपाय किए गए हैं;

(ख) उन व्यक्तियों की अधिकतम संख्या जिन्हें किसी नौका से सुरक्षित ले जाया जा सके ऐसी होगी कि प्रवृत्त सुसंगत विधि के अधीन प्रमाणित की जाए और वह संख्या ऐसी नौका पर सहजदृश्य स्थान पर दर्शाई जाएगी तथा व्यक्तियों की ऐसी संख्या भी ऐसी नौका के व्यक्तियों को ले जाने के दौरान अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;

(पप) उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट नौका निम्नलिखित के अनुरूप होगी; अर्थात्—

(i) ऐसी नौका में सवार भवन निर्माण कर्मकारों को प्रतिकूल मौसम से बचने के लिए पर्याप्त संरक्षण में रखा जाता है;

(ii) ऐसी नौका तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि के अनुसार पर्याप्त और अनुभवी क्रू (करनी दल) द्वारा नियंत्रित की जाती है;

(iii) ऐसी नौका की अड़वाल (तरंगरोध) की दशा में जो ऐसी नौका के डैक के स्तर से साठ सेंटीमीटर से कम है तो ऐसे अड़वाल का खुला किनारा समुचित बाड़ से सुसजित होगा जिसकी ऊंचाई ऐसे डैक और पोस्ट और खुटे कम से कम एक मीटर अधिक होगी तथा ऐसी बाड़ में उपयोग किए गए वैसे ही पुर्जों की दूरी दो मीटर से अधिक नहीं होगी;

(iv) ऐसी नौका के डैक पर जीवन रक्षा बोया की संख्या ऐसी नौका के क्रू (कर्मीदल) की संख्या के बराबर होगी तथा दो से कम नहीं होगी;

(v) ऐसी नौका के डैक पर की सभी जीवन रक्षा बोया अच्छी दशा में रखी जाएगी और ऐसे स्थान पर रखी जाएगी जिससे कि ऐसी नौका के डूबने पर वह तुरन्त तैरने की स्थिति में हों तथा ऐसे जीवन रक्षा बोया में से एक नौका चालक (स्टेयरमैन) की आसान पहुंच में होगी तथा दूसरी जीवन रक्षा बोया के बाद के भाग में स्थित होगी; और

(vi) नौका के चालक की स्थिति ऐसी होगी जिससे कि वह सभी दिशाओं में युक्तियुक्त: निर्बाध रूप से देख सके;

**87. डूबने से बचाव.**—नियोजक किसी भवन निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य पर या ऐसे सन्निर्माण स्थल से लगे कार्य स्थल पर जहां जल है जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसे स्थल पर भवन निर्माण कार्य में नियोजित कर्मकार अपने नियोजन के अनुक्रम में, वहां से उसके जल में गिरकर डूबने का जोखिम है तो यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे स्थल पर समुचित बचाव उपस्कर दिए गए हैं, और उन्हें तुरन्त उपयोग के लिए अच्छी दशा में रखा गया है और भवन निर्माण कर्मकार के डूबने के खतरे से तुरन्त बचाव की व्यवस्था के लिए उपाय किए गए हैं और जहां किसी भूमि या उससे लगी संरचना या जल के उपर या ऐसे जल पर प्रवाहमान बेड़े के किनारे के ऐसे गिरने की विशेष जोखिम है तो वहां स्थान स्थिति ऐसी भूमि, संरचना या प्रवाहमान बेड़े पर से गिरने से रोकने के लिए उसके किनारे के पास सुरक्षित बाड़ लगाएगा और ऐसे संकर्म पर या ऐसे सन्निर्माण स्थल पर भवन निर्माण कर्मकारों के पहुंचने तथा सामग्री के संचलन के लिए ऐसी बाड़ को हटा सकेगा यह उसे कुछ समय के लिए खड़ा नहीं रखेगा;



## अध्याय-10

## परिवहन और मृदा संचलन उपस्कर

**88. मृदा संचलन उपस्कर और यान.**—नियोजक, भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) समस्त यान और मृदा संचलन उपस्कर अच्छी सामग्री, उचित डिजाइन टोस निर्माण के बने हुए हैं तथा जिस प्रयोजन के लिए ऐसे उपस्कर उपयोग में लाये जाते हैं, उसके लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, और उन्हें मुरम्मत करके अच्छी दशा में रखा गया है और सुरक्षित प्रचालन अभ्यास मानकों के अनुसार उनका समुचित उपयोग किया जाता है;

परन्तु आधानों की ढुलाई के परिवहन के लिए ट्रक या ट्रेलर बिना किसी प्रलम्बी के आधानों को ले जाने के लिए पर्याप्त आकारों के हैं तथा ऐसे प्रत्येक ट्रक या ट्रेलर के चारों कोनों पर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप टविस्ट लांक लगे हुए हैं तथा ऐसा ट्रक या ट्रेलर ऐसे उपयोग के लिए तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है, तथा मास में कम से कम एक बार किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है और ऐसे निरीक्षण का अभिलेख रखा जाता है;

(ख) समस्त परिवहन या मृदा संचलन उपस्कर और यानों का किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाता है और ऐसे उपस्कर या यान में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे तुरंत उपयोग से हटा लिया जाता है।

(ग) पावर ट्रकों और ट्रैक्टरों में प्रभावकारी ब्रेक, हैडलाइट पिछली बत्तियां लगी हुई हैं तथा उन्हें अच्छी तरह मुरम्मत करके काम के लायक बनाए रखा जाता है।

(घ) (i) पावर ट्रकों और ट्रेलरों पर भारी और लम्बी वस्तुएं ले जाने के लिए दोनों तरफ के सीखचे टोस निर्माण सामग्री के बने हुए हैं और त्रुटि रहित हैं;

(ii) पावर ट्रकों और ट्रेलरों पर भार को बांधने के लिए लगे सीखचों में ऐसे सीखचों का इधर-उधर बिखरने से रोकने के लिए उपर चारों और आर-पार जंजीरें दी हुई हैं; और

(iii) ऐसे सीखचों को लदाई या उतराई में सही स्थिति में रखा जाता है;

(ङ) लारियों, ट्रकों, ट्रेलरों और वेगनों में लादने और उनसे उतारने के कार्य में लगे भवन सन्निर्माण कर्मकारों के आने जाने के लिए सुरक्षित गैंग मार्ग का उपबन्ध किया गया है।

(च) ट्रकों और अन्य उपस्कर पर उनकी सुरक्षित भार वहन क्षमता, जो ऐसे ट्रकों और उपस्करों पर स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी; से अधिक भार नहीं होगा।

(छ) हैड ट्रकों के हैण्डलों का डिजाइन इस प्रकार का होगा जिससे कि ऐसे ट्रकों पर कार्यरत भवन निर्माण कर्मकारों के हाथों की सुरक्षा हो सके या ऐसे हैण्डल पोर रक्षक युक्त होंगे;

(ज) ऐसे संकर्म में नियोजित परिवहन उपस्कर में कोई अनधिकृत व्यक्ति सवार नहीं होगा;

(झ) किसी परिवहन उपस्कर का ऐसा चालक जो ऐसे उपस्कर पर कार्यरत है किसी सिग्नलर के निर्देश के अधीन कार्य करेगा;

(ञ) एकल विद्युत प्रदाय या सुरक्षित ऊंचाई पर निर्मित शिरोपरी (ओवर हैड) की बाबत ऐसी पर्याप्त पुर्वावधानी बरनी जाएगी जब मृदा संचलन उपस्कर या यानों की किसी चालू विद्युत कण्डक्टर की खतरनाक सीमा के भीतर कार्य किए जाने की अपेक्षा हो;

(ट) यानों और मृदा संचलन उपस्कर को ढलवा रास्ते पर उस समय नहीं छोड़ा जाएगा जब ऐसे यानों या उपस्कर के इंजन चालू हो;

(ठ) समस्त मृदा संचलन उपस्कर यान और अन्य परिवहन उपस्कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा ही प्रचालित किए जाते हैं जो ऐसे उपस्कर यान या अन्य परिवहन उपस्कर के सुरक्षित प्रचालन के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं और जिसके पास ऐसा प्रचालन कौशल है;

**89. पावर चालित बेलचे और उत्खनक.**—नियोजक भवन निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर सुनिश्चित करेगा कि;

(क) ऐसे बेलचे (शावल) या उत्खनक चाहे वे वाष्प या विद्युत या अन्तरदहन द्वारा प्रचालित किए जाते हों और जिनका ऐसे संकर्म में उपयोग किया जाता है उन्हें तत्सम प्रवृत्त सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अधीन यथा अपेक्षित रूप से निर्मित संस्थापित, प्रचालित परीक्षित हैं और उनकी जांच की जाती है;

(ख) संचल क्रेन के रूप में उपयोग के लिए सज्जित उत्खनक—

(i) ऐसी संचल क्रेन की जांच और परीक्षण इन नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है; और

(ii) स्वतः सुरक्षित कार्य भार संकेतक फिट है;

(ग) पावर चालित बेलचों (शावल) के डोल या झामे (ग्रेब्स) ऐसे डोलों या झामों की मुरम्मत करते समय या ऐसे डोलों या झामों के दांते बदलते समय उनके संचलन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त टेक लगाई गई है।

**90. बुलडोज़र.**—नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल पर सुनिश्चित करेगा कि;

(क) किसी बुलडोज़र का आप्रेटर ऐसे बुलडोज़र को छोड़ने से पहले;

(i) ब्रेक लगा देता है;

(ii) ब्लेड और सिपर नीचे गिरा देता है; और

(iii) शिफ्ट लिवर को न्यूट्रल में डाल देता है;

(ख) ऐसे बुलडोज़र को जिसका उपयोग किया जाता है कार्य समाप्त होने के पश्चात समतल भूमि पर खड़ा करेगा;

(ग) बुलडोज़र को चढ़ाई पर चढ़ाते समय ऐसे बुलडोज़र के ब्लेड को नीचे रखा जाता है;

(घ) आपात स्थिती के सिवाय, बुलडोज़र के ब्लेडों को ब्रेक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है;

**91. स्क्रैपर.**—नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) ट्रैक्टर और स्क्रैपर अपने प्रचालन के समय सुरक्षित रेखा से जुड़े हैं;

(ख) स्क्रैपर के ब्लेडों को बदलते समय और स्क्रैपर कटोरी (बाउल) को टेक लगा दी गई है;

(ग) ढाल पर स्क्रैपर का गियर डाल दिया गया है।

**92. मोनाइल एस्फालट लेयर और फिनिशीरज़ अंतिम रूप देने.**—नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) मिश्रण उत्थापक लकड़ी या धातु की चादर से बने पिंजरे में होगा और उसे देखने, स्नेहन तथा अनुरक्षण के लिए उसमें खिड़की बनी होगी;

(ख) बिटुमेन स्कूप पर पर्याप्त आवरण है;

(ग) जब कोई एस्फालट संयंत्र सार्वजनिक मार्ग पर कार्यरत है तो ऐसे मार्ग पर पर्याप्त यातायात नियंत्रण बनाए रखा जाता है और ऐसे संयंत्र पर कार्यरत भवन निर्माण कर्मकारों को परावर्ती जैकिटें दी जाती हैं;

(घ) ऐसे कार्य स्थल पर जहां अग्नि कांड से संभावित संकट है वहां पर्याप्त मात्रा में अग्निशामक यंत्र तैयार रखे जाते हैं;

(ङ) उत्थापक में सामग्री तब डाली जाए जब ऐसे उत्थापक की नाली सूखने के पश्चात गरम हो गई हो;

(च) एस्फालट का स्तर अभिनिश्चित करने के लिए खुले प्रकाश का उपयोग नहीं किया जाता है;

(छ) निरीक्षण खिड़की को तब तक न खोला जाए जब तक कि बायलर में दबाव बना रहता है, जो किसी भवन निर्माण कर्मकार को क्षति पहुंचा सकता है;

**93. समतल करने वाले यंत्र (पेवर).**—नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे समतल करने वाले यंत्र के स्किप के नीचे से आने वाले भवन निर्माण कर्मकारों को रोकने के लिए उसमें समुचित रक्षक लगे हुए हैं।

**94. रोड रोलर**—नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) भूमि पर रोड रोलर का उपयोग किए जाने से पूर्व, ऐसी भूमि को भार वहन क्षमता और सामान्य सुरक्षा विशेषतया ऐसी भूमि के ढलान के किनारों की जांच कर ली जाती है;

(ख) इंजन के गियर में न होने पर, रोलर का ढाल पर न चलना।

**95. सामान्य सुरक्षा.**—नियोजक भवन निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) प्रत्येक यान या मृदा संचलन उपस्कर निम्नलिखित से सज्जित है—

- (1) साईलेंसर;
- (2) पिछली बत्ती;
- (3) पावर और हाथ की ब्रेकें;
- (4) प्रतिवर्ती आलार्म; और

(5) आगे और पीछे आने जाने के लिए सर्चलाइट, जो ऐसे यान या मृदा संचलन उपस्कर के सुरक्षित चालन के लिए अपेक्षित है;

(ख) यान का कैब या मृदा संचलन उपस्कर उत्खन्नन की जा रही भूमि से संलग्न अग्र भाग से कम से कम एक मीटर पर रखे जाएंगे; और

(ग) जब क्रेन या षावल (बेलचों) को ले जाया जा रहा हो तो उस क्रेन या षावल (बेलचे) का सिरा ऐसी ले जाई जा रही दिशा में है और उस क्रेन या षावल (बेलचे) से संलग्न बकेट (डोल) या सकूप उपर उठी हुई है और भार रहित है, सिवाए तब के जब ऐसी यात्रा उतार की ओर की जा रही है।

## अध्याय—11

### कंक्रीट संकर्म

**96. कंक्रीट के उपयोग के संबंध में साधारण उपबंध.**—नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) कंक्रीट या पुनर्बलित कंक्रीट के उपयोग से किए गए सभी सन्निर्माण निम्नानुसार रेखांक पर आधारित है;

- (i) ऐसे सन्निर्माण में उपयोग किए जाने वाले इस्पात और कंक्रीट तथा अन्य सामग्री के विनिर्देश सम्मिलित है;
- (ii) उपखंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट सामग्री के सुरक्षित लगाने और उठाई—धराई करने के लिए पद्धतियों के संबंध में तकनीकी ब्यौरे दें;
- (iii) ऐसे सन्निर्माण की प्रत्येक संरचना के प्रकार, क्वालिटी और व्यवस्था को उपदर्शित करें; और
- (iv) ऐसे सन्निर्माण को पूरा करने के लिए किए जाने वाले उपायों की श्रृंखला का उल्लेख करें।

(ख) कंक्रीट कार्य के लिए उपयोग किए गए फरमा और टेक संरचनात्मक और आपस में समुचित रूप से कसे हुए या बंधे हुए हैं जिससे कि ऐसे फरमा या टेक की स्थिति और आकार को बनाए रखा जा सकें;

(ग) कंक्रीट संकर्म के लिए उपयोग किए गए फरमा ढांचे में पर्याप्त सांकरी (कैटवाक) और अन्य सुरक्षित पहुंच ऐसे ढांचे के निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं यदि ऐसा ढांचा दो या इससे अधिक मंजिल का है।

**97. कंक्रीट तैयार करना और उसे उडेलना तथा कंक्रीट ढांचे को परिनिर्मित करना.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार जो सीमेन्ट या कंक्रीट का कार्य कर रहा है:—

- (i) चुस्त वस्त्र, दस्ताने, हेलमेट या कठोर टोपी, सुरक्षा चश्मे समुचित जूते और श्वसित्र या मास्क ऐसे कार्य करने में किसी खतरे से सुरक्षा करने के लिए पहने हुए हैं;
- (ii) ऐसे कार्य करने में खतरे से संरक्षण करने के लिए अपने शरीर को उतना ढके हुए रहेगा जितना कि अपेक्षित है;
- (iii) ऐसा कार्य करने में अपनी त्वचा से सीमेन्ट और कंक्रीट को दूर रखने के लिए सभी आवश्यक पूर्वावधानियां बरतेगा।

(ख) चूने के गड्ढों के चारों ओर कंटीले तार लगाए गए हैं और उन्हें ढका गया है।

(ग) चूने के गड्ढों को जिनमें कर्मकारों के जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है ऐसे यंत्रों से भरा और खाली किया जाता है।

(घ) उत्थापकों, उत्तोलकों, चिंको, बंकरों, ढलवांनली, गारा भरने की मशीन जो कंक्रीट संकर्म के लिए उपयोग किए जाते हैं और अन्य उपस्करों को जो भण्डारण, परिवहन और कंक्रीट के तत्वों की अन्य उठाई-धराई में उपयोग किए जाते हैं उनके चारों ओर सुरक्षापूर्ण तार लगाए गए हैं जिससे कि भवन सन्निर्माण कर्मकारों को ऐसे चलित पुर्जों के संपर्क से दूर रखा जा सके।

(ङ) सीमेन्ट, चूना और अन्य धूलवाली सामग्री के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कूवाहक पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं;

**98. बाल्टियां (बकट).**—नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) कंक्रीट की बाल्टियां जो क्रेन या वायु केबल मार्गों में उपयोग की जा रही हैं वे बहिर्वेशन (प्रोजेक्शज) से मुक्त हैं जिनसे कंक्रीट का संग्रह गिराया जा सके;

(ख) कंक्रीट बाल्टियों का संचालन ऐसे संकेतों द्वारा विनियमित है जो ऐसे संचालन से होने वाले किसी खतरे से बचने के लिए आवश्यक है।

**99. पाईप और पम्प.**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) ऐसी कोई मचान जिस पर पम्प की हुई कंक्रीट के लिए कोई पाईप ले जाई जा रही है वह पर्याप्त मजबूत है जिससे कि वह ऐसी पाइप को उस समय जब ऐसी पाईप कंक्रीट या पानी से या किसी अन्य द्रव से भरी हुई है के लिए सहारा देने के लिए है और भवन सन्निर्माण कर्मकारों को सुरक्षापूर्ण ले जाए, जो उस समय ऐसी मचान पर उपस्थित हो;

(ख) पम्प की गई कंक्रीट का वहन करने के लिए प्रत्येक पाईप;

(i) उसके अन्तिम सिरे के बिन्दु पर उसके प्रत्येक मोड़ पर सुरक्षापूर्वक जुड़ा हुआ है;

(ii) ऐसे पाईप के अग्रभाग के निकट एक वायु निर्वातक वाल्व लगा हुआ है; और

(iii) वह किसी पम्प नोज़ल के साथ किसी बोल्ट की गई कालर या अन्य पर्याप्त साधन से सुरक्षा पूर्वक संलग्न है;

(ग) कंक्रीट पम्प का परिचालन मानक संकेतों से विनियमित होता है जो सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है; और

(घ) किसी कंक्रीट पम्प के आस-पास नियोजित भवन सन्निर्माण कर्मकार सुरक्षा चश्मे पहने हुए हैं;

**100. कंक्रीट का मिश्रण करना और उड़ेलना.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) कंक्रीट सम्मिश्रण में ऐसी कोई सामग्री नहीं होगी जो ऐसी कंक्रीट के सेट किए जाने को असामयिक रूप से प्रभावित करे या ऐसी कंक्रीट को कमजोर कर इस्पात जो ऐसी कंक्रीट में उपयोग किया गया है को कमजोर करे;

(ख) जब कंक्रीट के शुष्क तत्व परिरुद्ध स्थलों अर्थात् साइलों में मिश्रित किए जा रहे हों;

(i) ऐसे मिश्रण के समय धूल को निकाला जाएगा; और

(ii) उपखंड (1) में यथा विनिर्दिष्ट धूल के नहीं निकाले जाने की दशा में भवन सन्निर्माण कर्मकार ऐसे मिश्रण करते समय श्वसित्र पहनेंगे।

(ग) जब कंक्रीट बाल्टियों से उडेली जा रही हों तो भवन सन्निर्माण कर्मकारों को ऐसी बाल्टियों के किसी प्रतिघात की रेंज से दूर रक्षा जाता है; और

(घ) सेट की जाने वाली कंक्रीट पर भार गिराया या रखा नहीं जा रहा है।

**101. कंक्रीट पेनल और स्लैब.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) किसी कंक्रीट पेनल या कंक्रीट स्लैब के समस्त भाग समान रूप से उठाए गए हैं;

(ख) कंक्रीट पेनल उनकी अंतिम स्थिति में पर्याप्त रूप से कसे गए हैं और ऐसा कसाव ऐसी स्थिति में तब तक बना रहेगा जब तक ऐसे पेनलों को सन्निर्माण के उस अन्य भाग द्वारा पर्याप्त रूप से सहारा नहीं मिल जाता जिनके लिए ऐसे पेनल उपयोग में लाये गये हैं;

(ग) कंक्रीट पेनलों का अस्थायी कसाव जब ऐसे पेनलों को चलाया जा रहा हो ऐसे पेनलों के किसी भाग को गिरने से रोकने के लिए सुरक्षित रूप से जकड़ा गया है।

**102. प्रतिबलित और तने हुए तत्व.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जब कंक्रीट गार्डस और खम्भों पर कंक्रीट का प्रतिबलन किया जा रहा हो तब भवन सन्निर्माण कर्मकार सीधे ही जैकिंग उपस्कर पर खड़े नहीं होते हैं;

(ख) कोई पूर्व प्रतिबलित (प्रीस्ट्रेस्ड) कंक्रीट यूनिट का प्रयोग ऐसे यूनिट के किसी बिन्दु पर और ऐसी युक्तियों के विनिर्माता द्वारा ऐसे संकर्म के लिए विनिर्दिष्ट युक्तियों द्वारा प्रयोग के सिवाय नहीं किया जाता है;

(ग) पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट गार्डर या कंक्रीट खम्भों को, परिवहन के दौरान कसकर या अन्य प्रभावी साधनों द्वारा खडा रखा जाता है;

(घ) पूर्वप्रतिबलित कंक्रीट गार्डर या कंक्रीट खम्भों की पूर्व तनी हुई रस्सी के लिए एंकर फिटिंग को ऐसे एंकर फिटिंग के विनिर्माता के अनुदेशों के अनुसार सुरक्षित दशा में रखा जाता है;

(ङ) भवन सन्निर्माण कर्मकार पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट गार्डर या कंक्रीट खम्भों की तनन प्रक्रिया के दौरान तनन यन्त्रों और जैक उपस्कारों की सांध में या जैकों के पीछे खडे नहीं होते हैं; और

(च) भवन सन्निर्माण कर्मकार पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट गार्डर या कंक्रीट खम्भों के तारों का तनन के दौरान ऐसे कंक्रीट को ऐसे गार्डरों या खम्भों के लिए उपयोग के पूर्व पर्याप्त रूप से कठोर हो जाने से पहले नहीं काटते हैं;

**103. प्रकम्पक.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) ऐसा कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी हालत में हो, कंक्रीट संकर्म में उपयोग किये जाने वाले प्रकम्पकों को चलाता है;

(ख) कंक्रीट संकर्म कार्य कर रहे प्रचालकों को सम्प्रेषित प्रकम्पन की मात्रा को कम करने के लिए सभी व्यवहारिक उपाय किये जाते हैं;

(ग) जब विद्युत प्रकम्पकों का कंक्रीट संकर्म में उपयोग किया जाता है; तो

(प) ऐसे प्रकम्पकों को भूसंपर्कित किया जाएगा;

(ii) ऐसे प्रकम्पकों की प्रवाही तारें अत्यधिक विद्युतरोधी होगी; और

(iii) जब इन प्रकम्पकों का उपयोग नहीं किया जा रहा हो तब विद्युत धारा को बन्द कर दिया जाएगा;

**104. निरीक्षण और पर्यवेक्षण.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी कंक्रीट के संकर्म के लिए उत्तरदायी है, वह फर्मा (फार्मवर्क) टेक, कसाव (ब्रेलिस) और अन्य सहारों का जो ऐसे कंक्रीट संकर्म में उपयोग किया जा रहा है, निरीक्षण करता है;

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जो कंक्रीट संकर्म के लिए उत्तरदायी है, वह सुनिश्चित करने कि ऐसा प्रत्येक ढांचा, परिनिर्माण के पश्चात सुरक्षित है प्रत्येक ढांचे का पूर्ण रूप से निरीक्षण करता है;

(ग) ऐसा कोई व्यक्ति जो कंक्रीट संकर्म के लिए उत्तरदायी है कंक्रीट जमाये जाने के दौरान ढांचे, टेक, कसाव, पुर्नटेक और अन्य सहारों का नियमित रूप से निरीक्षण करता है;

(घ) खंड (क) और खंड (ग) के अधीन उल्लिखित निरीक्षणों के दौरान किसी असुरक्षित दशा का पता चलता है तो उसका तुरन्त उपचार किया जाता है; और

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो कंक्रीट संकर्म के लिए उत्तरदायी है, कार्य स्थल पर ऐसे निरीक्षणों के सम्बन्ध में खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट निरीक्षणों के सभी अभिलेख रखता है और उन्हें अधिकारिता रखने वाले किसी निरीक्षक को मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करता है।

**105. शहतीर, तल (फर्श) और छतें.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) कंक्रीट संकर्म में उपयोग की जा रही फर्मा की संरचनात्मक स्थिरता बनाए रखने के लिए यथा आवश्यक क्षितिजीय और द्विकोणीय कसाव अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दिशाओं में उपलब्ध किया गया है, और ऐसे कंक्रीट संकर्म में उपयोग की गई टेकें समुचित रूप से शिखर पर और तल पर रखी गई है तथा वे अपने स्थानों पर सुरक्षित है;

(ख) जहां कंक्रीट संकर्म में टेकें उपयोग की जा रही है वहां आधार प्लेटें उपलब्ध कराई जाती है जिससे कि ऐसी टेकें मजबूत और सममतल बनी रहे;

(ग) जहां किसी कंक्रीट संकर्म की तल से छत तक की उंचाई नौ मीटर से अधिक हो या जहां ऐसे कंक्रीट संकर्म में उपयोग किए गए फर्मा के डैकों का दो या अधिक मंजिल में सन्निर्माण किया गया है और किसी टेक द्वारा सहारा लिया हुआ है या ऐसे कंक्रीट संकर्म में उपयोग किये गये फर्मा पर अचल चल और

संघट्टभार (आघातभार) प्रति वर्ग मी० सात सौ किलोग्राम से अधिक हो वहां ऐसे फर्मा का ढाचा सुसंगत क्षेत्र के किसी व्यवसायिक इंजीनियर द्वारा डिज़ाइन किया जाता है और ऐसे फर्मा के विनिर्देश और अरेख ऐसे सन्निर्माण स्थल पर रखे जाते हैं तथा उन्हें अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक के समक्ष मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाता है; और

(घ) जहां कंक्रीट संकर्म में उपयोग किए गए फर्मा की संरचना किसी व्यवसायिक इंजीनियर द्वारा डिज़ाइन की जाती है, वहां ऐसा इंजीनियर सन्निर्माण और ऐसी संरचना के स्थायित्व के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा;

**106. तख्ताबन्दी निकालना (निर्लेपन).**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) कंक्रीट संकर्म में उपयोग किये गए फर्मा का तख्ताबन्दी निकालना (निर्लेपन) तब तक आरम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे फर्मा पर कंक्रीट पूर्ण रूप से सैट नहीं हो जाती उसका परीक्षण नहीं कर लिया जाता, और उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा इस निमित्त उसे प्रमाणित नहीं कर दिया जाता ऐसे परीक्षण और प्रमाणन का अभिलेख रखा जाता है;

(ख) कंक्रीट संकर्म में निर्लेपित किए गए फर्मा हटा लिये जाते हैं या उन सभी क्षेत्रों से जिन में भवन निर्माण कर्मकारों का कार्य करना या गुजरना अपेक्षित है उन्हें निर्लेपित करने के पश्चात् शीघ्रता से समूह में इक्टठा कर दिया जाता है; और

(ग) बाहर निकली हुई कीलें, तार, तारबंधानी और अन्य फर्मा के उपांग जो पश्चात्तर्वर्ती कंक्रीट संकर्म के लिए अपेक्षित नहीं हैं उन्हें खींच लिया जाता है, काट दिया जाता है या अन्यथा सुरक्षित बना दिया जाता है।

**107. पुनर्तेकन.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) कंक्रीट संकर्म में उपयोग की गई पुनर्तेकनें उसके तख्ताबन्दी निकालने (निर्लेपन) के पश्चात् किसी स्लैब या शहतीर में उसके सुरक्षित सहारे के लिए उपलब्ध कराई जाती है या ऐसे स्लैब या शहतीर के उपर सन्निर्माण होने के कारण अध्यारोपित भार के अधधीन होता है; और

(ख) इस अध्याय के अधीन किसी कंक्रीट संकर्म में टेक के सम्बन्ध में लागू उपबन्ध ऐसे संकर्म में पुनर्तेकन के लिए भी लागू होंगे।

-----

## अध्याय—12

### ध्वस्त करना

**108. तैयारी.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी ध्वस्त करने सम्बन्धी कार्य को आरम्भ करने से पूर्व पहले सभी शीशे या उसी प्रकार की सामग्री या बाहर की और खुलने वाली वस्तुओं को हटा दिया जाएगा और सभी जल, वाष्प, विद्युत, गैस और अन्य उसी प्रकार की प्रदाय सम्बन्धी लाईनों को बन्द किया जाएगा तथा उन पर समुचित रूप से ढक्कन लगाया जाएगा और समुचित सरकार के सम्बद्ध विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को यह सूचना दी जाती है और ध्वस्त करने सम्बन्धी कार्य के आरम्भ करने से पूर्व जब कभी आवश्यक हो अनुज्ञा ली जाती है और जहां कहीं जल, गैस या विद्युत लाईन या विद्युत शक्ति को ऐसे ध्वस्त करने के दौरान बनाये रखना आवश्यक है वहां ऐसी लाईनें उसी प्रकार अवस्थित रहेगी या उन्हें पर्याप्त रूप से ढककर उनकी संरक्षा की जाएगी जिससे कि



इन्हें नुकसान से संरक्षित किया जा सके और भवन निर्माण कर्मकारों तथा आम जनता को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

**109. निकटवर्ती संरचनाओं का संरक्षण.**— नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या किसी अन्य संकर्म स्थल पर किसी ध्वस्त करने सम्बन्धी कार्य के लिए उत्तरदायी है, ऐसे ध्वस्त करने सम्बन्धी संकर्म के ध्वस्तकरण के दौरान ध्वस्त की जाने वाली संरचना की निकटवर्ती सभी संरचनाओं की दीवारों का निरीक्षण उनकी मोटाई और ऐसे निकटवर्ती संरचनाओं के या सहारों की पद्धति अवधारित करेगा, और यदि ऐसे नियोजक के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी निकटवर्ती संरचना असुरक्षित है या ऐसी ध्वस्तकरण प्रक्रिया के दौरान असुरक्षित होने की सम्भावना है, तो तथा वह ऐसी निकटवर्ती असुरक्षित संरचना पर प्रभाव डालते हुए ध्वस्तकरण कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक कि उपचारत्मक उपाय अर्थात् चादरें खड़ी करने के टेकबंदी, कसाव या अन्य वैसे ही साधनों का उपयोग नहीं किया गया हो जिससे कि ऐसी असुरक्षित निकटवर्ती संरचना को ढहने से सुरक्षित और स्थिर रखा जा सके।

**110. दीवारें, विभाजक आदि को ध्वस्त करना.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या किसी भवन या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) दीवारों या विभाजकों (संभागों) का कोई भी ध्वस्त करने सम्बन्धी कार्य सुव्यवस्थिति रीति से मानक सुरक्षा प्रचालन पद्धति के अनुसार आरम्भ किया गया है और ऐसे शहतीर के सहारे के विकृत होने से पूर्व किसी तल शहतीर की प्रत्येक मंजिल के ऊपर समस्त कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) चिनाई को न तो ढीला छोड़ा गया है और न ही उसे अत्यधिक मात्रा में या आयतन में या भार में गिरने दिया जाता है जिससे कि किसी तल की संरचनात्मक स्थिरता या संरचनात्मक सहारे को खतरा हो;

(ग) कोई दीवार, चिमनी या अन्य संरचना या संरचना के किसी अन्य भाग को ऐसी स्थिति में असुरक्षित नहीं छोड़ा गया है कि वह वायु दाव या प्रकम्पन के कारण गिरे, ढहे या कमजोर हो जाए;

(घ) हाथ के वाहय दीवारों को ध्वस्त किये जाने की दशा में, ऐसा ध्वस्त करने के लिए नियोजित भवन निर्माण कर्मकारों के लिए खड़े होने की समुचित व्यवस्था की गई है इसके लिए खड़े होने के मजबूत तल या मचान की व्यवस्था की गई है; और

(ङ) ऐसी दीवारों या उनके विभाजक को (संभाग) जिन्हें हाथ से ध्वस्त किया जाना है, सबसे ऊंचे तल, जिस पर व्यक्ति काम कर रहा है, एक मंजिल से अधिक की ऊंचाई तक खड़ा नहीं छोड़ा जाए।

**111. प्रचालन की पद्धति.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि मलबा, ईटें और अन्य सामग्री या वस्तुएं हटाई जाएंगी;

- (i) शूट, साधन द्वारा;
- (ii) बाल्टी या उत्तोलक साधन द्वारा;
- (iii) तलों को खोलकर या;
- (iv) किसी अन्य सुरक्षित साधन द्वारा।

**112. तल तक पहुँच.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे भवन को ध्वस्त किए जाने के दौरान सभी समय प्रत्येक भवन तक सुरक्षित पहुँच और निकास हो, जो प्रवेश बड़े कमरों के रास्ते, जाने के रास्ते या सीढ़ी द्वारा हो तथा इस प्रकार सुरक्षित हो कि भवन सन्निर्माण कर्मकार गिरने वाली सामग्री या वस्तुओं से सुरक्षित हैं।

**113. संरचनात्मक इस्पात का ध्वस्त किया जाना.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) सभी इस्पात संरचनाओं को स्तम्भ से स्तम्भ तक और तले (सोपान) से तले (सोपान) तक ध्वस्त किया गया है और प्रत्येक संरचनात्मक इकाई जिसे ध्वस्त किया जा रहा हो वह किसी तनन के अधीन न हो और ऐसी संरचनात्मक इकाई की इसके किसी अनियंत्रित रूप से लटकने या झुकने या गिरने से उपयुक्त रूप से रोकने की व्यवस्था की गई है;

(ख) बृहत संरचनात्मक इकाईयां भवन से फेंकी या गिराई नहीं गई हैं किन्तु उपयुक्त सुरक्षित प्रणाली को अपनाकर सावधानीपूर्वक नीचे गिराई गई है; और

(ग) जहां उत्थापक साधित्र अर्थात डैरिक ध्वस्त करने के लिए उपयोग में लाया गया है, वहां वह तल जिस पर उत्थापक साधित्र लगाया गया है पूर्ण रूप से तख्तों से ढक दिया गया है या सहारा दिया गया है और ऐसा तल, ऐसे उत्थापक साधित्र और उसके प्रचालन का भार सहने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है।

**114. सामग्री या वस्तु का भंडारण.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) सभी सामग्रियां और वस्तुएं किसी भवन के जिसे ध्वस्त किया जा रहा है, चबूतरे, तल या सीढ़ी पर भंडारित करके नहीं रखे गए हैं;

परन्तु यह कि यह खंड किसी भवन के तल के लिए तब लागू नहीं होगा जब ऐसा तल इतना मजबूत न हो कि जो ऐसी सामग्री या वस्तुओं को भंडारित किए जाने के द्वारा अध्यारोपित भार को सुरक्षापूर्ण सहारा देने के लिए पर्याप्त है।

(ख) किसी सीढ़ीद्वार या गलीद्वार की पहुंच किसी सामग्री या वस्तु के भण्डारण किये जाने से प्रभावित नहीं हुई है या रूकी नहीं है; और

(ग) उपयुक्त रूकावटों की व्यवस्था की गई है, जिससे कि भवन सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे किसी स्थान में सामग्री या वस्तुओं का फिसलन या टकराव न हो।

**115. तल का खोला जाना.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक तल से मलबे को हटाने के लिए उपयोग में लाए जा रहे प्रत्येक निष्कासन द्वार को जिसे पहुंच के लिए बन्द नहीं किया गया है केवल उपरी तल या उस तल के सिवाए जहां कार्य हो रहा है, जिसमें उसे तल से छत तक कोई संलग्नक लगाया गया है या ऐसे निकास द्वार को इस प्रकार रोका गया है कि कोई भवन निर्माण निर्माण ऐसे निकास द्वार से जिससे मलबा गिराया जा रहा है छह मीटर की क्षितिजीय दूरी के भीतर नहीं पहुंच सके।

**116. निरीक्षण.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि वह व्यक्ति जो ध्वस्त किये जाने के कार्य के लिए उत्तरदायी है ऐसे ध्वस्त किये जाने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर निरीक्षण करता है, जिससे कि ऐसे ध्वस्त किये जाने की प्रक्रिया या ध्वस्त करना के दौरान कमजोर या जर्जर तलों या दीवारों या खुली हुई सामग्री या वस्तुओं से होने वाले खतरे का पता चल सके और किसी भवन निर्माण कर्मकार को, जहां ऐसा खतरा विद्यमान है, तब तक अनुज्ञा नहीं दी जाती है जब तक कि ऐसे खतरे को रोकने के लिए टेकबन्दी या कसाव जैसे उपचारात्मक उपाय नहीं कर दिये जाते हैं।

**117. चेतावनी संकेत, रूकावटें आदि.**— नियोजक किसी भवन सन्निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) ध्वस्त किये जाने की संक्रियाओं के दौरान ऐसे भवन या सन्निर्माण संकर्म में व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए ध्वस्त किये जाने वाले किसी भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म के प्रत्येक ओर समग्र लम्बाई और चौड़ाई में रूकावट और चेतावनी संकेत परिनिर्मित किया जाता है;

(ख) किसी बाह्य चिनाई की दीवार या किसी छत के ध्वस्त किये जाने के दौरान ऐसी दीवार या छत के निकटवर्ती भूतल स्तर के ऊपर बारह मीटर से अधिक किसी बिन्दु पर यदि किसी व्यक्ति को ऐसी दीवार या छत के नीचे गिरती हुई वस्तुओं से खतरा है, तो उपयुक्त और सुरक्षित पकड़ चबूतरे की व्यवस्था की जाएगी और वह कार्य किये जाने वाले स्तर से छह मीटर से अनधिक के ऊपर स्तर पर अवस्थित होता है, और अनुरक्षण किया जाएगा वहां के सिवाय जहां ऐसे व्यक्तियों की पर्याप्त सुरक्षा और अनुरक्षण के लिए बाहर की ओर बनी हुई मचान की व्यवस्था की गई है; और

(ग) राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपयुक्त और मानक चेतावनी संकेत सहज दृश्य स्थानों या कार्य स्थलों पर संप्रदर्शित या परिनिर्मित किये जाते हैं।

**118. ध्वस्त किये जाने की यांत्रिक पद्धति.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण कार्य पर यह सुनिश्चित करेगा कि ध्वस्त किये जाने के प्रयोजन के लिए ध्वस्त किये जाने की यांत्रिक पद्धति अर्थात् लटकते हुए भार, क्लेम सेल बाल्टी, विद्युत (बेलचा) शावल, बुलडोज़र, या अन्य उसी प्रकार की यांत्रिक पद्धतियों के उपयोग किये जाने की दशा में, निम्नलिखित अपेक्षा पूरी की जा रही है, अर्थात्:—

(क) यह कि भवन या संरचना या उनके शेष भाग ऊंचाई में चौबीस मीटर से अधिक नहीं होंगे;

(ख) यह कि जहां ध्वस्त किये जाने के लिए किसी लटकते हुए भार का उपयोग किया जाता है, वहां इस प्रकार ध्वस्त किये जाने वाली संरचना या उसके भाग की ऊंचाई के कम से कम डेढ़ गुणा व्यास का ऐसा ध्वस्तकरण कोई जोन, ऐसे लटकते हुए भार के बिन्दुओं के आसपास बनाये रखा जाएगा;

(ग) जहां ध्वस्तकरण के लिए किसी क्लेम सेल बाल्टी (बकेट) का उपयोग किया जा रहा है, वहां ऐसी बाल्टी की यात्रा रेखा के आठ मीटर के भीतर ध्वस्तकरण का एक जोन (क्षेत्र) बनाये रखा जाएगा;

(घ) यह कि जहां किसी भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म को पूर्ण रूप या आंशिक रूप से गिराये जाने के लिए अन्य यांत्रिक पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है, वहां उस क्षेत्र में जहां ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म का प्रभावित भाग जो गिरने वाला है, एक ध्वस्तकरण जोन बनाये रखा जाएगा जो ऐसे प्रभावित भाग से डेढ़ गुणा ऊंचाई पर होगा; और

(ङ) ध्वस्त किये जाने की संक्रिया में लगे भवन सन्निर्माण कर्मकार या अन्य आवश्यक व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति को खंड (क) में निर्दिष्ट किसी ध्वस्तकरण जोन में प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जिसके साथ पर्याप्त रूकावटों की व्यवस्था होगी;

### अध्याय—13

#### उत्खनन और सुरंग खोदने का संकर्म

**119. उत्खनन और सुरंग खोदने के संकर्म को करने के आषय की अधिसूचना.**— (1) प्रत्येक नियोजक जो किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर उत्खनन या सुरंग खोदने का संकर्म कर रहा है, ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के प्रारम्भ करने से पूर्व तीस दिन के भीतर प्ररूप में भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक को ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के विस्तृत आलेख सन्निर्माण की पद्धति और उसके अनुसूची (कार्यक्रम) के बारे में लिखित सूचना देगा;

(2) ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म या उसके किसी आनुशांगिक संकर्म या ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के लिए अपेक्षित संकर्म में सम्पीडक वायु का उपयोग किये जाने की दशा में, मैन लॉक और चिकित्सा लॉक के तकनीकी ब्यौरे और आरेख सभी सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारियों जिनके पास इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-XI में अधिकथित अर्हता है के नाम और पतों सहित और ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के प्रयोजन के लिए जो ऐसे नियोजक द्वारा नियत किए गए हैं भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक को भेजा जाएगा।

**120. परियोजना इंजीनियर.**— (1) प्रत्येक नियोजक जो कोई उत्खनन या सुरंग खोदने का संकर्म कर रहा है ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म की परियोजना के सुरक्षित प्रचालन के लिए जिसके लिए ऐसा इंजीनियर नियुक्त किया गया है किसी परियोजना इंजीनियर की नियुक्ति करेगा।

(2) ऐसा परियोजना इंजीनियर ऐसी परियोजना के प्रचालन और क्रियाकलापों का सम्पूर्ण रूप से नियन्त्रण करेगा और क्रियाकलापों के सुरक्षित क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

**121. उत्तरदायी (जिम्मेदार) व्यक्ति.**— (1) प्रत्येक नियोजक जो किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर उत्खनन या सुरंग खोदने का संकर्म कर रहा है ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के सुरक्षापूर्ण संचालन के लिए किसी उत्तरदायी (जिम्मेदार) व्यक्ति की नियुक्ति करेगा;

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति के कर्तव्य और दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा;

(क) ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म को सुचारु रूप से करना;

(ख) ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के संबंध में किसी खतरनाक स्थिति का निरीक्षण और परिशोधन करना;

(ग) ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म से संबधित किसी असुरक्षित प्रक्रिया या शर्तों से बचने के लिए उपचारात्मक उपाय करना;

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता भवन और सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक को भेजा जाएगा।

**122. चेतावनी संकेत और सूचनाएं (नोटिस).**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि:—

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म को कर रहे भवन सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित समुचित चेतावनी संकेत या सूचनाएं, किसी सहज दृश्य स्थान पर, हिन्दी और उस भाषा में जो ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में लगे अधिकांश भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाती है, सम्प्रदर्शित और परिनिर्मित किये जाएंगे;

(ख) संपीडित वायु में कार्य करने के सम्बन्ध में ऐसे चेतावनी संकेत और सूचनाएं निम्नलिखित होंगे:—

(1) ऐसे संपीडित वायु संकर्म में अन्तर्वलित खतरे;

(2) अग्नि और विस्फोट जोखिम; और

(3) ऐसे खतरे या जोखिम से बचाव के लिए आपातकाल प्रकियाएं।

**123. रोजगार आदि का रजिस्टर.**— (1) प्रत्येक नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहां उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य किया जा रहा है वहां ऐसे उत्खनन या सुरंग खुदाई कर रहे भवन निर्माण कर्मकारों का एक रजिस्टर रखा जाए और अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को मांग किये जाने पर प्रस्तुत किया जाए।

(2) ऐसे उत्खनन या सुरंग कार्य की अवधि को जिसमें ऐसे भवन सन्निर्माण कर्मकार नियोजित है दिन-प्रतिदिन के आधार पर रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा और ऐसा रजिस्टर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक द्वारा मांग किये जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

**124. प्रदीपिकरण.**— (1) नियोजक, किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि उन सभी कार्य स्थलों को, जहां उत्खनन या सुरंग खोदने का कार्य किया जा रहा है, सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्याप्त रूपसे प्रदीप्त किया जाए।

(2) प्रत्येक नियोजक जो किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या सन्निर्माण संकर्म पर उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य कर रहा है ऐसे सन्निर्माण स्थलों पर आपातकालीन जेनरेटरों की व्यवस्था करेगा जिससे कि उन सभी संकर्म स्थलों पर जहां ऐसे उत्खनन कार्य या सुरंग खुदाई के कार्य चल रहे हैं विद्युत आपूर्ति में रूकावट आने पर पर्याप्त प्रदीपन को सुनिश्चित किया जा सके।

**125. संरचना का स्थिरीकरण.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि—

(क) जहां कार्य स्थान या उत्खनन किये जाने वाले अन्य क्षेत्रों में या जहां सुरंग खुदाई का कार्य किया जा रहा है, के निकटवर्ती किसी संरचना के स्थिरीकरण के सम्बन्ध में कोई सन्देह होने पर, नियम 120 में निर्दिष्ट परियोजना इंजीनियर, ऐसी संरचना को सहारा देने के लिए और ऐसी संरचना के निकटवर्ती स्थान पर कार्य कर रहे किसी भवन निर्माण कर्मकार को चोट लगने से बचाने के लिए ऐसी संरचना के निकटवर्ती किसी सम्पत्ति या समतुल्य को नुकसान से बचाने के लिए पुस्ता (पिनिंग) लगाना इस्पात की चादरें खड़ी करना, टेकबन्दी करना (सहारा देना) कसाव करना जैसे साधनों या अन्य वैसे ही उपायों की व्यवस्था करेगा;

(ख) जहां कोई भवन कर्मकार जो उत्खनन कार्य में लगा है, उसके ऊपर ऐसे उत्खनन स्थल के किनारे या किसी छोर से किसी खतरनाक वस्तु के गिरने या सामग्री फिसलने से खतरा होने का पता चलता है जो उसके खड़े होने के स्थान से डेढ़ मीटर अधिक ऊंचा है, ऐसे कर्मकार को ऐसे किनारे या छोर पर पर्याप्त आड़ खड़ी कर के संरक्षित किया जायेगा;

(ग) उत्खनन स्थल या उसके आसपास की जांच नियम- 121 में निर्दिष्ट किसी (उत्तरदायी) व्यक्ति द्वारा प्रत्येक वर्षा तूफान या ऐसे ही घटित होने वाली अन्य घटनाओं के पश्चात की जाएगी और ऐसी जांच करते समय किसी खतरे का पता चलने की दशा में, ऐसे खतरे को रोकने के लिए तथा फिसलने और धसकने के विरुद्ध पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जायेगा;

(घ) किसी अनुरक्षण दीवार (शीटेनिंग वाल) का सन्निर्माण करने के लिए अधिस्थापित अस्थायी खड़ी की गई चादरें, उत्खनन के पश्चात हटाई नहीं जाती है सिवाय तब जब कि नियम- 121 में निर्दिष्ट किसी उत्तरदायी व्यक्ति ने कोई निरीक्षण किये जाने के पश्चात ऐसी सलाह न दी हो;

(ङ) जहां किसी उत्खनन स्थल के किनारे काटे जा रहे हों तो ऐसे लटके हुए किनारे के उपर सामग्री या किसी वस्तु को सहारा देने के लिये समुचित टेकबन्दी उपबन्धित की जाएगी;

(च) किसी खुले उत्खनन या खाई के किनारे से 0.65 (शून्य दशमलव छः पांच) मीटर पर उत्खनित सामग्री भंडारित नहीं की जायेगी और ऐसे उत्खनन के किनारों या खाई खुरची जाने से खंडित चट्टानें और

अन्य सामग्री जो फिसल, लुढ़क या गिर सकती है या ऐसे किनारे के नीचे कार्य कर रहे किसी भवन कर्मकार पर वह चट्टानें गिर सकती हैं;

(छ) किसी व्यक्ति को उत्खनन या खाई में गिरने से रोकने के लिए उत्खनन कार्य स्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर पर्याप्त और समुचित चेतावनी संकेत लगाए जायेंगे; और

(ज) नियम- 121 में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति, उत्खनन कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे उत्खनन में उपयोग की गई उत्खनन मशीनरी सामग्री या वस्तुओं से ऐसे किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार को आघात या खतरा न हो।

**126. बल्ली लगाना, टेकबंदी करना और कसना.**— नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य में चादर की बल्ली लगाने के काम में उपयोग में लाया गया तख्ता मजबूत सामग्री का और पर्याप्त टिकाऊ हो;

(ख) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग किए गए टेकबन्दी या कसाव पर्याप्त परिमाण विमितद्ध के हैं, और ऐसे स्थान पर लगाये हैं कि वे उन आशयित प्रयोजनों के लिए प्रभावी हो सकें; और

(ग) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग में लाये गये भूतल सहारे टेकबन्द या कसाव पर्याप्त आधार क्षेत्र और स्थिरता वाले हैं, जिससे कि ऐसे टेकबन्द या कसाव को हिलने से रोका जा सके।

**127. सुरक्षित पहुंच.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, सीढ़ी (निसैनी), जीना या रैम्पस, उत्खनन में, यथास्थिति, सुरक्षित पहुंच और उत्खनन से बच निकलने के लिए जहां ऐसे उत्खनन की गहराई डेढ़ मीटर से अधिक है, सीढ़ी (निसैनी), जीना या रैम्पस की व्यवस्था की गई है और ऐसी सीढ़ी (निसैनी) जीना या रैम्पस सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे।

**128. खाईयों.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी व्यक्ति के खाई या उत्खनन में गिरने से बचने के लिए उचित उपाय किये जाएं यदि ऐसी खाई या उत्खनन की गहराई डेढ़ मीटर से अधिक है, और जहां ऐसी गहराई 4 मीटर से अधिक है, वहां किसी व्यवसायिक इंजीनियर की डिजाइन और आरेख के अनुसार किसी सुधरी हुई संरक्षण की व्यवस्था की जाए।

**129. खाईयों की गहराई.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जहां किसी खाई की गहराई में चादर खड़ी करने की दुगनी लम्बाई में एक दूसरे के उपर चादरें खड़ी करना अपेक्षित हैं, नीचे की पाइलिंग तल की गहराई पर या ऊपरी (पाइल) के पट्टों (वैल्ज) पर लगाई जाएगी और ऐसे चादर की पाइलिंग नीचे की ओर ले जाई जाएगी और उत्खनन जारी रखने के दौरान उसे कस दिया जाएगा;

(ख) सभी लोहे की चादरों की पाइलें जो उत्खनन या किसी खाई के उपयोग में लाई जाती हैं उनका सुरक्षित रूप से किन्ही अन्य साधनों द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे पर झलाई (वैल्ड) की जाएगी।

**130. मशीनरी लगाना और उसका उपयोग.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी कोई मशीनरी की, जो उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग करने के लिए लगाई जाती है, इस प्रकार लगाई जाएगी और परिचालित की जाएगी कि ऐसी मशीनरी से उस परिक्षेत्र में मशीनरी के प्रचालक या अन्य किसी व्यक्ति को कोई खतरा नहीं होगा।

**131. श्वसन साधित्र.**— नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) किसी भवन निर्माण कर्मकार को जब वह सम्पीडक वायु पर्यावरण में कार्य कर रहा है उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग करने के लिए समुचित श्वसन साधित्रों की व्यवस्था की गई है; और

(ख) ऐसे श्वसन साधित्रों को हर सदैव अच्छी हालत में बनाये रखा जाएगा।

**132. सुरंग खोदने की संक्रिया (आपरेषन) के लिए सुरक्षा उपाय.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जहां किसी छत या किसी सुरंग की दीवार से सामग्री के गिरने या फिसलने का कोई खतरा हो, वहां पर्याप्त उपाय अर्थात टेकबंदी, रॉकबोल्ड, वृत्तखण्ड, या इस्पात के सेट द्वारा सहारा देकर भवन निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए;

(ख) उत्खात (खोदे हुए) क्षेत्र को समुचित रूप से डिजाइन किए गये और अधिष्ठापित इस्पात सेटों, रॉक बोल्डों या वैसे ही अन्य सुरक्षित साधनों द्वारा सुरक्षित किया जाए;

(ग) नियम-121 में निर्दिष्ट उत्तरदरयी व्यक्ति ऐसी सुरंग में कार्य आरम्भ होने से पूर्व और तत्पश्चात नियमित अंतरालों पर ऐसी सुरंगों में भवन सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरंग के कार्य स्थलों का परीक्षण और निरीक्षण करेगा; और

(घ) खंडित भूमि या चट्टानों वाले किसी सुरंग के निर्वाहिका क्षेत्र में जहां किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचने की सम्भावना है उन्हें सहारों द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाए।

**133. गैस यांत्रिकी औजार.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि सुरंग के भीतर उपयोग किए जाने वाले गैस यांत्रिकी औजार के लिए प्रदाय लाइनें, यथास्थिति, नल (वाटरटैप) या सुरक्षा चेन या सुरक्षा तार द्वारा फिट की गई है।

**134. शाफट.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) उत्खनन या सुरंग संकर्म में उपयोग किये जाने वाले शाफट के चारों ओर समुचित ऊंचाइयों का सन्निर्माण करके बह जाने से सुरक्षित किया जाए;

(ख) किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार का जहाँ उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर किसी शाफट में प्रविष्ट करना जहाँ अपेक्षित हो तो ऐसी प्रविष्टि के लिए सुरक्षित उपायों की व्यवस्था की जाए;

(ग) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर प्रत्येक शाफट में स्टील फेंसिंग, कंक्रीट पाइपिंग, लकड़ी की टेकबन्दी (टिम्बर शोरिंग) या अन्य पर्याप्त मजबूती की सामग्री, ऐसे शाफट में कार्य करने वाले भवन सन्निर्माण कर्मकार की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई जाएगी;

(घ) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने में संकर्म पर ऐसे शाफट की गहराई तक समुचित डिजाइन के अनुसार किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर ऐसे केसिंग या ब्रेसिंग की व्यवस्था की जाएय तथा

(ङ) किसी उत्खनन किसी सुरंग खोदने के संकर्म पर किसी शाफट में प्रवेश के आसपास यदि ऐसे प्रवेश भूतल के चारों ओर अस्थिरता या असुरक्षा है तो किसी सबलित कंक्रीट (रिर्टनफोर्सड) शाफट और शहतीर की व्यवस्था की जाए।

**135. शाफ्ट के लिए लिफ्ट.**— नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल पर या अन्य संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म स्थल पर किसी शाफ्ट में (अवरोही क्रम) नीचे आना से पचास मीटर से अधिक नीचे, भवन सन्निर्माण कर्मकारों या सामग्री या वस्तुओं के परिवहन के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की जाए।

**136. संचार के साधन.**— नियोजक भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर अच्छी और प्रभावी संचार व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित अवस्थितियों (अवस्थानों) में विश्वसनीय और प्रभावी संचार साधनों अर्थात् टेलीफोन या वॉकी टॉकी का उपबंध किया जाए; अर्थात्

- (i) किसी उत्खनन के सामने वर्किंग चेम्बर;
- (ii) सुरंग के साथ सौ मीटर के अन्तर (अंतरालों) में;
- (iii) किसी मेन लॉक के दरवाजे के निकट ऐसे मेन लॉक के कार्यशील चेम्बर;
- (iv) किसी मेन लॉक के प्रत्येक चेम्बर के अन्तः भाग; (भीतरी भाग)
- (v) सहज दृश्य लॉक अटेंडेंट के स्थान ,स्टेशनर की अवस्थिति;
- (vi) सम्पीडक संयंत्र; (कम्प्रेसर प्लान्ट)
- (vii) प्राथमिक उपचार केन्द्र और;
- (viii) निवाहिका (प्रवेश द्वार) या किसी शाफ्ट के सिरे के बाहर;

(ख) खण्ड (क) के उपखंड (i) से उपखंड (viii) तक में निर्दिष्ट अवस्थितियों (अवस्थानों) में सभी समयों में उतनी संख्या में घंटियाँ और सीटियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं जितनी ऐसी अवस्थितियों (अवस्थानों) पर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यकता हो।

**137. संकेत.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि मानक श्रव्य और दृश्य संकेत उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में उपयोग में लाए जाएँ और कार्य स्थल तथा ऐसे अन्य अवस्थानों में जो ऐसे उत्खनन या सुरंग खुदाई के संकर्म में नियोजित सभी भवन सन्निर्माण कर्मकारों की जानकारी में लाये जाने आवश्यक हैं, कार्य स्थलों के सहज दृश्य स्थान पर अवस्थित या उनके निकट सम्प्रदर्शित किये गये हैं।

**138. निकासी.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई के संकर्म में उपयोग किये गये किसी यान के किसी भाग और किसी फिक्सचर (जुडनार) या अन्य उपस्कर के बीच ऐसे फिक्सचर (जुडनार) या उपस्कर की फेंक या झूलन को अनुज्ञात करने के पश्चात आधा मीटर की न्यूनतम पाशिवक निकासी की जाए;

(ख) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर किसी लोकोमोटिव ड्राइव के लिए सीरों पर निकासी (अन्तर) ऐसे ड्राइवर की सीट से ऊपर एक दशमलव दस मीटर से अधिक और उस प्लेटफार्म के उपर जहां ऐसा ड्राइवर खड़ा होता है, से दो मीटर से अन्यून नहीं हैं या किसी भी अन्य विभाग से जो सुसंगत राष्ट्रीय मानक के अनुसार है।

**139. परिरक्षण.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि भवन सन्निर्माण कर्मकारों को उनके रक्षोपाय के लिए पर्याप्त संख्या में परिरक्षण उपलब्ध कराये गए हैं जहां कार्य करने के दौरान वे यान के भ्रमण या किसी सुरंग में अन्य सामग्री की उठाई-धराई करने वाले उपस्करों से आघात हो सकता है।



**140. आंतरिक दहन इंजन का उपयोग.**— नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में किसी आंतरिक दहन इंजन का भूमिगत उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इस प्रकार न बनाये गये हों कि;

(क) इंजन में प्रविष्ट वायु को इसके प्रवेश करने से पहले ही निकाल दिया जाता है तथा

(ख) इंजन द्वारा कोई गन्ध या चिंगारी नहीं निकलती है।

**141. ज्वलनशील तेल.**— नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि ज्वलनशील तेल जिसमें ज्वलन बिंदु कार्यशील तापक्रम से कम है जिसे किसी सुरंग में समागम किए जाने की सम्भावना है उसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

**142. कपलिंग और होसेस.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि भूमिगत हाइड्रोलिक संयंत्र पर केवल उच्च दबाव हाइड्रोलिक कपलिंग और होसेस का उपयोग किया जाएगा और ऐसे होसेस और कपलिंग, उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में किसी सम्भाव्य नुकसान के विरुद्ध पर्याप्त रूप से संरक्षित है।

**143. होज प्रतिष्ठापन.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में मनुष्य के साथ दुर्घटनाओं के विरुद्ध सभी हाइड्रोलिक लाइनें और संयंत्र जो सत्तर डिग्रीसेंटीग्रेड से अधिक के तापक्रम पर कार्य कर रहे हैं का पर्याप्त तापावरोधन या अन्यथा द्वारा संरक्षित है।

**144. अग्नि प्रतिरोधी होसेस.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जब हाइड्रोलिक सक्रियात्मक मशीनरी और उपस्कर सुरंग में लगाए जाते हैं तब अग्नि प्रतिरोधी हाइड्रोलिक होसेस से भिन्न समस्त हाइड्रोलिक होसेस उद्योग में लाए गए हैं।

**145. ज्वालारोधी उपस्कर.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहां सुरंग के भीतर ज्वलनशील या विस्फोटक वातावरण व्यापत है और खतरा बना हुआ है वहां केवल ज्वालारोधी उपस्कर, जो समुचित प्रकार का है तथा सुसंगत राष्ट्रीय मानक के अनुसार हैं, का उपयोग किया जाए।

**146. तेल और भूमिगत ईंधन का भंडारण.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) सभी तेल, ग्रीज़ या भूमिगत भंडारित ईंधन, उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में मजबूती से सील किये गये आधानों तथा अग्नि प्रतिरोधी क्षेत्रों में विस्फोटक और अन्य प्रज्ज्वलनशील रसायनों से सुरक्षित दूरी पर रखे जाएं;

(ख) समुचित ज्वालारोधी अधिष्ठापन का ऐसे भंडारण क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जो उपखंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

**147. भूमिगत गैस का उपयोग.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) नियम-120 के अधीन परियोजना इंजीनियर के पुर्वानुमोदन के सिवाय सुरंग के भीतर पेट्रोल या तरल पेट्रोलियम गैस या किन्हीं अन्य प्रज्ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग और भंडारण नहीं किया जाए;

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट पेट्रोल या तरल पेट्रोलियम गैस या उच्च प्रज्वलनशील पदार्थों का उपयोग करने के पश्चात सभी अवशिष्ट पेट्रोल या तरल पेट्रोलियम गैस या उच्च ज्वलनशील पदार्थों को ऐसी सुरंग से तुरंत हटा दिया जाए; तथा

(ग) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में किसी (तीक्ष्ण रंगहीन) गैस का सम्पीडित वायु पर्यावरण में उपयोग नहीं किया जाए;

**148. अग्निशमन के लिए जल.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर पर्याप्त संख्या में जल निकासी का उपबंध किया गया है और पूरी सुरंग में अग्निशमन संबंधी प्रयोजनों के लिए आसानी से पहुंच के भीतर रखा जाता है ऐसे जल निकासों को प्रभावी अग्निशमन के लिए बनाये रखा जाता है;

(ख) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर सभी एयर लॉक अग्निशमन सुविधाओं से सुसज्जित है;

(ग) जब कभी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर आग लगती है तो भवन सन्निर्माण कर्मकारों को चेतावनी देने के लिए किसी श्रव्य अग्नि चेतावनी यंत्र का उपबंध किया जाए;

(घ) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर लगी किसी आग के शमन के लिए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्याप्त संख्या और प्रकार के अग्निशामक यंत्रों की व्यवस्था की गई है और आसानी से उपलब्ध है;

(ङ) सुरंग या अन्य अवरुद्ध स्थानों पर वाष्पीकरण द्रव्यों उच्च दाब कार्बनडाईआक्साइड वाले अग्निशामकों का उपयोग नहीं किया जाए; और

(च) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर अग्निशमन के लिए किये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में अनुदेश, हिन्दी या ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर नियोजित अधिकांश भवन सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में लिखित रूप से ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के किसी सहज दृश्य और असुरक्षित स्थान पर सम्प्रदर्शित किए जाएं।

**149. जल प्लावन.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जहां किसी शाफ्ट से एक से अनधिक सुरंग प्रचालित किये जाते हैं खुदाई संकर्म के दौरान जल-प्लावन को रोकने के लिए किसी सुरंग के प्रवेश द्वार पर जलरोधी भित्ति दरवाजे प्रतिष्ठापित किये जाए;

(ख) जब किसी ऐसे संकर्म पर भित्ति दरवाजा बन्द किया जाता है तब यह सुनिश्चित करने के लिए किसी सुरंग के एकांत भाग में कोई कर्मकार फंस न जाए उसके लिए आवश्यक उपाय किये जाएं;

(ग) जहां सुरंग खोदने के संकर्म के दौरान किसी सुरंग में जल-प्लावन या जल भरने की सम्भावना है, तो ऐसे जल भराव में से जल को बाहर निकालने के लिए तुरंत जल-पम्पों को आरम्भ करने की व्यवस्था की जाती है और भवन सन्निर्माण कर्मकारों, तथा अन्य व्यक्तियों को खतरे से बाहर निकालने के लिए चेतावनी संकेत दिये गए हैं।

**150. इस्पात की कनातें.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि सुरंग खोदने के संकर्म पर जहां जल-प्लावन होने की सम्भावना है, वहां वायुरोधी

इस्पात कनातों की व्यवस्था की गई है और अवरोधी सुरंग की दशा में ऐसी कनातें ऐसी सुरंगों के ऊपरी अर्द्धभाग पर लगाई गई है जिससे कि वायु के पाकेटों को बचाव प्रयोजन के लिए प्रतिधारित किया जा सके।

**151. विश्राम शालिकाएं (रैस्ट शैलटरज़).—** नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जहां किसी सुरंग खोदने के संकर्म में भवन सन्निर्माण कर्मकारों को सम्पीडित वायु पर्यावरण में नियोजित किया जाता है और उन्हें दबाव से या सम्पीडित करने के पश्चात कार्य स्थल पर एक घंटा या उससे अधिक रहना पड़ता है वहां ऐसे भवन सन्निर्माण कर्मकारों को विश्राम करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) किसी सुरंग खुदाई संकर्म और उत्खनन पर प्रत्येक मेनलॉक, मेडिकल लॉक या किन्ही अन्य सुविधाओं को इन लॉकों में स्वच्छ अवस्था और अच्छी मरम्तशुदा स्थिति में रखा जाता है;

(ग) किसी सुरंग के खोदने के संकर्म में सन्निर्माण स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का उपबंध किया जाता है और उसे हर समय उपलब्ध रखा जाता है; और

(घ) प्रत्येक मेन लॉक परिचर केन्द्र पर किसी सुरंग खुदाई संकर्म के सन्निर्माण स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध कराई जाती है।

**152. रसायनों के उदभासन की अनुज्ञेय सीमा.—** नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) किसी सुरंग या किसी शाफ्ट जिसमें भवन सन्निर्माण कर्मकार नियोजित है, कार्य करने के पर्यावरण में इन नियमों के उपबद्ध अनुसूची—XII में या अधिकथित अनुज्ञेय सीमा से अधिक किन्हीं खतरनाक पदार्थों का सांद्रण अन्तर्विष्ट नहीं है;

(ख) नियम—120 में निर्दिष्ट (उत्तरदायी) व्यक्ति सुरंग खोदने के कार्य को आरंभ करने से पूर्व आवश्यक परीक्षण करेगा।

**153. संवातन.—** नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वायु मुक्त सुरंग के वह सभी कार्य क्षेत्रों में भवन और सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्यनिरीक्षक द्वारा यथा अनुमोदित संवातन पद्धति का उपबंध किया गया है, और ऐसी सुरंग में नियोजित प्रत्येक भूमिगत भवन कर्मकार के लिए, ऐसी सुरंग में ताज़ा वायु की पूर्ति छः घन मीटर प्रतिमिनट से कम नहीं होगी और ऐसी सुरंग के भीतर मुक्त वायु प्रवाह नौ मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होगा।

**154. वायु प्रदाय प्राप्ति स्थल (बिन्दु).—** नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वायु सम्पीडकों के लिए वायु प्राप्ति स्थल (बिन्दु) उन स्थानों पर अवस्थित है। जहां वे वायु प्राप्त बिन्दु धूल, गन्ध, वाष्प और निर्वातित गैसों या अन्य संदूषणों से संदूषित नहीं हो।

**155. आपात जेनरेटर.—** नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) किसी सुरंग में प्रत्येक सम्पीडक वायु प्रणाली में ऐसी सम्पीडक वायु प्रणाली में सम्पीडक वायु के अबाध प्रदाय को बनाये रखने के लिए आपातकालीन विद्युत प्रदाय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जो ऐसे सम्पीडक वायु प्रणाली के वायु सम्पीडक और आनुशांगिक प्रणालियों के प्रचालन के लिए सक्षम है; तथा

(ख) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर आपातकालीन विद्युत प्रदाय प्रणाली बनाये रखी जाती है और वह हर समय आसानी से उपलब्ध रहती है।

**156. वायु मुख्य द्वार.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वायु मुख्य द्वार जिससे कार्यशील चेम्बर मेनलॉक या मेडिकल लॉक को जो किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में उपयोग किया जाता है वायु प्रदाय कर रहा है, उन्हें दुर्घटनाग्रस्त क्षति से संरक्षित किया जाता है, जहां ऐसे संरक्षण उपलब्ध कराना व्यवहारिक नहीं है वहां दूसरे वायु मुख्य द्वार की व्यवस्था की जाती है।

**157. बल्क हेड और एयर लॉक.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जब किसी ब्लक हेड या वायुरोधी डायफ्राम सम्पीडक वायु को प्रतिधारित करता है तब उनका उपयोग किसी सुरंग या किसी शाफ्ट में किया जाता है उन्हें ऐसे ब्लक हेड या डायफ्राम के अधिकतम कार्यशील दबाव के 1.25 गुणा अधिकतम दबाव पर सन्निर्मित किया जाता है और ऐसे बल्क हेड या डायफ्राम को नियम 121 में निर्दिष्ट किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बल्क हेड या डायफ्राम समुचित कार्यशील स्थिति में है, प्रत्येक उपयोग के पूर्व परीक्षण किया जाता है;

(ख) ऐसा उत्तरदायी व्यक्ति खंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक परीक्षण का अभिलेख रखता है और ऐसा अभिलेख अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक के मांग किये जाने पर निरीक्षक के सम्मुख निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाता है;

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट बल्क हेड या डायफ्राम पर्याप्त प्रबलता और मजबूत सामग्री से तैयार किया गया है और वह अधिकतम दबाव धारित करने की क्षमता रखता है जिसके लिए वे किसी भी समय उपयोग के अध्याधीन रहता है; तथा

(घ) किसी बल्क हेड एंकरेज और एयरलॉक (वायुलॉक) को, उनके कार्य स्थल पर किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर उन्हें अधिष्ठापित किये जाने के तुरंत पश्चात् उस स्थान पर परीक्षण किया जाता है।

**158. डायफ्राम.**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी डायफ्राम जो किसी शाफ्ट के आर पार क्षितिजीय डैकस के रूप में है, उन्हें उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर सुरक्षित रूप से स्थिर किया जाता है।

**159. वहनीय विद्युत हस्त औजार.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में भूमिगत या किसी बन्द स्थान में उपयोग किये जाने वाले सभी वहनीय विद्युत हस्त औजार और निरीक्षण लैम्प चौबीस वोल्ट से अनधिक की वोल्ट पर प्रचालित किए जाते हैं।

**160. सर्किट ब्रेकर.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक विद्युत वितरण प्रणाली और उप प्रणालियों के लिए भिन्नात्मक भूमिगत दोष सर्किट ब्रेकर का पर्याप्त संख्या में अधिष्ठापन किया गया है और प्रत्येक सर्किट ब्रेक की संवेदनशीलता सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप समायोजित की जाती है;

(ख) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में भूमिगत स्थल पर किसी अर्द्ध अनुलग्न फ्यूज यूनिट का उपयोग नहीं किया जाता है।

**161. ट्रांसफार्मर.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि सम्पीडित वायु के अधीन किसी सुरंग के किसी भाग में किसी ट्रांसफार्मर का तब तक उपयोग नहीं किया जाता जब तक कि ऐसा ट्रांसफार्मर शुष्क प्रकार का और सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप न हो।

**162. विद्युतधारा युक्त तारें.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई के संकर्म के कार्य क्षेत्रों में जिनकी पहुंच उन कर्मकारों से जो ऐसी विद्युतधारा युक्त लाइनों पर काम करने के लिए प्रधिकृत हैं, से भिन्न भवन सन्निर्माण कर्मकारों तक है वहां कोई खुली विद्युत धारा युक्त तार न हो।

**163. वेल्डिंग सेट.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी सुरंग में उपयोग किए जाने वाले सभी वेल्डिंग सेट भवन और सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित पर्याप्त क्षमता के और यथोचित प्रकार के हों।

**164. वायु की गुणवत्ता और मात्रा.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि: —

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर प्रत्येक कार्यशील चेम्बर जिसमें सम्पीडित वायु का उपयोग किया जाता है, वहां ऐसी वायु का प्रदाय, वहां कार्य कर रहे प्रति व्यक्ति के लिए कम से कम प्रति मिनट शून्य दशमलव तीन घनमीटर बना रहे;

(ख) किसी सुरंग खुदाई संकर्म में उपयोग किये गये मेन लॉक और मेडिकल लॉक के लिए सभी समयों पर सम्पीडित वायु का कोई सुरक्षित प्रदाय उपलब्ध कराया जाता है; और

(ग) किसी सुरंग खुदाई संकर्म में किसी सम्पीडित वायु पर्यावरण में प्रदाय की गई वायु यथासाध्य, गन्ध और अन्य संदूषणों अर्थात् धूल, धुंआ और अन्य विषैले पदार्थों से मुक्त है।

**165. कार्ययोग्य (वर्किंग) तापक्रम.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म से किसी कार्यशील चेम्बर, जहां भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किये गए हैं, का तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होगा और यह कि अभिलेख रखने के लिए व्यवस्था की जाती है जिसमें तापक्रम ऐसे कार्यशील (वर्किंग) चेम्बर के भीतर प्रत्येक घंटे पर शुष्क बल्ब और आद्र बल्ब द्वारा नापा जाता है और ऐसे अभिलेख अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

**166. मेन लॉक और सम्पीडित वायु पर्यावरण में कार्य करना.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) किसी सुरंग खुदाई संकर्म में उपयोग किये जाने वाले मेनलॉक पर्याप्त प्रबलता के हैं, मजबूत सामग्री के बने हुए हैं और किसी वायु दाब, आन्तरिक या बाह्य को धारित करने के लिए डिजाइन किये गए हैं, जिसके लिए यह सामान्य उपयोग या किसी आपातकालीन उपयोग के अध्यक्षीन होते हैं;

(ख) (i) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर मेन लॉक के दरवाजे इस्पात के बनाये जाते हैं;

(ii) किसी सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग किये गए मेन लॉक वायुरोधी हैं और जब ऐसे लॉक वायु दबाव के अधीन हों दरवाजों को सील करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था की गई है;

(iii) सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग में लाये गये किसी मेन लॉक का जुड़ाव (ऐबकेरिज) मेनलाक पर वायु द्वारा पड़ने वाला दबाव को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूती (प्रबलता) का हो;

(iv) सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग किए गए मेनलॉक में कार्य कर रहे भवन सन्निर्माण कर्मकारों के लिए पर्याप्त कक्ष उपलब्ध है;

(v) जहां किसी सम्पीडित वायु सुरंग में कार्य किया जा रहा है ऐसी सुरंग के लिए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किसी मेनलॉक का उपयोग किया जाता है;

(ग) (i) जहां किसी सुरंग खुदाई संकर्म में मेनलॉक का उपयोग किया जाता है वहां हिन्दी और स्थानीय भाषा में सुरक्षा निर्देश जो वहां काम कर रहे अधिकांश भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाती है ऐसे सुरंग खुदाई संकर्म के सहज दृश्य स्थान पर सम्प्रदर्शित किये जाते हैं;

(ii) सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग में लाये गए किसी मेनलॉक में आपातकाल के सिवाय सम्पीडन और विसम्पीडन संक्रियाएं की जाती हैं;

(iii) किसी आपातकाल में, भवन निर्माण कर्मकारों के सम्पीडन और विसम्पीडन के लिए किसी सुरंग खुदाई संकर्म में उपयोग में लाये गये किन्ही मैटिरियल लॉक का उपयोग किया जा सकेगा और इस का लिखित में अभिलेख रखा जाता है तथा अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को मांग किये जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है;

(iv) जहां किसी सुरंग खुदाई संकर्म पर मेनलॉक और मैटिरियल लॉक दोनों का अधिष्ठापन किया जाना अव्यावहारिक है वहां भवन निर्माण कर्मकारों के सम्पीडन और विसम्पीडन के लिए भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्यनिरीक्षक की अनुज्ञा से मैटिरियल लॉक का उपयोग किया जाता है;

(v) सुरंग खुदाई संकर्म पर सभी भवन सन्निर्माण कर्मकारों का वातावरणीय दशाओं में सम्पीडन भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किसी विसम्पीडन प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है;

(vi) भवन सन्निर्माण कर्मकार के सम्पीडन या विसम्पीडन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए सुरंग खुदाई संकर्म में मेनलॉक का उपयोग नहीं किया जाता है;

(vii) किसी आपातकाल के सिवाय सुरंग खुदाई संकर्म पर भवन सन्निर्माण कर्मकारों का निस्तारण महानिदेशक के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाता है;

(viii) यदि भवन सन्निर्माण कर्मकार सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग में लाये गये किसी मेनलॉक में उसके विसम्पीडन के दौरान गिर जाते हैं या उसके बीमार पड जाता है तो ऐसे मेनलॉक का लॉक परिचर ऐसे मेनलॉक में तब तक दबाव डालता है जब तक कि ऐसा दबाव अधिकतम दबाव के बराबर न हो जाये जिसमें ऐसे विसम्पीडन से पूर्व भवन सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा कार्यशील चेम्बर में लगाया गया था और ऐसा लॉक परिचर, ऐसे गिर जाने के मामले के सम्बन्ध में, मेडिकल लॉक परिचर और ऐसी सुरंग खुदाई संकर्म में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी को तुरन्त रिपोर्ट करता है;

(ix) भवन सन्निर्माण कर्मकार जिसने किसी प्रशिक्षित भवन निर्माण कर्मकार से, सुरंग खुदाई संकर्म में, किसी सम्पीडित वायु पर्यावरण में कार्य करने का पूर्व प्रशिक्षण लिया था उसे सम्पीडित वायु पर्यावरण में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए नियोजित किया जाता है;

(ग) कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार, जो सुरंग खुदाई संकर्म पर आठ घंटे की अवधि के भीतर एक छड़ (बार) से अधिक के दबाव से तीन विसम्पीडकों से गुजर चुका है, को बचाव कार्य करने के प्रयोजन के सिवाय, किसी सम्पीडक वायु पर्यावरण में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(xi) कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार जो किसी सुरंग खुदाई संकर्म में आठ घंटे की अवधि के लिए किसी सम्पीडक वायु पर्यावरण में नियोजित किया जाता है, को तब तक दोबारा ऐसे पर्यावरण में नियोजित नहीं किया जाए जब तक उसने वातावरणीय दाब में लगातार बारह घंटे से अन्यून का समय विश्राम में नहीं बिताया हो;

(xii) किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार को, किसी सम्पीडक वायु पर्यावरण में, ऐसे दाब पर जो तीन छड़ों (बार) से अधिक है, सुरंग, खुदाई संकर्म में तब तक नियोजित नहीं किया जाए जब तक कि भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक से ऐसे नियोजित किये जाने के संबंध में लिखित में पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न कर ली गई हो;

(xiii) किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार को, किसी सुरंग खुदाई संकर्म में एक मास में किसी सम्पीडक वायु पर्यावरण में लगातार चौदह दिन से अनधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाता है;

(xiv) किसी सुरंग खुदाई संकर्म पर सम्पीडित वायु पर्यावरण में नियोजित सभी भवन सन्निर्माण कर्मकारों के रोजगार का एक रजिस्टर रखा जाता है;

(xv) सुरंग खुदाई संकर्म में सम्पीडक वायु पर्यावरण में नियोजित किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार को एक पहचान बैज प्रदान किया जाता है;

(xvi) उपखंड

(xv) में निर्दिष्ट किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार के बैज में उसका नाम, कार्य के लिए उसको आबंटित किये गये मेडिकल लॉक की अवस्थिति, उसके उपचार के लिए सम्बद्ध चिकित्सा अधिकारी का टेलीफोन नम्बर और उसकी अज्ञात बीमारी और संदेहपूर्ण कारणों की दशा में निदेश अन्तर्विष्ट होते हैं;

(xvii) उपखंड (xvi) के अधीन भवन सन्निर्माण कर्मकार को प्रदाय किये गये सभी पहचान बैजों का अभिलेख एक रजिस्टर में रखा जाता है;

(xviii) प्रत्येक भवन सन्निर्माण कर्मकार जिनका नाम उपखंड (xvii) में निर्दिष्ट रजिस्टर में है उन्हें खंड (xv) के अधीन प्रदाय किये गये बैज सुरंग खुदाई संकर्म पर उनके कार्य समय के दौरान सभी समयों पर पहनने होते हैं; और

(xix) सुरंग खुदाई संकर्म पर सम्पीडित वायु पर्यावरण में समुचित चेतावनी संकेत निम्नलिखित को रोकने के लिए सम्प्रदर्शित किये जाते हैं; अर्थात्

(क) अल्कोहलिक पेयों का उपयोग;

(ख) लाईटर, माचिस या आग लगने के अन्य स्रोतों का उपयोग और ले जाया जाना;

(ग) धूम्रपान; और

(घ) ऐसे व्यक्ति की प्रविष्टि जिसने अल्कोहलिक पेयों का उपयोग किया हो।

**167. सुरक्षा अनुदेश.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी भवन सन्निर्माण कर्मकार जो सुरंग खुदाई संकर्म पर सम्पीडित वायु पर्यावरण में नियोजित हैं, ऐसे नियोजन के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए जारी किये गये निर्देशों का पालन करें।

**168. मेडिकल लॉक.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) सुरंग खुदाई संकर्म पर जहां भवन सन्निर्माण कर्मकार एक छड़ (बार) से अनधिक दाब के किसी कार्यशील चैम्बर में नियोजित किए जाते हैं वहां समुचित रूप से सन्निर्माण मेडिकल लाक की व्यवस्था की जाती है।

(ख) जहां किसी सुरंग खुदाई संकर्म पर एक छड़ से अनधिक सम्पीडित वायु पर्यावरण में एक सौ से अनधिक भवन सन्निर्माण कर्मकार नियोजित हैं वहां प्रत्येक सौ भवन सन्निर्माण कर्मकारों के लिए या उसके भाग के लिए एक मेडिकल लॉक का उपबंध किया जाता है और ऐसा मेडिकल लॉक ऐसे सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग किए गए मुख्य लॉक के यथासम्भव निकट स्थित है।

#### अध्याय— 14

### ढलवां (दुरारोह) छत का सन्निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण

**169. ढलवा (दुरारोह) छत पर संकर्म.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि जब कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार ढलवां (दुरारोह) छत पर कार्य कर रहा है तो उसे गिरने से बचाने के लिए सभी व्यवहार्य उपायों का उपबंध किया जाता है।

**170. छत की ब्रैकटों का सन्निर्माण और अधिष्ठापन.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर सुनिश्चित करेगा कि;

(क) ढलक (दुरारोही) छत के गड्ढे को भरने के लिए छत ब्रैकेटस का सन्निर्माण किया जाता है और ऐसे ग्रेकेटस का उपयोग चबूतरे को समतल करने में किया जाता है;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट छत ब्रैकेट अपने स्थान पर ऐसे ब्रैकेट के भीतर संलग्न कील बिंदु वाली धातु प्रक्षेपकों द्वारा सुरक्षित है और उस ढलवा (दुरारोह) छत पर जिस पर इसका उपयोग किया जाता है सुरक्षित रूप से चलाया जाता है या चोटी के खम्भे के उपर किसी रस्सी को डालकर सुरक्षित किया जाता है और ऐसी छत से बांधा जाता है।

**171. क्रालिंग बोर्ड.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर सुनिश्चित करेगा कि;

(क) ढलवा (दुरारोह) छत पर कार्य करने के लिए उपयोग में लाये गए सभी क्रालिंग बोर्ड पर्याप्त प्रबलता के हैं, मजबूत सामग्री के बने हैं और सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपयोग के प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रकार के हैं।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट क्रालिंग बोर्ड की अच्छी तरह मरम्मत की जाती है और उनको प्रयोग में लाने से पूर्व किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट क्रालिंग बोर्ड किसी ढलवां (दुरारोह) छत पर जहां पर इसका उपयोग किया जाता है चोटी हुक या अन्य प्रभावी साधनों द्वारा सुरक्षित है; और

(घ) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक क्रालिंग बोर्ड के अतिरिक्त ऐसे क्रालिंग बोर्ड के उपयोग किये जाते समय उसकी सम्पूर्ण लम्बाई के साथ पर्याप्त मजबूती (प्रबलता) में जकड़ी हुई बचाव रस्सी (लाईफ लाईन) लगी होगी।



## अध्याय – 15

## सीढ़ियां और सोपान सीढ़ियां

**172. सन्निर्माण और सुरक्षित उपयोग.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) प्रत्येक सीढ़ी या सोपान सीढ़ी जो भवन सन्निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म में उपयोग में लाई जाती है वह अच्छी संरचना, मजबूत सामग्री से बनी और पर्याप्त मजबूती (प्रबलता) की हो जिसके प्रयोजन के लिए ऐसी सीढ़ी या सोपान सीढ़ी उपयोग में लाई जाती है;

(ख) जब किसी सीढ़ी का संचार के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तब ऐसी सीढ़ी को किसी स्थिर ढांचे से बांध दिया जाता है जिससे कि ऐसी सीढ़ी पर कार्य करते समय यह फिसल न जाये;

(ग) कोई सीढ़ी या सोपान सीढ़ी खुली हुई ईंटों पर या अन्य खुली पैकिंग पर खड़ी नहीं की जाती है और उसका आधार स्थल समतल और मजबूत हो;

(घ) स्थिर सीढ़ी की उपयोग की दशा में, जहां यह अपेक्षित है, भवन सन्निर्माण कर्मकारों के उपयोग के लिए पर्याप्त पैर रखने और हाथ रखने की जगह उपलब्ध कराई जाती है;

(ङ) प्रत्येक सीढ़ी;

- (i) सुरक्षित है जिससे कि असम्यक झूलन को रोका जा सके;
- (ii) इसके प्रत्येक सोपान पर समान रूप से समुचित रूप से और समूचित रूप से टेक लगाए गए हैं;
- (iii) इस प्रकार उपयोग में लाए जाएं जिससे कि अनुचित धसकन न हो;
- (iv) यथा सम्भव इस प्रकार निकट रखा जाये जिससे कि एक पर चार का झुकाव (तारतम्य) बना रहे; तथा
- (v) सभी सीढ़ीयां और सोपान सीढ़ीयां उनके उपयोग के लिए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों उपयोग में लाई जाएं ।

**173. सीढ़ी के डंडे (डंडे).**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई सीढ़ी जिसमें कोई डंडा गायब हो या दोषयुक्त है या ऐसे डंडे जो पूर्ण रूप से उसकी कीलों के सहारे, नोक या अन्य वैसी ही फिक्सिंग (जुड़नार) पर निर्भर है का उपयोग न किया जाए।

**174. सीढ़ियों के लिए सामग्री.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि भवन सन्निर्माण संकर्म में उपयोग में लाई गई सभी काष्ठ की सीढ़ीयां;

(क) पर्याप्त मजबूती (प्रबलता) से सन्निर्मित हों, और सीधी रवेदार (ग्रेंडवुड) से बनी हो, और दोशों से मुक्त हों और ऐसे काष्ठ की लंबाई में रवे (ग्रेन) हो;

(ख) सीधी रवेदार (ग्रेंडवुड) से बने डंडे दोशों और छेद से मुक्त हों या सुरक्षित रूप से खांचे बनाये गये हों; तथा

(ग) यदि ऐसी सीढ़ी (निसेनी) के जोड़ बैजों द्वारा सुरक्षित नहीं हैं तो उसे प्रवर्तित धातु से बांधा गया हो।

### कैच प्लेटफार्म और होर्डिंग, शूट, सुरक्षा बेल्ट और जाल

**175. कैच प्लेटफार्म.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) कैच प्लेटफार्म का सामग्री के भंडारण के लिए या किसी कार्यशील प्लेटफार्म के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा;

(ख) कैच प्लेटफार्म कम से कम दो मीटर चौड़ा और झुका हुआ हो जिससे कि ऐसे प्लेटफार्म के बाहरी किनारे की स्थिति आंतरिक किनारे से पन्द्रह सौ मिलीमीटर ऊंची हो;

(ग) कैच प्लेटफार्म का खुला हुआ किनारा एक मीटर से अन्यून की ऊँचाई पर समुचित रूप से तारों से घेरा गया हो।

**176. होर्डिंग्स.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि होर्डिंग्स का सन्निर्माण तब किया जाए जब मुख्य निरीक्षक इसे भवन सन्निर्माण कर्मकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझे और ऐसे नियोजक को ऐसे होर्डिंग्स के सन्निर्माण करने का निर्देश दें।

**177. शूट, इसका सन्निर्माण और उपयोग.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) काष्ठ या धातु की शूट जो क्षितिजीय पैंतालीस डिग्री के कोण पर है और सामग्री के हटाने के उपयोग में लाई जाती है वे सिवाय उनके जो खुले उपयोग के लिए सामग्री या वस्तुओं के प्राप्त करने या उनका निर्वहन के लिए उपयोग में लाई जाती है सभी ओर से बन्द है;

(ख) शूट के सभी छोर उनके सिरे के छोरों के सिवाय जब वे उपयोग में नहीं हैं, बन्द कर दिये गए हैं;

(ग) प्रत्येक शूट;

(i) मजबूत सामग्री, से पर्याप्त मजबूती से संनिर्मित है और उस प्रयोजन के लिए जिसके उपयोग के लिए आशयित है, उपयुक्त है;

(ii) जो ऊँचाई से बारह मीटर से अधिक है और उसका सन्निर्माण किसी व्यवसायिक इंजीनियर द्वारा ऐसे सन्निर्माण के लिए तैयार की गई डिजाइन या आरेख तथा भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन के अनुसार किया जाता है;

(घ) प्रत्येक शूट के निर्वहन के समय एक समुचित-चेतावनी सूचना सहज दृश्य अवस्थिति पर हिन्दी और किसी स्थानीय भाषा में लिख कर सम्प्रदर्शित की जाती है; और

(ङ) प्रत्येक शूट को तब साफ किया जाता है जब मलबा जो एक ऊँचाई तक इकट्ठा हो जाता है, जिससे भवन सन्निर्माण कर्मकारों को खतरा हो सकता है किन्तु ऐसा साफ किया जाना किसी भी दशा में दिन में एक बार से कम की आवृत्ति पर नहीं किया जाता।

**178. सुरक्षा बेल्ट और इसका उपयोग.**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) सुरक्षा बेल्ट, लाईफ लाइन और ऐसे लाईफ लाइन से संलग्न करने के लिए अन्य उपकरण सुसंगत राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हों;

(ख) प्रत्येक भवन सन्निर्माण कर्मकार को उसी रक्षा के लिए सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा लाईफ लाइन प्रदाय की जाती है और ऐसे भवन सन्निर्माण कर्मकार ऐसे बेल्ट और लाइफ लाइनों को अपने कार्य निष्पादन के दौरान उपयोग करते हैं;

(ग) सुरक्षा बेल्ट, और सुरक्षा लाइफ लाइन का उपयोग करने वाले सभी भवन सन्निर्माण कर्मकारों को ऐसे बेल्ट और लाइफ लाइन के सुरक्षित उपयोग और अनुरक्षण का ज्ञान है तथा इसके उपयोग के लिए आवश्यक अनुदेश प्रदाय किये जाते हैं; और

(घ) खंड (ख) में निर्दिष्ट सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा लाइफ लाइन के उपयोग का पर्यवेक्षण करने वाला उत्तरदायी (जिम्मेवार) व्यक्ति निरीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा बेल्ट, और लाइफ लाइन को उपयोग के लिए दिये जाने से पूर्व प्रत्येक समय उपयोग के लिए ठीक है।

**179. सुरक्षा जाल और इसका उपयोग.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) प्रत्येक सुरक्षा जाल पर्याप्त प्रबलता, मजबूत सामग्री का बना है और सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त है;

(ख) सुरक्षा जाल और उनके उपयोग के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे सुरक्षा जालों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करता है और ऐसे सुरक्षा जालों के उर्पयुक्त और पर्याप्त बांधे जाने की व्यवस्था करता है जिससे कि वह प्रयोजन जिसके लिए ऐसे सुरक्षा जाल आशयित हैं, उपयोग किये जाने के प्रयोजन की पूर्ति करते हैं।

**180. सुरक्षा बेल्ट और जाल आदि का भंडारण.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा बेल्ट, सुरक्षा लाइफ लाइन और सुरक्षा जालों के सुरक्षित भंडारण के लिए, जब वे प्रयोग में नहीं हैं समुचित व्यवस्था की गई है और यांत्रिक नुकसानी रसायनों से नुकसानी और जैव वैज्ञानिक कारकों से नुकसानी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है।

## अध्याय— 17

### संरचनात्मक चौखटा और फर्मा (फार्मवर्क)

**181. साधारण उपबंध.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षणाधीन संरचनात्मक चौखटा और फर्मा (फार्मवर्क) के लिए प्रशिक्षित भवन सन्निर्माण कर्मकार, ऐसे संरचनात्मक चौखटा या फर्मा (फार्मवर्क) भवन या ढांचे को गिराने (खोलने) और किसी इंजीनियरी संकर्म फर्मा, के परिनिर्माण करने के लिए नियोजित किये जाते हैं; और

(ख) किसी ढांचे के अस्थायी कमजोरी या अनुपयुक्तता की दशा में खतरा उत्पन्न होने से रक्षा करने के लिए पर्याप्त उपाय किये जाते हैं।

**182. फर्मा, (फार्मवर्क) कच्चा संकर्म और टेकबन्दी.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि: —

(क) फर्मा (फार्मवर्क) और कच्चे संकर्म का इस प्रकार डिजाइन, सन्निर्माण और अनुरक्षण किया जाएगा कि ऐसे फर्मा और कच्चे संकर्म उन पर अधिरोपित किए गये भार को सहारा दे सकें;

(ख) ऐसे फर्मा (फार्मवर्क) को इस प्रकार परिनिर्मित किया जाता है कि कृत्यकारी चबूतरा, पहुंच के साधन, कसाव उठाई-धराई करने और स्थिरीकरण के साधन आसानी से ऐसे फर्मा के साथ जोड़े जा सकें ।

**183. इस्पात और पूर्वनिर्मित (प्रीफेबरीकेटिड) ढांचे का परिनिर्माण और उसे खोलना.**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) इस्पात के ढांचों और पूर्वनिर्मित (प्रीफेबरीकेटिड) ढांचे का परिनिर्माण और उसे खोलने में नियोजित भवन सन्निर्माण कर्मकारों को खतरे से सुरक्षा समुचित साधन अर्थात् निम्नलिखित का उपयोग करके सुनिश्चित किया जाता है, अर्थात्: —

- (i) सीढ़ी (निसैनी) गलियारा या जोड़ा हुआ चबूतरा;
- (ii) चबूतरा, बाल्टियाँ, नावनुमा कुर्सियां या अन्य समुचित साधन जो उत्थापक साधित्रों से आलम्बित किये गए हैं;
- (iii) संकट में सुरक्षा, लाइफ लाईन, पकड़ जाल या पकड़ चबूतरा; और
- (iv) विद्युत शक्ति से प्रचालित चल कार्यशील चबूतरा;

(ख) भवन या संरचना या फर्मा या कच्चे संकर्म या टेकबन्दी या किसी अन्य सिविल इंजीनियरी संकर्म के परिनिर्माण या खोलने का कार्य प्रशिक्षित भवन सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा ऐसे संकर्म के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षणाधीन क्रियान्वित किये जाते हैं;

(ग) इस्पात या पूर्वनिर्मित ढांचे इस प्रकार डिजाइन किये और बनाये जाते हैं कि ऐसे ढांचे सुरक्षित रूप से परिवहनित, परिवाहित किये जा सकें, और ऐसे ढांचे की प्रत्येक यूनिट वो भार ऐसे यूनिट के ऊपर स्पष्ट रूप से अंकित किये जाते हैं;

(घ) ऐसे प्रत्येक भाग का डिजाइन, जब परिनिर्मित किया जाता है, खंड (क) खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट ढांचे के प्रत्येक भाग की स्थिरता को बनाए रखता है, और खतरे को रोकने के लिए डिजाइन में निम्नलिखित को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जाएगा;

(i) ऐसे भागों के परिनिर्माण के दौरान छिलाई, परिवहन, भंडारण और अस्थायी सहारे संबंधी प्रचालनों में सुसंगत शर्तें और संयोजित करने की पद्धति; तथा

(ii) कार्यशील चबूतरे के साथ रेलिंग के उपबंध और ऐसे रेलिंग या चबूतरों पर संरचनात्मक (ढांचागत) इस्पात या पूर्वनिर्मित पुर्जों का आसानी से चढ़ाने के लिए रक्षोपाय;

(ङ) संरचनात्मक (ढांचागत) इस्पात या पूर्वनिर्मित पुर्जों पर हुक और अन्य उपकरणों का बनाना या उपलब्ध कराना जो ऐसे भाग के उत्थापन और परिवहन के लिए अपेक्षित है, को इस प्रकार आकार दिया जाता है, आयाम दिया जाता है और अवस्थित किया जाता है ताकि उन दबावों को सहन कर सकें जिनके लिए ऐसे हुक या अन्य उपकरण प्रयुक्त किए गए हैं;

(च) कंक्रीट से बनाये गये पूर्वनिर्मित पुर्जे ऐसे कंक्रीट के सेट होने और आरेख (प्लानज़) में उपबंधित पर्याप्त सीमा तक उनके कठोर होने से पूर्व छीले या परिनिर्मित नहीं किये जाते हैं और ऐसे पुर्जों का उनके उपयोग किये जाने से पूर्व उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा नुकसानी के किसी चिन्ह का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है;

(छ) भंडारण स्थान इस प्रकार निर्मित किये जाते हैं कि;

(i) संरचनात्मक (ढांचागत) इस्पात या पूर्वनिर्मित (प्रीफेब्रिकेटिड) पुर्जों के गिरने या लुढ़कने का जोखिम न हो;

(ii) भंडारण की दशाओं में साधारण: यह सुनिश्चित किया जाता है कि भंडारण पद्धति और वातावरणीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए स्थिरता को बनाये रखा जाता है और नुकसानी से बचाया जाता है; तथा

(iii) रैंकों को मजबूत आधार पर सेट किया जाता है और इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि युनिटें ऐसे भंडारण स्थलों में संयोगवश हिल न सकें;

(ज) संरचनात्मक (ढांचागत) इस्पात या पूर्वनिर्मित (रचित) पुर्जों जब वे भंडारित या परिवहनित या उठाये या गिराये जा रहे हों तो उनकी स्थिरता प्रतिकूल दबाव के अधीन न हो;

(झ) संरचनात्मक (ढांचागत) इस्पात और पूर्वनिर्मित पुर्जों के उत्थापन के लिए चिमटें, क्लैम्प और अन्य साधित्र;

(i) ऐसे आकार और विमाओं के हों जिससे ऐसे पुर्जों को नुकसान पहुंचाये बिना कोई सुरक्षित पकड़ सुनिश्चित की जा सके; तथा

(ii) अधिकतम प्रतिकूल उत्थापन दशाओं में अधिकतम अनुज्ञेय भार अंकित किया जाता है;

(ज) संरचनात्मक (ढांचागत) इस्पात या पूर्वनिर्मित पुर्जे ऐसी पद्धति और साधित्रों द्वारा उत्थापित किये जाते हैं जो जिससे उनके दुर्घटनाग्रस्त घुमाव को रोका जा सके;

(ट) संरचनात्मक (ढांचागत) इस्पात या पूर्वनिर्मित पुर्जे ऐसे पुर्जों से किसी संकर्म के किये जाते समय ऐसे पुर्जों के उत्थापन से पूर्व भवन सन्निर्माण कर्मकारों, सामग्री या वस्तुओं के गिरने के कारण नुकसानी को रोकने के लिए रेलिंग और कार्यकारी चबूतरों की व्यवस्था की गई है;

(ठ) संरचनात्मक (ढांचागत) इस्पात या पूर्वनिर्मित पुर्जों की उठाई-धराई या भंडारण या परिवहन या उनके उत्थापन या उनको उतारने के समय भवन सन्निर्माण कर्मकारों, भवन संरचना या उपस्करों को होने वाली क्षति से बचने के लिए सभी आवश्यक व्यवहार्य उपाय किये जाते हैं।

(ड) ढांचे पर तेज तूफान या तीव्र हवाओ या किन्ही अन्य खतरनाक परिस्थितियों में कार्य नहीं किया जाता;

(ढ) उस भवन के सन्निर्माण कर्मकारों के जो उच्च या ढालू गार्डरों पर चल रहे हैं, गिरने के जोखिम को पर्याप्त रूप से किसी मजबूत सहारे के द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित है, की सीमा तक, प्रकट किया गया है;

(ण) संरचनात्मक (ढांचागत) इस्पात पुर्जे जिन्हे अत्यधिक ऊँचाई पर परिनिर्मित किया जाता है उन्हें यथा व्यवहार्य रूप में धरातल पर समायोजित किया जाता है;

(त) जब संरचनात्मक (ढांचागत) इस्पात या पूर्वनिर्मित पुर्जे परिनिर्मित किए जा रहे हों तो कार्य स्थल के समीप पर्याप्त विस्तारित क्षेत्र को तारों से घेर कर सुरक्षित किया जाएगा;

(थ) ऐसे इस्पात बंध जिन्हें परिनिर्मित किया जा रहा है उनकी तब तक पर्याप्त रूप से टेंकबन्दी, कसाव या तारबंधाई की जाती है जब तक कि वह स्थायी रूप से सुरक्षित स्थिति में नहीं हैं;

(द) जब कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार ऐसी स्थिति में हो कि उसको ऐसे प्रचालन से चोट लगने की संभावना है तो संरचनात्मक संघटक उत्थापक (उत्तोलक) मशीनों द्वारा उस स्थान पर नहीं रखा जाता है।

**184. फर्मा (फार्मवर्क).**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल पर या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) सभी फर्मा (फार्मवर्क) भवन संनिर्माण कर्मकारों, भवन या संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समुचित रूप से डिजाइन किये गये हैं;

(ख) संरचनात्मक चौखटे और फर्मे (फार्मवर्क) के लिए कोई उत्तरदायी व्यक्ति;

(i) सामग्री, काष्ठ, संरचनात्मक (ढांचागत) इस्पात और मचान की प्रबलता तथा समुचिता को उपयोग में लाये जाने से पूर्व निरीक्षण और परीक्षण करता है;

(ii) ऐसे संरचनात्मक चौखटे और फर्मा (फार्मवर्क) के सभी प्रक्रमों को इसके अन्तर्गत लाने की प्रक्रिया अधिकथित करता है;

(iii) ऐसे संरचनात्मक चौखटे और फर्मा (फार्मवर्क) का पर्यवेक्षण करता है;

(iv) ऐसे संरचनात्मक चौखटे और फर्मा (फार्मवर्क) संकर्म के निष्पादन के दौरान दुर्घटना या होने वाली खतरनाक घटनाओं को, रोकने को, ध्यान में रखते हुए किसी ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है या उपाय करता है।

**185. टेक हटाना.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जब टेक हटाई जाती है तो किसी खतरे से बचने के लिए ऐसी टेकबन्दी के स्थान पर पर्याप्त अवलंब छोड़ दिए जाते हैं; तथा

(ख) किसी खतरे से बचने के लिए टेक हटाये जाने पर किसी सहारे के साथ पर्याप्त रूप से कसाव या खिंचाव किया जाता है।

## अध्याय— 18

### चट्टा लगाना और चट्टा हटाना

**186. सामग्री और वस्तुओं के चट्टे लगाना या चट्टे हटाना.**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जहां सन्निर्माण सामग्री या वस्तुओं का चट्टा लगाने या चट्टा हटाने, भराई या खाली करने या उसके संबंध में उठाई-धराई की जा रही हो तथा उसे बिना सहायता के सुरक्षापूर्ण ढंग से नहीं किया जा सकता, ऐसी उठाई-धराई से होने वाले किसी खतरे को रोकने के लिए दुर्घटना या खतरनाक घटनाओं के होने को रोकने के लिए टेकबन्दी या अन्य उपाय द्वारा युक्तियुक्त उपाय किये गए हैं;

(ख) सामग्री या वस्तुओं का चट्टा लगाने का कार्य मजबूत नींव पर किया गया है जो ऐसी सामग्री या वस्तुओं के टिकने या झुंझ-उधर होने के लिए दायी नहीं है और ऐसे तल पर अधिक भार नहीं डाला जाता है जिस पर ऐसे चट्टे लगाने का कार्य चल रहा है;

(ग) सामग्री या वस्तुओं का, किसी भण्डारागार या भण्डारण स्थान के भाग या दीवारों पर तब तक चट्टे नहीं लगाए जाएंगे जब तक यह ज्ञात न हो सके कि ऐसी सामग्री या वस्तुओं के दबाव को सहने के लिए ऐसे भाग या दीवार पर्याप्त रूप से मजबूत हों;

(घ) सामग्री या वस्तुओं के चट्टे इतनी ऊँचाई पर और उस रीति में नहीं लगाये जायेंगे जिससे कि ऐसे चट्टे की बदली अस्थायी हो जाए और भवन सन्निर्माण कर्मकारों या आम जनता को खतरा उत्पन्न हो;

(ङ) जहां भवन सन्निर्माण कर्मकार डेढ़ मीटर से अधिक की ऊँचाई के चट्टे पर कार्य कर रहे हों वहां चट्टे पर सुरक्षित पहुंचने के साधनों की व्यवस्था की गई है;

(च) चट्टा लगाने या चट्टा हटाने संबंधी सभी कार्रवाई (संक्रियाएं) ऐसे चट्टे लगाने या हटाने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षणाधीन की गई हैं;

(छ) सन्निर्माण सामग्री या वस्तुओं के चट्टे उत्खनन, शेफट, गड्ढे या किन्ही अन्य ऐसे अभिमुख के निकट नहीं लगाये जाए हैं; तथा

(ज) ऐसे चट्टे जो बहुत क्षीण या अस्थिर होने वाले हैं या गिरने वाले हैं के चारों ओर रूकावटें लगाई गई हैं ।

**187. सीमेंट और अन्य सामग्री के थैलों के चट्टे लगाना.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) चट्टे का खांचा ऊँचाई में दस थैलों से अनधिक की ऊँचाई पर नहीं हो जब तक कि ऐसे चट्टे के खांचे को समुचित अनुलग्नक या अन्यथा पर्याप्त रूप से सहारा देकर न लगाया गया हो;

(ख) चट्टे के खांचे से थैलों को निकालते समय ऐसे चट्टे के खांचे की स्थिरता को सुनिश्चित किया गया है;

(ग) सीमेंट या चूने वाले थैलों को शुष्क स्थानों संग्रहीत किया गया है;

(घ) ईंटें, टाइलें या ब्लाकों को मजबूत आधार पर संग्रहीत किया गया है;

(ङ) पुनः प्रबलित इस्पात को उसके आकार, प्रकार और लंबाई के अनुसार संग्रहीत किया गया है;

(च) पुनः प्रबलित इस्पात के चट्टे यथासम्भव कम ऊँचाई पर रखे गए हैं;

(छ) किसी पाइप को ऐसे रैक या चट्टे में जिसमें ऐसे पाइप के लुढ़क जाने (रोलिंग) से गिरने की संभावना हो, संग्रहीत नहीं किया गया है;

(ज) जहां किसी खुली सामग्री के चट्टे लगाये जाते हैं वहां प्रतिस्थापित (अवलम्बित) कोण बनाए रखा गया है;

(झ) जब धूलकण ग्रस्त सामग्री का भण्डारण या उसकी उठाई-धराई की जानी हो तो ऐसे भण्डारण या उठाई-धराई से उत्पन्न होने वाली धूल को दबाने के लिए उपाय किया जाता है, और ऐसे भण्डारण या उठाई-धराई के लिए भवन सन्निर्माण कर्मकारों को उपयोग किये जाने के लिए उपयुक्त संरक्षात्मक उपस्कर प्रदाय किये गए हैं ।

**अध्याय-19****पाड़**

**188. पाड़ का सन्निर्माण.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) प्रत्येक पाड़ और उसके संघटक पर्याप्त रूप से सन्निर्मित है, मजबूत सामग्री से बने हैं और दोषों से मुक्त है और उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए इसका उपयोग किया जाना आशयित है, सुरक्षित है;

(ख) पाड़ के लिए बांस के उपयोग किये जाने की दशा में ऐसे बांस उपयुक्त क्वालिटी तथा अच्छी स्थिति का हो और इसकी गांठे बाहर निकली हुई नहीं हो और ऐसे बांस को काम करते समय भवन सन्निर्माण कर्मकारों को होने वाले किसी क्षति से बचाने के लिए उन्हें छीला गया है; और

(ग) भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली सभी धातु की पाड़ें सुंसगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।

**189. किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी पाड़ को परिनिर्मित करने, उसके जोड़ने, परिवर्तित करने या उसे खोले जाने के कार्य ऐसे परिनिर्माण, जोड़े जाने, परिवर्तन या खोले जाने के लिए किसी उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाए नहीं किये जाते हैं।

**190. रखरखाव (अनुरक्षण).**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म में उपयोग की गई पाड़ को अच्छी मुरम्मत करके अनुरक्षित किया जाता है और इसके दुर्घटनापूर्ण विस्थापन या किन्हीं अन्य खतरों के विरुद्ध उपाय किया जाता है;

(ख) किसी पाड़ या उसके भाग को भागतः खण्डित नहीं किया जाता है और न ही उसे ऐसी स्थिति में रहने दिया जाता है जब तक कि;

(i) ऐसे मचान (पाड़) की सुरक्षा के लिए किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा ऐसे पाड़ के शेष भाग पर स्थिरता या सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती है; और

(ii) भवन सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा ऐसी पाड़ के शेष भाग का उपयोग न किये जाने की दशा में, हिन्दी और किसी ऐसी भाषा में जो अधिकांश भवन सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाती है, लिखित में आवश्यक सावधानी सूचना कि ऐसी पाड़ उपयोग में लाने के लिए अनुपयुक्त है, उस स्थान पर जहां ऐसी पाड़ का परिनिर्माण किया जाता है संप्रदर्शित की गई है।

**191. मानक, आड़, अड़वार.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) पाड़ के मानक निम्न प्रकार हैं;

(i) साहुल, जहां साध्य हो;

(ii) ऐसी पाड़ के आशयित उपयोग के लिए सभी संभाव्य कृत्यकारी परिस्थितियों और दशाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी पाड़ की स्थिरता को सुरक्षित बनाने के लिए एक दूसरे को पर्याप्त रूप से सटी हुई दूरी पर स्थिर करना; तथा



(iii) ऐसे पाड़ की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए यथा साध्य निकट दूरी रखना;

(ख) यथावश्यक पूर्ण, प्लेट या किसी आधार प्लेट की व्यवस्था करके किसी पाड़ के मानक के विस्थापन को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किये जाते हैं;

(ग) ऐसी पाड़ की सुरक्षा और स्थिरता का सम्यक् ध्यान रखते हुए धातु की पाड़ की आड़ों को लंबवत् अंतरालों पर रखा जाता है; और

(घ) बांस की आड़ों को यथासम्भव निकट रखा जाता है, ऐसे पाड़ की स्थिरता का सम्यक रूप से ध्यान रखते हुए किसी पाड़ के मानकों पर जकड़ा जाता है।

**192. कार्यशील (कृत्यकारी) चबूतरा.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) कार्यशील (कृत्यकारी) चबूतरा सन्निर्माणाधीन ऐसे भवन के स्थायी ऊपरी तल के निकट वाले किसी भवन के सामने या उसके किनारे पर और किसी ऐसे स्तर पर जहां ऐसे भवन का सन्निर्माण कार्य किया जा रहा है उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) किसी पाड़ के प्रत्येक खंड पर नियोजित किये जाने वाले भवन सन्निर्माण कर्मकारों की संख्या, ऐसे चबूतरों पर पाड़ का कार्य करने और सामग्री या वस्तुएं तथा औजार जो वह अपने साथ ऐसे खंड पर ले जाते हैं के अनुकूल एक चबूतरे का डिजाइन किया जाता है;

(ग) किसी पाड़ के प्रत्येक खंड में नियोजित भवन सन्निर्माण कर्मकारों की संख्या और सुरक्षित कार्यकारी भार ऐसे सन्निर्माण स्थल पर नियोजित सभी भवन सन्निर्माण कर्मकारों की जानकारी के लिए सम्प्रदर्शित की जाती है।

**193. बोर्ड, तख्ता और डेक (छत).**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) कार्यशील (कृत्यकारी) चबूतरे के सन्निर्माण में उपयोग किये गये बोर्ड, तख्ता और (छत) चबूतरा समान आकार और मजबूती के हों और ऐसे भवन सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भार और भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या को सहारा देने के लिए समर्थ हैं;

(ख) धातु की डेक (छत) जो किसी कृत्यकारी चबूतरे का एक भाग बनाती है को बिना फिसलने वाले सतह (पृष्ठतल) की व्यवस्था की गई है;

(ग) ऐसा कोई बोर्ड या तख्ता जो कार्यशील (कार्यकारी) चबूतरे का भाग बनाते हैं, इसके किनारे की टेक के परे तब तक प्रशिक्षित नहीं किये जाते हैं जब तक कि इसे प्रभावी रूप से मुड़ने या उठने से रोका नहीं जाता;

(घ) बोर्ड तख्ता या डेक (छत) जकड़े जाते हैं और सुरक्षित किये जाते हैं;

(ङ) किसी ऐसे एक समय में, प्रत्येक दिन दो से अनधिक कार्यशील (कृत्यकारी) चबूतरे ऐसे खंड पर भवन निर्माण कर्मकारों या सामग्री या वस्तुओं को सहारा देने के लिए उपयोग में नहीं लाए जाते हैं;

(च) ऐसी किसी क्षति जो सामग्री या वस्तुओं के गिरने के कारण कारित होती है, को रोकने के लिए, सुरक्षा जालों या अन्य समुचित साधनों का उपयोग करके समुचित उपाय किये जाते हैं;

(छ) ऐसी पाड़ के किसी चबूतरे पर कंक्रीट या अन्य मलबे या सामग्री को इकट्ठा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है; और

(ज) जहां किसी दीवार के छोर पर कार्य किया जाना है, ऐसे कार्य स्थल पर कार्यशील (कृत्यकारी) चबूतरा या जंहा साध्य हो, ऐसी दीवार के छोर से परे कम से कम शून्य दशमलव साठ मीटर दूरी पर बनायी जाती है ।

**194. क्षतिग्रस्त पाड़ की मरम्मत.**— नियोजक भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) किसी भी भवन निर्माण कर्मकार को ऐसी पाड़ (मचान) पर जो क्षतिग्रस्त या क्षीण हो गई है, जब तक ऐसे भवन निर्माण कर्मकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यथोचित सुरक्षा उपाय नहीं कर लिए जाते हैं कार्य करने के लिए अनुज्ञा नहीं;

(ख) ऐसे स्थानों पर, जहां पाड़ की मरम्मत का जिम्मा ले लिया हो, चेतावनी संकेत संप्रदर्शित कर दिये जाते हैं।

**195. खुली जगह.**— नियोजक भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि: —

(क) ऐसे (कार्यकरण) कार्यशील प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए अनुज्ञा देने के लिए, सिवाय किसी भी कार्यकरण प्लेटफार्म में कोई भी खुली जगह नहीं है;

(ख) किसी प्लेटफार्म पर जहां भी खुली जगह अपरिहार्य है, ऐसे प्लेटफार्म से सामग्री या भवन निर्माण कर्मकारों के गिरने से सुरक्षा के आवश्यक उपाय कर लिए गए हैं;

(ग) किसी पाड़ पर एक (कार्यकरण) कार्यशील प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर पहुंचना यदि अपेक्षित हो, ऐसे प्लेटफार्मों पर काम करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों के उपयोग के लिए उपयुक्त और सुरक्षित सीढ़ी की व्यवस्था कर दी जाती है।

**196. रक्षक पटरियां.**— नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी ऐसे कार्यशील(कार्यकरण) प्लेटफार्म के प्रत्येक किनारे पर जिससे किसी व्यक्ति के गिरने की संभावना है ऐसे प्लेटफार्म से किसी भवन निर्माण कर्मकार, सामग्री या औजारों को गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त और सुरक्षित रक्षक पटरियों और यथोचित मजबूती के टो-बोर्ड की व्यवस्था की दी जाती है ।

**197. विभिन्न नियोजकों के भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग में लाई गई पाड़.**—नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जहां किसी ऐसी पाड़ या पाड़ के किसी ऐसे भाग का उपयोग किया जाता है जिसका उपयोग पूर्व में किसी अन्य नियोजक द्वारा उसके भवन निर्माण कर्मकारों के लिए किया गया है, ऐसी पाड़ या उसके भाग का उपयोग, केवल, किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उसके ऐसे निरीक्षण और जांच के पश्चात ही किया जाता है कि ऐसी पाड़ या भाग ऐसे उपयोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है;

(ख) यदि किसी पाड़ या उसके भाग में उसके सुविधाजनक उपयोग के लिए किसी सुधार, परिवर्तन या उपांतरण की जरूरत समझी जाती है, तो ऐसा सुधार, परिवर्तन या उपांतरण ऐसी पाड़ (मचान) या उसके भाग के उपयोग में लाने से पूर्व खण्ड (क) में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति के परामर्श से किया जाता है ।

**198. विद्युत् शक्ति लाइन से संरक्षण.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि पाड़ पर कार्य करने वाले ऐसे किसी भी भवन निर्माण कर्मकार का विद्युत तारों या खतरनाक उपस्कर के सम्पर्क में आने से रोकने के लिए सभी आवश्यक और व्यवहारिक उपाय लिए जाते हैं ।

**199. रक्षावरण (बढ़िया) जाल और तार की जालियां.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहां पाड़ किसी ऐसे क्षेत्र में परिनिर्मित की जाती है जहां सन्निर्माण क्रियाकलापों से, नज़दीक के पैदल चलने वालों या यानीय यातायात को सामग्री के गिरने से परिसंकट की संभावना हो सकती है, वहां ऐसी पाड़ के आवरण (अच्छादन) के लिए तारों की जालियां या रक्षावरण जाल उपयोग किए जाते हैं ।

**200. टावर (पाड़).**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में उपयोग में ली गई प्रत्येक टावर (पाड़) मचान की ऊँचाई ऐसी पाड़ के आधार माप की न्यूनतम के आठ गुना से अधिक नहीं है;

(ख) टावर (पाड़) को भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग में लाए जाने के पूर्व किसी भवन या किसी स्थिर इमारत के साथ रस्सी से बांध दिया जाता है;

(ग) कोई भी ऐसी टावर (पाड़) जिसे घुमाया या कास्टर्ड (संचयक) किया जा सकता है;

(i) उसके स्थायित्व को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है, और यदि आवश्यक हो, उसके आधार पर यथोचित रूप से भारित किया जाता है;

(ii) उसका केवल समतल और भूतल पर ही उपयोग किया जाता है; और

(iii) जिसमें ऐसी पाड़ को स्थिति में रखने के लिए सकारात्मक परिवर्धन युक्तियों के साथ कास्टरों की व्यवस्था है;

(घ) कोई भी भवन निर्माण कर्मकार, औजार, सामग्री पाड़ पर नहीं रहता है जब उसे एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदला जाता है ।

**201. पाड़ के आलम्बन हेतु गियर.**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) पाड़ के आलम्बन हेतु उपयोग में ली गई जंजीरें, रस्से या उठाने वाले गियर यथोचित मजबूती और अच्छी सामग्री के बने हैं और उनके उपयोग के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त हों तथा अच्छी मरम्मत से पोषित किए जाते हों;

(ख) पाड़ के आलम्बन हेतु प्रयुक्त जंजीरें, तार, रस्से और धातु की नालियां;

(i) प्रत्येक जकड़ बिन्दु पर और ऐसी पाड़ के समर्थन के लिए प्रयुक्त उस मचान (पाड़) के अन्य मुख्य सहायक इकाई (घटक) व आड़ी लकड़ियों को उचित रूप से तथा मजबूती से जकड़ कर बांध दी जाती हैं; और

(ii) इस प्रकार की स्थिति में रखी जाती हैं जिससे कि पाड़ की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके ।

**202. मंचिका (घोड़ी) (पाड़) और शहतीर (पाड़).**— नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) कोई भी मंचिका (पाड़) तीन पंक्ति से अधिक सन्निर्मित नहीं की जाती है या यदि उसका कार्यक्षील (कार्यकरण) प्लेटफार्म भूमि या फर्श या अन्य भूतल जिस पर ऐसी पाड़ निर्मित की जाती है, से ऊपर

चार फुट पांच मीटर से अधिक है तो ऐसी मंचिका (पाड़) व्यावसायिक इंजीनियर द्वारा डिजाइन की जाती है और उपयोग में लिए जाने से पूर्व भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है:

(ख) कोई भी मंचिका (पाड़) किसी आलम्बित पाड़ पर निर्मित नहीं की जाती है;

(ग) किसी भी शहतीर (कैंटीलीवर) या जिब पाड़ को जब तक उसके सहारे के सामने के पार्श्व यथोचित रूप से समर्थित, स्थिर या जकड़ नहीं दिया जाता है और यथोचित लम्बाई के बाहरी सहारे को जहां आवश्यक हो ऐसी पाड़ की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से सहारा नहीं दिया जाता है उपयोग में नहीं ली जाती है; और

(घ) जब तक ऐसे धारक जो यथोचित मजबूती वाले हैं, दीवार से कस नहीं दिए जाते हैं और वह दूसरी तरफ मजबूती से बांधे नहीं जाते हैं कोई भी ऐसा कार्यकरण प्लेटफार्म जो धारकों पर आधारित है जिसका एक सिरा दीवार में लगा दिया जाता है और बिना दूसरे सहारे के उपयोग नहीं किया जाता है ।

**203. भवन द्वारा धारित (टेक दी गई) पाड़.**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जब तक कि उस भवन का ऐसा भाग पर्याप्त मजबूती से और सुरक्षित धारित करने (टेक देने) के लिए मजबूत सामग्री का नहीं बनाया जाता है, भवन के किसी भी भाग का किसी पाड़ के धारण (टेक देने) या उसके भाग के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है;

(ख) पाड़ को धारित करने (टेक देने) के लिए बाहर निकले हुए छज्जे, परनाले उपयोग में नहीं लिए जाते हैं, और

(ग) आलम्बित पाड़ भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग किए जाने के पूर्व सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाई जाती है ।

**204. आलम्बित पाड़ के लिए विंच (चर्खी) और क्लाइम्बरों का उपयोग.**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जब तक ऐसी पाड़ मजबूत सामग्री से यथोचित मजबूती की नहीं बनाई जाती है और उपयोग में लिए जाने से पहले किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा ऐसे उठाने और नीचा करने के लिए विंच (चर्खी) या क्लाइम्बर के उपयोग के लिए उसका परीक्षण नहीं कर लिया गया है और उसके द्वारा निरापद प्रमाणित नहीं कर दी गई है, कोई भी विंच (चर्खी) या क्लाइम्बरों द्वारा ऊँची या नीची नहीं की जाती है;

(ख) प्रतिभार द्वारा प्रति संतुलित सभी आलम्बित पाड़ों की किस्में (टाइप) ऐसी है जो भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए उपयोग में लिए जाने से पहले भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित की जाती है;

(ग) आलम्बित पाड़ के कार्यकारी (कार्यकरण) प्लेटफार्म को सुरक्षा की दृष्टि से और ऐसे प्लेटफार्म को हिलने से रोकने के लिए भवन या इमारत से मजबूती से बांध दिया जाता है; और

(घ) सुरक्षित कार्यकारी (कार्यकरण) भार को जिसे आलम्बित पाड़ वहन कर सकती है वहां संप्रदर्शित कर दिया जाता है जहां पर ऐसी पाड़ का उपयोग किया जाता है ।

**205. आलम्बित पाड़ के लिए सुरक्षा साधन.**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि विंच या क्लाइम्बरों द्वारा उठाई गई प्रत्येक आलम्बित पाड़ (मदान) के लिए ऐसे प्रत्येक रस्से पर लगे स्वचालित सुरक्षा साधन के साथ एक सुरक्षा रस्से की, इसके प्रत्येक निलंबन बिन्दु पर व्यवस्था की जाती है ताकि ऐसा स्वचालित सुरक्षा साधन वाला ऐसा सुरक्षा रस्सा ऐसी निलंबित पाड़ को उठाने या नीचा करने के लिए प्रयुक्त प्राथमिक आलम्बन तार के रस्सों, विंच, क्लाइम्बर या ऐसी मैकेनिज्म के किसी भाग के असफल होने की स्थिति में ऐसी पाड़ के प्लेटफार्म का धारता (टेक) देता है;

परन्तु यह नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा;

- (क) जहां ऐसी पाड़ का प्लेटफार्म, जिसको ऐसे प्लेटफार्म के प्रत्येक सिरे पर या उसके निकट दो स्वतंत्र आलम्बन तार रस्सों से समर्थन मिलता है ताकि ऐसे एक आलम्बन तार रस्सा के काम न करने की स्थिति में दूसरा रस्सा ऐसे प्लेटफार्म के वजन और इसके भार को उठाने और इसे झुकने से रोकने में समर्थ हो; और
- (ख) जहां ऐसी पद्धति समाविष्ट की जाती है जो ऐसी पाड़ के प्राथमिक आलम्बन तार रस्से के काम न करने की स्थिति में ऐसी पाड़ के प्लेटफार्म और इसके भार को टेक देने के लिए स्वचालित रूप से प्रचालित होती है।

#### अध्याय—20

#### जलापरोध और नींव कोष्ठक

**206. साधारण उपबंध.**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

- (क) प्रत्येक जलापरोध और नींव कोष्ठक;
  - (i) अच्छी बनावट, मजबूत सामग्री का और यथोचित क्षमता का है;
  - (ii) यथास्थिति, ऐसे जलापरोध या नींव कोष्ठक की चोटी पर पानी के आधिक्य की स्थिति में भवन निर्माण कर्मकारों के लिए सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए यथोचित साधनों का प्रबन्ध है;
  - (iii) यथास्थिति, ऐसे जलापरोध और नींव कोष्ठक के ऐसे प्रत्येक स्थान पर, जहां, भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते हैं पहुंचने के सुरक्षित साधनों की व्यवस्था है;
- (ख) जलापरोध या नींव कोष्ठकों के निर्माण स्थित करने, उनमें उपांतरण करने या उन्हें नष्ट करने से संबंधित कार्य किसी उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन क्रियान्वित किया जाता है;
- (ग) सभी जलापरोध नींव कोष्ठक भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किए जाते हैं;
- (घ) भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक द्वारा यथा अनुमोदित ऐसी पिछली अवधि के भीतर ऐसे जलापरोध या नींव कोष्ठक का उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण करने और सुरक्षित पाए जाने के पश्चात् ही जलापरोध या नींव कोष्ठक में किसी भवन निर्माण कर्मकार को कार्य करने दिया जाता है और ऐसे निरीक्षण का अभिलेख एक रजिस्टर में रखा जाता है;

- (ड) किसी जलापरोध या नींव कोष्ठक में संपीडित वायु में कार्य;
- (i) सुसंगत राष्ट्रीय मानकों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है;
- (ii) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है जो अठारह वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका नियम 223 के अधीन यथा अपेक्षित चिकित्सीय परीक्षण हो गया है;
- (च) यदि जलापरोध या नींव कोष्ठक में कार्य पारियों में क्रियान्वित किया जाता है तो, प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार द्वारा ऐसी प्रत्येक पारी में किए गए कार्य के लिए व्यतीत समय का अभिलेख, ऐसे भवन निर्माण कर्मकार के संपीड़न के लिए, लिए गए समय की विशिष्टियों के साथ यदि कोई हो, एक रजिस्टर में अनुरक्षित किया जाएगा;
- (छ) जलापरोध या नींव कोष्ठक में प्रत्येक कार्य स्थल या परियोजना पर, जहां भवन निर्माण कर्मकार संपीडित वायु पर्यावरण में कार्य करने के लिए नियोजित किए जाते हैं, ऐसे कार्य के दौरान ऐसे स्थल या परियोजना पर एक नर्स या प्रशिक्षित प्राथमिक उपचार परिचर द्वारा सहायता प्राप्त एक, निर्माण चिकित्सा अधिकारी सभी समयों पर उपलब्ध है; और
- (ज) जलापरोध या नींव कोष्ठक में प्रत्येक कार्य स्थल या परियोजना पर आपातकाल के लिए एक आपात उपलब्ध संपीड़क है।

**207. दाब संयंत्र और उपस्कर.**—नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

- (क) दाब संयंत्र और उपस्कर;
- (i) ऐसे कार्य के लिए उपयोग में लिए जाने से पूर्व सक्षम व्यक्ति द्वारा जांच और परीक्षित कर लिए जाते हैं;
- (ii) उपयुक्त डिजाइन और मजबूत सामग्री का बना हुआ है तथा उस कार्य को संपादन की यथोचित क्षमता हो जिसके लिए वह उपयोग किया जाता है;
- (iii) अच्छी मरम्मत और कार्यकरण की दशा में उचित रूप से पोषित किया जाता है।
- (ख) उपनियम (क) में निर्दिष्ट दाब संयंत्र और उपस्कर के साथ निम्नलिखित लगा हुआ है ;
- (i) किसी भी समय अधिकतम सुरक्षा दाब एक उपयुक्त सुरक्षा वाल्व या अन्य प्रभावी युक्ति की व्यवस्था करना ताकि निस्सारण की अधिकतम सीमा से पार न हो;
- (ii) ऐसे संयंत्र और उपस्कर पर अधिकतम सुरक्षित कार्यकरण दाब के साथ किलोग्राम में प्रति वर्ग सेंटीमीटर आंतरिक दाब और चिन्हित सभी समयों पर आसानी से दिखने योग्य और दर्शित करने के लिए बनाया गया एक प्वाइंट पांच गुना से अन्यून और, अधिकतम कार्यकरण दाब के दुगुने से अनधिक की एक डायल रेंज के साथ उपयुक्त दाब गेज;
- (iii) एक उपयुक्त स्टाप वाल्व या ऐसे वाल्व जिनके द्वारा दाब संयंत्र या दाब संयंत्र की प्रणाली को दाब के पदाय के स्रोत या अन्यथा से अलग-थलग किया जा सकेगा।
- (ग) प्रत्येक दाब संयंत्र या उपस्कर का सक्षम व्यक्ति द्वारा पूर्णतया परीक्षण किया जाएगा;

- (i) बाह्य रूप से, छः मास की प्रत्येक अवधि में एक बार;
- (ii) आंतरिक रूप से बारह मास की प्रत्येक अवधि में एक बार और
- (iii) जलीय परीक्षण द्वारा चार वर्ष की अवधि में एक बार।

## अध्याय – 21

### सुरक्षा संगठन

**208. सुरक्षा समिति।—**(1) प्रत्येक स्थापना जिसमें पांच सौ या उससे अधिक भवन निर्माण कर्मकार साधारणतः नियोजित हैं, वहां नियोजक द्वारा एक सुरक्षा समिति गठित की जाएगी जिसका ऐसे स्थापन में नियोजित नियोजक और भवन निर्माण कर्मकारों के प्रतिनिधियों की समान संख्या द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। किसी भी दशा में नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या भवन निर्माण कर्मकारों के प्रतिनिधियों से अधिक नहीं होगी। जहां भी ऐसे संघ विद्यमान हैं समिति मान्यता प्राप्त संघों की प्रतिनिधि होगी;

- (2) सुरक्षा समिति के मुख्य कृत्य निम्नलिखित होंगे;
  - (क) भवन निर्माण या अन्य सनिर्माण संकर्म (कार्य) में दुर्घटना के अधिसंभाव्य कारणों और असुरक्षित पद्धतियों को पहचानना और उपचारी उपाय सुझाना;
  - (ख) जैसे ही और जब भी अपेक्षित या जैसा ही आवश्यक हो सुरक्षा सप्ताहों, सुरक्षा प्रतियोगिता, चर्चा और सुरक्षा पर फिल्म प्रदर्शनों, इश्तार तैयार करने या उसी के अन्य समान उपाय करने हेतु आयोजन द्वारा नियोजक और भवन निर्माण कर्मकारों के हित में सुरक्षा को बढ़ावा देना;
  - (ग) असुरक्षित पद्धतियों की जांच पड़ताल करने तथा असुरक्षित दशाओं का पता लगाने के उद्देश्य से निर्माण स्थल का दौरा करना और उनके सुधार के लिए उपचारी उपाय जिसके अन्तर्गत प्रथम उपचार चिकित्सीय और कल्याणकारी सुविधाएं भी हैं, की सिफारिश करना;
  - (घ) विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों, रसायनों और अन्य निर्माण सामग्री की उठाई-धराई से सम्बद्ध स्वास्थ्य परिसंकटों का ध्यान रखना तथा उचित व्यक्तिगत संरक्षा उपस्कर के उपयोग सहित उपचारी उपाय, सुझाना;
  - (ङ) निर्माण स्थल में कल्याणकारी सुख सुविधाएं समुन्नत करने और भवन निर्माण या अन्य निर्माण संकर्म में, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण के अन्य विविध पहलुओं के लिए उपाय सुझाना;
  - (च) भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपस्कर की, उठाई-धराई तथा रख रखाव से सम्बद्ध परिसंकटों को, नियोजक के ध्यान में लाना।

(3) सुरक्षा समिति की नियमित अंतरालों पर कम से कम एक मास में एक बार बैठक होगी और निर्माण स्थल के काम काज पर सम्पूर्ण नियंत्रण रखने वाला वरिष्ठ व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करेगा।

(4) बैठक की कार्य सूची और कार्य वृत्त समस्त समन्धित व्यक्तियों को परिचालित की जाएगी और यह भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाशा में होगी तथा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर निरीक्षक को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) सुरक्षा समिति के विनिष्चयों तथा सिफारिशों का नियोजक द्वारा युक्ति-युक्त समय सीमाओं के भीतर पालन किया जाएगा।

**209. सुरक्षा अधिकारी.**—(1) ऐसे प्रत्येक स्थापना में जहां पर पांच सौ या इससे अधिक कर्मकार साधारणतया नियोजित किए जाते हैं, नियोजक इन नियमों से संलग्न अनुसूची-8 में अधिकथित वेतनमान के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों को भी नियुक्त करेगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन नियुक्त सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य, अर्हताएं और सेवाशर्तें इन नियमों से संलग्न अनुसूची-8 में यथा उपबंधित होगी ।

(3) जहां भी एकल नियोजक द्वारा नियोजित कर्मकारों की संख्या पांच सौ से कम है, ऐसे नियोजक एक समूह बना सकेंगे और भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक की पूर्व अनुज्ञा से नियोजकों के ऐसे समूह के लिए एक सामूहिक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकेंगे ।

**210. दुर्घटनाओं की रिपोर्ट देना.**—(1) निर्माण स्थल पर ऐसी दुर्घटना जो या तो;

(क) जीवन हानि कारित करती है; या

(ख) दुर्घटना के ठीक बाद अड़तालीस घंटे या इससे अधिक की अवधि के लिए किसी भवन निर्माण कर्मकार को कार्यकरण से निर्योग्य बनाती है, घातक दुर्घटनाओं की दशा में चार घंटों के भीतर और ऐसी अन्य दुर्घटनाओं की दशा में जिसमें भवन निर्माण कर्मकार अंतर्ग्रस्त है, बहत्तर घंटों के भीतर तार दूरभाष, फ़ैक्स या वैसे ही अन्य साधन जिसके अंतर्गत विशेष संदेश वाहक भी हैं, द्वारा निम्नलिखित को तुरन्त सूचना भेजी जाएगी;

(i) उस क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले श्रम आयुक्त ;राज्यद्व के जिसमें ऐसी स्थापना अवस्थित है, जिसमें ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना घटित हुई है श्रम आयुक्त ;राज्यद्व अधिनियम की धारा 39 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी होगा;

(ii) बोर्ड जिसके साथ दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त भवन निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था;

(iii) भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक तथा

(iv) दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त भवन निर्माण कर्मकार का निकट संबंधी या अन्य संबंधी;

(2) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर कोई ऐसी दुर्घटना जो;

(क) जीवन हानि कारित करती है; या

(ख) दुर्घटना के बाद दस दिन से अधिक के लिए ऐसे भवन निर्माण कर्मकार को काम से निर्योग्य बनाती है, की सूचना निम्नलिखित को भी भेजी जाएगी;

(i) निकटतम पुलिस थाना का भार साधक अधिकारी;

(ii) जिला मैजिस्ट्रेट या यदि जिला मैजिस्ट्रेट आदेश द्वारा ऐसा चाहता है तो उपमण्डल मैजिस्ट्रेट को;

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) या उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन होने वाली दुर्घटना की दशा में आहत (घायल) भवन निर्माण कर्मकार को प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और उसके बाद चिकित्सीय उपचार के लिए किसी अस्तपाल या अन्य स्थान में तुरन्त अंतरित कर दिया जाएगा;

(4) जहां कोई दुर्घटना निषक्तता कारित करते हुए तत्पश्चात किसी भवन निर्माण कर्मकार की मृत्यु में परिणत हो तो ऐसी मृत्यु की लिखित रूप में सूचना ऐसी मृत्यु के बहत्तर घंटे के भीतर उपनियम (1) और उपनियम (2) में यथा उल्लिखित प्राधिकारियों को समूचित की जाएगी ।



(5) निम्नलिखित वर्ग खतरनाक घटनाओं के चाहे उनसे किसी भवन निर्माण कर्मकार की मृत्यु या निःषक्तता कारित होती है या नहीं, उपनियम (1) में विहित रीति में अधिकारिता वाले निरीक्षक को रिपोर्ट की जाएगी अर्थात्;

- (क) उत्पापक साधनों या उत्तोलन या वाहक (प्रवहयी) या भवन या निर्माण सामग्री की उठाई धराई के लिए अन्य वैसे ही उपस्कर का ढह जाना या निष्फल हो जाना या रस्सा, जंजीर या वियोजित गियरों का निष्फल हो जाता या अन्य निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली केनों का उलट जाना, ऊँचाई से वस्तुओं का गिर जाना;
- (ख) मिट्टी, किसी दीवार, फर्ष, गैलरी, छत या किसी संरचना प्लेटफार्म, मंजिल, पाड़ कोई अन्य भाग या पहुँच का कोई साधन जिसके अंतर्गत फोर्मवर्क (प्ररूप कार्य) भी है का ढह जाना या घसाव;
- (ग) संविदा कार्य, उत्खनन, पारेशन का ढह जाना;
- (घ) भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी गैस या गैसों या किसी द्रव या ठोस के भण्डारण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रापक या पात्र का वायुमण्डलीय दबाव से अधिक दबाव पर विस्फोट;
- (ङ) ऐसे निर्माण स्थल पर, जंहा भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते हैं क्षति कारित करने वाले अग्नि और विस्फोट;
- (च) हानिकारक पदार्थों का बहाव या रिसाव और उनके पात्रों (आधानों) को क्षति;
- (छ) यातायात उपस्कर का ढह जाना, उलट ;लुढ़कद्ध कर गिर जाना या टकरा जाना; और
- (ज) निर्माण स्थल पर हानिप्रद विशैली गैसों का रिसाव या निकलना;

(6) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म के निर्माण स्थल पर किसी उत्पापक साधन, वियोजित गियर, उत्तोलक या भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य मशीनरी तथा यातायात उपस्कर की असफलता की दशा में ऐसे साधन, गीयर, उत्तोलक मशीनरी या उपस्कर की घटना से उस स्थल का, जब तक अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक द्वारा निरीक्षण नहीं कर लिया जाता है, यथासाध्य अविक्षुब्ध रखा जाएगा;

(7) उपनियम (1) उपनियम (2) या उपनियम (4) के अधीन दी गई प्रत्येक सूचना के अनुसरण में उचित अभिस्वीकृती, निरीक्षक, अधिनियम की धारा 39 के अधीन प्राधिकारी, बोर्ड और भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक को प्ररूप 14 में लिखित रिपोर्ट भेजी जाएगी।

**211. दुर्घटना या खतरनाक घटना के मामलों के जांच की प्रक्रिया.**—(1) अधिनियम की धारा 39 की यथास्थिति उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन नियम 210 के उपनियम (1) के (ख) के उपखंड (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति अर्थात्;

- (क) जांच यथाशीघ्र प्रारंभ की जाएगी और किसी भी दशा में नियम 210 के अधीन दुर्घटना या खतरनाक सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर प्रारंभ की जाएगी;
- (ख) जांच, नियम 210 के उपनियम (1) के खंड (ख) के उपखण्ड (प) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वयं या ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी जांच अधिकारी द्वारा संचालित की जाएगी;
- (ग) यथास्थिति, प्राधिकारी या जांच अधिकारी, ऐसे जांच अधिकारी की, ऐसी जांच की तारीख, समय और स्थान संसूचित करते हुए लिखित में सूचनाओं की तामिल करेगा या तामिल करवाएगा;

- (घ) खंड (ख) के उपबंध के होते हुए भी, ऐसे अन्य व्यक्ति जो किसी तरह से ऐसी जांच में सम्बद्ध या हितबद्ध है, को यथास्थिति, प्राधिकारी या जांच अधिकारी अधिसूचित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी जांच की तारीख समय और स्थान संसूचित करते हुए, एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में ऐसी जांच की सूचना प्रकाशित कर सकेगा;
- (2) जांच के लिए हाजिर होने के हकदार व्यक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित आ सकेगा;
- (क) अधिनियम के सुरक्षा उपबंधों और संबधित स्थापना में प्रवर्तन या अनुपालन से सम्बद्ध राज्य सरकार या किसी उपक्रम या लोक निकाय का निरीक्षक या कोई अधिकारी;
- (ख) व्यवसाय संघ या कर्मकारों का संगम या नियोजकों का संगम;
- (ग) दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त कर्मकार या उसका वैधिक वारिस या प्राधिकृत प्रतिनिधि;
- (घ) उस परिसर का स्वामी जिसमें घटना घटी; और
- (ङ) यथास्थिति, प्राधिकारी या जांच अधिकारी के विवेकाधिकार पर कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो किसी दुर्घटना के कारण में हितबद्ध हो सकेगा या कारण से संबद्ध हो सकेगा या जो ऐसे कारण के बारे में जानकारी रखता है या जिसके द्वारा ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना के संबंध में तात्विक साक्ष्य या सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने की संभावना है।
- (3) यदि उपनियम (2) में निर्दिष्ट हकदार व्यक्ति कोई निगमित निकाय कोई कम्पनी या कोई अन्य संगठन, संगम, व्यक्तियों का समूह है तो ऐसे समूह को किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसके अंतर्गत काउंसिल या सोलीसीटर भी है के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है;
- (4) उप नियम (5) के उपबंधों के अध्याधीन रखते हुए जांच सार्वजनिक रूप से की जाएगी ;
- (5) ऐसी दशाओं में जहां;
- (क) राज्य सरकार की यह राय है कि जांच के विशय या उसका कोई भाग ऐसी प्रकृति के हैं कि बन्द कमरे में जांच करना राष्ट्र की सुरक्षा के हितों के प्रतिकूल होगा; या
- (ख) जांच के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर उपनियम (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, प्राधिकारी या जांच अधिकारी, यदि उसकी यह राय है कि सार्वजनिक जांच करने से किसी गोपनीयता व्यवसाय से संबधित जानकारी का प्रकटीकरण होगा, उस जांच या इसके ऐसे भाग की जांच बन्द कमरे में करने का विनिश्चय करता है तो ऐसी जांच सार्वजनिक रूप से नहीं की जाएगी।
- (6) सुनवाई के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्रकट की गई जानकारी या उपनियम 5 के अन्तर्गत आने वाले मामलों में साक्ष्य, जांच के प्रयोजन के सिवाए किसी व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी।
- (7) किसी जांच में साक्ष्य या व्यपदेशन देने के लिए बुलाया गया उपनियम (2) के अधीन हाजिर होने का हकदार व्यक्ति, केवल जांच करने वाले प्राधिकारी या जांच अधिकारी द्वारा अनुज्ञात सीमा तक और अवस्था तक ही प्रारंभिक कथन करने, साक्ष्य देने, जांच अधिकारी को विनिर्दिष्ट दस्तावेज या साक्ष्य मंगवाने के लिए अनुरोध करने, अन्य व्यक्ति की साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा करने का हकदार होगा।
- (8) किसी जांच का कोई भी साक्ष्य जांच के दौरान प्राधिकारी या जांच अधिकारी के विवेकाधिकार पर ही स्वीकृत किया जायेगा, जो, में निर्देश दे सकेगा कि साक्ष्य में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों को किसी

हकदार या ऐसी जांच में हाजिर होने के लिए अनुज्ञात व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा और उनकी प्रतियां लेने या प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी ।

(9) प्राधिकारी या जांच करने वाला जांच अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो राज्य सरकार का अधिकारी है, जहां आवश्यक हो, जांच करने के प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकारी या जांच अधिकारी की सहायता करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, और इस प्रकार प्राधिकृत किया गया अधिकारी संबद्ध स्थापना के परिसर में कार्य के घंटों के दौरान प्रवेश कर सकेगा ।

(10) गवाहों के कथनों सहित, मूल रूप में सभी साक्ष्यों के साथ जांच के निष्कर्षों को, ऐसे मामलों में, जहां ऐसी जांच ऐसी प्राधिकारी द्वारा लाई नहीं की गई थी, जांच की समाप्ति के पूर्ण होने के पांच दिन के भीतर अधिनियम की धारा 39 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अग्रेसित (भेज) कर दिया जाएगा ।

(11) इस नियम के अधीन की गई जांच से संबंधित तथ्यों के संक्षिप्त विवरण के साथ, निष्कर्षों की एक प्रति भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक और राज्य सरकार को नियम 210 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अग्रेसित (भेजी) जाएगी ।

## अध्याय— 22

### विस्फोटक

**212. विस्फोटकों की उठाई—धराई.**—नियोजक भवन या सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) सभी विस्फोटकों की उठाई—धराई, उपयोग या भंडारण ऐसे विस्फोटकों के विनिर्माता द्वारा दिए गए अनुदेशों और सामग्री आंकड़े शीट के अनुसार किए जाते हैं;

(ख) विस्फोटकों का उपयोग किसी भी व्यक्ति को क्षति से बचाने के लिए सुरक्षित रीति से और किसी जिम्मेदार व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन किया जाता है; और

(ग) किसी विस्फोटक के उपयोग से पूर्व, आवश्यक चेतावनी और खतरा के संकेत भवन कर्मकारों और साधारण जनता को, अन्तर्वलित खतरे की चेतावनी देने के लिए, ऐसे उपयोग के सहज दृश्य स्थानों पर परिनिर्मित किए जाते हैं ।

**213. पूर्वावधानिया.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) नियम 212 के उपबंधों के होते हुए भी, ऐसे विस्फोटकों के परिवहन, उठाई—धराई, भंडारण और उपयोग के स्थानों पर निम्नलिखित पूर्व सावधानियों का पालन किया जाता है, अर्थात्;

(i) जहां विस्फोटकों की उठाई— धराई भंडारण और उपयोग किया जाता है उसके आस— पास धूम्रपान, खुली बत्तियों और अन्य ज्वलन के स्रोतों का प्रतिषेध;

(ii) विस्फोटकों के पैकेजों को खोलते समय सुरक्षित दूरी रखना तथा चिंगारी न छोड़ने वाले औजारों का उपयोग करना और

(iii) जब मौसम की स्थिति ऐसे उपयोग या उठाई— धराई के लिए उपयुक्त नहीं हो तो विस्फोटकों के उपयोग और उठाई— धराई को बंद रखना ।

(ख) इस अध्याय के उपबंधों, के अतिरिक्त विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के अधीन बनाए गए नियम के अधीन विस्फोटकों के उपयोग, उठाई-धराई, भंडारण, परिवहन के लिए पालन किए जाने वाले सभी अपेक्षित उपायों का और पूर्वावधानियों का अनुपालन किया जाता है ।

## अध्याय— 23

### पाइलिंग

**214. साधारण उपबंध.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

- (क) सभी पाइल (बल्ली) चालन उपस्कर एगोनोमिक (श्रम दक्षता शाज़) सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अच्छी डिजाइन और ठोस सन्निर्माण के हों तथा उपयुक्त रूप से अनुरक्षित हों;
- (ख) पाइल ड्राइवर को किसी भारी काश्ट स्टील कंक्रीट बैंड या अन्य सुरक्षित आधार पर मजबूत सहारा दिया जाता है;
- (ग) यदि किसी पाइल ड्राइवर को, किसी विद्युत कंडक्टर के खतरनाक सामीप्य में परिनिर्मित किए जाने की अपेक्षा की जाती है तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक पूर्वावधानियां ली जाती हैं;
- (घ) वाष्प के हौज़ और वायु हथौड़ा ऐसे हथौड़े से मजबूती से बांध दिए जाते हैं ताकि सयोजन (कनेक्शन) या विच्छेद (ब्रेक) की दशा में कशाताड़न (वहीपिंग) से उनको रोका जा सके;
- (ङ) पाइल चालक को उलटने से रोकने के लिए यथोचित पूर्वाधानी ली जाती है;
- (च) हथौड़े को पाइल से चूकने से रोकने के लिए समस्त आवश्यक पूर्वाधानी ली जाती है; और
- (छ) पाइल चालन उपस्कर के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इसके उपयोग में लेने से पूर्व ऐसे उपस्कर का निरीक्षण करता है और ऐसे उपस्कर द्वारा पाइलिंग कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भवन कर्मकारों की सुरक्षा के लिए यथा अपेक्षित समस्त समुचित उपाय लेता है ।

**215. पार्श्वस्थ संरचना की स्थिरता.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ किसी संरचना की स्थिरता का कोई प्रश्न है उसके साथ लगे हुए क्षेत्र को पाइल किए जाने के लिए, ऐसी संरचना को, जंहा आवश्यक हो अंडर पिनिंग शीट पाइलिंग, शोरिंग ब्रासिंग द्वारा या ऐसी संरचना की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के और किसी व्यक्ति को क्षति से रोकने के लिए अन्य साधनों का सहारा दिया जाता है ।

**216. आपरेटर का संरक्षण.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण काय के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक पाइल चालन उपस्कर का आपरेटर वस्तुओं, वाष्प सिंडरों, या पानी गिरने से पर्याप्त रूप से द्वारा या अन्यथा या अन्य साधकों द्वारा संरक्षित है ।

**217. पाइल चालन उपस्कर पर कार्य करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों को अनुदेश तथा उनका पर्यवेक्षण.**— नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि पाइल चालन उपस्कर पर कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मकार को पाइलिंग प्रचालन के अनुसरण में की जाने वाली

सुरक्षित कार्य प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनुदश दिया गया है और ऐसे समस्त कार्य के दौरान किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा पर्यावेक्षित किया जाता है ।

**218. अप्राधिकृत व्यक्ति का प्रवेश.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पाइलिंग क्षेत्र जहां पाइल चालन उपस्कर उपयोग में हैं, में अप्राधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के लिए प्रभावी रूप से परिवेशित (हदबंदी) कर दिये जाते हैं ।

**219. पाइल चालन उपस्कर का निरीक्षण और अनुरक्षण.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि

- (क) पाइल— चालन उपस्कर का जब तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा, निरीक्षण नहीं कर लिया जाता है और ऐसे उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं पाया जाता है, उपयोग में नहीं लिया जाता है;
- (ख) उपयोग में चल रहे पाइल—चालन उपस्कर, का ऐसे उपस्कर का पर कार्य करने वाले भवन निर्माण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अंतरालों पर ऐसे निरीक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाता है;
- (ग) सभी पाइल लाइनों और पुल्ली ब्लाकों का पाइलिंग प्रचालन की प्रत्येक पारी के शुरू होने से पूर्व किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाता है ।

**220. पाइल—चालन उपस्कर का प्रचालन.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

- (क) केवल अनुभवी और प्रशिक्षित भवन निर्माण कर्मकार ही पाइल—चालन प्रचालित करता है ताकि ऐसे प्रचालन से किसी अधिसंभाव्य खतरे से बचा जा सके;
- (ख) पाइल—चालन प्रचालन (संक्रियाएं) साधारणतः प्रचालित या स्वीकृत संकेतों से शासित होती हैं ताकि ऐसी प्रचालन (संक्रियाओं) से अधिसंभाव्य खतरा रोका जा सके;
- (ग) जो पाइल—चालन प्रचालन में या ऐसे पाइल—चालन प्रचालन के सामीप्य में नियोजित है प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार कान की संरक्षा और सुरक्षा हेल्मेट या सख्त टोप और सुरक्षा जूते पहनता है;
- (घ) पाइल, पाइल—चालन प्रचालन (संक्रियाओं) के स्थान से कम से कम सबसे लम्बे पाइल की लम्बाई की दुगनी लम्बाई के बराबर की दूरी पर तैयार किए जाते हैं; और
- (ङ) जब कोई पाइल ड्राइवर प्रयोग में नहीं हैं ऐसे पाइल ड्राइवर का हथौड़ा ऐसे पाइल ड्राइवर के सिरों के पेंदे पर निरुद्ध कर दिया जाता है ।

**221. पाइलिंग चौखटों पर कार्यशील (कार्यकरण) प्लेटफार्म.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहां कोई संरचनात्मक बुर्ज पाइल—ड्राइवर के शीशा को सहारा देती है, वहां ऐसे शीशों के समतलों पर यथोचित मजबूती के उपयुक्त कार्यकरण प्लेटफार्म की व्यवस्था की जाती है जो कि भवन निर्माण कर्मकारों के लिए काम करने के लिए आवश्यक है और ऐसे पाइल चालक के हथौड़े या ऐसे प्लेटफार्म के शीशा के पार्श्वों को छोड़कर ऐसे प्लेटफार्मों में सुरक्षा रेलिंग और ऐसे प्लेटफार्मों की प्रत्येक पार्श्व पर टो बोर्ड लगाए जाते हैं और जहां ऐसे प्लेटफार्म में ऐसी रेलिंग और टो बोर्डों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, वहां प्रत्येक ऐसे भवन निर्माण कर्मकार को एक सुरक्षा बेल्ट प्रदान की जाती है ।

**22. पाइल परीक्षण.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) पाइल का परीक्षण ऐसे परीक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन संचालित किया जाता है;

(ख) जहां पाइल परीक्षण किया जाता है वहां सभी यथा साध्य उपाय जैसे चेतावनी, सूचनाओं का प्रदर्शन, क्षेत्र का अवरुद्ध करना और अन्य इसी प्रकार के उपाय क्षेत्र की संरक्षा के लिए किए जाते हैं; और

(ग) सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाइल परीक्षण क्षेत्र में साधारण जनता का प्रवेश प्रतिशिद्ध किया जाता है ।

## अध्याय – 24

### चिकित्सा सुविधाएं

**223. भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सा परीक्षा आदि.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) (i) ऐसा कोई भवन निर्माण कर्मकार जो ऐसे कार्य जिसमें जोखिम या परिसंकट अन्तर्वलित है के लिए नियोजित किया जाता है, ऐसे कर्मकार के कालिक स्वास्थ्य परीक्षा के लिए जैसा भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण का मुख्य निरीक्षक समुचित समझता है, उसकी चिकित्सीय जांच ऐसे अन्तरालों पर कर ली जाती है जैसा भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण का मुख्य निरीक्षक समय-समय पर निर्देश देता है;

(ii) क्रेन, विंच या अन्य उत्थापक यातायात उपस्कर या यान के प्रत्येक आपरेटर की, ऐसे आपरेटर के नियोजन से पूर्व और पुनः कालिकत, ऐसे अंतरालों पर जैसा भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण मुख्य निरीक्षक समय-समय पर निर्देश देता है चिकित्सकीय दृष्ट्या जांच कर ली जाती है;

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा इन नियमों से संलग्न अनुसूची-vii के अनुसार, हो और ऐसे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा या ऐसे अस्पतालों पर संचालित होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर अनुमोदित की जाती है; और

(iv) किसी ऐसे भवन निर्माण कर्मकार की दशा में जिस कर्मकार को नियत नौकरी या कार्य के कारण से विशेष उपजीविका जन्य स्वास्थ्य परिसंकट के लिए अनाश्रित छोड़ दिया जाता है उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट उस कालिक चिकित्सीय परीक्षा के अन्तर्गत उपजीविका जन्य रोग के निदान के लिए ऐसे भवन निर्माण कर्मकार की जांच करने वाले सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा गया ऐसा विशेष अन्वेषण भी है ।

(ख) खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा के लिए किसी भवन निर्माण कर्मकार को प्रभारित नहीं किया जाता है और ऐसी परीक्षा का खर्च ऐसे भवन निर्माण कर्मकार को नियोजित करने वाले नियोजक द्वारा वहन किया जाता है ।

(ग) खंड (क) के उपखंड (1) या उपखंड (2) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा का प्रमाण-पत्र इन नियमों से संलग्न प्ररूप-XI में जारी किया जाता है,

(घ) उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार का खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा का प्रमाणपत्र इन नियमों से संलग्न प्ररूप-XI में एक रजिस्टर में अनुरक्षित किया जाएगा और ऐसा रजिस्टर, मांग किए जाने पर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को उपलब्ध करवाया जाएगा ।

(ङ) यदि खंड (क) के उपखंड (1) या उपखंड (2) के अधीन किसी भवन निर्माण कर्मकार की जांच कर रहे सन्निर्माण चिकित्सीय अधिकारी की यह राय कि इस प्रकार परीक्षित ऐसे भवन निर्माण कर्मकार का उस भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से, जिस पर यह नियोजित किया जाता है, स्वास्थ्य संरक्षण के लिए दूर ले जाया जाना अपेक्षित है, ऐसा चिकित्सा अधिकारी तदनुसार ऐसे भवन निर्माण कर्मकार के नियोजक को जानकारी देगा और ऐसा नियोजक, जहां ऐसा कर्मकार हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, ऐसी राय की बोर्ड को इत्तिला देगा ।

**224. सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारियों के कर्तव्य.**—(i) नियम, 222 के खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट चिकित्सा परीक्षा सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

(ii) ऐसे सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं, अर्थात्:—

- (क) भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सा परीक्षा;
- (ख) प्राथमिक—उपचार देख रेख सहित आपात कालीन चिकित्सा उपचार;
- (ग) इन नियमों के अनुसार संबद्ध प्राधिकारियों को उपजीविका अन्य बीमारियों की अधिसूचना;
- (घ) प्रतिरक्षण सेवाएं;
- (ङ) चिकित्सा अभिलेख अनुरक्षण और रख-रखाव;
- (च) स्वास्थ्य शिक्षा जिसमें परिवार कल्याण पर सलाहकार सेवाएं व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता और सुरक्षा सम्मिलित है;
- (छ) परामर्श सेवाएं ।

**225. उपजीविका जन्य स्वास्थ्य केन्द्र.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य जिसमें इन नियमों से संलग्न अनुसूची—IX के अधीन विनिर्दिष्ट परिसंकटमय प्रक्रियाएं अंतर्गत हैं, के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि:—

- (क) ऐसे स्थल पर चल या स्थिर उपजीविका जन्य स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंध किया जाता है और सुव्यवस्था में रखा जाता है;
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट उपजीविका जन्य स्वास्थ्य केन्द्र पर इन नियमों से संलग्न अनुसूची—X में अधिकथित मापमान के अनुसार सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं;
- (ग) उपजीविका जन्य स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी इन नियमों से संलग्न अनुसूची—XI में यथा अधिकथित अर्हता रखता है ।

**226. एम्बुलेंस कक्ष (कमरा).**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

- (क) यदि ऐसे सन्निर्माण स्थल पर पांच सौ या इससे कम कर्मकार नियोजित किए जाते हैं वहां ऐसे सन्निर्माण स्थल पर एक एम्बुलेंस कमरा या किसी निकट के अस्पताल में एम्बुलेंस कमरा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है और ऐसा एम्बुलेंस कमरा किसी अर्हता प्राप्त नर्स के भार साधन में है और ऐसे एम्बुलेंस कमरा की सेवा ऐसे सन्निर्माण स्थल पर नियोजित भवन निर्माण कर्मकार को जब वह काम पर है, प्रत्येक समय पर उपलब्ध है;
- (ख) यदि ऐसे सन्निर्माण स्थल पर पांच सौ से अधिक भवन कर्मकार नियोजित किए जाते हैं वहां प्रभावी संचार पद्धति के साथ एक एम्बुलेंस कमरा है और ऐसा एम्बुलेंस कमरा किसी अर्हता प्राप्त नर्स के भार साधन में है और ऐसे एम्बुलेंस कमरा की सेवा ऐसे सन्निर्माण स्थल पर नियोजित भवन निर्माण कर्मकार को जब वह काम पर हो, प्रत्येक समय पर उपलब्ध है और ऐसा एम्बुलेंस कमरा किसी सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी के संपूर्ण भार साधन में है;

- (ग) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट एम्बुलेंस कमरा इन नियमों से संलग्न अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट वस्तुओं से सज्जित है; और
- (घ) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट एम्बुलेंस कमरा पर उपचारित दुर्घटनाओं और बीमारियों के सभी मामलों का अभिलेख अनुरक्षित किया जाता है और मांग किए जाने पर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाता है।

**227. एम्बुलेंस वैन.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सन्निर्माण स्थल पर एक एम्बुलेंस वैन उपबन्धित किया जाए की (उपलब्ध हो) या भवन निर्माण कर्मकारों की दुर्घटना या बीमारी के गंभीर मामलों को अस्पताल के लिए तत्परता से परिवहन के लिए ऐसे एम्बुलेंस वैन उपलब्ध कराने के लिए निकट के अस्पताल से व्यवस्था करवा दी जाती है और ऐसा एम्बुलेंस वैन अच्छी मरम्मत में रखा जाता है और इन नियमों से संलग्न अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट मानक सुविधाओं से सुसज्जित रहती है।

**228. स्ट्रेचर.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सन्निर्माण स्थल पर आपातकाल में आसानी से उपलब्ध कराए जाने के लिए स्ट्रेचर की पर्याप्त संख्या का प्रबंध कर दिया जाता है।

**229. भवन निर्माण कर्मकारों के लिए उपजीविका जन्य स्वास्थ्य सेवाएं.**—(1) नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर जहां पांच सौ से अधिक भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते हैं यह सुनिश्चित करेगा कि;

- (क) ऐसे सन्निर्माण स्थल पर सभी समयों पर विशेष चिकित्सा सेवा या उपजीविका जन्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है और ऐसी सेवा;
- (i) प्राथमिक उपचार और आपातकालीन उपचार का प्रबन्ध करेगी;
- (ii) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के लिए उनके नियोजन से पूर्व उपजीविका जन्य परिसंकों के लिए और उसके पश्चात समय-समय पर ऐसे अन्तरालों पर जैसा भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए विशेष चिकित्सा परीक्षा का संचालन करेगी;
- (iii) ऐसी चिकित्सीय सेवा के प्राथमिक उपचार कार्मिकों के प्रशिक्षण का संचालन करेगी;
- (iv) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य को परिसंकों से बचाने के लिए ऐसे नियोजक को कार्य की दशाओं और अपेक्षित सुधार पर सलाह देगी;
- (v) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों में स्वास्थ्य शिक्षा जिसमें परिवार कल्याण भी सम्मिलित है, प्रोत्साहित (प्रोन्नत) करेगी;
- (vi) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के लिए हानिप्रद होने के संदिग्ध रसायनिक, भौतिक या जैव कारकों का मूल्यांकन करने और मापन में अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक का सहयोग करेगी; और
- (vii) टिटनेस, टाइफाइड, हैज़ा और अन्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध ऐसे सभी भवन निर्माण कर्मकारों के लिए प्रतिरक्षण का जिम्मा लेगी;



(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट विशेष चिकित्सा सेवा, ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के उपचार, नौकरी (दिलाने) नियोजन, दुर्घटना निवारण और कल्याण के मामलों में हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम विभाग या किसी अन्य संबद्ध विभाग या सेवा के साथ सहयोग करती है;

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट विशेष चिकित्सीय सेवा की अध्यक्षता किसी सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाती है और उसमें यथोचित कर्मचारीवृंद प्रयोगशाला और अन्य उपस्करों की व्यवस्था की जाती है;

(घ) खंड (क) में निर्दिष्ट विशेष चिकित्सा सेवा के परिसर सुविधानुसार पहुँच में हो, जिनमें कम से कम एक प्रतीक्षालय कक्ष, एक परामर्श कक्ष, एक उपचार कक्ष, एक प्रयोगशाला और ऐसी सेवा के नर्सों और अन्य कर्मचारीवृंद के लिए उपयुक्त निवास सुविधा हो;

(ङ) खंड (क) में निर्दिष्ट विशेष चिकित्सा सेवा खंड (क) के उपखंड (i) से उपखंड (vii) में निर्दिष्ट इसके कार्यकलापों के संबंध में अभिलेख अनुरक्षित करेगा तथा प्रत्येक तीन मास में एक बार, निम्नलिखित पर, लिखित रूप में जानकारी भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक को भेजती है;

- (i) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य की दशा; और
- (ii) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों में से किसी को भी होने वाली उपजीविका जन्य क्षति या बीमारी की प्रकृति और कारण, ऐसे कर्मकार को ऐसी क्षति या बीमारी के आवर्तन निवारण के लिए उपलब्ध कराए गए उपाय ।

**230. विशाक्तता या उपजीविका जन्य बीमारियों की सूचना.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) जब कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार इन नियमों से संलग्न अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी बीमारी के संस्पर्श में आता है तो इन नियमों से संलग्न प्ररूप-XIII में एक सूचना अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक और बोर्ड को अविलम्ब भेज दी जाती है जिसके साथ ऐसा भवन निर्माण कर्मकार एक हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ख) यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी या सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी खंड (क) में निर्दिष्ट किसी बीमारी से पीड़ित किसी भवन निर्माण कर्मकार की देखभाल करता है तो ऐसा चिकित्सा व्यवसायी या सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी, ऐसे भवन निर्माण कर्मकार का नाम और सम्पूर्ण विशिष्टियों और उस बीमारी के विषय में जिससे वह पीड़ित है के सम्बन्ध में अविलम्ब (सूचना) जानकारी भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक को भेजगा ।

**231. प्राथमिक उपचार पेटिया.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

- (क) भवन निर्माण कर्मकारों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराए जाने के लिए प्राथमिक उपचार पेटियों या अल्मारियों की पर्याप्त संख्या का उपबन्ध और अनुरक्षण किया जाता है;
- (ख) प्रत्येक प्राथमिक उपचार पेटि या अल्मारी पर स्पष्टतः 'प्राथमिक उपचार' चिन्हित की जाती है और इन नियमों से संलग्न अनुसूची- III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं से सुसज्जित रहती है; और
- (ग) प्राथमिक-उपचार पेटि या अल्मारी में प्राथमिक उपचार के लिए अपेक्षित वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रखा जाता है और ऐसी पेटि या अल्मारी को इस प्रकार रखा जाता है ताकि इसकी धूल या अन्य बाह्य पदार्थ के संदूषण से तथा आर्द्रता के भेदन से सुरक्षा की जा सके तथा ऐसी पेटि या अल्मारी प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित किसी ऐसे व्यक्ति के भार साधन में रखी जाती है तथा कार्यकरण के घंटों के दौरान सदैव आसानी से उपलब्ध रहती है ।

**232. आपातकालीन देखभाल सेवाएं या आपातकालीन उपचार सेवाएं.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) निम्नलिखित का नियंत्रण करने के लिए अनिवार्य जीवन रक्षक सहायक और अपेक्षित साधन;

1. सिर की क्षति और मेरुदंड की क्षति;
2. रक्त बहना;
3. अस्थियों और जोड़ों का भंग और विसंधन;
4. कुचलकर क्षति;
5. आघात जिसमें विद्युत आघात भी सम्मिलित है;
6. किसी भी कारण से निर्जलित होना;
7. सांप का काटना, कीड़े का काटना, बिच्छु और मधुमक्खी का डंक मारना;
8. जलना जिसमें रासायनिक जलन भी सम्मिलित है;
9. मोड़ या विविध पक्षाघात;
10. अन्य षल्य चिकित्सा, स्त्री रोग, प्रसव सम्बन्धी या बाल चिकित्सा संबंधी आपातकाल;
11. डूब जाना; और
12. भवन निर्माण कर्मकारों को लू लगना और पाला मारना, चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन उपबन्धित और उचित रूप से अनुरक्षित होगा।

(ख) खंड (क) के उपखंड (i) से (xii) में निर्दिष्ट किसी भी आपातकालिक परिस्थिति के लिए, आवश्यक जीवन साधन, किसी घायल या किसी बीमार भवन निर्माण कर्मकार को ऐसे भवन निर्माण स्थल से किसी हस्पताल तक उसके परिवहन के दौरान और ऐसे हस्पताल में किसी डाक्टर द्वारा ऐसे भवन निर्माण कर्मकार की देख भाल किए जाने तक उपलब्ध करा दिए जाते हैं; और

(ग) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे भवन निर्माण स्थल पर विशेष स्थानीय दशाओं और सन्निर्माण कर्मकार प्रक्रियाओं से उद्भूत भवन निर्माण कर्मकारों की आपातकालीन देखभाल या उपचार के लिए अपेक्षित कोई अन्य उपस्कर या सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं।

## अध्याय-25

### भारतीय मानक ब्यूरो को सूचना

**233. भारतीय मानक ब्यूरो को सूचना देना.**—नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

(क) भवन या अन्य सन्निर्माण परियोजना के निष्पादन में अन्तर्वलित ऐसे भवन में उपयोग की गई सामग्री, वस्तुओं या प्रक्रिया प्रत्येक वास्तुविद और अन्य वृत्तिक जैसे संरचना इंजीनियर या परियोजना इंजीनियर ऐसे भवन तथा अन्य सन्निर्माण परियोजना जिसके लिए भारतीय मानक पहले से उपलब्ध है उपयोग की गई सामग्री, वस्तुओं या प्रक्रिया के विषय में ब्यौरे भारतीय मानक ब्यूरो को देता है;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट वास्तुविद और अन्य वृत्तिक, ऐसे भवन तथा अन्य सन्निर्माण के क्रिया कलाप में उपयोग की गई भवन निर्माण सामग्री, वस्तुओं या प्रक्रियाओं, जिसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ भारतीय मानक विद्यमान नहीं है, और ऐसी सामग्री वस्तुओं या प्रक्रियाओं के निष्पादन के ब्यौरे, भारतीय मानक ब्यूरो के विचार करने और आवश्यक मानक स्थापित करने में उसे समर्थ बनाने के लिए उनके सुधार के लिए सुझावों के साथ भारतीय मानक ब्यूरो को जानकारी देता है।

## भाग-IV

काम के घंटे, कल्याण, मजदूरी का संदाय, रजिस्टर और अभिलेख  
आदि विराम अंतराल और विस्तृति आदि

## अध्याय-26

**234. काम के घंटे, विराम अंतराल और साप्ताहिक छुट्टी आदि.**—(1) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भी भवन निर्माण कर्मकार से एक दिन में 9 घंटे या एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक के लिए कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भी भवन निर्माण कर्मकार से, जब तक वह आधा घंटा से अन्यून का विराम अंतराल नहीं ले लेता है पांच घंटों से अधिक के लिए लगातार कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भी भवन निर्माण कर्मकार का कार्यशील (कार्यकरण) दिन इस प्रकार क्रमांकित किया जाएगा कि विराम अंतराल यदि कोई हो, को मिलाकर किसी भी दिन बारह घंटों से अधिक की विस्तृति नहीं होगा।

(4) जब कोई भवन निर्माण कर्मकार किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किसी दिन को नौ घंटे से अधिक के लिए या किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक के लिए कार्य करता है तो वह अतिकालिक कार्य के बाबत मजदूरी की सामान्य दर से दुगनी मजदूरी के लिए हकदार होगा।

**235. साप्ताहिक विश्राम, अतिकालिक दर पर विश्राम के दिन पर किए गए कार्य के लिए संदाय, इत्यादि.**—(1) इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को प्रत्येक सप्ताह विश्राम का एक दिन (जिसे इसमें इसके पश्चात विश्राम दिन कहा गया है) अनुज्ञात होगा जो सामान्य रूप से रविवार होगा, किन्तु नियोजक सप्ताह का कोई अन्य दिन विश्राम दिन के रूप में नियत कर सकता है;

परन्तु यह कि विश्राम के रूप में नियत किए गए दिन की और ऐसे विश्राम दिन में कोई पश्चातवर्ती परिवर्तन की जानकारी ऐसा परिवर्तन करने से पूर्व इस निमित्त अधिकारिता वाले, निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर नियोजन के स्थान में उस प्रभाव तक एक सूचना के संप्रदर्शन द्वारा भवन निर्माण कर्मकार को दे दी जाएगी।

(2) भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित कोई भी कर्मकार किसी विश्राम दिन पर कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा ऐसे विश्राम दिन से ठीक पहले या बाद में पांच दिन में एक सम्पूर्ण दिन में प्रतिस्थापित विश्राम पहले से नहीं ले लिया गया था, ले लिया जाएगा;

परन्तु ऐसा कोई प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा जो किसी भवन कर्मकार का एक संपूर्ण दिन के लिए बिना किसी विश्राम दिन के लगातार रूप से दस दिन से अधिक के लिए कार्य करने का कारण हो जाता है।

(3) जहां भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भवन निर्माण कर्मकार के किसी विश्राम दिन पर कार्य किया है और इसे उपनियम (1) तथा उपनियम (2) में यथा उपबंधित उस विश्राम दिन से पूर्व या बाद के पांच दिन में से कोई एक प्रतिस्थापित विश्राम दिन दे दिया गया है, ऐसा विश्राम दिन कार्य के साप्ताहिक घंटों की गिनती करने के प्रयोजन के लिए उस सप्ताह में, जिसमें ऐसा प्रतिस्थापित विश्राम दिन आता है सम्मिलित किया जाएगा।

(4) भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भवन कर्मकार ने किसी विश्राम दिन के पूर्ववर्ती दिन को लागू दर पर संगणित किसी विश्राम दिन पर कार्य किया है और कोई प्रतिस्थापित विश्राम दिन दे दिया गया है, ऐसे विश्राम दिन के लिए, जिस पर उसने काम किया था उसे अतिकालिक दर पर मजदूरी और ऐसे प्रस्थापित विश्राम दिन के पूर्ववर्ती दिन को लागू दर पर ऐसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन के लिए मजदूरी का संदाय किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण—I.**—इस नियम के प्रयोजन के लिए 'पूर्ववर्ती दिन' से यथास्थित किसी विश्राम दिन का पूर्ववर्ती वह अंतिम दिन या कोई प्रतिस्थापित विश्राम दिन जिसको किसी भवन निर्माण कर्मकार ने कार्य किया था और जहां ऐसा प्रतिस्थापित विश्राम दिन ऐसे विश्राम दिन के ठीक बाद में पड़ता है अभिप्रेत है ऐसे 'पूर्ववर्ती दिन' से ऐसे विश्राम दिन का पूर्ववर्ती ऐसा अंतिम दिन जिसको ऐसे भवन निर्माण कर्मकार ने कार्य किया था अभिप्रेत है।

**स्पष्टीकरण—II.**—इस नियम के प्रयोजन के लिए 'सप्ताह' शनिवार रात्रि पर आरंभ होने वाले सात दिन की कालावधि अभिप्रेत करेगा।

**236. रात्रि पारियां.**—जहां भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित कोई भवन निर्माण कर्मकार किसी ऐसी पारी पर कार्य करता है जिसका मध्यरात्रि के पश्चात् विस्तार होता है;

- (क) नियम-235 के प्रयोजन के लिए कोई विश्राम दिन उस समय से जब ऐसी पारी समाप्त होती है, से आरंभ होने वाले लगातार चौबीस घंटों की कालावधि अभिप्रेत है;
- (ख) मध्यरात्रि के पश्चात् ऐसे घंटों के दौरान ऐसे भवन निर्माण कर्मकार ने कार्य किया है पूर्ववर्ती दिन के लिए गिने जाएंगे; और
- (ग) आगामी दिन ऐसी पारी, जब समाप्त होती है के समय से आरंभ होने वाले चौबीस घंटों की अवधि समझी जाएगी।

**237. भवन निर्माण कर्मकारों के कतिपय वर्गों को इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना.**—(1) अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (क) से (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट भवन निर्माण कर्मकारों के वर्गों को इस अध्याय के उपबंध निम्नलिखित के अधीन लागू होंगे, अर्थात्;

(क) भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित कोई भी भवन निर्माण कर्मकार विराम अंतराल को मिलाकर एक दिन में पन्द्रह घंटे या एक सप्ताह में साठ घंटों से अनधिक के लिए लगातार कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं होगा परन्तु यह कि नियम 233 के उपनियम (2) में अधिकथित के अनुसार लगातार प्रत्येक पांच घंटे लगातार कार्य के पश्चात् आधा घंटा से अन्यून के विराम अंतराल दिए जाते हैं;

(ख) जब तक ऐसे कर्मकार को विश्राम के लिए चौबीस घंटों का विश्राम नहीं दिया जाता है, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित कोई भी भवन निर्माण कर्मकार चौदह लगातार दिन से अनधिक के लिए कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) जहां भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भवन निर्माण कर्मकार की बाबत कार्यशील (कार्यकरण) घंटे नियम 233 के उपनियम (1) में यथा अधिकथित काम के घंटों से अधिक हो गए हैं या जहां कर्मकार को इस नियम के उपनियम (1) के लागू होने के कारण किसी विश्राम दिन से वंचित कर दिया गया है ऐसे कर्मकार को ऐसे दैनिक या साप्ताहिक घंटों को अतिरिक्त किए गए कार्य और ऐसे विश्राम दिन पर किए गए कार्य की बाबत सामान्य मजदूरी की दर से दुगुनी दर पर संदाय किया जाएगा।

## अध्याय-27

## सूचनाएं, रजिस्टर, अभिलेख और आंकड़ों का संग्रहण

**238. मजदूरी अवधि ;कालावधिद्ध आदि की सूचना.**—(1) प्रत्येक नियोजक उसके नियंत्रणाधीन स्थापन के कार्य स्थल के सहज दृश्य स्थान पर ऐसे स्थापन में कार्य करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की मजदूरी की दरें, कार्य के घण्टे, उनकी मजदूरी, अवधि (कालावधि), ऐसी मजदूरियों के संदाय की तारीख, ऐसे स्थापन की अधिकारिता रखने वाले निरीक्षकों के नाम और पते और ऐसे कर्मकारों की अंसदत्त मजदूरी के संदाय की तारीख दर्शाते हुए सूचना अंग्रेजी, हिन्दी और ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में सप्रदर्शित करवाएगा ।

(2) उपनियम (i) में निर्दिष्ट सूचना की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को भेजी जाएगी और जब भी ऐसी सूचना में अंतर्विष्ट तथ्यों की बाबत कोई परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन, ऐसे निरीक्षक को नियोजक द्वारा संसूचित किया जाएगा ।

**239. प्रारंभ और पूरा होने की सूचना.**—(1) प्रत्येक नियोजक उसके नियंत्रणाधीन किसी भवन या अन्य, सन्निर्माण कार्य के प्रारंभ होने से कम से कम तीस दिन पहले, ऐसे प्रारंभ की वास्तविक तारीख पूरा होने की और ऐसे भवनया अन्य सन्निर्माण कार्य की बाबत अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट ऐसी अन्य विशिष्टियों और पूरा करने की सम्भाव्य तारिख को संसूचित करते हुए इन नियमों से सलंगन प्ररूप-4 में एक लिखित सूचना अधिकारिता वाले निरीक्षक को भेजेगा या भिजवाएगा ।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन भेजी गई विशिष्टियों में से किसी में भी कोई परिवर्तन होता है, नियोजक ऐसे परिवर्तन के दो दिन के भीतर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा ।

(3) उपनियम (1) की कोई भी बात भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के ऐसे वर्ग की दशा में लागू नहीं होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आपातिक कार्य होना विनिर्दिष्ट करती है ।

**240. भवन निर्माण कर्मकारों के रूप में नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर.**—प्रत्येक नियोजक, ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्थापन की बाबत जहां वह भवन निर्माण कर्मकार नियोजित करता है इन नियमों से संलग्न प्ररूप 25 में एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा (बनाएगा) ।

**241. मस्टर रोल, मजदूरी रजिस्टर, कटौती रजिस्टर, अतिकालिक रजिस्टर और मजदूरी बहियों और सेवा प्रमाण पत्रों का जारी किया जाना.**—(1) प्रत्येक नियोजक प्रत्येक ऐसे कार्य की बाबत जिस पर वह भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजित करता है निम्नलिखित को बनाए रखेगा;

(क) इन नियमों से सलंगन प्ररूप 16 और प्ररूप 17 में क्रमशः एक मस्टर रोल और एक रजिस्टर;

परन्तु यह कि इन नियमों से सलंगन प्ररूप-18 में मजदूरी एवम् मस्टर रोल का एक सम्मिलित रजिस्टर, जहां ऐसे भवन निर्माण कर्मकार के लिए मजदूरी अवधि (कालावधि) एक पक्ष (पखवाड़ा) या इससे कम है, नियोजक द्वारा बनाए रखा जाएगा;

(ख) इन नियमों से संलग्न प्ररूप 19, प्ररूप 20 प्ररूप 21 में क्रमशः नुकसानी या हानि के लिए रजिस्टर, जुर्मानों का रजिस्टर और अग्रिमों का रजिस्टर;

(ग) अतिकालिक कार्य, यदि कोई हो, के घंटों की संख्या और उसके लिए संदत्त मजदूरी का उसमें अभिलेख करने के लिए इन नियमों से संलग्न प्ररूप- 22 में अतिकाल का एक रजिस्टर ।

- (2) प्रत्येक नियोजक ऐसे प्रत्येक कार्य की बाबत जिस पर वह भवन निर्माण कर्मकार को लगाता है;
- (क) जहां मजदूरी अवधि (कालावधि) एक सप्ताह या इससे अधिक है ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों को इन नियमों से संलग्न प्ररूप-23 में ऐसे प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को मजदूरी पुस्तिका जारी करेगा जिसमें उनको मजदूरी के संवितरण से कम से कम एक दिन पूर्व, प्रविष्टियां की जाएगी;
- (ख) इन नियमों से संलग्न प्ररूप-24 में ऐसे प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को ऐसे कार्य के पूर्व होने या किसी अन्य कारण से उसकी सेवा की समाप्ति पर ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों को एक सेवा प्रमाणपत्र जारी करेगा;
- (ग) यथास्थिति मजदूरी या मस्टर रोल एवं मजदूरी रजिस्टर पर उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के सामने प्रत्येक ऐसे भवन कर्मकार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेना तथा ऐसी प्रविष्टियां नियोजक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अधिप्रमाणित की जाएगी।

(3) ऐसे किसी स्थापन की बाबत जिसकी मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) लागू होते हैं ऐसे अधिनियमों या तद अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी नियोजक द्वारा रखे जाने वाले निम्नलिखित अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेखों को इन नियमों के अधीन उस नियोजक द्वारा रखे गये रजिस्टर और अभिलेख समझा जाएगा, अर्थात्:-

- (क) मस्टर रोल;
- (ख) मजदूरियों का रजिस्टर;
- (ग) कटौतियों का रजिस्टर;
- (घ) अतिकाल का रजिस्टर;
- (ङ) जुर्मानों का रजिस्टर;
- (च) अग्रिमों का रजिस्टर; तथा
- (छ) मजदूरी एवं मस्टर रोल का संयुक्त रजिस्टर ।

(4) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्ररूप के बदले में कोई सम्मिलित या वैकल्पिक प्ररूप का, किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए या प्रशासनिक सुविधा के लिए कार्य के द्विरावृत्ति (दोबारा करने) से बचने के लिए किसी नियोजक द्वारा उपयोग किया जाता है वहां ऐसे सम्मिलित या अनुकल्पिक प्ररूप का राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपयोग किया जा सकेगा।

(5) प्रत्येक नियोजक, कार्यस्थल के सहज दृश्य स्थान पर जहां वह भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजित करता है अधिनियम और इन नियमों के संक्षिप्त सार को अंग्रेजी और हिन्दी तथा ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या, द्वारा समझी जाने वाली किसी स्थानीय भाशा में संप्रदर्शित करेगा।

(6) प्रत्येक नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम या इन नियमों के अधीन बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित रजिस्टर या अन्य अभिलेखों को पूर्ण और अद्यतन रखा जाता है और अन्यथा उपबंधित के सिवाए संबद्ध कार्य स्थान की परीसीमाओं के भीतर किसी कार्यालय या निकटतम सुविधाजनक भवन में रखा जाता है।

(7) किसी स्थापन से सम्बन्धित और अधिनियम और इन नियमों के अधीन बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर और अन्य अभिलेखों को अंग्रेजी और हिन्दी में स्पष्ट रूप से बनाए रखा जाएगा।

(8) उप नियम (7) में निर्दिष्ट प्रत्येक रजिस्टर या अन्य अभिलेख को उस नियोजक द्वारा, जिससे ऐसा रजिस्टर या अन्य अभिलेख संबंध रखता है, अंतिम प्रविष्टि की तारीख से तीन कलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए मूलरूप में बनाए रखा जाएगा ।

(9) अधिनियम या इन नियमों के अधीन अनुरक्षित प्रत्येक रजिस्टर अभिलेख या सूचना की मांग किए जाने पर निरीक्षक या अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी या ऐसे प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष संबद्ध नियोजक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा या प्रस्तुत करवाया जाएगा।

(10) जहां किसी मजदूरी अवधि (कालावधि) के दौरान, किसी भवन निर्माण कर्मकार की मजदूरी से कोई कटौती नहीं की गई है या ऐसे भवन निर्माण कर्मकार पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया गया है या ऐसे भवन निर्माण कर्मकार द्वारा कोई अतिकालिक कार्य निष्पादित नहीं किया गया है या ऐसे भवन निर्माण कर्मकार को अतिकालिक कार्य के लिए संदाय नहीं किया गया है की दशा में यथास्थिति, प्रारूप 19, 20, 21 या 22 में अनुरक्षित सुसंगत रजिस्टर में समुचित स्थान पर ऐसी मजदूरी अवधि ;कालावधिद्ध के सामने 'शून्य' प्रविष्टि की जाएगी।

**242. विवरणियां.—**किसी रजिस्ट्रीकृत स्थापन का प्रत्येक नियोजक इन नियमों से संलग्न प्ररूप 25 में दो प्रतियों में ऐसे स्थापन की बाबत एक विवरणी, अधिकारिता रखने वाले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर प्रतिवर्ष एक प्रति भेजेगा।

## अध्याय— 28

### भवन कर्मकारों का कल्याण

**243. शौचालय और मूत्रालय सुविधा.—**अधिनियम की धारा-33 के अधीन उपबंधित के अपेक्षानुसार यथास्थिति शौचालय या मूत्रालय निम्नलिखित यथा विनिर्दिष्ट टाइप के होंगे, अर्थात्;

(क) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ, और इस प्रकार विभाजित होगा ताकि एकांतता सुनिश्चित की जा सके तथा उसमें यथोचित दरवाजा और कसाव होंगे;

(ख) (i) जहां पुरुष और महिला दोनों भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते हैं, वहां शौचालयों या मूत्रालयों में प्रत्येक खंड के बाहर की तरफ एक सूचना संप्रदर्शित की जाएगी उसमें यथास्थिति, 'केवल पुरुषों के लिए' या 'केवल महिलाओं के लिए' ऐसे कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखा जाएगा;

(ii) ऐसी सूचना में, यथास्थिति, पुरुष की या महिला की आकृति भी लगी होगी;

(ग) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय सुविधाजनक रूप से स्थित होगा और सभी समयों पर भवन निर्माण कर्मकारों की पहुंच में होगा;

(घ) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय समुचित (यथोचित) रूप से प्रकाशित होगा और सभी समयों पर स्वच्छ तथा स्वच्छता की दशा में रखा जाएगा;

(ङ) फलश, सीवरेज प्रणाली से संसक्त से भिन्न प्रत्येक शौचालय मूत्रालय लोक स्वास्थ्य प्राधिकारियों की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा;

(च) पानी की नल या किसी अन्य साधन से इस प्रकार व्यवस्था की जाएगी ताकि प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय में या उसके निकट सुविधाजनक रूप से पहुंच सके; और

(छ) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय की दीवारें, भीतरी छतें और विभाजनों पर चार मास की प्रत्येक अवधि में एक बार सफेदी या रंग किया जाएगा।

**244. कैंटीन.—**(1) ऐसे प्रत्येक स्थान में जिसमें दो सौ पचास से अन्धुन भवन निर्माण कर्मकार साधारणतः नियोजित किए जाते हैं, वहां ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजक ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के उपयोग के लिए इस नियम में यथा विनिर्दिष्ट रीति में यथोचित (समुचित) कैंटीन का प्रबंध करेगा।

(2) उपनियम (i) में निर्दिष्ट कैंटीन, में ऐसी कैंटीन का उपयोग करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की सुविधा के लिए पर्याप्त फर्नीचर सहित एक डाइनिंग हाल, एक रसोई, स्टोर कक्ष, रसोई भण्डार और भवन निर्माण कर्मकारों तथा बर्तनों के लिए पृथक रूप से धुलाई के स्थान होंगे;

(3) (प) उपनियम (प) में निर्दिष्ट कैंटीन जब भी कोई व्यक्ति इसमें पहुंच रखता है सभी समयों पर पर्याप्त रूप से प्रकाशित रहेगी;

(ii) ऐसी कैंटीन का फर्श चिकनी और अवेध सामग्री का बना होगा तथा ऐसी कैंटीन की भीतरी दीवारों पर कम से कम प्रत्येक छह मास में एक बार सफेदी की जाएगी या रंग किया जाएगा;

परन्तु यह कि ऐसी कैंटीन की रसोई की ऐसी भीतरी दीवारों पर प्रत्येक तीन मास में एक बार सफेदी की जाएगी।

(4) (i) उपनियम (i) में निर्दिष्ट कैंटीन की प्रसीमाएं (अहाता) साफ और स्वच्छ हालत में रखी जाएगी;

(ii) ऐसी कैंटीन से अपशिष्ट पानी उपयुक्त ढकी हुई नालियों में ले जाया जाएगा और ऐसी कैंटीन के आस पास इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा;

(iii) ऐसी कैंटीन में जूठन के संग्रहण और व्ययन के लिए उपयुक्त इंतजाम किया जाएगा; और

(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कैंटीन का भवन किसी शौचालय या मूत्रालय या धूल, धुआं या हानिकर (आपतिजनक) भाप के किसी स्रोत से कम से कम पंद्रह फुट दो मीटर की दूरी पर स्थित होगा।

**245. कैंटीन में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ.—**नियम 244 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट कैंटीन में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ और अन्य चीजें भवन निर्माण कर्मकारों की सामान्य आहारी आदतों के अनुरूपतः होगी।

**246. कार्य स्थानों पर चाय और हल्का भोजन का परोसा जाना.—**ऐसे किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर जहां कोई कार्य स्थान नियम 244 के उपनियम (1) के अधीन उपबंधित कैंटीन से शून्य फुट दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है ऐसे स्थान पर ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों को चाय और हल्का नाश्ता परोसने के लिए, ऐसे स्थान पर भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजित करने वाले नियोजक द्वारा इंतजाम किया जाएगा।

**247. खाद्य पदार्थ के प्रभार.—**(1) नियम 244 के उपनियम (i) के अधीन उपबंधित कैंटीन में परोसे गए खाद्य पदार्थ, सुपेय और अन्य चीजों के लिए प्रभार "न लाभ न हानि" पर आधारित होंगे तथा ऐसी वस्तुओं की मूल्य सूची ऐसी कैंटीन में सहज दृश्यतः संप्रदर्शित की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वस्तुओं के मूल्य निकालते समय, निम्नलिखित को व्यय के रूप में विचार में नहीं लिया जाएगा, अर्थात;

(क) ऐसी कैंटीन की भूमि और भवन के लिए किराया ;

(ख) भवन और ऐसी कैंटीन में उपलब्ध कराए गए उपस्कर के लिए अवक्षयण और रख रखाव (अनुरक्षण) प्रभार;



- (ग) क्रय करने, मरम्त और उपस्कर जिसके अंतर्गत फर्नीचर, क्राकरी, कटलरी, बर्तन भी हैं, के स्थान पर दूसरे बदलने की तथा ऐसी कैंटीन के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई वर्दी की लागत;
- (घ) ऐसी कैंटीन की रोशनी और संवातन के लिए उपगत जल प्रभार और अन्य प्रभार; और
- (ङ) ऐसी कैंटीन के लिए फर्नीचर और अन्य उपस्कर उपलब्ध कराए जाने और उनके अनुरक्षण के लिए खर्च की गई रकम पर ब्याज।

## अध्याय—29

### मजदूरी

**248. मजदूरी का संदाय.**—नियोजक किसी भवन या सन्निर्माण कार्य करने के लिए निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि;

- (क) ऐसे निर्माण स्थल पर जहां एक हजार से कम ऐसे भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते हैं, वहां नियोजित किए गए प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार की मजदूरी का उस समयावधि जिसकी बाबत ऐसी मजदूरी संदेय है के सातवें दिन के अवसान से पूर्व संदाय किया जाता है और अन्य दशाओं में उस समयावधि जिसकी बाबत ऐसी मजदूरियां संदेय है, के अंतिम दिन के पश्चात् दसवें दिन के अवसान से पूर्व संदाय किया जाता है;
- (ख) यदि ऐसे भवन निर्माण कर्मकार का नियोजन, ऐसे नियोजक या उसकी ओर से समाप्त किया जाता है, तो ऐसे भवन निर्माण कर्मकार द्वारा अर्जित मजदूरी का संदाय, उस दिन से, जिसको ऐसे भवन निर्माण कर्मकार का नियोजन समाप्त किया गया है, द्वितीय कार्यकरण दिन की समाप्ति से पूर्व संदाय किया जाता है और
- (ग) मजदूरी के सभी संदाय ऐसे सन्निर्माण स्थल पर और कार्यकरण समय के दौरान और पहले से ही अधिसूचित तारीख को कार्यशील (कार्यकरण) दिन में किए जाते हैं और यदि कार्य पूरा हो जाता है तो मजदूरी का अंतिम संदाय ऐसे कार्य के समापन के अड़तालीस घंटों के भीतर किया जाता है।

**249. मजदूरी के संदाय की तारीख के सम्बन्ध में मजदूरी की सूचनाओं का संप्रदर्शन.**—नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी अवधि जिसके लिए मजदूरी का संदाय किया जाता है ऐसी मजदूरी के वितरण के स्थान और समय को दर्शाने वाली एक सूचना, अंग्रेजी, हिन्दी में और ऐसे सन्निर्माण स्थल पर नियोजित भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाशा में ऐसे सन्निर्माण स्थल के सहज दृश्य स्थान पर संप्रदर्शित की जाती है।

## भाग— ट (5)

### अध्याय— 30

#### हिमाचल प्रदश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।

**250. परिभाषाएं—** (1) इस अध्याय में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

- (क) 'बोर्ड' से अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित हिमाचल प्रदश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;

- (ख) "अंशदान" से हिताधिकारी द्वारा निधि में संदेय धन राशि अभिप्रेत है;
- (ग) "परिवार" से पति अथवा पत्नी, और भवन कर्मकार का अवयस्क पुत्र, अविवाहिता बेटियां और उन पर पूरी तरह से आश्रित (निर्भर) माता-पिता अभिप्रेत है;
- (घ) "निधि" से अधिनियम की धारा-24 के अधीन बोर्ड द्वारा गठित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि, अभिप्रेत है;
- (ङ) "सचिव" से अधिनियम की धारा-19 के अधीन नियुक्त बोर्ड का सचिव, अभिप्रेत है;
- (च) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

**251. बोर्ड का गठन.**—बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे;

- |  |          |
|--|----------|
| (i) सरकार द्वारा नियुक्त   | अध्यक्ष। |
| (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट   | सदस्य।   |
| (iii) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के प्रतिनिधि जो पांच से अधिक न हो।  | सदस्य।   |
| (iv) भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजकों में से सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति जिनकी संख्या पांच से अधिक न हो।  | सदस्य।   |
| (v) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य जो पांच से अधिक नहीं होंगे जिनमें से एक राज्य का भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षणों का मुख्य निरीक्षक, एक वित्त विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला, एक विधि विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला, एक श्रम विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला और एक कल्याण विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य होगा: | सदस्य।   |

परन्तु यह कि बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों में एक महिला होगी परन्तु यह कि उप-नियम (1) के खण्ड (iii), (iv) और (v) के अर्न्तगत नियुक्त सदस्यों की संख्या बराबर होगी।

(2) शासकीय (सरकारी) सदस्यों से भिन्न निगम बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की होगी:

परन्तु सदस्य अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक कार्य पर बने रह सकते हैं।

**252. आकस्मिक रिक्तियों का भरना.**—आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए नामनिर्दिष्ट (नामांकित) सदस्य, जिस सदस्य के स्थान पर उसका नामनिर्देशन किया जाता है, की पदावधि की शेष अवधि के लिये पद धारण करेगा।

**253. बोर्ड की बैठक.**—बोर्ड साधारणतः दो मास में एक बार बैठक करेगा:

परन्तु यह कि अध्यक्ष बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्यों की लिखित में मांग प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर बोर्ड की बैठक बुलाएगा।

**254. बैठक की सूचना और कारबार की सूची.**—(1) अध्यक्ष, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा, जिसमें वह उपस्थित हो, और यदि किसी कारणवश अध्यक्ष, बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो अध्यक्ष द्वारा द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य उस की ओर से बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो और अध्यक्ष द्वारा कोई सदस्य को नामनिर्दिष्ट नहीं किया हो तो उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य बैठक के संचालन में अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(3) बोर्ड की किसी बैठक में कोई भी कारबार तब तक सम्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम छह सदस्य उपस्थित न हों, जिनमें से एक नियम-266 के उपनियम (1) के खंड (ट) के अधीन नामनिर्दिष्ट में से होगा।

**255. सभापति द्वारा बैठक की अध्यक्षता.**—बैठक में सम्पादित किए जाने वाले कारबार की सूची के साथ प्रत्येक बैठक की तिथि, समय और स्थान की जानकारी देने की सूचना, बैठक से पन्द्रह दिन पहले प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अथवा विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजी जाएगी:

परन्तु यह कि जब अध्यक्ष किसी मामले के विचारण के लिए, जो उसकी राय में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, बैठक बुलाने के लिए कम से कम तीन दिन का नोटिस पर्याप्त समझा जाएगा।

**256. राज्य से अनुपस्थिति.**—यदि कोई सदस्य अध्यक्ष को सूचना दिए बिना कम से कम 180 दिन से अधिक अवधि के लिए राज्य से बाहर जाता है तो समझा जाएगा कि उसने बोर्ड से त्याग पत्र दे दिया है।

**257. कारबार का संव्यवहार.**—बोर्ड की बैठक में विचार किए गए प्रत्येक प्रश्न का निर्णय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतदान में तथा बराबर मतों की दशा में अध्यक्ष निर्णायक मत देने का अधिकारी होगा और उसका मत निर्णायक होगा।

**258. बैठक का कार्यवृत्त.**—बोर्ड की बैठक में किया गया प्रत्येक विनिश्चय, उस बैठक में कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, कार्यरत पुस्तिका स्थाई अभिलेख होगी।

**259. फीस और भत्ते.**—(1) बोर्ड के प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य को, बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए दो सौ रूपए की बैठक फीस अथवा ऐसी राशि, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, का संदाय किया जाएगा। यह फीस उप समिति बैठकों के लिए लागू नहीं होगी।

(2) अध्यक्ष को बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए छः सौ रूपए की बैठक फीस अथवा ऐसी राशि, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, संदत की जाएगी।

(3) बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य को सरकार के श्रेणी-I अधिकारी को देय भत्तों के समतुल्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता संदेय होगा।

(4) किसी शासकीय सदस्य का यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दौरे पर जाने के लिए उसे लागू नियमों के अनुसार देय होगा और बोर्ड द्वारा संदत किया जाएगा।

**260. उप-समितियों की नियुक्ति.**—(1) बोर्ड द्वारा, अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन हेतु, जो वह उचित समझे ऐसी उप-समितियां नियुक्त कर सकेगा और उप-समितियों के सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते नियम-259 के अधीन विनिदिष्ट शर्तों और दर के अधधीन अनुज्ञात किए जाएंगे।

(2) उप-समिति का गठनय (1) समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों से अन्तर्विष्ट होगी; अर्थात्

(क) बोर्ड का अध्यक्ष ;

(ख) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य;

(ग) भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य; और

(घ) सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष, उप-समिति का भी अध्यक्ष होगा यदि किसी समय अध्यक्ष सभापति अनुपस्थित होगा तो बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को जो बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(4) उप-समिति की बैठक में तब तक कोई कारबार संव्यवहृत नहीं किया जाएगा जब तक समिति के कम से कम तीन सदस्य बैठक में उपस्थित न हो जिनमें से एक सदस्य नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाला और दूसरा भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा ।

(5) उप- समिति की अवधि इसके गठन की तारिख से एक वर्ष की होगी;

परन्तु यह कि उप- समिति तब तक काम करती रहेगी जब तक नई समिति का गठन नहीं हो जाता;

परन्तु यह और भी कि किसी भी दशा में उप- समिति अपने प्रारम्भिक गठन की तारिख से दो वर्ष की अवधि से अधिक नहीं रहेगी ।

(6) उप- समिति की सिफारिश उसके निर्णय के लिए बोर्ड के सम्मुख रखी जाएगी ।

**261. बोर्ड की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य .—**(1) बोर्ड निम्नलिखित के लिए दायी (उत्तरदायी) होगा;

- (क) निधि के प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी मामले;
- (ख) निधि की राशि जमा कराने के लिए नीतियां अधिकथित करना;
- (ग) राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु वार्षिक बजट का प्रस्तुत करना;
- (घ) बोर्ड के कार्यकलापों की राज्य सरकार को वार्षिक बजट को प्रस्तुत करना;
- (ङ) लेखों का उचित रख रखाव;
- (च) निधि तथा अन्य प्रभारों के अंशदान का संग्रहण;
- (छ) बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से अभियोजन आरम्भ करना;
- (ज) दावों का तीव्र निपटान और अग्रदानों तथा अन्य लाभांशों (प्रसुविधाओं) की स्वीकृति; और
- (झ) बोर्ड की देय किसी राशि की उचित और समय पर वसूली;

(2) बोर्ड, सरकार को, ऐसे मामलों की, जैसा की सरकार समय-समय पर इसे निर्दिष्ट करे सूचना देगा ।

**262. बोर्ड का सचिव.—**(1) बोर्ड का सचिव बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा ।

(2) सचिव अध्यक्ष के अनुमोदन से बोर्ड की बैठकें बुलाने हेतु सूचना जारी करेगा तथा कार्यवृत्त का रिकार्ड रखेगा और बोर्ड के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा;

**263. सचिव और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.—**(1) बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति से सरकार के किसी अधिकारी की, जो श्रम विभाग में उप-श्रम आयुक्त के पद से नीचे की पंक्ति का न होगा बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्ति करेगा ।

(2) बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति से नियुक्ति करेगा;

- (i) सरकार के अनेक अधिकारी जो श्रम विभाग में श्रम अधिकारी की पंक्ति से नीचे के न हों; और
- (ii) सरकार के किसी अन्य विभाग के ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सफल निर्वहन में बोर्ड की सहायता करने हेतु आवश्यक समझे ।

**264. सचिव की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां.—**(1) बोर्ड का सचिव बोर्ड के निर्देश के बिना, निधि के प्रबन्ध के लिए खर्च और आकस्मिक व्यय, आपूर्ति तथा वस्तुओं की खरीद, वापसी की स्वीकृति, उन सीमाओं के अधीन जिन तक वह बोर्ड द्वारा समय-समय पर किसी एक वस्तु पर खर्च की स्वीकृति के लिए प्राधिकृत है, दे सकेगा ।

(2) सचिव उपरोक्त उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट से ऐसी अन्य प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का प्रयोग भी कर सकता है जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसको प्रत्यायोजित की जाए ।

(3) बोर्ड समय-समय पर, ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह उचित समझे दक्षतापूर्ण कृत्यकारी के लिए आवश्यक समझी गई उस सीमा तक अपने नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन अन्य किसी अधिकारी को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान कर सकेगा ।

**265. हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि.**—(1) बोर्ड इन नियमों के प्रवृत्त होने के यथाशक्य पश्चात् अधिनियम तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार “हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि” के नाम से एक निधि का गठन करेगा ।

(2) निधि बोर्ड में निहित होगी तथा बोर्ड द्वारा प्रशासित होगी ।

(3) निधि में निम्नलिखित जमा किये जायेंगे ।

(क) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुदान किया गया ऋण अथवा अग्रिम यदि कोई हो;

(ख) बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से संदत्त किया अंशदान जैसा की केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए; और

(ग) बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त समान राशि जैसा की राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए ।

**266. सदस्यता.**—(1) ऐसा प्रत्येक कर्मकार जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किन्तु 60 वर्ष की आयु पूरी न की हो और जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य कल्याण निधि का सदस्य न हो और जिसने भवन कर्मकार के रूप में 90 दिन का सेवाकाल पूर्ववति साल में पूर्ण कर लिया हो निधि की सदस्यता के लिए पात्र होगा ।

(2) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आयु को प्रमाणित करने के लिये प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा:—

(i) स्कूल का रिकार्ड ।

(ii) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र ।

(iii) उपरोक्त प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति में चिकित्सा अधिकारी जो सरकारी सेवा में सहायक शल्य चिकित्सक की श्रेणी से नीचे का न हो से प्रमाण पत्र ।

(3) आवेदन के साथ, नियोजक या ठेकेदार से प्रमाण पत्र, मजदूरी पर्ची या नियुक्ति पत्र की आवेदक सन्निर्माण कर्मकार है, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होता है तो रजिस्ट्रीकृत सन्निर्माण कर्मकार संघ द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र या सम्बन्धित क्षेत्र के श्रम निरीक्षक द्वारा या पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र पर भी विचार किया जाएगा ।

(4) प्रत्येक भवन कर्मकार जो निधि का हिताधिकारी बनने का पात्र है, वह सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्ररूप संख्या-27 में आवेदन प्रस्तुत करेगा । ऐसे प्रत्येक आवेदन इस नियम में वर्णित दस्तावेजों और 15 रुपये की रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ संलग्न होंगे ।

(5) जहाँ बोर्ड का सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक शर्तें पूर्ण करता है तो ऐसे भवन कर्मकार को सदस्य रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(6) उप- नियम (5) के अधीन लिए गए विनिश्चय के विरुद्ध कोई व्यक्ति 30 दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा और उस पर बोर्ड द्वारा लिया गया विनिश्चय अन्तिम होगा।

(7) भवन कर्मकार प्ररूप-28 में नामांकन भी भरेगा। उसके द्वारा शादी करने पर पत्नी के नाम पर या परिवार की प्रास्थिति में ऐसी विधिक परिवर्तन के होने पर नामांकन पर पुनरीक्षित किया जाएगा।

(8) बोर्ड का सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी प्रत्येक हिताधिकारी को प्ररूप संख्या-32 पर फोटो सहित पहचान पत्र जारी करेगा व ऐसे जारी पहचान पत्रों का प्ररूप संख्या-33 पर रजिस्टर बनाएगा।

**267. निधि के लिए अंशदान.—**(1) निधि का हिताधिकारी, निधि में 20 रुपये का अंशदान करेगा। यह अंशदान अग्रिम में, तीन मास में एक बार उस जिले में जिसमें सदस्य निवास करता है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किसी बैंक में जमा किया जाएगा।

(2) यदि कोई हिताधिकारी एक साल की अवधि के लिये लगातार अंशदान का संदाय करने में, व्यतिक्रम करता है, तो वह निधि का हिताधिकारी नहीं रहेगा। तथापि, सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुज्ञा से, 2 रुपये प्रति मास जुमाने सहित, अंशदान के बकाया का पुनः संदाय पर, इस शर्त के अधीन कि इस प्रकार का पुनराारम्भ दो बार से अधिक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, सदस्यता पुनः आरम्भ कर सकेगा।

**268. नियोजक का विवरणी (रिर्टन) फाईल करने का कर्तव्य.—**(1) प्रत्येक नियोजक इस नियम के प्रारम्भ से 15 दिनों के भीतर बोर्ड के सचिव को भवन कर्मकारों, जो रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार हैं विशिष्टियों सहित, उनके मूल वेतन, भत्ते और मुफ्त भोजन की पूर्ति हेतु किये गए खर्च, यदि कोई है, को दर्शाते हुए एक समेकित विवरणी भेजेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक, सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्ररूप 30 में, रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार कर्मकारों के साथ-साथ उन कर्मकारों, जिन्होंने पूर्ववर्ती मास के दौरान काम छोड़ दिया है, व्यौरे दर्शाते हुए, मासिक आधार पर विवरणी भेजेगा।

(3) प्रत्येक नियोजक, सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्ररूप 31 में, शाखाओं निदेशकों, मैनेजरों, अधिभोगियों, भागीदारों व्यक्ति/व्यक्तियों जिनका उसके स्थापन के कार्यकलापों (कामकाज) पर पूरा नियन्त्रण है, से सम्बन्धित विशिष्टियों का प्रदाय करेगा।

**269. अभिलेखों और रजिस्टर का रखरखाव और प्रस्तुत करना—**(1) प्रत्येक नियोजक भवन कर्मकारों की विशिष्टियाँ और सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा यथानिर्देशित ऐसे प्ररूप में अंशदान का अभिलेख दर्शाते हुए रजिस्टर बनायेगा।

(2) जब कभी सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा वैयवितक रूप से या लिखित सूचना द्वारा भवन कर्मकारों की बाबत (रिकार्ड) अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, तो प्रत्येक नियोजक सम्बद्ध अधिकारी को समय पर ऐसे अभिलेख परिदत्त करेगा और यदि अभिलेख वापस नहीं किये जाते हैं तो वह, उसके द्वारा ऐसे प्रतिधारित अभिलेख हेतु रसीद जारी करेगा।

**270. किसी विद्यमान निधि में संचयन का अन्तरण.—**(1) यदि कोई कर्मकार इस निधि का सदस्य बन जाता है, तो सम्बन्धित प्राधिकारी ऐसी जमा राशि को इस निधि के उस सदस्य के नाम पर अन्तरण करेगा।

(2) अन्य कल्याण निधि का प्राधिकारी, सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, उप- नियम (1) के अधीन अन्तरण की तारीख को प्रत्येक सदस्य के खाते में जमा कुल संचयन (राशि) और सदस्य द्वारा ली गई अग्रिम की रकम, यदि कोई है, को दर्शाते हुए, एक विवरणी देगा।

**271. प्रसूति प्रसुविधा.**—महिला कर्मचारी जो निधि की हिताधिकारी है प्रत्येक को प्रसूति काल के दौरान उसके द्वारा प्ररूप-35 में ऐसे अन्य दस्तावेजों जैसे विनिर्दिष्ट किए जाएं सहित इस प्रसुविधा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर एक हजार रुपये प्रसूति प्रसुविधा के रूप में दिए जाएंगे:

परन्तु यह कि यह प्रसुविधा दो बार से अधिक अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

**272. पेन्शन हेतु पात्रता.**—यदि कोई व्यक्ति कम से कम लगातार तीन (3) वर्षों के लिये हिताधिकारी रहता है तो वह 60 वर्ष की आयु पूरी करने से तुरन्त पूर्व पेन्शन प्राप्त करने के लिये पात्र होगा, और पेन्शन उस मास को जिसमें उसने 60 वर्ष की आयु पूरी की है, के आगामी प्रथम दिवस से देय होगी।

**273. पेन्शन के संदाय हेतु प्रक्रिया.**—(1) पेन्शन के लिए आवेदन बोर्ड के सचिव, अथवा प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप संख्या 35 में प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) यदि बोर्ड के सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की राय में आवेदक पेन्शन के लिए पात्र हैं, तो वह पेन्शन की स्वीकृति देगा और आवेदक को पेन्शन स्वीकृति आदश भेजेगा:

परन्तु यह कि जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है, आवेदन रद्द नहीं किया जाएगा;

(3) यदि यह पाया जाता है कि आवेदक पेन्शन के लिए पात्र नहीं है, तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, और तदानुसार आवेदक को सूचित किया जाएगा।

(4) आवेदक उपनियम (3) के अधीन लिए गए विनिश्चय के विरुद्ध आदश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील दायर कर सकेगा। तथापि बोर्ड पर्याप्त लिखित कारणों से अपील दायर करने में एक वर्ष तक के विलम्ब को माफ कर सकेगा।

(5) पेन्शन की राशि 200 रूपए प्रतिमास होगी। दस रूपए की बढ़ोतरी पांच वर्ष से आगे सेवा के प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष के लिए दी जाएगी। बोर्ड सरकार के पूर्व अनुमोदन से पेन्शन पुनरीक्षित कर सकेगा।

(6) पेन्शन स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी प्ररूप 36 में एक रजिस्टर रखेगा।

(7) पेन्शन के संवितरण की रीति बोर्ड द्वारा विनिश्चय की जाएगी।

**274. मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु अग्रिम.**—(1) बोर्ड, सदस्य के आवेदन पर, सीधे ही मकान की खरीद अथवा मकान के सन्निर्माण के लिए अग्रिम रूप में पचास हजार रूपए तक की राशि की स्वीकृति दे सकेगा। हिताधिकारी को प्ररूप 29 में आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) उप- नियम (1) के अधीन कोई भी अग्रिम उन कर्मचारियों को जिनकी निधि में लगातार पांच वर्षों की सदस्यता नहीं होगी और अधिवार्शिता के लिए पन्द्रह वर्ष की सेवा नहीं होगी स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(3) अग्रिम प्राप्त करने की तारीख से छः मास के भीतर बोर्ड के सचिव को समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अग्रिम के रूप में स्वीकृत राशि की वसूली बोर्ड द्वारा यथा नियत बराबर किशतों में की जाएगी।

**275. निःशक्ता पेन्शन.—**(1) बोर्ड हिताधिकारी को, जो लकवा, कुष्ठरोग, तपेदिक, दुर्घटना आदि के कारण स्थाई रूप से निःशक्त हुआ है को निःशक्ता पेन्शन के रूप में 200/- रुपये प्रतिमाह की रकम की स्वीकृति दे सकेगा। इस पेन्शन के अतिरिक्त वह, निःशक्तता की प्रतिशतता पर निर्भर करते हुए तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो बोर्ड द्वारा नियत की जाए, पांच हजार रुपए से अनधिक के अनुग्रहपूर्वक (एक्सग्रेसिया) संदाय के लिए पात्र होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन निःशक्ता पेन्शन और अनुग्रहपूर्वक संदाय के लिए आवेदन प्ररूप 39 में ऐसे प्रमाणपत्र तथा अन्य दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**276. औजारों को खरीदने हेतु ऋण.—**निधि के सदस्यों को औजारों को खरीदने के लिए ऋण रूप में पांच हजार रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी जिन्होंने निधि में तीन वर्ष की सदस्यता पूरी कर ली हो और जो नियमित रूप में अंशदान भेज रहे हों, वे इस ऋण के लिए पात्र होंगे। हिताधिकारी ने पचपन वर्ष की आयु पूरी न की हो। ऋण राशि की वसूली साठ से अनधिक किशतों में नहीं की जाएगी। इस ऋण के लिए आवेदन प्ररूप 40 में ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**277. अंतिम संस्कार सहायता का संदाय.—**बोर्ड, मृत सदस्य के नामनिर्देशिति/आश्रितों को अंतिम संस्कार के खर्च हेतु 1000/- रु० की राशि स्वीकृत कर सकेगा। इस प्रसुविधा के लिए आवेदन प्ररूप 41 पर प्रस्तुत किया जाएगा।

**278. मृत्यु प्रसुविधा (लाभ) का संदाय.—**(1) बोर्ड, सदस्य के नामनिर्देशिति/आश्रितों को मृत्यु हो जाने की दशा में 15,000/- रुपये की राशि मृत्यु प्रसुविधा के तौर पर स्वीकृत कर सकेगा यदि मृत्यु नियोजन के दौरान दुर्घटना द्वारा होती है तो सदस्य के नामनिर्देशिति/आश्रितों को 50,000/- हजार रुपये की राशि मृत्यु प्रसुविधा (लाभ) के तौर पर दी जाएगी।

(2) मृत्यु प्रसुविधा (लाभ) का रजिस्टर प्ररूप 38 में अनुरक्षित किया जाएगा।

**279 मृत्यु प्रसुविधा (लाभ) हेतु आवेदन.—**(1) नामनिर्देशिति जो इस नियम के अधीन, मृत्यु प्रसुविधा के लिए पात्र है, सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्ररूप 37 में आवेदन प्रस्तुत करेगा। मृत्यु/दुर्घटना के सम्बन्ध में सरकारी डॉक्टर द्वारा, जो सहायक सर्जन की पंक्ति से नीचे का ना हो द्वारा प्रमाण पत्र, आवेदन तथा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक की पात्रता के संबंध में जांच कर सकेगा।

(3) यदि सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि व्यक्ति जिसने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है ऐसी प्रसुविधा (लाभ) के लिए पात्र है तो वह राशि स्वीकृत कर सकेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन लिए गए किसी विनिश्चय से व्यथित व्यक्ति उस उपनियम के अधीन आदश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगा और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा।

**280. हिताधिकारियों के लिए चिकित्सा सहायता.—**बोर्ड उन हिताधिकारियों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत कर सकता है जो दुर्घटना अथवा किसी रोग के कारण पांच या अधिक दिनों के लिए अस्पताल में इलाज करवा रहे हों। वित्तीय सहायता पहले पांच दिनों के लिए दो सौ रुपए और शेष प्रत्येक दिन के लिए बीस रुपये होंगे, परन्तु अधिकतम एक हजार रुपए होगी। यह सहायता हिताधिकारियों को भी दी जाएगी जिनकी दुर्घटना हुई हो और उनके निवास पर ही रोगी को पलस्तर लगाया गया हो। यदि निःशक्तता दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई हो, तो कर्मकार निःशक्तता की प्रतिशतता के आधार पर अधिकतम पांच हजार



रुपए तक की वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा। आवेदन प्ररूप 42 अथवा 46 में ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**281. शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता.**—सदस्यों के दो बच्चे तक ऐसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे जो बोर्ड द्वारा ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए अवधारित किए जाएं जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय विनिर्दिष्ट किया जाए। आवेदन प्ररूप 43 में ऐसे दस्तावेजों के साथ तथा ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

**282. शादी हेतु वित्तीय सहायता.**—निरंतर तीन वर्ष की सदस्यता रखने वाले भवन कर्मकार अपने बच्चों की शादी के लिए पांच हजार एक सौ रुपयों की वित्तीय सहायता लेने के पात्र होंगे। इस निधि की महिला सदस्य भी अपनी शादी के लिए इस सहायता को पाने की हकदार होगी। यह सहायता हितकारी के दो बच्चों की शादी के लिए स्वीकृत की जाएगी। आवेदन प्ररूप 49 में ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**283. पारिवारिक पेन्शन.**—पेन्शन भोगी की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेन्शन जीवित पति/पत्नी को उनके दोबारा शादी न करने पर दी जाएगी। यदि कर्मी की पति/पत्नी नहीं है तो उनके बच्चों को यदि लड़का/लड़के 25 वर्ष की आयु से कम के हों और यदि अविवाहित लड़कियां जो 25 वर्ष से कम हों, वे पारिवारिक पेन्शन को बराबर बांटते हुए पारिवारिक पेन्शन के लिये पात्र होंगे। पेन्शन की राशि पेन्शन भोगी द्वारा ली जा रही पेन्शन के पचास प्रतिशत या, एक सौ रुपये जो की अधिक होगी। आवेदन प्ररूप संख्या 45 में बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के साथ पेन्शन भोगी की मृत्यु की तारीख से तीन मास के अन्दर प्रस्तुत किया जाएगा।

**284. अग्रिमों और ऋणों की वसूली.**—बोर्ड को ऋण और अग्रिमों की वसूली के लिए शर्तें नियत करने की शक्ति होगी।

**285. मृत सदस्य के अंशदान की राशि का प्रतिदाय.**—(1) किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके खाते में पड़ी अंशदान की राशि उसके नामनिर्देशिति को दी जाएगी। नामनिर्देशिति के न होने पर राशि का संदाय उसके विधिक वारिसों को बराबर हिस्सों में किया जाएगा।

(2) मृत्यु प्रसुविधा से अन्यथा इन नियमों के अधीन सभी वित्तीय प्रसुविधाएं और दुर्घटना के लिए चिकित्सा सहायता व्यक्ति के निधि का सदस्य बनने के केवल एक वर्ष के बाद संदेय होगी।

**286. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना.**—बोर्ड, लोक निर्माण विभाग तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में दैनिक वेतन भोगी कर्मकारों के लिए बीमा कम्पनियों के द्वारा चलाई जा रही दुर्घटना बीमा योजना के समानान्तर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लिए समूह (सूचक) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना अनुज्ञात करा सकती है।

**287. लेखा.**—(1) प्रशासनिक खर्चों को अपवर्जित करके सभी ब्याज, किराया और अन्य प्राप्त आय एवं सभी लाभ या हानियां, यदि कोई हों, को यथास्थिति निवेश पर "ब्याज विलम्बित लेखा" लेखे में जमा विकलित किया।

(2) बोर्ड का सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्रति वर्ष मार्च के पन्द्रहवें दिन या ऐसी तारीख को, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए निधि की आस्तियों की वर्गीकृत विवरणी से संलग्न वार्षिक रिपोर्ट पर सरकार को विवरणी प्रस्तुत करेगा।

**288. राशि का निवेश.**—निधि से सम्बन्धित समस्त धन राशि, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा अनुसूचित बैंक अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2), की धारा 20 के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश की जाएगी।

**289. निधि का उपयोग.**—सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना, निधि अधिनियम और नियमों में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए खर्च नहीं की जाएगी।

**290. निधि से खर्च.**—(1) निधि के प्रशासन के लिए सभी खर्च, बोर्ड के निदेशकों की फीस और भत्ते, वेतन, अवकाश वेतन, ज्वाइनिंग टाईम का वेतन, यात्रा भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ते, प्रभार भत्ते, पेन्शन अंशदान और व्यक्तिगत खर्च, की अन्य प्रसुविधाएं बोर्ड की विधि संगत आवश्यकताओं और लेखन सामग्री (स्टेशनरी खर्च) काश के प्रशासनिक खाते में से किए जाएंगे।

(2) निधि के प्रबन्ध हेतु सरकार द्वारा उपगत राशि को ऋण राशि माना जाएगा जिसको कोष के प्रशासनिक लेखा खाते से लौटाया जाएगा।

**291. बोर्ड के काम काज (कृत्यों) सम्बन्धी रिपोर्ट.**—प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड के कामकाज की रिपोर्ट आगामी वर्ष 15 जून से पूर्व बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी और उसी वर्ष 31 जुलाई से पूर्व सरकार के पास प्रस्तुत करनी होगी।

**292. रजिस्ट्रों और रिपोर्टों की प्रतियां प्रस्तुत करना.**—बोर्ड का सचिव, रजिस्टर कोष की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां, किसी नियोजक अथवा कोष के सदस्य को लिखित आवेदन पर और सरकार के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर, देगा।

**293. बकाया की वसूली.**—यदि किसी नियोजक अथवा सदस्य से देय राशि बकाया में हो, तो बोर्ड का सचिव अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी, बकाया राशि का अभिनिश्चयन करके सम्बन्धित जिला कलैक्टर को उस राशि का एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। जिला कलैक्टर, प्रमाण पत्र मिलने पर राशि की वसूली उसी रीति से करेगा जैसे भूमि राजस्व के बकाया की वसूली की जाती है।

**294. अनुबन्ध का निष्पादन.**—सभी आदेश अथवा अन्य लेखपत्र बोर्ड के नाम बनाए और निष्पादित किए जाएंगे और बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

## भाग-6

### प्रकीर्ण उपबंध

#### अध्याय- 32

### भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक और निरीक्षकों की शक्तियां

**295. विशेषज्ञ, अभिकरण लगाने (रखने) की शक्ति.**—(1) भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण का मुख्य निरीक्षक जैसा आवश्यक समझे, सिविल इंजीनियरी, संरचनात्मक इंजीनियरी, वास्तुकला (स्थापत्यकला) तथा उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की अन्य शाखाओं के क्षेत्र से किसी निरीक्षण, अन्वेषण या किसी दुर्घटना या किसी खतरनाक घटना या अन्यथा के कारण जांच करने के संचालन के प्रयोजन के लिए जब भी अपेक्षित हो विशेषज्ञ या अभिकरण लगा (रख) सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पास;

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत क्षेत्र में डिग्री रखता हो।

(ख) सुसंगत क्षेत्र में दस साल से अन्यून का कार्यशील (कार्यकरण) का अनुभव रखता हो, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में रखता हो।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभिकरण सुंसगत क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की होगी और सुंसगत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत होगी।

(4) राज्य सरकार समय-समय पर उपनियम (1) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों और अभिकरणों का पैनाल तैयार कर सकेगी।

(5) उपनियम (1) के अधीन नियोजित इंजीनियर या विशेषज्ञ या अभिकरण को ऐसे यात्रा भत्तों या दैनिक भत्तों का संदाय किया जाएगा जो उसे उसके संगठन द्वारा अनुज्ञात हैं जहां वह नियोजित है या ऐसे यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते जो हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ग-1 के अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।

(6) किसी इंजीनियर या वास्तुविद या अभिकरण को उपनियम (5) में निर्दिष्ट यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के अतिरिक्त उनको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट ऐसी दरों पर मानदेय का भी संदाय किया जाएगा।

**296. नरीक्षको की शक्तिया.—**(1) निरीक्षक ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर;

- (i) ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए उपयोग किए गए ऐसे सन्निर्माण स्थल, स्थान या परिसर का परीक्षण कर सकेगा;
- (ii) किसी व्यक्ति का साक्ष्य घटना स्थल पर या अन्यथा से ले सकेगा जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य के संबद्ध किसी परीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझता है;
- (iii) फोटोचित्र, वीडियो क्लिपस, वजन या माप का सैम्पल या अभिलेख ले सकेगा या ऐसे रेखाचित्र बना सकेगा जो इन नियमों के अधीन किसी परीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिए वह आवश्यक समझता है; और
- (iv) किसी दुर्घटना या खतरनाक घटना के कारण की जांच कर सकेगा जिसके लिए उसके पास यह विश्वास करने के लिए कारण है कि वह ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से संबद्ध या किसी संक्रिया का परिणाम या अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों में से किसी के अननुपालन का परिणाम था।

(2) निरीक्षक ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिनके लिए वह नियुक्त किया गया है अधिनियम या तदधीन बनाए गये नियमों के अधीन उपबंधित भवन निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण के सम्बन्ध में नियोजकों को कारण बताओ सूचना (नोटिस) या चेतावनी जारी कर सकेगा।

(3) निरीक्षक ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिनके लिए वह नियुक्त किया गया है अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में कोई परिवाद या अन्य कार्यवाही फाइल कर सकेगा।

(4) निरीक्षक ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिनके लिए वह नियुक्त किया गया है इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी ठेकेदार या किसी नियोजक को भवन निर्माण कर्मकारों की स्वास्थ्य (चिकित्सा) परीक्षा करवाने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(5) निरीक्षक ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिनके लिए वह नियुक्त किया गया है, सन्निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति वाले यथास्थिति किसी व्यक्ति या ऐसे सन्निर्माण स्थल के नियोजक, परियोजना भारसाधक से ऐसे साधन या सहायता उपलब्ध करवाये जाने की अपेक्षा कर सकेगा जो अधिनियम

की धारा 43 की उपधारा (1) या ऐसे सन्निर्माण स्थल या परियोजना से संबंधित इस नियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ऐसे निरीक्षक द्वारा प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षण या जांच के लिए अपेक्षित है।

**297. प्रतिशोध आदेश.**—(1) यदि निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि किसी स्थल या स्थान जिस पर कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जा रहा है जो ऐसी हालत में है कि भवन कर्मकारों या आम जनता के जीवन, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, तो वह लिखित में भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजक पर या उस स्थापना के स्वामी पर या उस स्थल या स्थान के प्रभारी व्यक्ति पर ऐसे स्थल या स्थान पर किसी भवन या निर्माण कार्य को प्रतिशोध करते हुए आदेश तामील कर सकेगा जब तक कि उसके समाधानपूर्ण रूप में, खतरे के कारण को दूर करने के लिए उपाय नहीं कर लिए जाते हैं।

(2) उपनियम (1) के अधीन आदेश तामील करने वाला निरीक्षक भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक को एक प्रति पृष्ठांकित करेगा।

(3) ऐसे प्रतिशोध आदेश का नियोजक द्वारा तुरन्त पालन किया जाएगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको उसे ऐसा आदेश संसूचित किया जाता है, के पन्द्रह दिन के भीतर भवन एवं सन्निर्माण के मुख्य निरीक्षक, सचिव (श्रम) हिमाचल प्रदेश को अपील कर सकेगा और यथास्थिति, मुख्य निरीक्षक या सचिव (श्रम) आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात यथासंभव शीघ्रता से अपील का निपटान करेगा।

परन्तु यह और कि प्रतिशोध आदेश का भवन एवं सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक तथा सचिव (श्रम) हिमाचल प्रदेश सरकार के विनिश्चय तक पालन किया जाएगा।

### अनुसूची- 1

(नियम- 56 (क), 70 (क), और 71 देखें)

उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर और तार रज्जु के प्रथम उपयोग से पूर्व किए जाने वाली जांच और परीक्षण की रीति।

#### जांच भार:-

(1) उत्थापक साधित्र.—

प्रत्येक उत्थापक साधित्र इसके उपसाधन गियर के साथ, ऐसे जांच भार के अध्यधीन रखा जाएगा जो निरापद कार्यकरण भार (नि.का.भा.) से इस प्रकार अधिक होगा जैसा निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट है:-

#### सारणी

निरापद जांच भार	जांच भार
20 टन तक	निरापद सुरक्षित कार्यकरण भार से 25 प्रतिशत अधिक निरापद
20 से 50 टन	कार्यकरण भार से 5 टन अधिक निरापद कार्यकरण भार से
50 टन से अधिक	10 प्रतिशत अधिक

(2) उत्पापक गियर:

(क) प्रत्येक रिंग, हुक, चैन, शैकल, सिववैल, आई-बोल्ट, प्लैट क्लैम्प, त्रिभुजाकर प्लैट अथवा घिरनी ब्लाक एकल शीव खंड के सिवाय ऐसे जांच भार के अध्याधीन रखा जाएगा जो निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट भार से कम नहीं होगा:

सारणी	
निरापद कार्यकरण भार (टनों में)	जांच भार (टनों में)
25 तक	2 x निरापद कार्यकरण भार
25 से उपर	(1.22 x निरापद कार्यकरण भार) 20

(ख) एकल शीव ब्लाक (खंड) के मामले में, निरापद कार्यकरण भार ऐसा अधिकतम भार होगा जिसे ब्लाक (खंड) द्वारा, जब इसे शीर्ष फिटिंग द्वारा लटकाया गया हो और भार रज्जु से जोड़ा गया हो जो ब्लाक (खंड) की शीव के चारों ओर लिपटी हो, सुरक्षित रूप से उठाया जा सकता है और प्रस्तावित निरापद कार्यकरण भार के चार गुणा से कम जांच भार खंड के शीर्ष पर नहीं लगाया जाएगा।

(ग) बहु शीव खंड के मामले में, जांच भार निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट भार से कम नहीं होगा:-

सारणी	
निरापद कार्यकरण भार (टनों में)	जांच भार (टनों में)
25 तक	2 x निरापद कार्यकरण भार
25 से (अधिक) ऊपर	2 x निरापद कार्यकरण भार
25 से 160	(0.9933 x निरापद कार्यकरण भार) 27
160 से ऊपर	1.1 x निरापद कार्यकरण भार

(घ) हस्त-चालित घिरनी खंडों के, जो स्थिर चैनों और रिंगों, हुकों, शैकलस अथवा इससे स्थायी रूप से जुड़ी सिववैल के साथ प्रयुक्त होते हैं, मामले में वह जांच भार लगाया जाएगा जो निरापद कार्यकरण भार से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होगा।

(ङ) बालटी से युक्त घिरनी खंड की दशा में, बालटी की जांच की जाएगी और उस खंड की जांच के दौरान बालटी पर लगाए गए भार को बालटी के जांच भार के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(च) दो टागों वाली स्लिंग की दशा में, निरापद कार्यकरण भार तब संगणित किया जाएगा जब दोनों टागों के बीच 90 अंश का कोण हो। कई टागों वाली स्लिंग की दशा में निरापद कार्यकरण भार राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संगणित किया जाएगा।

(छ) प्रत्येक उत्पापक बीम, उत्पापक (फ्रेम) विरचना, छिड़काव करने वाला पात्र (कन्टेनर सप्रेडर) बालटी टब अथवा अन्य समान युक्तियों पर पर नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट भार से कम जांच भार नहीं लगाया जाएगा :-

सारणी	
निरापद कार्यकरण भार (टनों में)	जांच भार (टनों में)
10 टन तक	2 x निरापद कार्यकरण भार
10 से 160	(1.04 x निरापद कार्यकरण भार)+9.6
160 से उपर	1.1 x निरापद कार्यकरण भार

(ज) ताररज्जु.—तार रज्जुओं की दशा में एक नमूने की, जब तक वह नष्ट न हो जाए, जांच की जाएगी। जांच प्रक्रिया मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगी। निरापद कार्यकरण भार उस भार को जिस पर नमूना टूट जाता है, उपयोग के (कार्यक्षम) गुणांक से जो निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट के अनुसार अवधारित होता है, विभाजक द्वारा निश्चित किया जाएगा।

सारणी

मद (1)	उपयोग का गुणांक (कार्यक्षम) (2)
(क) तार रज्जु जो स्लिंग का भाग है। स्लिंग का निरापद कार्यकरण भार 10 टन तक तथा उसके बराबर निरापद कार्यकरण भार 10 टन से ऊपर तथा 160 टन तक या 160 टन के बराबर	5       (8.85 x निरापद कार्यकरण भार)+1910
(ख) 160 टन से ऊपर निरापद कार्यकरण भार वह तार रज्जु जो उत्पापक साधित्र का अभिन्न अंग है: उत्पापक साधित्र का निरापद कार्यकरण भार 160 टन या उसके निरापद कार्यकरण भार के बराबर	3       10 (8.85 x निरापद कार्यकरण भार). 1910

(झ) किसी जांच के क्रियान्वित किए जाने से पूर्व, सम्मिलित (अन्तर्वलित) उत्पापक साधित्र, या वियोजित गियर का दृष्टि निरीक्षण (विजुअल इन्स्पैक्शन) किया जाएगा तथा कोई प्रत्यक्षतः खराब गियर, बदला जाएगा या नवीकृत किया जाएगा।

(ञ) किसी करने के बाद, सभी उत्पापक गियर यह देखने के लिए परीक्षित किए जाएंगे कि क्या जांच द्वारा कोई भाग अपकृत या स्थायी रूप से विकृत हो गया है। जांच की प्रक्रिया:

(3) डेरिक: (क) डेरिक की जांच इसकी बूम के साथ इसके क्षेतिज से निम्नतम कोण जिसके लिए डेरिक बनाया गया है, साधारणतया 15 डिग्री पर ऐसे उच्चतर कोण पर जैसा कि सम्मत है जिस कोण पर जांच की गई है वह जांच प्रमाण-पत्र में उल्लिखित होगी। जांच भार चल बाटों के उत्तोलन द्वारा लगाया जाएगा, जांच के दौरान बूम को जांच भार के साथ दोनों दिशाओं में, जहां तक हो सके झुलाया जाएगा।

(ख) लटके हुए भार के साथ शक्ति से ऊपर उठाये जाने के लिए बनाये गये डेरिक बूम को जांचों के अतिरिक्त (क) (लटके हुए भार के साथ) क्षैतिज से और दो बाह्यतम स्थितियों से अधिकतम कार्य करण कोण तक उठाया जाएगा।

(ग) भारी उत्पापक डेरिक पर जांच भार लगाते हुए, जांच के लिए जिम्मेदार सक्षम व्यक्ति उस पर चल बांट लगाते समय पोत के मालिक या चलायमान प्लेटफार्म से यह अभिनिश्चित करेगा कि पोत या चलायमान प्लेटफार्म जांच के लिए पर्याप्त मजबूत है।

(4) खंड (3) के अधीन जांचे गए डेरिक का उपयोग युनियन (पर्चेजरिग) में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि:

- (क) यूनियन क्रय (पर्चेज) क्रयों में रिगड डेरिकों की जांच संघ क्रय में निरापद कार्यकरण भार, के समुचित जांच भार से नहीं की जाती (बनाए गए हैडरूम पर और जब डैरिक बूम अपनी अनुमोदित कार्यकरण स्थितियों में हों।
- (ख) उस डेरिक का यूनियन क्रय रिग में दिया निरापद कार्यकरण भार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्ररूप 5 की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता।
- (ग) उक्त रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किन्हीं परिसीमाओं या शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता, और
- (घ) दोनों उत्तोलक रज्जुओं की स्विचवैल असेम्बली द्वार इकट्ठे युग्मित नहीं किया जाता।

**टिप्पणी.**—डेरिकों का निरापद कार्यकरण भार (यूनियन के क्रय सहित रिग की प्रत्येक रीति के लिए) जांच के प्रमाण-पत्र पर उपदर्शित किया जाएगा और डेरिक बूमों पर भी चिन्हांकित किया जाएगा।

(5) उत्थापक साधित्र.—(क) जांच भार को ऊपर उठाया जाएगा और दोनों दिशाओं में जिस दूरी तक संभव हो झुलाया जाएगा। यदि क्रेन के जिब या बूम का अर्ध व्यास परिवर्तनशील है तो उसकी जांच अधिकतम और न्यूनतम अर्ध व्यासों पर जांच भार लगा कर की जाएगी। हाइड्रोलिक क्रेनों की दशा में जब दबाव की परिसीमा के कारण मद (1) के अधीन सारणी के अनुसरण में जांच भार उठाना असंभव है, तब सर्वाधिक संभव भार को जो निरापद कार्यकरण भार से अधिक होगा, उठाना पर्याप्त है।

(ख) जांच अधिकतम/न्यूनतम और मध्यवर्ती अर्धव्यास बिन्दुओं पर और साथ ही चक्रानुक्रम के वृतांश के ऐसे बिन्दुओं पर जो सक्षम व्यक्ति विनिश्चित कर संपादित की जाएगी। जांच में उत्तोलन, नीचे करना, तोडना और सभी स्थितियों में घूमना और समान्यतः संपादित संक्रियाएं सम्मिलित है। निरापद कार्यकरण भार लटकाकर मशीन को उसकी अधिकतम कार्यकरण गति पर परिचालन कर एक अतिरिक्त जांच भी की जाएगी।

(6) जांच भार डालने के लिए स्प्रिंग या हाइड्रोलिक तुला इत्यादि का उपयोग सामान्यतः सभी जांच स्थावर बांटों की सहायता से की जाएगी। कालिक जांच प्रतिस्थापना या नवीकरण की दशा में जांच भार उपयुक्त स्प्रिंग या हाइड्रोलिक तुला के द्वारा लगाया जा सकता है ऐसे मामले में, जांच भार, जब बूम दोनों दिशाओं में यथासाध्य बाहर हो, लगाया जाएगा। जांच को तब तक संतोषप्रद नहीं माना जाएगा जब तक कि तुला—2.0 प्रतिशत तक की यथार्थता के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं की जाती और मशीन की सुई जांच भार सूचक से कम से कम पाँच मिनट की अवधि के लिए स्थिर नहीं रहती।

(7) जांच करने वाली मशीन और स्थावर बाट.—(क) जंजीरों, तार रज्जुओं और अन्य उत्थापक गियरों की जांच के लिए उपयुक्त जांच मशीनों का उपयोग किया जाएगा।

(ख) जांच भार लगाने, जांच और चैक करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जांच मशीनों और तुलाओं का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती बारह मासों में कम से कम एक बार, यथार्थता के लिए प्रमाणित न किए गए हों।

(ग) उत्थापक साधित्रों को जांच भार लगाने में प्रयुक्त होने वाले जंगम बाट जिनका निरापद कार्यकरण भार बीस टन से अधिक नहीं है, यथार्थता के लिए प्रमाणित यथार्थता वाली उपयुक्त तुलन मशीन द्वारा चैक किए जाएंगे।

(8) जांच अथवा जांच भार लगाने के पश्चात संपूर्ण परीक्षण.—जांच अथवा जांच भार लगाने के पश्चात प्रत्येक उत्थापक साधित्र और सहयुक्त गियर की सम्पूर्ण जांच यह देखने के लिए की जाएगी कि जांच के दौरान इनके किसी भाग को नुकसान तो नहीं पहुँचा अथवा वह स्थायी तौर पर विरूपित तो नहीं हो गया। इस प्रयोजन के लिए उत्थापक साधित्र या गियर को उस प्रमाण तक खोला जाएगा जिसे सक्षम व्यक्ति द्वारा आवश्यक समझा जाए।

**अनुसूची-2**

( नियम- 230 (क) देखें)

**भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में अधिसूचित उपजीविका जन्य रोग**

1. उपजीविकाजन्य त्वचा शोथ
2. उपजीविकाजन्य कैंसर
3. एस्वेस्टोसिस
4. सिलीकोसिस
5. सीसा विशाक्तता जिसमें सीसे की किसी निर्मिती या सम्मिश्रण या उनके अनुगम की विशाक्तता सम्मिलित है।
6. बैनजीन विशाक्तता जिसमें इसकी सजातीय (होमोलोगस) उनके नाइट्रो अथवा अमाइंडो व्युत्पन्न या इसके अनुगम की विशाक्तत सम्मिलित है।
7. उपजीविकाजन्य दमा
8. कीटनाशी विशाक्तता
9. कार्बन मोनो आक्साइड विशाक्तता
10. विशैली पीलिया
11. विशैली रक्तक्षीणता
12. संपीडित वायु रूग्णता (केसन रोग)
13. शोर प्रेरित श्रवण क्षति
14. आइसोसाइमेट विशाक्तता
15. विशैली नैफराइटिस

**अनुसूची-3**

( नियम-231 (ख) देखें)

**प्राथमिक उपचार पेटिका की अर्न्तवस्तु**

1. आसुत जल अथवा उपयुक्त द्रव से भरी नेत्र धवन बोतलों की पर्याप्त संख्या जो सदैव दृश्यमान स्पष्ट चिन्ह द्वारा उपदर्शित होगी।
2. 4 प्रतिशत आक्सीकलेन आई ड्रॉप्स और बौरिक ऐसिड आई ड्रॉप्स और सोडा बाई कार्बोनेट आई ड्रॉप्स।
3. चौबीस छोटी विसंक्रमित मरहम पट्टी।
4. बारह मध्यम आकार की विसंक्रमित मरहम पट्टी।
5. बारह बड़े आकार की विसंक्रमित मरहम पट्टी।
6. बारह बड़े आकार की विसंक्रमित गर्म मरहम पट्टी।
7. बारह (पन्द्रह सेंटीमीटर) विसंक्रमित रूई उन के पैकेट।
8. सिटरी माईड घोल (1 प्रतिशत) या उपयुक्त प्रतिरोधी घोल की बोतल (दो सौ मिलीमीटर)।
9. पानी में मरक्यूरोक्रोम (2 प्रतिशत) घोल की 1 बोतल (दो सौ मिलीमीटर)।
10. आकसल वालटाइल एमोनियम कार्बोनेट की 1 बोतल (1 सौ बीस मिलीमीटर) जिसके लेबल पर डोज और उसको देने/लगाने की रीति उपदर्शित हो।
11. एक जोड़ी कैंची।
12. आसंजक प्लास्टर का एक रोल (छः सेंटीमीटर x एक मीटर)।
13. आसंजक प्लास्टर का दो रोल (दो सेंटीमीटर x एक मीटर)।
14. पृथक पैकेट में सीलबंद बारह विसंक्रमित आई पैड।



15. सौ एस्पिरिन या अन्य कोई पीड़ाहारी, गोलियां (प्रत्येक तीन सौ पच्चीस मिलीग्राम की) से युक्त एक बोतल।
16. दस सेंटीमीटर चौड़ी बारह रोलर पट्टियां।
17. पांच सेंटीमीटर चौड़ी बारह रोलर पट्टियां।
18. एक (दुर्निकेट) रक्तबन्ध।
19. उपयुक्त स्पलिनट की पूर्ति।
20. सुरक्षा पिन के तीन पैकेट।
21. गुरदा ट्रे।
22. एक सर्पदंश नशत्र।
23. पोटेशियम परमेगनेट क्रिस्टल्स से युक्त एक बोतल (तीस मिलीलिटर)।
24. महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए प्राथमिक उपचार के पर्चे की एक प्रति।
25. छः त्रिभुजाकर पट्टियां।
26. दो उपयुक्त, विसंक्रमित, सफेद दस्तानों के जोड़े।

#### अनुसूची-4

(नियम 226 (ग) देखें)

#### एम्बुलेंस कमरे के लिए सामान

- (1) एक कांचित सिंक जिसमें गर्म और ठंडा पानी सदैव उपलब्ध रहे।
- (2) चिकने फलक वाली एक मेज जो कम से कम 180 सेंटीमीटर ग 105 सेंटीमीटर हों।
- (3) उपकरणों को विसंक्रमित करने के साधन।
- (4) एक कोच।
- (5) दो स्ट्रेचर।
- (6) दो बाल्टियां अथवा पात्र जिनके ढक्कन मजबूती से बंद होते हों।
- (7) दो रबड के गर्म पानी के थैले।
- (8) एक केतली और स्पिरिट स्टोव अथवा पानी उबालने का कोई उपयुक्त साधन।
- (9) बारह लकड़ी के समतल स्पलिनट 900 सेंटीमीटर x 100 सेंटीमीटर x 6 सेंटीमीटर।
- (10) बारह लकड़ी के समतल स्पलिनट 350 सेंटीमीटर x 75 सेंटीमीटर x 6 सेंटीमीटर।
- (11) छह लकड़ी के समतल स्पलिनट 250 सेंटीमीटर x 50 सेंटीमीटर x 12 सेंटीमीटर।
- (12) छह उन के कंबल।
- (13) तीन धमनी चिमटी के जोड़े।
- (14) स्पिरिट एनिमि एरिमेंशन की एक बोतल (120 मिलीलिटर)।
- (15) स्मैलिंग साल्ट।
- (16) दो मध्यम आकार की स्पंज।
- (17) छह छोटे तौलिए।
- (18) चार गुर्दा ट्रे।
- (19) चार हाथ धोने के साबुन की टिकियां जो अधिमानतः प्रतिरोधी हो।
- (20) दो कांच के गिलास और दो वाइन के गिलास।
- (21) दो क्लीनिकल थर्मामीटर।
- (22) दो छोटे चम्मच।
- (23) दो अशांकित मापन गिलास (120 मिलीमीटर)।
- (24) दो न्यूनतम मापन गिलास।
- (25) आंखे धोने के लिए वॉश बोतल (1000 सीसी)।
- (26) कार्बोलिक लोशन 20 में एक बोतल (एक लीटर)।

- (27) तीन कुर्सियां।
- (28) एक स्क्रीन।
- (29) एक छोटी बिजली टार्च।
- (30) चार प्राथमिक उपचार पेटिकाएं या आल्मारियां जिनमें अनुसूची 7 में विहित मानकों के अनुसार सामान हों।
- (31) टैटनस टोक्सॉइड की पर्याप्त पूर्ति।
- (32) मार्फिया, पेथिडाइन, एट्रोफिन, एडरेनेलिन, कोरामाइन, नाबक्राईन के टीके (प्रत्येक 6)।
- (33) कर्माइन द्रव (60 मिलीमीटर)।
- (34) एन्टीहिस्टारमिनिक, एन्टीस्थास्मोडिक की गोलियां (प्रत्येक 25)।
- (35) सिरीजे-2 सी.सी., 5. सी. सी. और 10 सी. सी. और 500 सी. सी. की सुईयों के साथ।
- (36) तीन शल्यक कैंचियां।
- (37) दो सुई पकड़ने वाले, एक छोटा और एक बड़ा।
- (38) टांका लगाने वाली सुईयों और सामान।
- (39) तीन विच्छेदन करने वाली चिमटियां।
- (40) तीन मरहम पट्टी करने वाली चिमटियां।
- (41) तीन क्षुरिकाएं।
- (42) एक (परिक्षावक) स्टेथोस्कोप और एक बी.पी. उपकरण।
- (43) रबड़ पट्टी- दाब पट्टी।
- (44) आक्सीजन सिलेंडर आवश्यक संलग्नकों के साथ।
- (45) अट्रोपाइन आखों का (मरहम) विलेप।
- (46) आई. बी. तरल और सेट 10 की संख्या में।
- (47) उचित, पांव से खुलने वाले, ढक्कन वाले, कचरे के पात्र।
- (48) पर्याप्त संख्या में विसंक्रमित, (असंस्कृत) सफेद रबड़ के दस्तानों के जोड़े।

### अनुसूची- 5

( नियम- 227 देखें)

### एम्बुलेंस वैन अथवा गाड़ी की अर्न्तवस्तुएं

एम्बुलेंस वैन में ऐसे उपस्कर होंगे जो निम्न प्रकार से विहित हैं:-

**(क) साधारण.**—एक वहनीय स्ट्रेचर जिसके साथ मुड़ना और समायोजी युक्तियों के, साथ ही स्ट्रेचर का शीर्ष ऊपर मुड़ने में समर्थ हो। उपस्कर के साथ स्थिर के साथ उपस्कर आक्सीजन आपूर्ति, तकिया, गिलाफ के साथ चादरें कम्बल, तौलिए, आपातकालीन थैला, बैड पैन, मूत्रपात्र गिलास।

**(ख) सुरक्षा उपस्कर.**—तीन हजार मिनट तक सक्रिय रहने वाला फलारोस, फलोर लाइटें, फलैश लाइटें अग्निशामक (शष्क पावर टाइप) विद्युत्तरोधी गन्टलेट।

**(ग) आपातकालीन देखभाल उपस्कर.**—(i) पुनरुज्जीवन: वहनीय चूशण इकाई, वहनीय आक्सीजन इकाई, बेगबाल्व मास्क, हाथ से चलने वाली कृत्रिम संतातन इकाई, वायु मार्ग माउथगैग-ट्रेकियोस्टोमी अडाप्टरस अनुकूल, छोटा स्पाइन बोर्ड, अन्त षिररीय तरल लगाने वाली इकाई के साथ, रक्तचाप मेनोमीटर, कफ स्टेथोस्कोप परिश्रामक:।

(ii) स्थाईकरण: लम्बे और छोटे गद्देदार बोर्ड, तार सीढ़ी स्पलिट, त्रिभुजाकर पट्टी: लम्बे और छोटे स्पाइन बोर्ड।

(iii) मरहम पट्टी: गाज पैड— 100 मि०मी० ग 100 मि०मी०, यूनिवर्सल मरहम पट्टी 250 मि०मी० x 1000 मि०मी०, एल्युमिनियम फाइल का रोल, साफ्ट रोलर पट्टी 150 मि०मी० x 5 मि०मी०, गज चिपकने वाली टेप 75 मि०मी० के रोल में, सेफटी पिन, बेन्डेज शीट, बर्न शीट:

(iv) विशाक्तता: इपेकाक का सिरप, सक्रियित चारकोल पूर्व पेकेटिड डोरा, सर्पदंश किट, पीने का पानी:

(v) आपातकालीन दवाइयां: आवश्यकता के अनुसार (निर्माण मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अधीन)।

### अनुसूची- 6

( नियम-34 देखें )

निरन्तर शोर के मामलों में अनुज्ञेय अनावृति

अनावृति का कुल समय (निरन्तर अथवा अल्पकालीन अनावृति की संख्या) प्रतिदिन	ध्वनि दाब स्तर (डी० बी० ए० में) (घंटों में)
(1)	(2)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	107
¾	107
½	110
¼	115

टिप्पणियां.—1. 115 डी०बी०ए० से अधिक का कोई अनावृति अनुज्ञात नहीं है।

2. अनावृति की किसी ऐसी अवधि के लिए, जो स्तम्भ 1 में उपदर्शित कोई अंक उसके निकटतम ऊपर वाले अथवा नीचे वाले अंक के बीच में आती है, ध्वनि दाब स्तर अनुपातिक आधार पर वहिर्वर्शन द्वारा अवधारित किया जाएगा।

## अनुसूची- 7

## नियम-नियम 81 (IV) और 223 (क) (III) देखें

## भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सीय जांच की आवर्तिता

1. नियोजक ऐसे सभी भवन निर्माण कर्मकारों की जो उत्थापक साधित्रों अथवा परिवहन उपस्करों में चालकों, आपरेटरों के रूप में नियुक्त हैं, नियुक्ति से पूर्व, और बीमारी अथवा शारीरिक क्षति के पश्चात यदि यह प्रतीत होता है कि बीमारी अथवा शारीरिक क्षति ने उसकी समर्थता को प्रभावित किया है और तत्पश्चात चालीस वर्ष की आयु तक प्रत्येक दो वर्ष में एक बार और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष में एक बार चिकित्सीय जांच की व्यवस्था करेगा।

2. चिकित्सीय जांच का संपूर्ण और गोपनीय अभिलेख नियोजक अथवा नियोजक द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक रखेगा।

3. चिकित्सीय जांच में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे.—(क) संपूर्ण चिकित्सीय और उपजीविकीय इतिहास।

(ख) निम्न के प्रति विशिष्ट निर्देश में रोग विषयक जांच।

(i) सामान्य शारीरिक गठन;

(ii) दृष्टि—मानक और थेरेटर जैसे कि टिटमस दृष्टि, परीक्षक का उपयोग करके टोटल विजुअल परफार्मेंस का प्राक्कलन किया जाएगा और विहित कार्य मानकों के अनुसार नियोजन की उपयुक्ता अभिनिश्चित की जाएगी;

(iii) श्रवण शक्ति— सामान्य श्रवण वाला व्यक्ति किसी फोर्सड सरगाशी का चौबीस फुट की दूरी से सुनने में समर्थ होने चाहिए। श्रवण सहाय प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति कोलार्हपूर्ण कार्यकरण परिस्थितियों में चेतावनी, पुकार सुनने में समर्थ होना चाहिए;

(iv) श्वसन: मानक पीक फलो मीटर का प्रयोग करते हुए पीक फलो दर का और इस प्रकार की गई जांच के पाठयांकों से औसत पीक फलो दर का निर्धारण, पूर्व-नियोजन चिकित्सीय जांच के अभिलिखित परिणाम, उस व्यक्ति के, उसी उंचाई पर पश्चातवर्ती जांचों के लिए मानक निदेश के रूप में प्रयोग किये जा सकते हैं;

(v) ऊपरी अंग: पर्याप्त बाजू कृत्य और पकड़ (दोनों बाजूओं की);

(vi) निचला अंग: पर्याप्त टांग और पांव कृत्य ;

(vii) रीढ़ की हडडी: संबन्धित कार्य के लिए पर्याप्त लचीली;

(viii) साधारण: अच्छी आंख, हाथ-पांव समन्वयन के साथ दिमागी सतर्कता और स्थिरता; और

(ग) अन्य कोई परीक्षण जिसे जांच करने वाला डाक्टर आवश्यक समझता है।

**अनुसूची- 8****(नियम 209 (1) और 209 (2) देखें)****सुरक्षा अधिकारियों की संख्या, अर्हताएं, कर्तव्य, इत्यादि**

सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति: -

**सुरक्षा अधिकारियों की संख्या.**—इन नियमों के प्रवर्तन में आने के छः माह के भीतर, प्रत्येक स्थापना जो पांच सौ से अधिक भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजन करती है और भवन निर्माण कर्मकारों का अन्य प्रत्येक नियोजक, सुरक्षा अधिकारियों की, जैसा कि नीचे दिए गए मापपान में अधिकथित किया गया है, नियुक्ति करेगा:—

- 1, 1000 भवन निर्माण कर्मकारों तक— एक सुरक्षा अधिकारी।
- 2, 2000 भवन निर्माण कर्मकारों तक— दो सुरक्षा अधिकारी।
- 3, 5000 भवन निर्माण कर्मकारों तक— तीन सुरक्षा अधिकारी।
- 4, 10000 भवन निर्माण कर्मकारों तक— चार सुरक्षा अधिकारी।

प्रत्येक अतिरिक्त 5000 भवन निर्माण कर्मकारों या उसके भाग के लिए सुरक्षा अधिकारी की कोई नियुक्ति, जब भी की जाए सेवा की अर्हताओं निर्बन्धनों और शर्तों के पूरे ब्यौरे देते हुए निरीक्षक को अधिसूचित की जाएगी।

**अर्हताएं.**—(क) कोई भी व्यक्ति तब तक सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह:—

(1) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिग्री (उपाधि) रखता हो और वह किसी भवन निर्माण या किसी अन्य निर्माण कार्य में पर्यवेक्षक की हैसियत में दो वर्ष की अवधि का व्यवहारिक अनुभव रखता हो अथवा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा रखता हो और उसे किसी भवन निर्माण या किसी अन्य निर्माण कार्य में पर्यवेक्षण की हैसियत में कम से कम पांच वर्ष के कार्य का व्यवहारिक अनुभव हो;

(2) औद्योगिक सुरक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री (उपाधि) या डिप्लोमा रखता हो जिसका कम से कम एक पेपर निर्माण सुरक्षा (ऐच्छिक विशय के रूप में) हो और इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(3) उस निर्माण स्थल पर और, जहां उसकी नियुक्ति की जानी है, बहुसंख्यक भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा बोली जाने वाली भाशा की पर्याप्त जानकारी रखता हों।

(ख) खण्ड (क) में किसी उपबंध के होते हुए कोई भी व्यक्ति जो,—

(1) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री (उपाधि) या डिप्लोमा रखता है और राज्य सरकार के विभाग में, जो फैक्टरी अधिनियम, 1948 या डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और या भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रशासन से जुड़ा हो और कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।

(2) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री (उपाधि) या डिप्लोमा रखता हो या भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य से जुड़े किसी उद्योग या किसी शाखा या किसी संस्था या किसी स्थापना में दुर्घटना निवारण के क्षेत्र में शिक्षा, परामर्श या अनुसंधान का प्रशिक्षण लिया हो में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता हो, सुरक्षा अधिकारी के रूप में भी नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति के मामले में जो भवन निर्माण का अन्य निर्माण कार्य से जुड़े किसी उद्योग या पतन (बन्दरगाह) संस्था या किसी स्थापना में सुरक्षा अधिकारी के रूप में इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष से कार्य कर रहा हो, मुख्य निरीक्षक ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, उपर्युक्त सभी या किन्हीं अर्हताओं को षिथिल कर सकेगा।

### सेवा की शर्तें:

(क) जहां नियुक्त सुरक्षा अधिकारियों की संख्या एक से अधिक हो, वहां उनमें से एक को मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अभिहित किया जाएगा और उसकी हैसियत अन्यों से ऊपर होगी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी उपखंड (4) में परिकल्पित सभी सुरक्षा कृत्यों का और उसके नियन्त्रण के अधीन कार्य करने वाले अन्य सुरक्षा अधिकारियों के समग्र प्रभार में होगा।

(ख) मुख्य सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा अधिकारी, जहां केवल एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाता है, को मुख्य कार्यकारी की हैसियत प्रदान की जाएगी और वह अपने मुख्य कार्यकारी के नियन्त्रणाधीन प्रत्यक्षतः कार्य करेगा। अन्य समस्त सुरक्षा अधिकारियों को अपने कृत्यों का प्रभावपूर्ण ढंग से शीघ्र सम्पादन करने के योग्य बनाने के लिए समुचित हैसियत दी जाएगी।

(ग) मुख्य सुरक्षा अधिकारी सहित सुरक्षा अधिकारियों को वही वेतनमान और भत्ते प्रदान किए जाएंगे और उनकी सेवा शर्तें भी वही होंगी, को उस स्थापना के जिसमें वे नियोजित हैं के समान अधिकारियों की हैं।

### सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य:

(क) सुरक्षा अधिकारी का कर्तव्य नियोजक को उसकी कानूनी अथवा अन्य वैयक्तिक क्षति की रोकथाम और सुरक्षित (कार्यकरण) कार्यशील वातावरण बनाए रखने संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए सलाह और सहायता देना है। इन कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल है अर्थात:-

(1) भवन निर्माण कर्मकारों को, वैयक्तिक क्षति के प्रभावी नियंत्रण के आवश्यक उपायों की योजना बनाने और उसके आयोजन करने के लिए सलाह देना।

(2) किसी भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना और चुनिंदा कार्य कलापों का ब्योरेबार सुरक्षा अध्ययन करना।

(3) वैयक्तिक क्षति की रोकथाम के लिए किए गए प्रभावपूर्ण उपायों अथवा प्रस्तावित उपायों की जांच पड़ताल और मूल्यांकन करना।

(4) वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण की खरीद की सलाह देना और उसकी क्वालिटी को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना।

(5) भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की, भौतिक परिस्थितियों और भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा अपनाए जाने वाली कार्य पद्धति और प्रक्रिया के अनुपालन के लिए सुरक्षा निरीक्षण करना और असुरक्षित भैतिक परिस्थितियों को दूर करने और भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा किए गए जाने वाले असुरक्षित कार्यों को रोकने के लिए किये जाने वाले उपायों पर सलाह देना।

(6) सभी घातक और चुनिंदा दुर्घटनाओं का अन्वेषण करना।

(7) उपजीविकाजन्य रोग लगने के मामलों और रिपोर्ट किए जाने योग्य खतरनाक घटनाओं का अन्वेषण करना।

(8) ऐसे अभिलेखों को, जो दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और उपजीविकाजन्य रोगों के संबंध में आवश्यक है, बनाए रखने पर सलाह देना।

(9) सुरक्षा समितियों के कार्यकरण को बढ़ावा देना और ऐसी समितियों के सलाहकार के रूप में कार्य करना।

(10) सम्बन्धित विभागों के सहयोजन से समायोजन, प्रतिसपर्धाओं, प्रतियोगिताओं और अन्य क्रियाकलापों का, जो भवन निर्माण कर्मकारों की कार्य की सुरक्षित परिस्थितियों और प्रक्रियाओं की स्थापना में अभिरूचि बढ़ाए और बनाए रखने का आयोजन करना।

(11) भवन निर्माण कर्मकारों की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए स्वतंत्र रूप से या अन्य अभिकरणों के सहयोग से उपयुक्त प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्यक्रम चलाना।

(12) स्थापन के वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श सुरक्षा नियमों और सुरक्षित कार्यशील (कार्यकरण) पद्धतियों को बनाना।

(13) स्थापन के पतन (पोर्ट) भवन और अन्य निर्माण कार्यों में लिए जाने वाली सुरक्षा पूर्वावधानियों का पर्यवेक्षण करना और मार्गदर्शन करना।

**सुरक्षा अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाएं.**—नियोजक प्रत्येक सुरक्षा अधिकारी को ऐसी सुविधाएं, उपस्कर और जानकारी उपलब्ध कराएगा जो उसके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक है।

**अन्य कर्तव्यों के पालन का निशेध.**—कोई भी सुरक्षा अधिकारी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा अथवा ऐसा कोई कार्य करने की उसे अनुज्ञा नहीं होगी जो इस अनुसूची में विहित कर्तव्यों से जुड़ा न हो, असंगत अथवा उनके पालन में अहितकर हो।

**छूटें.**—मुख्य निरीक्षक किसी नियोजक अथवा नियोजकों के किसी अन्य समूह को उसके द्वारा ऐसी छूटों के आदेश में यथा अनुमोदित ऐसे किसी वैकल्पिक इंतजाम के अनुपालन के अध्यक्षीन इन नियमों के किन्हीं या समस्त उपबंधों से लिखित में छूट दे सकेगा।

## अनुसूची- 9

( नियम- (225) देखें)

परिसंकटमय प्रक्रिया:

- (1) छत कार्य।
- (2) इस्पात परिनिर्माण।
- (3) पानी के भीतर और उपर कार्य।
- (4) विद्वंस करना।
- (5) परिरूढ़ स्थानों में कार्य।

### अनुसूची -10

( नियम- 225 (ख) देखें )

#### व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाएँ और सुविधाएँ:

- (1) ऐसे भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में जो एक हजार तक कर्मकारों का नियोजन करता है, के लिए एक पूर्णकालिक निर्माण चिकित्सा अधिकारी और प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार कर्मकारों को या उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त निर्माण चिकित्सा अधिकारी।
- (2) प्रत्येक निर्माण चिकित्सा अधिकारी के साथ पूर्ण कार्य-घंटों के लिए स्टाफ जिसमें एक नर्स, एक ड्रेसर एवं कंपाउंडर, एक स्वीपर एवं वार्ड-बॉय सम्मिलित है।
- (3) व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसका फर्श क्षेत्र न्यूनतम पन्द्रह वर्ग मीटर हो जिस पर चिकनी दीवारों और अप्रवेश्य सेवा वाले दो कमरे बने हों और जो पर्याप्त मात्रा में प्रदीप्त और संवातित हों।
- (4) रोजमर्रा के उपचार के लिए पर्याप्त उपस्कर।
- (5) किसी चिकित्सीय आपातकाल के लिए आवश्यक उपस्कर।

### अनुसूची - 11

( नियम 119 (2) और 225 (ग) देखें )

#### निर्माण चिकित्सा अधिकारी की अर्हताएँ:-

- (1) भारतीय चिकित्सा परिशद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि (डिग्री)।
- (2) औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा अथवा औद्योगिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण का समतुल्य स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र।
- (3) एक चिकित्सा अधिकारी के लिए जिसे, खानों, बन्दरगाहों (पतन) तथा डॉक, कारखानों और भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यों में नियोजित कर्मकारों की नीति, निष्पादन तथा सलाह और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य से जुड़े संगठन/स्थापन में कम से कम तीन वर्ष का कार्यकरण अनुभव हो, भवन एवं अन्य सन्निर्माण निरीक्षण के मुख्य निरीक्षक के समाधान के अधीन, उपरोक्त मद (2) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण रखना अपेक्षित होगा।
- (4) उपरोक्त प्रमाण-पत्रों के लिए पाठ्यक्रमों का पाठ्य विवरण और ऐसे पाठ्यक्रम चलाने वाले संगठन हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुमोदित होंगे और वह समय-समय पर ऐसे संगठनों का पैनल भी तैयार कर सकेंगे।
- (5) निर्माण चिकित्सा अधिकारी का नाम, अर्हता और अनुभव सहित संपूर्ण विशिष्टियाँ, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को सूचित की जाएंगी।



## अनुसूची - 12

( नियम 152 (क) देखें )

## कार्यनुकूल वातावरण में कतिपय रसायनिक पदार्थों का अनुज्ञात स्तर

क्र. स.	पदार्थ	अनुज्ञेसीमा या टाइमवेटिड औसत सान्द्रता टी.डब्ल्यूए. 8 घण्टे		अभिदर्शन (एक्सपोजर) सीमा लघु अवधि अभिदर्शन (एक्सपोजर) (एस.टी.एल.) (15 मिनट)*	
		पी.पी.एम.	एम.जी./ एमड **	पी.पी.एम.	एम.जी./ एमड **
1	2	3	4	5	6
1	ऐसीटेबलडीहाइड्रेड	100	180	150	270
2	एसिटिक एसिड	10	25	15	37
3	एसिटोन	750	1780	1000	2375
4	एरोलियन	0.1	0.25	0.3	0.8
5	एकरिलोनाइअराइल-त्वचा (एस.सी)	2	4.5	---	---
6	एल्लिड्रिन त्वचा	---	0.25	---	---
7	एलाइल क्लोराइड	1	3	2	6
8	अमोनिया	25	18	35	27
9	एनीलाइन-त्वचा	2	10	---	---
10	एनीसाइडाइन (ओ.पीआईसोमरस) त्वचा	0.1	0.5	---	---
11	आरसिनिक औरविलय सम्मिश्रण (ए एस के रूपमें)	---	0.2	---	---
12	बैनजीन (एस.सी)	10	30	---	---
13	बेरिलियम और सम्मिश्रण (बीइ के रूप में) (एससी)	---	0.002	---	---
14	बोरोन ट्राईफ्लोराइड-सी	1	3	---	---
15	बोरोमाइन	0.1	0.7	0.3	2
16	ब्यूटेन	800	1900	---	---
17	2-ब्यूटानोन(मेथायल-इथायल कीटोन-एम.बी.के.)	200	590	300	885
18	एन-ब्यूटाइल एसेटेट	150	710	20	950
19	एन. ब्यूटाइल	50	150	---	---
20	सेकेण्डरी/टर्ट ब्यूटाइल एसीटेट	200	950	---	---
21	ब्यूटाइल मर्कपटान	0.5	1.5	---	---
22	कैडमियम धूल और साल्ट (सी0डी0 के रूप में)	---	0.05	---	---
23	कैल्शियम आक्साइड	---	2	---	---
24	कार्बोराइल (सविन)	---	5	---	---
25	कार्बोफ्युरान (फयूराडान)	---	0.1	---	---

26	कार्बन डाइसल्फाईड-त्वचा	10	30	---	---
27	कार्बन मोनो-आक्साईड	50	55	400	440
28	कार्बन टैट्राक्लोराईड-त्वचा (एस0सी0)	5	30	---	---
29	क्लोडेन-त्वचा	---	0.5	---	---
30	क्लोरीन	1	3	3	9
31	क्लोरोबेनजीन (मोनो-क्लोरो- बेनजीन)	75	350	---	---
32	क्लोरोफाम (एम.सी)	10	50	---	---
33	बिस (क्लोरोमेथी) (ईथर) (एच0सी0)	0.001	0.005	---	---
34	क्रोमिक एसिड और क्रोमेटस (सी आर के रूप में)	---	0.05	---	---
35	क्रोमरा साल्टस सी0आर0 के रूप में)	---	0.5	---	---
36	कॉपर फयूम	0.2	---	---	---
37	कॉटन, धूल, कच्ची	---	0.2	---	---
38	क्रिसोल, सभी-आईसोइनरस-त्वचा	5	22	---	---
39	साईनाइडस (सी0एन0 के रूपा में) त्वचा	---	1	---	---
40	साइनोजेन	10	20	---	---
41	डी0जी0टी0 डिसलोरोडी फिनायल ट्राइ क्लोरोथेन)	---	1	---	---
42	डिमेटोन-त्वचा	0.01	0.1	---	---
43	डायजिनोन-त्वचा	---	0.1	---	---
44	डायब्यूटाइल फिथलेट	---	5	---	---
45	डाइक्लोरवोस (डी0डी0वी0पी0)-त्वचा	0.1	1	---	---
46	डाइएल्लिइन-त्वचा	---	0.25	---	---
47	डाइनाइट्रो, बैनजीन (समस्त आईसोमर) त्वचा	0.15	1	---	---
48	डाइनाइट्रोटोलवीन-त्वचा	---	1.5	---	---
49	डायफिनाइल (बाइफिनाइल)	0.2	1.5	---	---
50	एण्डोसल्फेन (थायोडेन-त्वचा)	---	0.1	---	---
51	एन्ड्रिन-त्वचा	---	0.1	---	---
52	इथायल एसीटेट	400	1400	---	---
53	इथायल एल्कोहल	1000	1900	---	---
54	इथायल-अमाईन	10	18	---	---
55	फ्लोराइड (एफ के रूप में)	---	2.5	---	---
56	फ्लोरीन	1	2	2	4
57	फोरमेल्लीहाइड (एस.सी.)	1.0	1.5	2	3
58	फोर्मिक एसिड	5	9	---	---
59	गैसोलीन	300	900	500	1500
60	हाइड्रेजीन-त्वचा (एस.सी)	0.1	0.1	---	---
61	हाइड्रोजन क्लोराईड-सी	5	7	---	---
62	हाइड्रोजन साईनाईड-त्वचा-सी	10	10	---	---
63	हाइड्रोजन फ्लोरीन (एफ के रूप में)-सी	3	2.5	---	---
64	हाइड्रोजन पर आक्साइड	1	1.5	---	---
65	हाइड्रोजन सल्फाइड	10	14	---	---
66	आयोडिन-सी 1	0.1	1	---	---
67	आयरन आक्साइड फयूम (एफ0इ0 ओ0)	---	5	---	---

	एफ0 इ0 के रूप में)				
68	आइसोएनियल एसीटेट	100	525	---	---
69	आइसोएमायल एल्कोहल	100	360	125	450
70	आइसोब्यूटाइल एल्कोहल	50	150	---	---
71	सीसा, इनओर्गेनिक धूलें और फयूम (पी बी के रूप में)	---	0.15	---	---
72	लिनडेन-त्वचा	---	0.5	---	---
73	मैलाथियोन-त्वचा	---	10	---	---
74	मैन्गनीज धूल और सम्मिश्रण (एम एन के रूप में)	---	5	---	---
75	मैन्गनीज फयूम (एम0एन0 के रूप में)	---	1	---	---
76	पारा (एच जी के रूप में)-त्वचा	---	0.01	---	0.03
	(1) एल्कायल सम्मिश्रण	---	0.01	---	0.03
	(2) सिवाय एल्कायल वाष्प के सभी रूपों में	---	0.05	---	---
	(3) एरायल और इनओर्गेनिक सम्मिश्रण	---	0.1	---	---
77	मिथायलएल्कोहल (मिथानोल)-त्वचा	200	260	250	310
78	मिथायल कोलोसाल्व (2 मिथोक्सी-इथेनोल)-त्वचा	5	16	---	---
79	मिथायल आइसोब्यूटाइल किटोन	50	205	75	300
80	मिथायल आइसोसायनेट-त्वचा	0.02	0.05	---	---
81	नेपथालीन	10	50	15	75
82	निकेल कार्बोनाइल (एन0 आइ0 के रूप में)	0.05	0.35	---	---
83	नाइट्रिक एसिड	2	5	4	10
84	नाइट्रिक ऑक्साइड	25	30	---	---
85	नाइट्रोबेनजिन-त्वचा	1	5	---	---
86	नाइट्रोजन डाइ-ऑक्साइड	3	6	5	10
87	ऑयल मिस्ट, मिनरल	---	5	---	10
88	ओज़ोन	0.8	0.2	0.3	0.6
89	पैराथियोन-त्वचा	---	0.1	---	---
90	फिनोल-त्वचा	5	19	---	---
91	फोरेट (थिमेट)-त्वचा	---	0.05	---	0.2
92	फासॅजीन (कार्बोनी-क्लोराइड)	0.1	0.4	---	---
93	फॉसफीन	0.3	0.4	1	1
94	फासॅफोरिक एसिड	---	1	---	3
95	फॉसफोरस (पीला)	---	0.1	---	---
96	फासफोरसपेन्टाक्लोराइड	0.1	1	---	---
97	फासॅफोरस ट्राइक्लोराइड	0.2	1.5	0.5	3
98	पियरे एसिड त्वचा	---	0.1	---	0.3
99	पिरीडीन	5	15	---	---
100	साईलेन (सिलीकोन टैट्राहुड्राइड) 5	---	7	---	---
101	सोडियम हाईड्रोक्साइड (सी)	---	2	---	---
102	सटाइरीन, मोनोमर (फिनायल इथायलीन)	50	215	100	425

103	सल्फर डाइआक्साइड	2	5	5	10
104	सल्फर हैक्साफ्लोराइड	1000	6000	---	---
105	सल्फयूरिक एसिड	---	1	---	---
106	टैट्राइथायल लेड (पी० बी० के रूप में)—त्वचों	---	0.1	---	---
107	टोलयून (टोलयूल)	100	375	150	560
108	(ओ—टोलयूडाइन)—त्वचा (एस.सी)	2	9	---	---
109	(ट्राई इब्यूटवी फास्फेट)	0.2	2.5	---	---
110	ट्राईक्लोरायथाईलीन	50	270	200	1080
111	यूरेनियम, प्राकृतिक (यू० के रूप में)	---	0.2	---	0.6
112	विनायल क्लोराइड (एचसी.)	5	10	---	---
113	वैलडिग फयूम	---	5	---	---
114	जइलीन(ओ.एम.पीआइसोमर)	100	435	150	655
115	जिंक आक्साइड	---	---	---	---
	1) (फयूम	---	5.0	---	10
	2) धूल (कुल धूल)	---	10.0	---	---
116	जिरकोनियम सम्मिश्रण (जैड आर के रूप में)	---	5	---	10

पीपीएम.— 25 सैं० और एच० जी० के 760 मि.मि. पर वोल्यूम से दूषित वायु के प्रति दस लाख भाग में वाष्प अथवा गैस के भाग वायु के प्रति क्यूबिक मीटर में पदार्थ के मिली ग्राम।

\* मि.ग्रा./मी. एक दिन में 4 बार से अधिक नहीं और आनुक्रमिक अनावृति में कम से कम 60 मिनट का अंतराल हो।

\*\* मि.ग्रा./मी.डू = मालीक्यूलर भार X पी०पी०एम०  
24.45

जी० अधिकतम सीमा का घोटक है।  
त्वचा— त्वचीय मार्ग से जिसमें फ्लेशम झिल्ली और आंख भी सम्मिलित है, होने वाले समग्र अनावृति को संभाव्य अभिदाय का घोटक है।

एस०सी०— संदिग्ध मानवीय कैंसर (कर्कट जनकों) का घोटक है।  
एच०सी०— कुष्ट मानवीय कैंसर (कर्कट) जनकों का घोटक है।

पदार्थ	अनुज्ञेय टाइम— वेटिड औसत सांद्रता (टी डब्ल्यू ए) (8 घंटे)
सिलिका, सि ओ	
(क) स्फटीय (i) स्फटिक	
1. धूल गणना के रूप में	10600 एम पी पी ई एम % स्फटिक त्र 10
2. सांस लेने योग्य धूल के रूप में	10 मि.ग्रा./मी. <sup>3</sup> % सांस लेने योग्य स्फटिक + 2
3. कुल धूल के रूप में	30 मि.ग्रा./मी. <sup>3</sup> % स्फटिक + 3

(ii)	क्रिस्टोवेलाइट	स्फटिक के प्रति दी गई सीमा से आधी।
(iii)	ट्राइडमाइट	स्फटिक के प्रति दी गई सीमा से आधी।
(iv)	सिलीका, फ्यूस्ड	वह सीमा जो स्फटिक के लिए है।
(v)	ट्राइपोली	वह सीमा जो मद (2) में फार्मूला (सूत्र) में स्फटिक के प्रति दी गई है।
(ख)	अम्रोफस	सिलिकेटस
	एसबेस्ट (एच,सी)	मि.ग्रा./मी <sup>3</sup> , कुल धूल
	एसबेस्ट (एच,सी)	*फाइबर्स/मि.ली. लंबाई में 5 मी. से अधिक और चौड़ाई में 3 मी <sup>0</sup> से कम जिसकी लंबाई चौड़ाई अनुपात 3.1 के समतुल्या या अधिक है।
	पोर्टलैंड सीमेंट	10 मि.ग्रा./मी <sup>3</sup> कुल धूल जिसमें स्फटिक 1% से कम है।
	कोयला धूल	2 मि.ग्रा./मी <sup>3</sup> सांस लेने योग्य धूल का भाग जिसमें स्फटिक 5% से कम है।

एमएमपीसीएम.—लाईट-फील्ड तकनीकों द्वारा गणित इक्विंगर सैम्पल पर आधारित, वायु के प्रति क्यूबिक मीटर से दस लाख कण।

जैसा कि 400-450 x मैग्निफिकेशन (4 मि.मी. आबजेक्टिव) फेस कन्ट्रास्ट पर इल्युमिनेशन पर मेगवरेन फिल्टर विधि द्वारा/ विनिश्चित सांस लेने योग्य धूल।

निम्नलिखित लक्षणों वाला भाग जो साइज-सलैक्टर से गुजरता है:

एअरोडायनमिक व्यास (मी) (यूनिट इन सिटी सफीयर)	सलैक्टर से गुजरने वाला :
2	90
2.5	75
3.5	50
5.0	25
10	0

### प्ररूप- 1

### [देखिए नियम 23 (1)]

#### भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजन करने वाली स्थापनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

1. नियोजक का नाम और पता:
2. स्थापना का नाम और अवस्थिति जहां भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य होना है।
3. स्थापना का डाक पता।
4. स्थापना का पूरा नाम और स्थायी पता, यदि कोई हो।
5. स्थापना के प्रबन्धक अथवा उसके पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम और पता।
6. स्थापना में हो चुके/होने वाले भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य की प्रकृति।
7. किसी दिन नियोजित किये जाने वाले भवन निर्माण कार्यकारों की अधिकतम संख्या।
8. भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य प्रारंभ होने की अनुमानित तारीख।
9. भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य समाप्त होने की अनुमानित तारीख।
10. मांग ड्राफ्ट की विशिष्टियां सलंगन करें

**नियोजक द्वारा घोषणा**

(1) मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

(2) मैं भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम) अधिनियम, 1996 और उसके तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करने का वचन देता हूँ।

नियोजक या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय भवन और अन्य  
सन्निर्माण अधिनियम, 1996 और तदधीन  
बनाए गए नियमों के अधीन।

(कार्यालय प्रयोग हेतू)

आवेदन प्राप्ति की तारीख:

-----  
प्ररूप-2

(देखिए नियम- 24 (1))

हिमाचल प्रदेश सरकार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

सं०

तारीख.....

भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवा की शर्तें रजिस्ट्रेशन) अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उपधारा (3) के तदधीन बनाये गए नियमों के अधीन, उपाबद्ध में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए मैसर्स.....को निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

1. डाक पता/अवस्थिति जहां नियोजक द्वारा भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण किया जाना है
2. नियोजक का नाम और पता जिसमें भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य की अवस्थिति भी सम्मिलित है।
3. स्थापन का नाम और स्थायी पता।
4. कार्य की प्रकृति जहां भवन निर्माण कर्मकार नियोजित है या नियोजित किए जाने हैं।
5. नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या।
6. कार्य के प्रारंभ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख।
7. भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजन के लिए सुसंगत अन्य विशिष्टियां।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के  
हस्ताक्षर मुद्रा के साथ

उपाबंध

उपरोक्त प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात:-

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अस्थानांतरणीय होगा:

(ख) किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापना में भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी:

- (ग) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए संदत्त की गई फीस अप्रतिदेय होगी:
- (घ) भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजक द्वारा संदेय मजदूरी, ऐसे नियोजन के लिये जहां वह लागू है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन विहित दरों से कम नहीं होगी और जहां दरें किसी करार, समझौते या पंचाट द्वारा नियत की गई हैं, वहां इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होगी, और
- (ङ) नियोजक अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

-----

**प्ररूप-3**

(नियम-24 (2) और 25 (2) देखें)

**स्थापनों का रजिस्टर**

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख	रजिस्ट्रीकृत थापना, जहां भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य होना है, का नाम और पता अवस्थिति	नियोजक का नाम और उसका पता	भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5
स्थापना का नाम और स्थायी पता	कार्य प्रारंभ होने की संभावित तारीख	किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या	भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की संभाव्य कार्य अविधि और कार्य समाप्ति की संभावित तारीख	टिप्पणियां
6	7	8	9	10

**प्ररूप-4**

(नियम 26 (3) और 238 (1) देखें)

**भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य के प्रारंभ/समाप्ति की सूचना**

- (1) स्थापना का नाम और पता (स्थायी)
- (2) नियोजक का नाम और पता.....
- स्थान जहां भवन निर्माण और अन्य निर्माण करने का प्रस्ताव है, का नाम और स्थिति
- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख
- निर्माण कार्य के भार साधक व्यक्ति का नाम और पता
- वह पता जहां भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य से संबंधित संसूचना भेजी जा सके।
- कार्य की प्रकृति और संयंत्र तथा मशीनरी सहित प्रदान की गई प्रसुविधाएं।

7. भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले विस्फोटक यदि कोई है का भंडारण इंतजाम।
8. कार्य प्रारंभ की सूचना की दशा में, कार्य की संभावित कालावधि।

मैं/हम यह सूचना देता हूँ/देते हैं कि भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य (कार्य का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्या.....तारीख..... है,.....तारीख से/को प्रारंभ/समाप्त होने की संभावना है।

नियोजक के हस्ताक्षर

सेवा में

निरीक्षक

.....  
.....  
.....  
.....

प्ररूप-5

(नियम- 56 और 73 (बी) अनुसूची-1 देखें)

बिन्वीज़ (गरारी) डेरिक्स और उनके उपसाधन गियर की प्रारंभिक और कालिक जांच तथा परीक्षण का प्रमाण पत्र

जांच प्रमाण पत्र संख्या.....

(क) सन्निर्माण स्थल का नाम जहां पर उत्पापक साधित्रों को फिट/अवस्थित/स्थापित किया गया है:

उत्पापक साधित्रों और गियर सहित पहचान संख्या या चिन्ह (यदि कोई है) जिसकी जांच की गई है, पूर्ण रूप से परीक्षण किया गया है की अवस्थिति और वर्णन	डेरिक्स बूम के लिए अर्द्ध व्यास पर जांच भार अनुप्रयुक्त हुआ था	अनुप्रयुक्त जांच भार	स्तम्भ (2) में दर्शाए गए एंगल पर सुरक्षित कार्यकरण भार	जांच और परीक्षण करने वाले लोक सेवा, सहयोजन म्पनी या फर्म अथवा जांच स्थापना का नाम और पता	लोक सेवा, सहयोजन कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापना के सक्षम व्यक्ति का नाम और पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(मीटर)	(टन)	(टन)		

मैं प्रमाणित करता हूँ कि .....की तारीख.....को उपरोक्त उत्पापक साधित्रों जो स्तम्भ (1) में दर्शाए गए हैं की इसके उपसाधन गियर के साथ, दूसरी ओर दी गई रीति से मेरी उपस्थिति में जांच की गई, सचेत जांच के पश्चात उपरोक्त उत्पापक साधित्र और गियर के सावधानी पूर्वक



परीक्षण ने यह दर्शाया कि इसमें बगैर किसी हानि या स्थायी विरूपता के जांच भार को सहन कर लिया है और उक्त उत्थापक साधित्र तथा गियर के सुरक्षा कार्यकरण भार को खाना (4) में दर्शाया गया है।

मोहर  
तारीख

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर  
सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकरण संख्या

प्ररूप- 6

(नियम- 56 और 74 (ख) देखें)

क्रेनों या उत्तोलकों और उनके उपसाधन गियर की प्रारंभिक और कालिक जांच तथा परीक्षण का प्रमाण पत्र

जांच प्रमाण पत्र सं.....

(क) निर्माण स्थल का नाम जहां क्रेन या उत्थापक साधित्र फिट/अवस्थित/स्थापित है।

अवस्थिति का विवरण और	जिब क्रेन रेडियस के साथ वह कोण जिस पर जांच भार लगाया गया	लगाया गया जांच भार	खाना (2) में दिखाए गए कोण पर निरापद कार्यकरण भार	जांच और परीक्षण करने वाली लोक सेवा, सहयोजन कंपनी या फर्म या जांचकर्ता स्थापन का नाम और पता	लोक सेवा सहयोजन कंपनी या फर्म या जांचकर्ता स्थापन के सक्षम व्यक्ति का नाम और पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(डिग्री)	(टन)	(टन)		

मैं यह सत्यापित करता हूं उपरोक्त उत्थापक साधित्र को इसके उपसाधन गियर के साथ तारीख..... को पीछे वर्णित रीति के अनुसार मेरी उपस्थिति में जांच की गई, और यह कि उक्त उत्थापक साधित्र के सावधानीपूर्वक किये गये परीक्षण के पश्चात की गई जांच ने यह दर्शाया कि इसने बिना किसी हानि, या स्थायी विरूपता के जांच भार का सहन कर लिया है और उक्त उत्थापक साधित्र और उपसाधन गियर का निरापद कार्यकरण भार खाना (4) में दर्शाया गया है।

मुद्रा

तारीख

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर  
सक्षम व्यक्ति की रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकरण संख्या

## प्ररूप-7

(नियम-69 और 74 (ख) (ii) देखें)

## लूज गियर की प्रारंभिक और कालिक जांच तथा परीक्षण का प्रमाणपत्र

जांच प्रमाणपत्र संख्या.....

(क) सन्निर्माण स्थल का नाम जहां लूज गियर फिट किए गए/अवस्थित/स्थापित हैं।

अलग-अलग संख्या या चिन्ह	गियर/युक्ति का वर्णन, आकार और सामग्री	जांच संस्था	जांच की तारीख	अनुप्रयुक्त जांच भार (टन)	सुरक्षा कार्यकरण भार (टन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विनिर्माता या प्रदायकर्ता का नाम और पता	प्रारंभिक जांच और परीक्षण प्रमाणपत्र संख्या और तारीख (केवल कालिक जांच और परीक्षण की बाबत)	जांच और परीक्षण करने वाले लोक सेवा, सहयोजन कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन का नाम और पता	लोक सेवा, सहयोजन, कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन में व्यक्ति का नाम और पद		
(7)	(8)	(9)	(10)		

मैं प्रमाणित करता हूँ कि .....वर्ष की तारीख.....को उपरोक्त गियर की जांच की गई थी और दूसरी ओर दी गई रीति से परीक्षण किए गए उक्त गियर/युक्ति के परीक्षण ने यह दर्शाया कि इसमें बगैर किसी हानि अथवा विरूपता के जांच गियर को सहन कर लिया है और उक्त गियर/युक्ति के सुरक्षा कार्यकरण भार को स्तंभ (6) में प्रदर्शित किया गया है।

मोहर

तारीख

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर  
सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकार संख्या

## प्ररूप-8

(नियम-71 और 74 (घ) देखें)

## उपयोग में लाए जाने से पूर्व वायर रोप के जांच और परीक्षण का प्रमाणपत्र

जांच प्रमाणपत्र संख्या.....

- (1) मार्कर या प्रदायकर्ता का नाम और पता
- (2) (क) रस्सी की परिधि/ व्यास  
(ख) उतकूलन की संख्या

- (ग) प्रत्येक उत्कूलन वायर की संख्या  
 (घ) ले (बटन)  
 (ङ) कोर  
 (3) वायर की क्वालिटी (सर्वोत्तम प्लाउ स्टील इत्यादि)  
 (4) (क) रोप के नमूने की जांच की तारीख  
 (ख) वह भार जिस पर टूटे-फूटे नमूने (टनों में)  
 (ग) रोप का सुरक्षा कार्यकरण भार (टनों में)  
 (घ) आशायित उपयोग  
 (5) जांच और परीक्षण करने वाले लोक सेवा, सहयोजन, कम्पनी या फर्म अथवा जांच स्थापन का नाम और पता।  
 (6) जांच और परीक्षण करने वाले लोक सेवा, सहयोजन, कम्पनी या फर्म अथवा जांच स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और पद।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विशिष्टियां सही हैं, और यह कि जांच परीक्षण मेरे द्वारा किए गए और इसमें ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली जिसमें उसका सुरक्षा कार्यकरण भार (सु.का.भा.) प्रभावित हो।

मोहर  
 तारीख

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर  
 सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकार संख्या

प्ररूप-9

(नियम- 72 और 74 (ख) देखें)

लूज़ गियर के तपानुशील का प्रमाणपत्र

जांच प्रमाणपत्र संख्या.....

(क) सन्निर्माण स्थल का नाम जहां पर लूज़ गियर फिट/स्थापित किए गए हैं

अलग-अलग संख्या और चिन्ह	गियर का वर्णन	जांच और परीक्षण का प्रमाण पत्र सं०	तपानुशीलन संख्या	तपानुशीलन की तारीख	तपानुशीलन के पश्चात सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने पर पाई गई त्रुटियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तपानुशीलन और निरीक्षण किए जाने वाले लोक सेवा, सहयोजन कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन का नाम और पता			लोक सेवा, सहयोजन, कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और पद:		
(7)			(8)		

मैं प्रमाणित करता हूँ कि स्तंभ (1) से (4) वर्णित गियर स्तंभ (5) में दर्शाई गई तारीख को, मेरे पर्यवेक्षण के अधीन प्रभावी तौर पर तपानुशीलन की गई थी और यह इस प्रकार तपानुशीलन के पश्चात, प्रत्येक

वस्तु का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया गया और यह इसमें स्तंभ (6) में उपदर्शित त्रुटियों से भिन्न इसके सुरक्षा कार्यकरण शर्त को प्रभावी करने वाली कोई अन्य त्रुटि नहीं मिली।

मोहर

तारीख

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर  
सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकार संख्या

## प्ररूप-10

(नियम- 69 और 73 देखें)

तपानुशीलन से लूज गियर का सम्पूर्ण वार्षिक परीक्षा से छूट प्राप्ति का प्रमाणपत्र

सन्निर्माण स्थल का नाम जहां पर लूज गियर फिट/स्थापित किए गए हैं।

अलग-अलग संख्या और चिन्ह	गियर का वर्णन	आरंभिक और कालिक जांच और परीक्षण के प्रमाणपत्र की संख्या	टिप्पणीयां	जांच और परीक्षण करने वाले लोक सेवा, सहयोजन, कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन का नाम और पता	लोक सेवा, सहयोजन, कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मैं प्रमाणित करता हूं कि.....वर्ष की तारीख.....को, स्तंभ (2) में वर्णित उपरोक्त गियर का पूर्ण रूप से परीक्षण किया गया है और यह कि इसमें स्तंभ (4) में उपदर्शित त्रुटियों से भिन्न इसके सुरक्षा कार्यकरण परिस्थिति (दशा) को प्रभावी करने वाली कोई अन्य त्रुटि नहीं मिली।

मोहर

तारीख

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर  
सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकार संख्या

## प्ररूप-11

(नियम- 223 (ग) देखें)

चिकित्सीय परीक्षा का प्रमाणपत्र

1. प्रमाण पत्र क्रम सं०.....तारीख .....

2. नाम .....पहचान चिन्ह (1).....  
.....(2).....
3. पिता का नाम .....
4. लिंग.....
5. निवास .....पुत्र/ पुत्री.....
6. जन्म की तारीख, यदि उपलब्ध हो .....और आयु प्रमाण पत्र
7. शारीरिक स्वस्थता .....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि (नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....  
...जो.....का निवासी है जिसके परीक्षण से उसकी आयु यथाशक्य निकटतम.....वर्ष  
अभिनिश्चित की जानी है और वह भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित होने का इच्छुक है और वह  
वयस्क/किशोर है जो .....नियोजन के लिए उपयुक्त है।

8. कारण के लिए: -

- (1) प्रमाण पत्र के लिये इन्कार .....
- (2) प्रतिसंहत किए जाने का प्रमाण पत्र.....

भवन कर्मकार के हस्ताक्षर/  
बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

चिकित्सीय निरीक्षक/  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
के हस्ताक्षर मोहर सहित

**टिप्पणी-1.**—शारीरिक निःशक्तता के कारण के यथावत ब्यौरे स्पष्ट रूप से वर्णित किए जाएं।

**2.**—यदि निःशक्तता का विवरण दिया गया है तो क्रियात्मक/उत्पादक कार्य योग्यताओं का भी विवरण दिया जाएगा।

#### प्ररूप-12

(देखिए नियम- 223 (घ))

#### स्वास्थ्य रजिस्टर

(भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य जिसमें जोखिम वाली प्रक्रियाएं अंतर्गस्त हैं) में नियोजित व्यक्तियों की बाबत सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सीय निरीक्षक का नाम

- (क) श्री.....तारीख.....से.....तक
- (ख) श्री.....तारीख.....से.....तक
- (ग) श्री.....तारीख.....से.....तक

क्रम संख्या	संकर्म संख्या	भवन कर्मकार का नाम	लिंग	आयु (पिछला जन्म दिन)	वर्तमान कार्य के नियोजन की तारीख	कार्य छोड़ देने या अन्य संकर्म स्थानान्तरण की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)						
(2)						
(3)						

कार्य छोड़ने/स्थानान्तरण पर चले जाने या सेवोन्मुक्त होने का कारण	कार्य का उपजीविका की प्रकृति	कच्ची सामग्री या उप-उत्पाद का संचालन	प्रमाणकर्ता सर्जन/चिकित्सीय निरीक्षक/मुख्य चिकित्सीय अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण की तारीख
(8)	(9)	(10)	(11)

चिकित्सीय परीक्षण का परिणाम	यदि कार्य से निलंबित हो तो विस्तृत कारणों सहित निलंबन अवस्था की अवधि	चिकित्सीय निरीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपनी ड्यूटी पर फिर से वापिस आने का उपयुक्तता प्रमाण पत्र	यदि कर्तकार को अनुपयुक्ता या निलंबन का प्रमाण पत्र जारी किया गया है
(12)	(13)	(14)	(15)

तारीख:-

चिकित्सीय निरीक्षक/  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर

**टिप्पण—(i)** स्तंभ (8) स्थानान्तरण या सेवोन्मुक्ति के लिए कारण ब्यौरेवार संक्षिप्त में विवरणित किए जाएं।

**(ii)** स्तंभ (11)—उपयुक्त/अनुपयुक्त/निलंबित के रूप में उल्लिखित किए जाएं।

-----  
**प्ररूप-13**

**(नियम-230 (2) देखें)**

**विशाक्तता या उपजीविका जन्य अधिसूचनीय रोगों की सूचना (नोटिस)**

1. नियोजक का नाम और पता:
2. भवन कर्मकार का नाम और उसकी कार्य संख्या, यदि कोई हो:
3. भवन कर्मकार का पता:
4. लिंग और आयु:
5. उपजीविका:

6. ठीक ठीक बताए कि रोग लगने के समय मरीज क्या कर रहा था:
7. उस विशाक्तता या रोग की प्रकृति जिससे भवन कर्मकार पीड़ित है:

नियोजक/मुख्य चिकित्सा  
अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

**टिप्पणी.**—जब कोई भवन कर्मकार अनुसूची-6 में विनिर्दिष्ट किसी रोग से पीड़ित है तब ऐसी सूचना तत्काल निरीक्षक को भेजें।

प्ररूप-14

(नियम-210 (7) देखें)

दुर्घटनाओं और भयंकर घटनाओं की रिपोर्ट

1. परियोजना/कार्य का नाम
2. परियोजना/कार्य की अवस्थिति
3. सन्निर्माण कार्य का प्रक्रम
4. नियोजक की विशिष्टियां

- |  |  |
|--|--|
| (क) फर्म/कंपनी का मुख्य संविदाकार<br>नाम<br>पता<br>फोन नम्बर<br>व्यवसाय की प्रकृति | (ख) उप संविदाकार की विशिष्टियां<br>नाम<br>पता<br>फोन नम्बर<br>व्यवसाय की प्रकृति |
|--|--|

5. क्षतिग्रस्त व्यक्ति की विशिष्टियां:

- |  |
|--|
| (क) नाम.....प्रथम.....(मध्यम).....(उपनाम).....     |
| (ख) घर का पता                                      |
| (ग) उपजीविका                                       |
| (घ) कर्मकार की हैसियत नैमित्तिक/नियमित             |
| (ङ) लिंग: पुरुष/स्त्री                             |
| (च) आयु  |
| (छ) अनुभव  |
| (ज) वैवाहिक स्थिति: विवाहित/अविवाहित/विवाह-विच्छेद |

6. दुर्घटना की विशिष्टियां:

- |   |
|---|
| (क) वास्तविक स्थान जहां पर दुर्घटना हुई है।   |
| (ख) तारीख   |
| (ग) समय   |
| (घ) क्षतिग्रस्त व्यक्ति दुर्घटना के समय क्या क्षतिग्रस्त व्यक्ति काम कर रहा था।                 |
| (ङ) मौसम की हालत  |
| (च) इस विशिष्टि कार्य के लिए आपने कितनी अवधि तक नियोजित किया था।                                |
| (छ) ऐसी विशिष्टि जिसमें उपस्कर/मशीन/औजार थे अतंग्रस्त दुर्घटना घटित होने के पश्चात उसकी स्थिति। |
| (ज) दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण   |

7. क्षतियों की प्रकृति
- (क) घातक  
(ख) अघातक  
(ग) यदि अघातक हो, तो क्षतियों की प्रकृति का ठीक ठीक विवरण दें: (क्षति की प्रकृति के ब्यौरे का वर्णन, उदाहरणार्थ दाहिनी बाजू का भग, मोच आदि)  
(घ) प्राथमिक उपचार किया गया/नहीं किया गया ।  
(ङ) यदि नहीं किया गया तो उसका कारण बताएं।  
(च) ऐसे व्यक्ति का नाम और पद नाम जिसके द्वारा उपचार किया गया था।  
(छ) यदि अस्पताल में भर्ती है, उस अस्पताल का पता फोन न0..... चिकित्सक का नाम:.....
8. उपयोग किए गए परिवहन का प्रकार अम्बुलेंस.....ट्रक.....टैम्पो.....टैक्सी.....  
प्राइवेट कार.....
9. क. घायल (क्षतिग्रस्त) व्यक्ति को हटाने में कितना समय लगा था यदि बहुत विलंब हुआ, तो उसके कारण बताएं।  
ख. किस प्रकार रिपोर्ट की थी।  
टेलीफोन से.....टेलीग्राम से.....विशेष संदेशवाहक से .....पत्र से  
ग. दुर्घटना स्थल का पहली बार किसने निरीक्षण किया और उसके द्वारा क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी।  
घ. नियोजक द्वारा दुर्घटना के अन्वेषण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं फोटोग्राफ/वीडियो फिल्म/लिए गए माप इत्यादि के बारे में वर्णन करें।
10. साक्ष्य देने वाले व्यक्ति की विशिष्टियां:  
क, नाम..... पता..... उपजीविका.....  
1.  
2.  
3.  
4.  
ख, क्या अस्थायी/ थायी
11. प्राणांतक की दशा में विशिष्टियां  
तारीख .....स्थान .....समय .....  
यदि वह भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत है  
(यदि हां, रजिस्ट्रीकरण संख्या दें)।
12. विनियम संख्या के अन्तर्गत आने वाली खतरनाक घटनाएं (ब्यौरे दें)
- क. उत्पाक साधित्रों, उत्तोलक, प्रवहणियों आदि का बैठ जाना या फेल हो जाना।  
ख. मिट्टी, कोई दीवार, फर्श, गैलरी आदि का बैठ जाना या धंस जाना।  
ग. पारेशन टावरों, पाइपलाइनों, पुलों आदि का बैठ जाना ।  
घ. रिसीवर, जलयान आदि का विस्फोट।  
ङ. अग्नि और विस्फोट।  
च. परिसंकटमय उत्पादनों को छलकन या रिसन।  
छ. परिवहन उपस्कर का बैठ जाना, उलट जाना, गिर पड़ना या टकराना।  
ज. उत्पाक साधित्र, लूज गियर, उत्तोलक या भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य की मशीनरी, परिवहन, उपस्कर आदि के फेल हो जाना।
13. नियोजक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्रमाणपत्र।



मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त विशिष्टियां सभी प्रकार से सही हैं।

स्थान

हस्ताक्षर

पदनाम

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1,.....

2,.....

3,.....

टिप्पणी: यदि एक से अधिक व्यक्ति अंतर्वलित है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानकारी पृथक प्ररूपों में दी जानी है।

**प्ररूप-15**

( नियम-240 देखें)

**नियोजक द्वारा नियोजित भवन कर्मकारों का रजिस्टर**

स्थापन का नाम और पता

उस स्थापन का नाम और पता जहां पर भवन और अन्य सनिर्माण कार्य किया जाता है।

कार्य का प्रकार और स्थान:

क्रम संख्या	कर्मकार का नाम और उपनाम	आयु और लिंग	पिता पति का नाम	नियोजन की प्रकृति और पदनाम	कर्मकार के घर का स्थायी पता (ग्राम, ताल्लुका और जिला)
1	2	3	4	5	6

स्थानीय पता	नियोजन के प्रारंभ की तारीख	कर्मकार का हस्ताक्षर या अगूठा निशान	कर्मकार के पर्यवसान की तारीख	पर्यवसान के लिए कारण
7	8	9	10	11
यदि भवन कर्मकार/हिताधिकारी है/था तो हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण की तारीख, रजिस्ट्रीकरण संख्या, और कल्याण बोर्ड का नाम			टिप्पणियां	
12			13	

**प्ररूप-16**

(नियम-241 (1) (क) देखें)

**मस्टर रोल**

स्थापन का नाम और स्थायी पता

उस स्थापन का नाम और पता जहां पर  
भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है।

.....मास के लिए

क्रम सं०	भवन कर्मकार का नाम	लिंग	पिता / पति का नाम	तारीख 1, 2, 3, 4, 5,	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6

**प्ररूप-17**

(नियम-241 (1) (क) देखें)

**मजदूरी का रजिस्टर**

स्थापन का नाम और पता

उस स्थापन का नाम और स्थायी पता  
जहाँ पर अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाता है

भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार

नियोजक का नाम और पता  
मजदूरी अवधि मासिक

क्रम संख्या	कर्मकार का नाम	कर्मकार के रजिस्टर में क्रम संख्या	पदनाम/ किए गए कार्य का प्रकार	कार्य किए गए दिनों की संख्या	किए गए कार्य की यूनिट
1	2	3	4	5	6

दैनिक मजदूरी की दर / मात्रानुपाती दर	मूल मजदूरी	महंगाई भत्ते	अतिकालिक	अन्य नकद संदाय (संदाय का प्रकार उपदर्शित करें)	कुल
7	8	9	10	11	12

कटौती यदि कोई हो, (उपदर्शित करें)	शुद्ध रकम	कर्मकार के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान	नियोजक या उसके प्रतिनिधि के आद्याक्षर
13	14	15	16

**प्ररूप-18**

( नियम-241 (1) (क) देखें)

**मजदूरी-मस्टर रोल के रजिस्टर का प्रारूप**

स्थापन का नाम और स्थायी पता

उस स्थापन का नाम और पता जहां पर भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है।

भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार

क्रम संख्या	भवन कर्मकारों के रजिस्टर में क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम / कार्य की प्रकृति	दैनिक उपस्थिति / किए गए कार्य की यूनिट	कुल उपस्थिति / किए जा चुके कार्य की यूनिट
1	2	3	4	5	6

दैनिक मजदूरी की दर मात्रानुपाती दर	मूल मजदूरी	महंगाई भत्ते	अतिकालिक	अन्य नकद संदाय (संदाय का प्रकार उपदर्शित करें)	कुल
7	8	9	10	11	12

कटौती यदि कोई हो, (उपदर्शित करें)	शुद्ध रकम	कर्मकार के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान	नियोजक या उसके प्रतिनिधि के आद्याक्षर
13	14	15	16

**प्ररूप-19**  
(नियम-241 (1) (ख) देखें)

नुकसान या हानि के लिए कटौती का रजिस्टर

स्थापन का नाम और स्थायी पता

उस स्थापन का नाम और पता जहां पर भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है।

भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रकार

नियोजक का नाम और पता  
मजदूरी अवधि मासिक

क्रम संख्या	कार्य का नाम	पिता/ पति का नाम	पदनाम/ नियोजन की प्रकृति	नुकसान या हानि की विशिष्टियां	नुकसान या हानि की तारीख	क्या भवन निर्माण कर्मकार ने कटौती के विरुद्ध कारण दर्शाए हैं।
1	2	3	4	5	6	7

उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में भवन कर्मकार का स्पष्टीकरण सुना गया था।	किस्तों की संख्या	प्रथम किस्त	अंतिम किस्त	कटौती की अधीरोपित रकम
8	9	10	11	12

**प्ररूप-20**  
(नियम-241 (1) (ख) देखें)

**जुर्माना रजिस्टर**

स्थापन का नाम और स्थायी पता

उस स्थापन का नाम और पता जहां पर भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है।

भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रकार

नियोजक का नाम और स्थायी पता  
मजदूरी अवधि मासिक

क्रम सं०	भवन कर्मकार का नाम	पिता / पति का नाम	पदनाम / नियोजन की प्रकृति	कार्य / चूक जिसके लिए जुर्माना अधिरोपित किया गया	अपराध की तारीख
1	2	3	4	5	6
क्या भवन कर्मकार ने जुर्माने के विरुद्ध कारण बताए है।	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में भवन कर्मकार का स्पष्टीकरण सुना गया था	मजदूरी कालावधि और संदेय मजदूरी	अधिरोपित जुर्माने की रकम	तारीख जिसको जुर्माना वसूल किया गया	टिप्पणियां
7	8	9	10	11	12

**प्ररूप-21**

(नियम-241 (1) (ख) देखें)

**अग्रिमों का रजिस्टर**

स्थापन का नाम और स्थायी पता

स्थापना का नाम और पता जहां पर भवन अन्य निर्माण कार्य किया जाना है।

भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य की प्रकृति

नियोजक का नाम और पता

क्रम संख्या	नाम	पिता / पति का नाम	पदनाम / नियोजन की प्रकृति	मजदूरी की अवधि और संदेय मजदूरी	दिए गए अग्रिम की तारीख और रकम
1	2	3	4	5	6

प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम मांगा गया है	किस्तों की संख्या जिनमें अग्रिम को प्रति संदत किया जाना है	प्रति संदत किस्त की तारीख और रकम	अन्तिम किस्त के प्रति संदाय की तारीख	टिप्पणियां
7	8	9	10	11

**प्ररूप-22**

(नियम-241 (1) (ग) देखें)

**अतिकाल (ओवर टाइम) का रजिस्टर**

स्थापन का नाम और स्थायी पता

उस स्थापन का नाम और पता जहां पर भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है।

क्रम संख्या	निर्माण कर्मकार का नाम	पिता/ पति का नाम	लिंग	पदनाम/ नियोजन की प्रकृति	जिस तारीख को अतिकाल किया गया
1	2	3	4	5	6

कुल अतिकाल किया गया या मात्रानुपाती दर की दशा में उत्पादन	सामान्य पर की मजदूरी	अतिकाल पर की मजदूरी	उपार्जित अतिकाल	तारीख जिसको अतिकाल मजदूरी दी गई	टिप्पणियां
7	8	9	10	11	12

## प्ररूप-23

(नियम-241 (2) (क) देखें)

## मजदूरी पुस्तिका

स्थापना का नाम और पता जहां  
भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य  
किया जाना है ।

स्थापन का नाम और स्थायी पता

भवन निर्माण या अन्य निर्माण  
कार्य की प्रकृति ।

नियोजक का नाम और पता  
सप्ताह / पाक्षिक / माह.....तक के लिए

1. दिनों की संख्या जब तक कार्य किया .....
2. मात्रानुपाती दर के कर्मकारों की दशा में कार्य कर चुकी  
(वर्कड) इकाईयों की संख्या .....
3. दैनिक पर/मासिक मजदूरी/मात्रानुपाती दर.....
4. अतिकाल मजदूरी की रकम .....
5. दी जाने वाली सकल मजदूरी .....
6. निम्नलिखित के कारण कटौतियां यदि कोई हों .....

(क) जुर्माना

(ख) नुकसान या हानि

(ग) ऋण और उधार

(घ) भविष्य निधि के लिए अभिदान

(ङ) भवन निर्माण कर्मकारों के कल्याण की निधि के लिए अभिदान

(च) अन्य कटौतियां जैसे सहकारी सोसाइटी के लिए अभिदान या सहकारी सोसाइटी/आवास ऋण से उधार लेखा/मजदूरी संदाय अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के खड (त) के उपबंध के अनुसार कोई अन्य राहत निधि में अंशदान या किसी अन्य जीवन बीमा निगम के प्रीमियम के संदाय के लिये।

7. दी गई मजदूरी की शुद्ध रकम

नियोजक या उसके प्रतिनिधि के आद्याक्षर

**प्ररूप-24**  
(नियम-241 (1) (ख) देखें)

**सेवा प्रमाण पत्र**

स्थापना का नाम और स्थायी पता

नाम और पता/वह स्थान जहां  
निर्माण कार्य किया जाता है/  
किया जाना है

कार्य की प्रकृति और स्थान .....

कर्मकार का नाम और पता .....

आयु एवं जन्म की तारीख .....

पहचान चिन्ह .....

पिता/ पति का नाम .....

क्रम संख्या	नियोजन की कुल अवधि से..... तक	किए गए कार्य की प्रकृति	मजदूरी की दरें (मात्रानुपाती कार्य) की दशा में (यूनिट की विषिश्टियां सहित)	यदि भवन निर्माण का कर्मकार हिताधिकारी था तो उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या, तारीख और बोर्ड का नाम
1	2	3	4	5

नियोजन समापन के कारण/ आधार	टिप्पणियां
6	7

नियोजक के हस्ताक्षर

**प्ररूप-25**  
(नियम-242) देखें)

**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जाने वाली 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली नियोजक की वार्षिक विवरणी**

1. भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य के स्थापन का पूरा नाम और पता (स्थान, डाकघर, जिला).....
2. स्थापन का नाम और स्थाई पता .....
3. नियोजक का नाम और पता .....
4. किये जा रहे भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य की प्रकृति.....
5. स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के उत्तरदायी प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति का पूरा नाम.....
6. सामान्यतः नियोजित भवन निर्माण कर्मकार की संख्या.....
7. वर्ष के दौरान कुल कार्य के दिनों की संख्या जिसमें भवन निर्माण कर्मकार नियोजित थे.....
8. भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा वर्ष के दौरान किए गए श्रमिक दिनों की कुल संख्या.....



- 9, वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित अधिकतम भवन निर्माण कर्मकारों ने काम किया.....
- 10, नीचे दिए गए वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या:-
- (क) कुल दुर्घटनाओं की संख्या।
- (ख) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों से कम समय के लिए भवन निर्माण कर्मकार शारीरिक रूप से अशक्त हो गए हैं दुर्घटनाग्रस्त भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या तथा नष्ट श्रमिक दिनों की संख्या।
- (ग) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटों से अधिक समय के लिए भवन निर्माण कर्मकार शारीरिक रूप से अशक्त हो गए हैं परन्तु ऐसी निशक्तता तो आंशिक है और न पूर्ण रूप से स्थाई है, दुर्घटनाग्रस्त भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या तथा ऐसी हुई दुर्घटनाओं के कारण से नष्ट हुए श्रमिक दिनों की संख्या:
- (घ) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थाई, आंशिक अथवा पूर्ण निशक्तता हुई दुर्घटनाग्रस्त कर्मकारों की संख्या और ऐसी दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए श्रमिक दिनों की संख्या:
- (ङ) दुर्घटनाओं की संख्या जिन के कारण भवन कर्मकारों की मृत्यु हुई तथा परिणामित मृत्यु संख्या: अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण स्थापन के स्वामियों को यह निर्देश देगा कि वह संबद्ध राज्य सरकार या समुचित सरकार की बाबत इस अधिनियम की धारा 60 के उपबंधों के आधार पर रजिस्ट्रीकृत स्थापनाओं के नियोजको द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक विवरणियों की प्रतियां मुख्य निरीक्षक को भेजे।

अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक स्थापन के स्वामियों को, जो कि इस अधिनियम की धारा 60 के उपबंधों के आधार पर सबद्ध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकृत आफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए गए, निदेश देगा कि वे अपनी वार्षिक विवरणियों की प्रतियां मुख्य निरीक्षक को भेजें।

11. स्थापन के प्रबंधन में, उसके स्थान या किसी अन्य में यदि बदलाव करना है तो उसकी विशिष्टियां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में जिसमें तारीखें भी उपदर्शित हों, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को देनी होगी।

स्थान :  
तिथि :

नियोजक के हस्ताक्षर।

प्ररूप-26

(नियम-74 (ख) देखें)

भाग-1

**उत्थापक यंत्रों और गियरों इत्यादि की कालिक जांच परीक्षण रजिस्टर**

उत्थापक यंत्रों की आरंभिक और कालिक भार की जांच तथा उनका संपूर्ण वार्षिक परीक्षण 'संपूर्ण परीक्षण' से चाक्षुश परीक्षा, और यदि आवश्यक हो तो उसके अनुपरक के लिए किन्हीं अन्य साधनों के द्वारा जैसे हथोड़ा परीक्षण, जो यदि परिस्थितियां अनुज्ञा करें उसे सावधानी पूर्वक किया जाए, इसलिए कि भागों की

सुरक्षा का परीक्षण करके एक विश्वसनीय निष्कर्ष निकल सके, और यदि जरूरत हो तो ऐसे परीक्षण के लिए उत्पापक यंत्रों और गियर को खोल दिया जाए।

(क) उत्पापक यंत्रों की आरंभिक और कालिक भार की जांच

जांच किए गए उत्पापक यंत्रों की अवस्थिति और वर्णन उसके साथ प्रभेद चिन्ह, यदि कोई हो	जांच का प्रमाणपत्र और सक्षम व्यक्ति के परीक्षण का संख्यांक	मैं प्रमाणित करता हूँ कि उस तारीख से जिसको मेरे हस्ताक्षर हुए हैं स्तम्भ (1) में दर्शाया उत्पापक यंत्र की जांच हो गई थी और इसमें कोई खराबियां नहीं पाई गईं जोकि दर्शाई गई स्तम्भ (5) से भिन्न उसके ठीक चलने की परिस्थिति पर प्रभाव डालती हों	मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	टिप्पणियां (तारीख के साथ हस्ताक्षर किए गए)
		मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर		
1	2	3	4	5

(ख) सम्पूर्ण वार्षिक परीक्षण

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उस तारीख से जिसको मेरे हस्ताक्षर हुए हैं स्तम्भ (1) में दर्शाया उत्पापक यंत्र का संपूर्ण परीक्षण हो गया है और इसमें कोई खराबियां नहीं पाई गईं जो कि दर्शाई गई स्तम्भ (12) से भिन्न उसके ठीक चलने की परिस्थिति पर प्रभाव डालती हो।

6	7	8	9	10	11	12

टिप्पणी:—यदि उत्पापक यंत्रों का संपूर्ण परीक्षण उसी तारीख को हो जाता है तो वे सब उत्पापक यंत्रों के स्तम्भ (1) में प्रविष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं यदि नहीं, तो वे उन तारीखों को स्पष्ट तौर पर उपदर्शित करें जिन पर उनका भागतः परीक्षण किया गया है।

## भाग- 2

## लूज गियर का आरंभिक और आवधिक भार परीक्षण और संपूर्ण वार्षिक परीक्षा

## लूज गियर की सूची

लूज गियर की निम्नलिखित श्रेणियां हैं, अर्थात:-

- (1) कुट्टनीय ढलवां लोहे से बनी चेनें;
- (2) प्लेट से जुड़ी चेनें;
- (3) इस्पात से बनी चेनें, रिगें, हुक, कुन्डे और चूल छतला;
- (4) पिच्छ चेनें;
- (5) पिच्छ चेनें, पुली ब्लाक, आधान स्प्रेअर्स, ट्रेज़, रिलिंग, बास्केट आदि और वैसी ही कोई अन्य गियर के साथ स्थायी रूप से जुड़ी रिगें हुक कुन्डे और चूलछल्ले;
- (6) स्क्रू थ्रेड हिस्सों वाले हुक या चूल छल्ले या बाल बियरिंग या अन्य केस हार्डन्टड पुर्जे: और
- (7) वार्डोस संयोजन

लूज गियरों का आरंभिक और नियतकालिक भार परीक्षण

प्रभेदक संख्या और चिन्ह	परीक्षण और जांच किए गए लूज गियर का वर्णन	परीक्षण और परीक्षा के प्रमाणपत्रों की संख्या और सक्षम व्यक्ति की जांच	मैं प्रमाणित करता हूँ कि उस तारीख को जिसको मेरे हस्ताक्षर उपाबद्ध किए गए हैं, स्तम्भ (1) और (2) में दर्शित उत्पापक साधित्र का परीक्षण किया गया था और उसमें स्तम्भ (6) में दर्शित के सिवाय, सुरक्षित कार्यकरण दशा को प्रभावित करने वाली कोई त्रुटियां नहीं है	
			मुहर सहित तारीख और हस्ताक्षर	मुहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

## लूज गियर की वार्षिक सम्पूर्ण परीक्षा

टिप्पणियां (हस्ताक्षर करना और तारीख के साथ)	मैं प्रमाणित करता हूँ कि उस तारीख को जिसको मैंने अपने हस्ताक्षर किए हैं, स्तम्भ (1) और स्तम्भ (2) में दर्शित लूज गियरों की मेरे द्वारा संपूर्णतः परीक्षा ली गई थी और उनके सुरक्षित कार्यकरण की दशा को प्रभावित करने वाली कोई त्रुटियां, सिवाय उनके जो स्तम्भ (10) में दर्शाई गई हैं, नहीं पाई गई थी		
6	7	8	9

## भाग- 3

## चेनों, रिगों, हुकों, कुंडियां और चूल छल्लों (सिवाय उनके जिन्हे छूट प्राप्त है) का तापानुशीतन

(भाग- 2 देखें)

सामान्य उपयोग में 12.5 मि. मी. वाले और इससे छोटे चैन, रिगे, हुकें, कुंडियां और चूल छल्ले सामान्य उपयोग में अन्य चैन, रिग, हुकें, कुंडियां और चूलछल्ले।	यदि विद्युत चलित उत्थापक सात्रित के साथ प्रयुक्त किया जाता है, तो प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार अवश्य तापानुशीतित किया जाना चाहिए। यदि केवल हाथ से पकड़ कर उत्थापक सात्रित के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो प्रत्येक बारह मास में कम से कम एक बार अवश्य तापानुशीतित किया जाना चाहिए। यदि विद्युत चलित उत्थापक सात्रित के साथ प्रयुक्त किया जाता है, तो प्रत्येक बारह मास में कम से कम एक बार अवश्य तापानुशीतित किया जाना चाहिए। यदि हाथ से पकड़ कर उत्थापक सात्रित के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो प्रत्येक दो वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य तापानुशीतित किया जाना चाहिए।
<b>टिप्पणी:</b> —यद्यपि नियमों द्वारा अपेक्षित नहीं है, यह सिफारिश की जाती है कि 30 मिनट और 60 मिनट की अवधि तक 1100 डिग्री और 1300 डिग्री फारेनहाइट या 600 डिग्री और 700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान को उचित रूप से किसी निर्मित तापित भट्टी (फरनेस) में तापानुशीतित किया जाना चाहिए।	

प्रभेदक संख्या और चिन्ह	तापानुशीतित गियर का वर्णन	परीक्षण और जांच के प्रमाण पत्र की संख्या	मैं प्रमाणित करता हूँ कि उस तारीख को, जिसको मेरे हस्ताक्षर उपाबद्ध किये गये हैं स्तम्भ (1) और स्तम्भ (2) में वर्णित गियर मेरे पर्यवेक्षण के अधीन प्रभावकारी रीति से तापानुशीतित किए गए हैं उसके पश्चात इस प्रकार तापानुशीतित की जा रही प्रत्येक वस्तु की सावधानीपूर्वक जांच कर ली गई थी और स्तम्भ (7) दर्शित के सिवाय उसके सुरक्षित कार्य करण दशा को प्रभावित करने वाली त्रुटियां नहीं थी	टिप्पणियां (हस्ताक्षर और तारीख)		
1	2	3	4	5	6	7

प्ररूप-27

(नियम-266 (4) देखें)

**पंजीकरण हेतु आवेदन**

- (1) नाम
- (2) पता
- (3) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से है
- (4) पिता का नाम
- (5) वैवाहिक स्थिति
- (6) जन्म तिथि
- (7) उस स्थापन का नाम, पता और रजिस्टर संख्या जहां आवेदनकर्ता काम करता है
- (8) नौकरी/रोजगार का स्वरूप
- (9) इ0एस0आई0/भविष्य निधि संख्या
- (10) नियोजक का नाम और पता
- (11) कुल सेवा संख्या
- (12) अंशदान-दर
- (13) बैंक और शाखा का नाम जहां अंशदान का भुगतान किया जाता है
- (14) यदि आवेदक किसी अन्य कल्याण बोर्ड का पहले से सदस्य हो तो उस बोर्ड का नाम और आवेदनकर्ता की पंजीकरण संख्या

ऊपर वर्णित तथ्य मेरे समुचित ज्ञान और जानकारी के अनुसार सही हैं।

स्थान :

तिथि :

आवेदक के हस्ताक्षर

नियोजक का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप-28

(नियम 266 (7) देखें)

**नामांकन प्ररूप**

मैं अधिकार प्राप्त आश्रितों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को मेरी ओर से निधि से देय समस्त राशि प्राप्त करने और मेरी मृत्यु होने की स्थिति में मेरे सभी लाभों की राशि प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ।

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों  
के नाम तथा पतासदस्य के साथ  
सम्बंधनामनिर्दिष्ट व्यक्ति  
की आयुप्रत्येक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति  
को दी जाने वाली राशि

स्थान :

तारीख :

नाम, पता, पंजीकरण संख्या और  
कर्मकार का पता

प्ररूप-29

(नियम-274 (1) देखें)

**एच0बी0ए0 के लिए आवेदन**

आवेदन संख्या

फीस : रुपये  
(नया निर्माण/रखरखाव/भवन सहित भूमि को क्रय के लिए)

- (1) (क) आवेदनकर्ता का नाम :  
(ख) स्थाई पता :  
(ग) वर्तमान पता :
- (2) जन्म तारीख:
- (3) सेवा निवृत्ति की तिथि :
- (4) (क) रजिस्टर संख्या :  
(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख :  
(ग) प्रेषण की दर :  
(घ) विप्रेषित कुल रकम :  
(ङ) प्रेषण की तारीख :  
(च) विप्रेषित कुल राशि :  
(छ) क्या कभी सदस्यता पुनरुज्जीवित हुई, यदि ऐसा है तो उसका विवरण :  
(ज) पुनरुज्जीवन के पूरे विवरण :
- (5) अग्रिम लेने का उद्देश्य (नया निर्माण/रख रखाव/भवन सहित भूमि के क्रय के लिए)
- (6) क्या आवेदनकर्ता का अपना घर है (विवरण दें)
- (7) अपेक्षित अग्रिम की राशि :
- (8) भूमि सम्पत्ति का विवरण :  
(क) पंचायत/कस्बा :  
(ख) गांव :  
(ग) तालुक :  
(घ) जिला :  
(ङ) क्षेत्र :  
(च) सर्वेक्षण संख्या :  
(छ) सम्पत्ति का मूल्यांकन :
- (9) क्या आवेदनकर्ता ने मकान निर्माण अग्रिम के रूप में कोई अन्य ऋण लिया है (विवरण दें)
- (10) नक्शे के अनुसार निर्माण/भवन रखरखाव का अनुमान
- (11) ऋण के अतिरिक्त ली गई राशि का विवरण
- (12) क्या आवेदनकर्ता ने इस बोर्ड से पहले भी ऋण लिया है।

### घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कथन मेरे समुचित ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान :  
तिथि :

हस्ताक्षर  
नाम

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :

1. नक्शा और प्राक्कलन (स्वीकृत)
2. 14 वर्ष का विल्लगंम प्रमाणपत्र
3. अवस्थिति प्रमाणपत्र
4. भूमिकर रसीद
5. मूल दस्तावेज
6. रख रखाव आवेदन के लिए राशनकार्ड (पृष्ठ 2, 4) की सत्यापित प्रति
7. भवन का स्वामित्व (केवल रख रखाव हेतु)
8. टर्मिनल लाभ घोषणा
9. पहचान पत्र और पास बुक की सत्यापित प्रतियां
10. स्वत्क शोधन प्रमाणपत्र

11. भवन आयु प्रमाणपत्र (केवल रख रखाव हेतु)
12. भवन का मूल्यांकन प्रमाणपत्र
13. निर्माण के लिए सम्बंधित प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र
14. आवेदनकर्ता से घोषणा पत्र कि न तो उसका और न ही उसके पति/पत्नी अथवा बच्चों का अपना मकान है (नए निर्माण हेतु)

### बन्धक विलेख

यह बन्धकविलेख-----दिन-----मास वर्ष दो हजार-----को  
 श्री/श्रीमती----- पुत्र/पुत्री/पत्नी  
 श्री-----आयु-----निवासी-----गांव-----ताल्लुका-----  
 जिला-----और-----श्री/श्रीमती-----पुत्र/पुत्री/पत्नी  
 श्री-----आयु-----निवासी गांव-----ताल्लुका-----जिला-----

द्वारा (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बन्धककर्ता कहा गया है इसके अर्न्तगत उसकी/उनके निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि तथा भार समनुदेशिति सम्मिलित/होंगे) राज्य भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण अधिनयम के अन्तर्गत स्थापित हिमाचल प्रदेश भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पक्ष में जिसका मुख्य कार्यालय शिमला में है जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बन्धकदार कहा गया है इसके अर्न्तगत इसके वारिस समनुदेशिति जहां-जहां संदर्भ अथवा अर्थ इसकी अनुमति देते हैं, या अपेक्षित है शामिल होंगे।

जबकि बन्धककर्ता/बन्धककर्ताओं ने इसके अधीन लिखित अनुसूची में लिखित विशेष रूप से उल्लिखित तथा वर्णित भूमि पर मकान बनाने के लिए बंधकदार के पास 50000/-रु0 (केवल पचास हजार रुपए) के ऋण के लिए आवेदन किया है।

और चूंकि जबकि बन्धककर्ता/बन्धककर्ताओं के निवेदन पर बन्धकदार, बन्धककर्ता को दो किस्तों में 50000/- रु0 (केवल पचास हजार रुपए) की राशि अग्रिम राशि के रूप में इसमें अन्तर्विष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन देने को सहमत हुआ है और इस राशि का पुनः संदाय, इसमें वर्णित के अनुसार सुनिश्चित किया गया है।

यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है :

1. उक्त करार के अनुसार में बंधकदार द्वारा, बन्धककर्ता को 50000/- रु0 (केवल पचास हजार रुपए) की राशि ऋण रूप में और अग्रिम/और संदत करने (इसके द्वारा जिसकी बन्धककर्ता प्राप्ति स्वीकार करता है) को ध्यान में रखते हुए बन्धककर्ता (बन्धककर्ताओं) एतद्द्वारा साधारण बन्धक के द्वारा अचल सम्पति हस्तांतरित करता/करते हैं, विशिष्ट रूप से वर्णित और अनुसूची में स्पष्ट रूप से बताए गए और उस पर निर्माण किए गए और समय समय पर अन्य सुधार और उक्त ऋण की राशि ब्याज और किस्तें बंधकदार को लौटाए जाने के लिए जमानतदार बने रहेंगे अथवा नगरानी में रहेंगे और बन्धकदार का इन पर पहला अधिकार होगा।

2. ऋण की राशि बंधकदार द्वारा, बन्धककर्ता/बन्धककर्ताओं को दो किस्तों में अदा की जाएगी जिसमें से पहली किस्त ऋण स्वीकृत राशि के 40 प्रतिशत के बराबर अर्थात् 20,000/- रुपए (केवल बीस हजार रुपए) बन्धककर्ता/बन्धककर्ताओं को निर्माण शुरू करने के लिए दी जाएगी और ऋण की राशि का 60 प्रतिशत के बराबर 30 हजार रुपए (तीस हजार रुपए) की दूसरी किस्त छत का निर्माण सम्पन्न होने और अन्तिम साज-सज्जा शुरू करने पर अदा की जाएगी। दूसरी किस्त की राशि का उपयोग करके भवन का निर्माण हर प्रकार से मुकम्मल किया जाएगा और अन्तिम किस्त प्राप्त होने के बाद दो महीने के अन्दर, निर्माण समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

3. किस्त राशि का संदाय केवल धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन होगी और धनराशि की कमी के कारण, किस्त राशि न मिलने से बंधककर्ता इसके हकदार नहीं होंगे कि वे इस आधार पर बंधकदार से, हुई हानि की भरपाई करवाएँ।

4. बन्धककर्ता एतद द्वारा बन्धकदार को यकीन दिलाएगा/दिलाएंगे कि वे पुरुष/महिला/वे, अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति के पूर्ण स्वामित्व वाले हैं और वे हर प्रकार के भार से अथवा किसी भी प्रकार के भार विवरण से मुक्त हैं वह चाहे कुछ भी हो अथवा कुर्की अथवा अन्य संक्रमणता के अवरोध से मुक्त है।

5. बन्धककर्ता/बन्धककर्तागण इस जमानत के दौरान किसी भी समय इस अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति अथवा इसके किसी भाग के सम्बंध में किसी भी प्रकार से इस को आड़मान करके अथवा वचन देकर अथवा किसी व्यवधान को पैदा कर अन्य स्थान पर बन्धक सम्बंध अथवा जिम्मे नहीं करेंगे और पट्टे पर दे सकेंगे, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की पूर्व में लिखित अनुज्ञा के सिवाए जब तक मूल राशि का ब्याज सहित पुनः संदाय नहीं कर दिया जाता।

6. ऋण पर ब्याज की दर 5 प्रतिशत वार्षिक होगी अथवा जो बन्धकदार द्वारा समय समय पर निर्धारित उच्चतर दर पर होगी की जाए।

7. ऋण की प्रति संदाय, बन्धककर्ता/बन्धककर्ताओं द्वारा, बन्धकदार द्वारा नियत अथवा सूचित दर पर मासिक किस्तों में किया जाए। ऋण की राशि की पहली किस्त के भुगतान के बाद 6 महीने की समाप्ति पर, वापसी की पहली किस्त देय होगी। पश्चातवर्ती किस्तें 167 महीने तक आने वाले महीने के दसवें दिन अथवा पहले भुगतान की जाएगी। किस्त की राशि के लौटाने की तिथि पर यदि ब्याज की राशि ऋण पर परादेय होगी तो वह भी किस्त राशि के साथ ही लौटानी होगी।

8. ऋण की दूसरी किस्त की राशि अदा करते समय बन्धकदार दूसरी किस्त के भुगतान की तारीख तक, पहली किस्त पर बनते ब्याज और अन्य खर्चों की राशि किस्त राशि में से काट कर शेष राशि अदा करेगा। यदि बन्धकदार धनराशि की कमी के कारण बन्धककर्ता को ऋण राशि का कुछ भाग ही अदा करता है तो ऋण राशि के उस अंश की वापसी बन्धकदार द्वारा, बन्धककर्ता द्वारा नियत और सूचित दर पर, किस्तों में की जाएगी।

9. यदि ऋण की राशि की एक या अधिक किस्तें प्राप्त करने के बाद शेष ऋण राशि की किस्तों के भुगतान से पूर्व बन्धककर्ता/बन्धककर्ताओं की मृत्यु हो जाती है और उस/उन (पुरुष, महिला अथवा दोनों) का वारिस/के वारिस निष्पादक शेष ऋण राशि प्राप्त करने से इन्कार करता/करते हैं और साथ ही पहली ऋण राशि किस्त मिलने की तारीख के बाद एक वर्ष में मकान का निर्माण स्वीकृत योजना और राशि अनुमान के अनुरूप पूरा करने से इन्कार करता/करते हैं तो ऋण को पूरी राशि ब्याज समेत, मृत बन्धककर्ता/बंधककर्ताओं की चल अथवा अचल सम्पत्ति के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करके, तत्समय लागू राजस्व वसूली अधिनियम के उपबन्धों के अर्न्तगत और राज्य भवन और निर्माण कर्मकार कल्याण नियमों के ससंगत उपबन्धों के अधीन वसूल की जाएगी जैसा कि भूमि पर सार्वजनिक राजस्व की वसूली की जाती है अथवा ऐसे ढंग से वसूली की जाएगी जो बन्धकदार ठीक समझे।

10. यदि मृत बन्धककर्ता/बंधककर्ताओं का वारिस निष्पादक/के वारिस निष्पादक, ऋण की शेष बनती राशि की आवश्यकता नहीं मानता/मानते और, तथापि वे अपने खर्च पर मकान का निर्माण मुकम्मल करने का इच्छुक/इच्छुक हैं तो पहले से ही बंधककर्ता/बंधककर्ताओं को स्वीकृत की गई ऋण राशि में से दी गई राशि को ही वास्तविक स्वीकृत ऋण राशि मान लिया जाएगा और उस ऋण राशि के लिए निर्धारित दर की किस्तों में वसूली प्रभावी होगी।

11. बन्धककर्ता/बंधककर्ताओं द्वारा किस्त की राशि, बन्धककधारक द्वारा निर्धारित बैंक में, इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट रीति में जमा करवाई जाएगी अथवा यह राशि हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित चालान द्वारा जमा होगी।

12. यदि देय तिथि पर मूलधन या ब्याज की कोई किस्त जमा नहीं करवाई जाती तो सामान्य ब्याज की दरों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज दर की राशि जमा करनी होगी और साथ ही ऐसी राशि जो देय तारीख तक संदत नहीं की गई है देनी होगी।



13. ऋण की राशि का प्रयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त खण्ड 11 में निर्दिष्ट ऋण की प्रत्येक किस्त निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रयोग में लाई जाएगी। यदि बन्धककर्ता पूर्ववर्ती किस्तों के आहरण से तीन महीने के भीतर पश्चात्पूर्वी किस्तों का दावा करने में असफल रहता है तो ऐसी पूर्ववर्ती किस्त अन्तिम किस्त मानी जाएगी जब तक कि बन्धकदार द्वारा समय न बढ़ाया जाए और ऋण प्रदान करने के लिए विहित निबन्धन और शर्तों में यथा उपबन्धित के अनुसार वसूली प्रारम्भ होगी।

14-क. यदि बन्धकपत्र में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर गृह-निर्माण में प्रयोग करने में असफल रहते हैं, तो बन्धकदार रजिस्ट्रीकृत नोटिस जारी करने के पश्चात् तीस दिन के भीतर रकम का संदाय करने का निर्देश देते हुए कुल ऋण राशि जमा ब्याज सहित अन्य प्रभार एक मुश्त वसूल करने का हकदार होगा।

(1) यदि बन्धककर्ता, देय राशि निर्धारित समय में एक मुश्त लौटा देता/देते हैं तो बन्धक पत्र वापिस कर दिया जाएगा।

(2) यदि बन्धककर्ता, उपरोक्त निर्धारित 60 दिन की अवधि में देय राशि लौटाने में विफल रहता है/रहते हैं तो बन्धकदार को हक होगा कि पूरी राशि की वसूली के लिए बोर्ड के साथ मिलकर कार्यवाई करे। इसके अतिरिक्त ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ली गई वास्तविक ऋण राशि पर दण्ड रूप में राशि जो ऋण राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी अथवा 1,000/-रु0 (केवल एक हजार रुपये) इनमें से जो भी अधिक बनता हो, बंधककर्ता/बंधककर्ताओं से वसूल करेगा।

15. यदि आवेदन में भरकर दी गई कोई भी जानकारी झूठी मिले या विषय वस्तु में गलत पता चले तो बंधकदार, ऋण को रद्द कर सकेगा और बकाया पूरी राशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज समेत, उधार लेने वाले के विरुद्ध अनिवार्य मानी जाने वाली ऐसी कानूनी कार्यवाही करने के अतिरिक्त, बंधक सम्पत्ति को बेचकर वसूल कर सकेगा।

16. बंधककर्ता, तब तक जमानत के रूप में रखी जमीन, भवन पर, बन्धकदार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार सन्निर्मित भवन में कोई परिवर्तन या सुधार नहीं करेगा ताकि सम्पत्ति का भूतल कम न हो या सम्पत्ति में कोई अन्य भवन का निर्माण नहीं करेगा जब तक ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि लौटाई नहीं जाती।

17. यदि किसी समय बंधककर्ता किसी समय लगातार दो किस्तों की वापसी करने में चूक करता/करते हैं, अथवा उन में अन्तर्विष्ट सभी या किन्हीं निबंधों और शर्तों को भंग करता/करते हैं तो मूलधन की शेष राशि जो उस समय तक चुकाई नहीं गई और उस समय पर प्रोद्भूत ब्याज और बंधकदार को देय समस्त राशि इन कारणों से तुरन्त एक मुश्त देय होगी और यदि तुरन्त पूरी राशि की वापसी नहीं की जाती तो बंधकदार को शक्ति होगी कि अदालत के हस्तक्षेप के बिना बंधक सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले सके और उसे बेच सके। बंधकदार को देय राशि के समायोजन के बाद सम्पत्ति की शेष बची राशि, बंधककर्ता को वापिस की जाएगी। बंधकदार को सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के उपबन्धों के अधीन बंधकदार में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग भी कर सकेगा।

18. बंधकदार के किन्हीं या समस्त अन्य अधिकारों और उनके समाधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बंधककर्ता से वसूलीय सभी प्रकार की राशि इस विलेख के अधीन या तत्समय प्रवृत्त राजस्व वसूली अधिनियम के अधीन बंधककर्ता/बंधककर्ताओं तथा उसके/उनके वारिस/वारिसों की चल और अचल सम्पत्तियों में से यद्यपि भूमि पर देय सार्वजनिक राजस्व के बकाया और हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सहनिर्माण कर्मकार नियमों के सुसंगत उपबन्धों के अनुरूप या अन्य रीति में जो बंधकदार उचित समझे वसूली योग्य होगी।

19. बंधककर्ता आवेदन पत्र के निर्बंधनों और उनके साथ जुड़ी शर्तों द्वारा बाध्य होगा जो इस बंधपत्र की भागरूप होगी जैसे कि उन्हें बंधपत्र में निगमित किया गया है।

20. इस बंधक का पूरा विवरण बंधककर्ता/बंधककर्ताओं को समझा दिया गया है और बंधककर्ता/बंधककर्ताओं ने इस विलेख का निष्पादन पूरी तरह उनके आशय को समझाकर तथा उन्होंने (पुरुष/महिला) इसके अंतर्गत अपनी अनिवार्यताओं और ऐसी सलाह प्राप्त करने के बाद किया है।

### उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसूची

(यहां समस्त भूमि तथा भवनों का विवरण दें)

इसके साक्ष्य स्वरूप बंधककर्ता/बंधककर्ताओं श्री/श्रीमती -----ने इस में सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में श्री/श्रीमती-----द्वारा हस्ताक्षर किये गये :-

1. ....
2. ....

श्री/श्रीमती-----द्वारा निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए:-

1. ....
2. ....

**हिमाचल प्रदेश राज्य भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अग्रिम राशि की दूसरी किस्त जारी करने के लिए निर्माण प्रक्रम प्रमाण पत्र**

हिताधिकारी

सम्पत्ति

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. रजिस्ट्रकरण संख्या | जिला             |
| 2. नाम                | तहसील            |
| 3. पता                | गांव             |
| 4. हस्ताक्षर          | सर्वेक्षण संख्या |

उपर विनिर्दिष्ट/हिताधिकारी द्वारा ऊपर दी गई सम्पत्ति में भवन निर्माण कार्य नींव आधार के संपूर्ण निर्माण तक और लिंटल स्तर तक संपूर्ण कार्य/लिंटल कार्य के संपूर्ण होने/लिंटल का पूरा होना छनत का 50 प्रतिशत और शटर्ज के कार्य सम्बंध सामग्री का भण्डार करने का काम/छत का काम पूरा करके नक्शे के अनुसार अन्तिम रूप देने का 40 प्रतिशत कार्य पूरा होने पर हिताधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा स्वीकृत ऋण की दूसरी किस्त पाने का पात्र है।

प्रमाणित किया जाता है कि रु० मूल्य का कार्य तिथि तक लाभपात्र द्वारा किया जा चुका है।

स्थान : जिला कार्यकारी अधिकारी टी०ई०ओ० अथवा  
अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर (नाम और पदनाम)

कार्यालय का नाम

तारीख:

-----

**प्ररूप-30**  
**(नियम 268 (2) देखें)**

.....माह के लिए कर्मकारों (श्रमिकों) के ब्यौरे (विवरण) के बारे विवरण

स्थापन का नाम और पता

क्रम सं०	पिछले मास की समाप्ति पर कर्मकारों की संख्या	मास के दौरान नौकरी (सेवा) छोड़ने वाले कर्मकारों की संख्या और नाम	रजिस्ट्रीकृत किये जाने कर्मकारों की संख्या और नाम	चालू मास की समाप्ति पर कर्मकारों की संख्या
1	2	3	4	5

स्थान :

नियोजक के हस्ताक्षर

तारीख :

-----

**प्ररूप-31**  
**(नियम-268 (3) देखें)**

**स्थापन की विशिष्टियां**

- 1 स्थापन का नाम :
- 2 स्थापन की प्रकृति-क्या कम्पनी/भागीदारी फर्म/एकमात्र स्वामित्व है :
- 3 भागीदारों/निदेशकों/स्वत्वधारी के नाम :
- 4 प्रबन्ध भागीदार/प्रबन्ध निदेशक/स्थापन के सम्पूर्ण नियंत्रण वाले व्यक्ति का नाम :
- 5 शाखाओं का विवरण :
- 6 अधिष्ठताओं का विवरण :  
(अधिभोगी)

स्थान :

नाम, हस्ताक्षर और पदनाम

तारीख :


(कार्यालय मोहर)

## प्ररूप-32

(नियम 266 (8) देखें)

पृष्ठ-1

## पहचान पत्र का प्ररूप



रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर, तारीख  
तथा पदनाम (कार्यालय मोहर सहित)

पृष्ठ-2

सदस्य का नाम  
पता  
पुरुष/महिला  
नौकरी का नाम  
रजिस्ट्रीकरण संख्या  
जिला  
रजिस्ट्रीकरण की तारीख  
बैंक तथा शाखा का नाम जहां अंशदान राशि  
अभिदान को संदत किया जाना है  
अंशदान दर : 20 रुपये।

पृष्ठ-3

जन्म तिथि :  
पूरी की गई आयु :  
सेवा निवृत्ति की तारीख :  
वैवाहिक स्थिति-विवाहित/अविवाहित  
पति/पत्नी का नाम  
पता  
क्या पति/पत्नी में  
से कोई इस बोर्ड का सदस्य है। हां/नहीं  
यदि हां, तो नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या  
नामनिर्देशती का नाम  
सदस्य के साथ सम्बन्ध  
सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के कार्यालय पदनाम और  
हस्ताक्षर

**प्ररूप-33**  
**(नियम-266 (8) देखें)**

**पहचान पत्रों का रजिस्टर**

जिले का नाम

क्रम संख्या	पहचान पत्र संख्या	जारी करने की तारीख	कर्मकार का नाम और पता	जिला कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

**प्ररूप-34**  
**(नियम-271) देखें)**

**प्रसूति प्रसुविधा के लिए आवेदन**

1. आवेदक का नाम और पता :
2. रजिस्ट्रीकरण संख्या :
3. 60 वर्ष की आयु पूरी करने की तारीख :
4. प्रथम अभिदान के संदाय की तारीख और बैंक का नाम :
5. व्यतिक्रम यदि कोई हो और उसका कारण :
6. अन्तिम अभिदान के संदाय की तारीख और बैंक का नाम :
7. दस्तावेजों की सूची :
  - (क) पहचान पत्र
  - (ख) पास बुक
  - (ग) चालान
8. जहां पैन्शन भेजी जानी है वहां का पता
9. अन्य कोई जानकारी (किसी अन्य कल्याण बोर्ड से प्राप्त कोई प्रसुविधा हो तो उसका विवरण)।

उपरोक्त वर्णित तथ्य मेरे समुचित ज्ञान और सूचनाओं के अनुसार सही है।

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

**चिकित्सा प्रमाणपत्र का प्ररूप**  
(चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जाने वाला)

मैंने श्रीमती.....आयु.....और श्री.....की पत्नी का परीक्षण किया है।  
वह गर्भवती है और.....मास चल रहा है।

उसने.....को बच्चे को जन्म दिया है।

स्थान :

डाक्टर का नाम तथा  
मोहर।

तारीख :

(नियम-273(1) देखें)

**पैन्शन हेतु आवेदन**

1. आवेदक का नाम और पता :
2. रजिस्ट्रीकरण संख्या :
3. 60 वर्ष की आयु पूरी करने की तारीख :
4. प्रथम अभिदान के संदाय (भुगतान) की तारीख और बैंक का नाम :
5. व्यतिक्रम यदि कोई हुआ है, और उसके कारण :
6. अन्तिम अभिदान के संदाय (भुगतान) की तारीख और बैंक का नाम :
7. दस्तावेजों की सूची :
  - (क) पहचान पत्र
  - (ख) पास बुक
  - (ग) चालान
8. जहां पैन्शन भेजी जानी है वहां का पता :
9. अन्य कोई जानकारी (किसी अन्य कल्याण बोर्ड से प्राप्त कोई प्रसुविधा हो तो उसका विवरण)।

उपरोक्त वर्णित तथ्य मेरे समुचित ज्ञान और सूचनाओं के अनुसार सही है।

स्थान :

तारीख :

आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर

(नियम-273 (6) देखें)

**पैन्शन भुगतान (संदाय) का रजिस्टर**

पी0पी0 सं0	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पैन्शन भोगी की सदस्यता संख्या सहित नाम और पता	जन्म तिथि, योजना में प्रविष्टि की तारीख	सेवा निवृत्ति की तारीख	कुल सेवा काल	प्राधिकारी के आदेश की संख्या और तारीख	पैन्शन प्रारम्भ होने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7

पैशन की मासिक दर	सचिव/जिला रोजगार अधिकारी अद्याक्षरित सहित तारीख	पैन्शन इत्यादि रद्द करने के टिप्पणी आदेश यहां सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर अधीन प्रभावी तारीख के साथ, कारण दर्ज किए जा सकते हैं।
8	9	10

**पैन्शन, भुगतान का विवरण**

मास/वर्ष	पैन्शन राशि रूपए	मनीआर्डर भेजने की तारीख	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सचिव के तारीख सहित आद्याक्षरित	टिप्पणियां (अपरिदत एच०ओ० इत्यादि विवरण) यहां दर्ज किया जा सकेगा
11	12	13	14	15

प्ररूप-37

(नियम-279 (1) देखें)

1. आवेदक का नाम और पता :
2. कर्मकार के साथ सम्बंध :
3. कर्मकार का नाम और पता :
4. रजिस्ट्रीकरण संख्या :
5. आयु और जन्म तिथि :
6. कर्मकार-क्या विवाहित है :
7. मृत्यु कैसे हुई (विवरण दें) :
8. प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण :
9. वित्तीय सहायता की राशि जिसके लिये आवेदन किया है :

उपरोक्त विवरण मेरे समुचित ज्ञान और सूचनाओं के अनुसार सही है।

स्थान :

हस्ताक्षर तथा नाम

तारीख :

प्ररूप-38

(नियम-278 (2) देखें)

**मृत्यु प्रसुविधा (लाभ)-रजिस्टर**

क्रम सं०	आवेदन प्राप्ति की तारीख	कर्मकार का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या	भुगतान की अवधि	मृत्यु की तारीख	आदेश संख्या और तारीख	नामनिर्देशिती का नाम और पता तथा सदस्य से सम्बंध	मृत्यु प्रसुविधा की राशि	वपिस की जाने वाली कुल राशि	आघा-क्षरित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्ररूप-39

(नियम- 275 (2) देखें)

**निशक्तता: पैन्शन हेतु आवेदन**

1. आवेदक का नाम और पता :
2. आयु तथा जन्म तिथि :
3. रजिस्ट्रीकरण संख्या :
4. प्रथम अभिदान के संदाय की तारीख और बैंक तथा शाखा का नाम :
5. अन्तिम अभिदान राशि के संदाय की तारीख तथा शाखा :
6. कुल अभिदान राशि :
7. रोग/दुर्घटना सम्बंधी विवरण :
8. रोग/दुर्घटना के कारण हुई निशक्तता: की प्रकृति :
9. सरकारी अस्पताल में रोगी के उपचार का विवरण (अस्पताल में दाखिले की तारीख और छुट्टी की तारीख)।
10. क्या रोगी के पलस्तर लगा था? यदि हां तो कितने दिनों के लिये?
11. उपचार के लिए व्यय की गई राशि, उपचार करने वाले (डाक्टर) चिकित्सक के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/समर्थित चिकित्सा बिल होना चाहिए।
12. प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची :
13. यदि इससे पूर्व कोई प्रसुविधा ली गयी है उसका विवरण :
14. उपरोक्त उपचार के लिए यदि कोई सरकार अथवा किसी अन्य संस्थान से प्रसुविधा ली गई है उसका विवरण :

उपरोक्त दी गई सूचना मेरी समझ व सूचना के अनुसार सही है।

स्थान :

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

तारीख :

-----

प्ररूप-40

(नियम-276 देखें)

**औजार ऋण हेतु आवेदन**

आवेदन संख्या

फीस : 2 रुपये

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. निवास का पता :
4. रजिस्टर संख्या :
5. बैंक का नाम, जहां अंशदान (योगदान) राशि जमा करवाई है :
6. आयु तथा जन्म तिथि :
7. मासिक आय :
8. आवेदक के पास स्वामित्व और कब्जे में अन्य सम्पत्तियां यदि कोई हो के ब्यौरे
9. प्रतिभूति देने वालों का विवरण :
  - नाम और पता
  - व्यवसाय (उपजीविका) और पता
  - आयु और जन्म तिथि
  - वर्तमान कुल मासिक आय



प्रतिभू देने वाले के स्वामित्व/कब्जे वाली अन्य सम्पत्तियों का विवरण ....  
क्या प्रतिभू देने वाले ने पहले किसी अन्य लेन देन में प्रतिभूति देने की पेशकश की है?  
यदि हाँ, तो उसका विवरण

10. क्या नियोजक से वेतन प्रमाणपत्र लेकर साथ में लगाया गया है
11. खरीदे जाने वाले औजारों की विशिष्टियां
  - (क) विवरण
  - (ख) मार्का
  - (ग) माडल
  - (घ) बीजक मुल्य (प्रति संलग्न)
  - (ङ) पूर्तिकार/डीलर का नाम और पता
12. (क) ऋण की राशि जिसके लिये आवेदन किया है।  
(ख) प्रतिसंदाय हेतु प्रस्तावित मासिक किस्तों की संख्या।

### घोषणा

- (क) मैं/हम पुष्टि करते हैं कि निधि का उपयोग केवल बताए गए प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा और इस का उपयोग सट्टे और/अथवा समाज विरोधी उद्देश्यों में नहीं किया जाएगा।
- (ख) मैं/हम समझते हैं कि यदि निधि का उपयोग विगत प्रयोजन के लिए न किया गया तो बोर्ड को निधि वापिस लेने का अधिकार है।
- (ग) मैं/हम जानते हैं कि सुविधा की मंजूरी बोर्ड के निदेश के अनुसार होगी और मैं/हम बोर्ड की सन्तुष्टि के अनुरूप आवश्यक सुरक्षा दस्तावेज निष्पादित करेंगे।

स्थान :  
तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रतिभू नाम और हस्ताक्षर

### (केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

श्री-----जो-----रूप में-----नियोजित (नियुक्त) है, द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच की गई है। उधार लेने वाले/प्रतिभू के सम्बंध में नियुक्ति का प्रमाणपत्र और प्रतिभूति नियोजक द्वारा दिये गये बचनबद्ध के साथ संलग्न है। रु० (शब्दों में-----रु० की राशि, उस प्रयोजन के लिये स्वीकृत की जाए जिसके लिए निवेदन किया है/ पात्रता बीजक की 75 प्रतिशत राशि -----रु० की (शब्दों में-----) समान मासिक किस्तों में वसूल की जानी है। अन्तिम किस्त की राशि के भुगतान की-----किस्त के पश्चात शेष राशि के साथ, ऋण राशि के सम्पूर्ण भुगतान सहित बोर्ड की अन्य देय राशि का भुगतान भी किया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
सचिव

स्वीकृत/अस्वीकृत

**हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश सरकार****रोजगार (नियोजन) प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_पुत्र/पुत्री/  
पत्नी\_\_\_\_\_श्री\_\_\_\_\_मकान  
नम्बर\_\_\_\_\_कस्बा\_\_\_\_\_गांव\_\_\_\_\_तहसील\_\_\_\_\_जिला\_\_\_\_\_  
इस समय निवासी\_\_\_\_\_मकान  
नम्बर\_\_\_\_\_गांव\_\_\_\_\_तहसील\_\_\_\_\_जिला\_\_\_\_\_स्थाई/स्थानापन्न  
कार्यकारी/अस्थाई\_\_\_\_\_ (पदनाम) है।

**उसका सेवा विवरण निम्नलिखित प्रकार से है**

1. सेवा में प्रवृष्टि की तारीख .....
2. नियमित (निरंतर) सेवा में आने की तारीख.....
3. सेवा निवृत्ति की तारीख.....  
उसके वेतन आदि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है

वेतनमान	रुपये	वसूली	रुपये
1. मूल वेतन	(क) भविष्य निधि		
2. महंगाई भत्ता	(ख) जीवन बीमा निगम की राशि वसूली		
3. आवास किराया भत्ता	(ग) आयकर		
4. प्रतिपूरक भत्ता	(घ) ऋण वसूली राशि		
	1.		
	2.		
	3.		
5. अन्य भत्ते	(ङ) अन्य वसूलियां		

कुल राशि (क) ..... कुल राशि (ख).....  
कुल वेतन (क) ..... (ख) रुपये .....

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख :

नाम

कार्यालय मोहर

कार्यालय/विभागाध्यक्ष का पद नाम

**वेतन से वसूली हेतु वचनबद्ध**

मैं\_\_\_\_\_ (पूरा नाम) \_\_\_\_\_ कार्यालय/विभाग \_\_\_\_\_ हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को वचन देता हूँ कि मैं/वह (उधार लेने वाले) ने उधार की \_\_\_\_\_ रु० की राशि (शब्दों में \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ रु० की समान मासिक समान किस्तों में \_\_\_\_\_ प्रत्येक महीने की तारीख को और पी०एन०आई० बाँड तारीख \_\_\_\_\_ के अनुसार ब्याज का भुगतान करने का वचन दिया है। मैं यहा यह सहमति देता हूँ कि उक्त लेन देन से सम्बंधित मासिक वसूलियां की राशि जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा निमित की जाए जिसकी सूचना बोर्ड को दी जाएगी/मासिक किस्तों में मेरे वेतन से, स्रोत पर ही काट ली जाए और बोर्ड अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के पास जमा करवाई जाए या इसका भुगतान किया जाए।

स्थान :

कर्मचारी के हस्ताक्षर

तारीख :

मैं उपरोक्त वसूलियों को प्रभावी करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान :

तारीख:

कार्यालय/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्ररूप-41

(नियम-277 देखें)

**अन्तिम संस्कार प्रसुविधा के लिए आवेदन**

1. आवेदक का नाम और पता
2. आवेदक का कर्मकार के साथ सम्बंध
3. कर्मकार का नाम और पता
4. रजिस्ट्रीकरण संख्या
5. रजिस्ट्रीकरण की तारीख
6. प्रथम अभिदाय रकम के संदाय (भुगतान) की तारीख और बैंक का नाम, शाखा
7. अन्तिम अभिदाय राशि के संदाय (भुगतान) की तारीख और बैंक का नाम, शाखा
8. सदस्यता की अवधि
9. क्या सदस्यता कायम थी?
10. कर्मकार की मृत्यु की तारीख
11. मृत्यु का कारण
12. क्या आवेदक, कर्मकार का नाम निर्देशिती है?
13. यदि नहीं, तो क्या आवेदक ने आश्रितता (निर्भरता) प्रमाणपत्र दिया है?
14. नाम निर्देशिती का नाम, आयु और जन्म तिथि
15. यदि नाम निर्देशिती नाबालिग है तो अभिभावक का नाम और बच्चों के साथ उसका रिश्ता
16. क्या अन्य नाम निर्देशितियों का सहमति प्रमाणपत्र दिया है।  
(जहां नाम निर्देशितियों की संख्या एक से अधिक हो)
17. क्या नाबालिग बच्चों द्वारा अभिभावक का प्रमाण-पत्र दिया गया है?
18. आवेदन की गई प्रसुविधा की राशि

उपरोक्त तथ्य मेरे समुचित ज्ञान और सूचनाओं के अनुसार सही हैं।

स्थान :

आवेदक का नाम और पता

प्ररूप-42

(नियम-280 देखें)

**चिकित्सा प्रसुविधा (सहायता) हेतु आवेदन**

1. आवेदक का नाम और पता
2. आयु तथा जन्म तिथि
3. रजिस्ट्रीकरण संख्या
4. प्रथम अभिदाय रकम के संदाय (भुगतान) की तारीख और बैंक का नाम
5. अन्तिम अभिदाय रकम के संदाय की तारीख और बैंक का नाम
6. कुल विप्रेषित रकम

7. रोग/शल्य क्रिया सम्बन्धी ब्यौरे (विवरण)
8. रोग या शल्य के कारण निःशक्तता यदि कोई हो
9. रोगी की सरकारी अस्पताल में उपचार की अवधि (अस्पताल में प्रवेश और छुट्टी की तारीख ।
10. प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
11. पहले प्राप्त चिकित्सा प्रसुविधा इलाज यदि कोई हो का विवरण ब्यौरा

उपरोक्त तथ्य मेरे समुचित ज्ञान और सूचनाओं के अनुसार सही है।

स्थान :  
तारीख

आवेदक के नाम तथा हस्ताक्षर

-----

प्ररूप-43

(नियम-281 देखें)

### शिक्षण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन

पाठ्यक्रम का नाम-----

वर्ष -----

1. छात्र का नाम
2. पुरुष/महिला
3. (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति  
(ख) क्या प्रमाण संलग्न है?
4. कालेज और सम्बद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम
5. कोर्स का नाम और वर्ष
6. कोर्स में दाखिले की तारीख
7. छात्र की आयु और जन्म तिथि
8. उत्तीर्ण की गई अर्हता परीक्षा का विवरण

परीक्षा का नाम

सम्बद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड/  
राज्य का नाम

अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने  
का मास और वर्ष

9. अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंक

विषय	प्राप्त अंक	अधिकतम अंक	प्रतिशतता	कुल अंक
10. (क) आवेदक के माता पिता के नाम (ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या (ग) प्रथम अभिदान के सदाय की तारीख (घ) अन्तिम के सदाय की तारीख (ङ) संदत किस्तों की संख्या (च) कुल संदत अभिदाय (छ) स्थाई पता (ज) क्या सदस्यता पुनः प्रवर्तित हुई है। यदि हो हाँ/नहीं में पुनः प्रवर्तन की अवधि।				

उपरोक्त वर्णित तथ्य मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। यदि छात्रवृत्ति के लिए चयन हो जाता है, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं स्कीम में अनुबद्ध शर्तों का पालन करूंगा ।

स्थान :

तारीख :

छात्र का नाम तथा हस्ताक्षर

**छात्र के माता/पिता का शपथपत्र**

मैं.....(नाम और पता) पुत्र अथवा पुत्री श्री..... (नाम और पता)..... सत्य निष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान करता हूँ कि:

1. मेरा पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती.....(कोर्स का नाम तथा वर्ष).....में पढ़ रहा/रही है।
2. मैं.....से रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित बोर्ड का सदस्य हूँ।
3. .... तारीख तक अभिदाय की राशि का संदाय कर दिया गया है।
4. यदि बाद में कोई भी तथ्य उपरोक्त तथ्य गलत पाए जाते हैं तो छात्र को दी गई छात्रवृत्ति की राशि, मेरे द्वारा वापिस लौटा दी जाएगी। इस सम्बंध में सचिव का विनिश्चय अन्तिम होगा और मैं इससे सहमत हूँ।
5. मैं, चूक होने पर मेरी ओर से देय राशि वसूल किए जाने के लिए भी सहमत हूँ।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर तथा नाम

(विधायक/सांसद/पंचायत प्रधान/राज्य या केन्द्र के राजपत्रित अधिकारी के सामने हस्ताक्षर किया जाना)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्रीमती/श्री.....ने मेरी उपस्थिति में यह हस्ताक्षर किए हैं।

स्थान :

तारीख :

(मोहर)

अनुप्रमाणन अधिकारी का नाम-पदनाम

मैं.....(संस्था का नाम) का प्रमुख एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्रीमती/श्री (नाम).....वर्ष का .....कोर्स का छात्र है। मैंने छात्र द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच की है और मुझे विश्वास है कि यह सही है। यह संस्था.....विश्वविद्यालय/बोर्ड से सम्बद्ध है।

स्थान :

तारीख :

(कार्यालय)

प्रिंसीपल/प्रमुख (मुख्य)

(मोहर)

के हस्ताक्षर, नाम पद नाम

**जिला कार्यकारी अधिकारी की जांच रिपोर्ट**

1. श्री/श्रीमती.....इस बोर्ड की/का आजीवन (जीवित) सदस्य है जिसकी..... रजिस्ट्रीकरण संख्या.....है और नियमित रूप से अभिदान का संदाय कर रहा/रही है।

2. उसने.....से.....तक नियमित रूप से अभिदाय राशि का संदाय किया है उसने अभिदाय संदाय में कभी चूक नहीं की है। ..... से.....तक की अवधि के लिए उसकी सदस्यता बहाल हुई है। मैं आवेदन की सिफारिश करता हूँ/नहीं करता हूँ (रद्द करण के कारण)

जिला कार्यकारी अधिकारी

(नियम-282 देखें)

**विवाह (शादी) सहायता हेतु आवेदन**

1. आवेदक का नाम
2. पता
3. रजिस्ट्रीकरण संख्या
4. आयु तथा जन्म तिथि
5. प्रथम अभिदाय राशि के संदाय की तारीख बैंक तथा शाखा का नाम
6. सदस्यता की अवधि
7. क्या सदस्यता अभी भी बनी है?
8. यदि आवेदन पुत्र/पुत्री की शादी के लिए है तो
  - (1) क्या पति या पत्नी बोर्ड का सदस्य है?
  - (2) यदि हां तो क्या उसने (पति/पत्नी) ने वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया है?
  - (3) जिस पुत्र/पुत्री की शादी हो रही है उसकी जन्म तिथि
  - (4) पुत्र/पुत्री के वधु अथवा वर का पता
  - (5) विवाह की तारीख और स्थान
  - (6) विवाह प्रमाण पत्र की तारीख और संख्या
  - (7) क्या आपने अपने किसी अन्य पुत्र/पुत्री के विवाह हेतु वित्तीय सहायता के लिये आवेदन किया है? यदि हां तो उसका विवरण दें।
9. यदि आवेदन स्वयं के विवाह के लिए है (केवल महिला श्रमिक हेतु)
  - (1) पति/वर का नाम तथा पता-
  - (2) विवाह (शादी) की तारीख और स्थान-
  - (3) विवाह (शादी) के प्रमाण पत्र की संख्या तथा तारीख-  
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम)
10. क्या आपको सरकार अथवा किसी अन्य संस्था से इस प्रयोजन के लिए सहायता प्राप्त हुई है?

उपरोक्त तथ्य मेरे समुचित ज्ञान और सूचनाओं के अनुसार सही है।

स्थान :

तारीख :

आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर

(नियम-283 देखें)

**परिवारिक पैन्शन हेतु आवेदन**

1. आवेदक का नाम और पता
2. पैन्शन भोगी/कर्मकार का पता
3. कर्मकार के साथ सम्बन्ध
4. कर्मकार की मृत्यु की तारीख
5. कर्मकार द्वारा प्राप्त की गई मासिक पैन्शन
6. क्या आवेदक सरकार/अथवा किसी अन्य संस्था से पैन्शन प्राप्त कर रहा है? यदि हां तो इसका विवरण।
7. क्या आवेदक सरकारी/अर्धसरकारी/निजी संस्थानों से वेतन प्राप्त कर रहा है? यदि हां तो इसका विवरण।
8. प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची।

उपरोक्त तथ्य मेरे समुचित ज्ञान और सूचनाओं के अनुसार सही हैं।

स्थान :

तारीख :

आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर

### आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. कर्मकार का मृत्यु प्रमाण पत्र
2. आवेदक और कर्मकार के मध्य सम्बंध दर्शाने वाले ग्राम अधिकारी का प्रमाणपत्र
3. ग्राम अधिकारी से प्रमाणपत्र जिसमें वर्णन हो कि आवेदक को सरकारी/अर्धसरकारी/निजी संस्था से कोई पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है।
4. ग्राम अधिकारी से प्रमाण पत्र जिसमें वर्णन हो कि आवेदनकर्ता को किसी सरकारी/अर्धसरकारी/निजी संस्था से वेतन नहीं मिल रहा है।

प्ररूप-46

(देखिए नियम-280 देखें)

### अशक्तता (अयोग्यता) पेंशन हेतु आवेदन दुर्घटनाओं हेतु अनुग्रह पूर्वक चिकित्सा सहायता हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम और पता
2. आयु तथा जन्म तिथि
3. रजिस्ट्रीकरण संख्या
4. प्रथम अभिदाय भुगतान की तारीख, चालान संख्या, राशि, शाखा और बैंक का नाम
5. अन्तिम अभिदाय भुगतान की तारीख, चालान संख्या, राशि, शाखा और बैंक का नाम
6. अभिदाय की कुल राशि
7. दुर्घटना सम्बन्धी ब्यौरे।
8. दुर्घटना के कारण हुई निशक्तता की प्रकृति।
9. क्या उपचार सरकारी अस्पताल में हुआ है? (यदि हां तो दाखिल और छुट्टी की तारीखें)
10. क्या रोगी को पलस्तर लगा था?

(यदि हां तो कितने दिनों तक का )

11. प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची
12. वित्तीय सहायता जिसके लिये आवेदन किया हो।
13. क्या आपने उपचार हेतु वित्तीय सहायता पहले प्राप्त की है? यदि हां, तो इसकी विशिष्टियां दें।

उपरोक्त तथ्य मेरे समुचित ज्ञान और सूचनाओं के अनुसार सही हैं।

स्थान :

तारीख :

आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर

*[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A) 4-/2007-BOCW dated 04/12/2008 as required and clause (3) of article 348 of the Constitution of India].*

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH,  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

\*NOTIFICATION\*

*Shimla-171 002, the 4th December, 2008*

**No. Shram (A) 4-6/2007-BOCW.**—In exercise of the powers conferred by section 62 and section 40 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996), the Governor, Himachal Pradesh, after consultation with the Expert Committee constituted under section 5 of the said Acts, hereby makes the following rules namely:—

**PART— I.  
PRELIMINARY  
CHAPTER- I.**

**1. Short title, application and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008.

(2) They shall apply to the building or other construction work relating to any establishment in relation to which appropriate Government in the State Government of Himachal Pradesh under the Act.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the e-gazette (Rajpatra) Himachal Pradesh.

**2. Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) “Act” means the Building and Other Construction workers (Regulation of Employment and conditions of Service ) Act, 1996 (27 of 1996 ):

(b) “access” or “egress” means passageways, corridors, stairs, platforms, ladders and any other means to be used by a building worker for normally entering or leaving the work place or for escaping in case of danger;

(c) “approved” means approved in writing by the Chief Inspector of Inspections of Building and Construction appointed under sub- section (2) of section 42 of the Act;

(d) “base” plate means a plate for distributing the load from a standard in the case of metal scaffolds;

(e) “bay” in relation to scaffold, means that position of the scaffold between horizontal or vertical supports whether standards or supports from which the portion is suspended, which are adjacent longitudinally;

(f) “brace” means a member incorporated diagonally in a scaffold for stability;

(g) “bulkhead” means an airtight structure separating the working chamber from free air or from another chamber under a lower pressure than the working pressure;



(h) "caisson" means an air and watertight chamber in which it is possible for men to work under air pressure greater than atmospheric pressure at sea level to excavate material below water level;

(i) "coffer dam" means a structure constructed entirely or in part below water level or below the level of the water table in the ground and intended to provide a place for work that is free of water;

(j) "competent person" means a person so approved by the State Government, who belongs to a testing establishment, in India, possessing adequate qualification, experience and skill for the purposes of testing, examination or annealing and certification of lifting appliances, lifting gears, wire ropes or pressure plant or equipment;

(k) "compressed air" means air mechanically raised to a pressure higher than atmospheric pressure at sea level;

(l) "construction site" means any site at which any of the processes or operation, related to building or other construction work are carried on;

(m) "conveyor" means a mechanical device used in building or other construction work for transport of building material, articles, or packages, or solid bulk from one point to another point;

(n) "danger" means danger of accident or of injury or to health ;

(o) "decanting" means the rapid decompression of persons in a man-lock to atmospheric pressure at sea level followed promptly by their recompression in a decant lock, where they are then decompressed according to the appropriate decompression table in accordance with approved decompression procedures;

(p) "demolition work" means the work incidental to or connected with the total or partial dismantling or razing of a building or a structure other than a building and includes the removing or dismantling of machines or other equipment;

(q) "excavation" means the removal of earth, rock or other material in connection with construction or demolition work;

(r) "false works" means the structural supports and bracing for frame works or forms;

(s) "flashpoint" means the minimum liquid temperature at which a spark or flame causes and instantaneous flash in the vapour space above the liquid;

(t) "form" means a form appended to these rules;

(u) "frame or modular scaffold" means a scaffold manufactured in such a way that the geometry of the scaffold is predetermined and the relative spacing of the principal members are fixed;

(v) "guardrail" means a horizontal rail secured to uprights and erected along the exposed sides of scaffold floor openings, runways and gangways to prevent persons from falling;

(w) "hazard" means danger or potential danger;

(x) "hazardous substance" means any substance which due to its explosiveness, inflammability, radio- activity, toxic or corrosive properties, or other similar characteristic, may, —

- (i) cause injury; or
- (ii) active adversely the human system; or
- (iii) cause loss of the life or damage to property on workenvironment, while handling, transporting or storing and classify as such under the national standards or incase such national standards do not exist to the generally accepted international standards;

(y) "high pressure air" means air used to supply power to pneumatic tools and devices;

(z) "independent tied scaffold" means a scaffold, the working platform of which is supported from the base by two or more rows of standards and which apart from the necessary ties stands completely free of the building;

(za) "ledger" means a member spanning horizontally and tying scaffolding longitudinally and which acts as a support for put logs or transoms;

(zb) "lifting appliance" means a crane, hoist derrick, winch, gin pole, sheer legs, jack, pulley block or other equipment used for lifting materials, objects or, building worker;

(zc) "lifting gear" means ropes, chains, hooks, slings and other accessories of a lifting appliance;

(zd) "lock attendant" means the person in charge of a man-lock or medical lock and who is immediately responsible for controlling the compression, recompression or decompression of persons in such locks;

(ze) "low pressure air" means air supplied to pressurize working chambers and man- locks and medical locks;

(zf) "magazine" means a place in which explosives are stored or kept, whether above or below ground;

(zg) "man- lock" means any lock, other than a medical lock, used for the compression or decompression of persons entering or leaving a working chamber;

(zh) "material hoist" means a power or manually operated and suspended platform or bucket operating in guide, rails and used for raising or lowering material exclusively and operated and controlled from a point outside the conveyance;

(zi) "materials lock" means a chamber through which materials and equipment pass from one air pressure environment into another;

(zj) "medical lock" means a double compartment lock used for the therapeutic recompression and decompression of persons suffering from ill-effects of decompression;

(zk) "national standards" means standards as approved by Bureau of Indian Standards and in the absence of such standards of Bureau of Indian Standards, the Standards approved by the State Government for a specific purpose;

(zl) "outrigger" means a structure projecting beyond the façade of a building with the inner end being anchored and includes a cantilever or other support;

(zm) “plant or equipment” includes any plant, equipment, gear machinery, apparatus or appliance, or any part thereof;

(zn) “pressure” means air pressure in bars above atmospheric pressure;

(zo) “pressure plant” means the pressure vessel along with its piping and other fittings operated at a pressure greater than the atmospheric pressure;

(zp) “putlog” means a horizontal member on which the board, plank or decking of a working platform are laid;

(zq) “responsible person” means a person appointed by the employer to be responsible for the performance of specific duty or duties and who has sufficient knowledge and experience and the requisite authority for the proper performance of such duty or duties;

(zr) “reveal tie” means the assembly of a tie tube and a fittings used for tightening a tube between two opposite surfaces;

(zs) “right angle coupler” means a coupler, other than a swivel or put log coupler, used for connecting tubes at right angle;

(zt) “rock bolt” means a mechanical expansion bolt or a bolt used with cementitious or resin anchoring system which is set in drilled hole in the arch or wall of a tunnel to improve rock competency;

(zu) “roofing bracket” means a bracket used in sloped roof construction and having sharp points or other means for fastening to prevent slipping;

(zv) “safety screen” means an air and water tight diaphragm placed across the upper part of a compressed air tunnel between the face and bulk head, in order to prevent flooding the crown of the tunnel between the safety screen and the bulkhead to provide a safe means of refuse and exit from a flooding or flooded tunnel;

(zw) “safe working load” in relation to an article of lifting gear or lifting appliance means the load which is the maximum load that may be imposed on such article or appliance with safety in the normal working conditions as assessed and certified by a competent person;

(zx) “scaffold” means any temporarily provided structure on or from which building workers perform work in connection with building or other construction work to which these rules apply, and any temporarily provided structure which enables building workers to obtain access to or which enables materials to be taken to any place at which such work is performed, and includes any working platform, gangway, run, ladder or step ladder (other than a ladder or step ladder which does not form any part of such structure) together with any guardrail, toe board or other safe guards and all fixings, but does not include lifting appliance or a lifting machine or a structure used merely to support such an appliance or such a machine or to support other plant or equipment;

(zy) “schedule” means a schedule appended to these rules;

(zz) “segment” includes a cast iron or precast concrete segmented structure formed to the curvature of the tunnel cross section and used to support the ground surrounding the tunnel;

(zza) “service shaft” means a shaft for the passage of building workers or materials to or from a tunnel under construction;

(zzb) “shaft” means an excavation having a longitudinal axis at an angle greater than forty-five degree from the horizontal,—

(i) for the passage of building workers or materials to or from a tunnel; or

(ii) leading to an existing tunnel;

(zzc) “shield” means a movable frame which supports the working face of a tunnel and the ground immediately behind it and includes equipment designed to excavate and support the excavated areas in a tunnel;

(zzd) “sole plate” means a member used to distribute the load from the base plate or the standard of wooden scaffolds to the supporting surface;

(zze) “sound or good construction” means construction conforming to the relevant national standards or in case such national standards do not exist, to other generally accepted international engineering standards or code of practices;

(zzf) “sound or good material” means materials of a quality conforming to the relevant national standards or in case such national standards do not exist, to other generally accepted international engineering standards or code of practices;

(zzg) “standard” means a member used as a vertical support or column in the construction of scaffold which transmits a load to the ground or to the solid construction;

(zzh) “standards safe operating practices” means the practice followed in building and other construction activities for the safety and health of workers and safe operation of machineries and equipment used in such activities and such practices conforms to all or any of the following,—

(i) relevant standards approved by Bureau of Indian Standards;

(ii) national building code;

(iii) manufacturer’s instructions on safe use of equipment and machinery;

(iv) code of practice on safety and health in construction industry published by International Labour Organization and amended from time to time;

(zzi) “steel rib” all steel beams and other structural members shaped to conform to the requirements of a particular tunnel cross section, used for the purpose of supporting and stabilising the excavated areas;

(zzj) “suspended scaffold” means a scaffold suspended by means of ropes or chains and capable of being raised or lowered but does not include a boatswain’s chair or similar appliance;

(zzk) “testing establishment” means an establishment with testing and examination facilities, as approved by the State Government for carrying out testing, examination, annealing or similar other test or certification of lifting appliances or lifting gear or wire rope as required under these rules;

(zzl) “tie” means an assembly used to connect a scaffold to a rigid anchorage:

(zzm) “toe board” means member fastened above a working platform, access landing, excess way, wheelbarrow run, ramp or other platform to prevent building workers and materials falling there from;

(zzn) “transom” means a member placed horizontally and used to tie transversely one ledger to another, or one standard to another in an independent tie scaffold;

(zzo) “trestle scaffold” includes a scaffold in which the support for the platform are any of the following which are self supporting, namely,—

- (i) split heads;
- (ii) folding;
- (iii) step- ladder
- (iv) tripods; or
- (v) moveable contrivances similar to any of the for going;

(zzp) “tubular scaffold” means a scaffold constructed from tubes and couplers;

(zzq) “tunnel” mean a subterranean passage made by the excavating beneath the overburden into which a building worker enters or its required to enter to work;

(zzr) “underground” means any space within the confines of a shaft, tunnel, caisson or cofferdam;

(zzs) “vehicle” means a vehicle propelled or driven by mechanical or electrical power and includes a trailer, tractor, traction engine, road building machine and transport equipment;

(zzt) “working chamber” means the part of the construction site where work in a compressed air environment is carried out, but does not include a man- lock or medical-lock;

(zzu) “working platform” means a platform which is used to support building workers or materials and includes a working stage;

(zzv) “working pressure” means pressure, in a working chamber, to which building worker is exposed;

(zzw) “workplace” means all places where building workers are required to be present or to go for work and which are under the control of an employer.

**3. Interpretation of words not defined.**—Words and expressions not defined in these rules but defined or used in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

**4. Savings-** The provisions of these rules shall be in addition to and not in substitution for or in diminution of the requirement imposed by the Act.

---

**CHAPTER-II****RESPONSIBILITIES AND DUTIES OF EMPLOYERS, ARCHITECTS,  
PROJECT ENGINEERS AND DESIGNERS, BUILDING WORKERS, ETC.**

**5. Duties and responsibilities of employers, employees and others.**—(1) It shall be the duty of every employer who is undertaking any of the operation or works related to or incidental to building or other construction work to which these rules apply;

(a) to comply with such of the requirements of these rules as are related to him:

Provided that the requirements of this clause shall not affect any building worker if and so long as his presence in any place of work is not in the course of performing any work on behalf of his employer and he is not expressly or impliedly authorized or permitted by the employer to do the work; and

(b) to comply with such of the requirements of these rules as are related to him in relation to any work, act or operation performed or about to be performed by him.

(2) It shall be the duty of every employer who erects or alters any scaffold to comply with such of the requirements of the provisions of these rules as relate to the erection or alteration of scaffold having regard to the purpose or purposes for which the scaffold is designed at the time of erection or alteration; and such employer, who erects, installs, works or uses any plant or equipment to which any of the provisions of these rules apply, shall erect, install, work or use such plant or equipment in a manner which complies with those provisions.

(3) Where a contractor, who is undertaking any of the operations or works to which these rules apply, appoints any artisan, tradesman or other person to perform any work or services under a contract for services, it shall be the duty of the contractor to comply with such of the requirements of these rules as affect that artisan, tradesman or other person and for this purpose any reference in these rules to an employee shall include a reference to such artisan, tradesman or other person and the contractor shall be deemed to be his employer.

(4) It shall be the duty of every employee to comply with the requirements of such of these rules as are related to the performance of or the refraining from an Act by him and to co-operate in carrying out these rules;

(5) It shall be the duty of every employer not to permit an employee to do anything not in accordance with the generally accepted principles of standard safe operating practices connected with building and other construction work as specified by the State Government.

(6) No employee shall do anything which is not in accordance with the generally accepted principles of standards safe operating practices connected with building and other construction work as specified by the State Government.

(7) No person related with any building and other construction work shall willfully do any act which may cause injury to him or to others.

(8) It shall be the duty of every employer not to allow lifting appliance, lifting gear, lifting device, transport equipment, vehicles or any other device or equipment to be used by the building workers which does not comply with the provisions given in these rules.

(9) It shall be the duty of the employer to maintain the latrines, urinals, washing facilities and canteen in a clean and hygienic condition. The canteen shall be located in a place away from the latrines and urinals and polluted atmosphere and at the same time be easily accessible to the building workers.

(10) It shall be the duty of the employer to abide by the dates fixed and notified by him for payment of wages for a period in accordance with these rules and no change in such dates and such period shall be effected without notice to the building workers and the Inspector. The Employer shall ensure timely payment of wages as specified under these rules and at the place and time notified by him. Where the employer is a contractor, he shall ensure that the wages of building workers are paid in the presence of a representative of the employer of the establishment or owner of premises from whom he has taken the work on contract and obtain signatures of such representative in token of having witnessed the payment of wages.

(11) It shall be the duty of employer to ensure that the lifting appliance, lifting gear, earth moving equipment, transport equipment, or vehicle used in the building or other construction work undertaken by him conforms to the requirement relating to testing, examination and inspection of such equipment as provided under these rules. It shall be the duty of every person in the service of the Government or any local or other public authority to comply with the requirements relating to him as given in these rules.

**6. Responsibilities of architects, project engineer and designer.**—(1) It shall be the duty of the architect, project engineer or designer responsible for the design of any project or part thereof or any building or other construction work to ensure that, at the planning stage, due consideration is given to the safety and health aspects of the building workers who are employed in the erection, operation and execution of such projects and structures as the case may be.

(2) Adequate care shall be taken by the architect, project engineer and other professionals involved in the project, not to include anything in the design which would involve the use of dangerous structures or other processes or materials, hazardous to health or safety of building workers who are employed in the erection, operation and execution as the case may be.

(3) It shall be also be the duty of the professionals, involved in designing and buildings, structures or other construction projects, to take into account the safety aspects associated with the maintenance and upkeep of the structures and buildings where maintenance and upkeep may involve special hazards.

**7. Responsibilities of the persons in the service of the State Government and the Board.**—It shall be the duty of every person in the service of the government of any state or a Board to comply with the directions given by the State Government from time to time to carrying into execution in that state, the provisions of the Act and these Rules.

**8. Duties and responsibilities of workers.**—(1) It shall be the duty of every building worker to comply with the requirements of such of these rules as relate to him, and Act and cooperate in carrying out the requirements of these rules and if he discovers any defects in the lifting appliance, lifting gear, lifting device, concerning any transport equipment or other equipment, to report such defects without unreasonable delay to his employer or foreman or other person in authority.

(2) No building worker, shall unless duly authorized or except in case of necessity, remove or interfere with any fencing, gangway, gear, ladder, hatch covering, life saving appliances, lighting or other things whatsoever required by the Act and these rules to be provided. If any of the

aforesaid things is removed, such thing shall be restored at the end of period during which its removal was necessary, by the persons engaged in that work.

(3) Every building worker shall, use only means of access provided in accordance with these rules and no person shall authorize or order another to use means of excess other than such means of access.

(4) It shall be the duty of the building worker to keep the latrines, urinals, washing points, canteen, and other facilities provided by the employer for securing his welfare in a clean and hygienic condition.

**9. Exemption.**—The State Government may, by order in writing and subject to such conditions and for such period, as may be specified therein, exempt from all or any of the requirements of these rules to,—

(a) any building or other construction work, if such government is satisfied that such building work is confined to such workers, where it is not convenient to take measures as provided in these rules; or

(b) Any appliance, gear, equipment, vehicle, or other device if such government is satisfied that the requirement of such appliance, gear, equipment, vehicle or other device is not necessary for use or equally effective measures are take in lieu thereof:

Provided that such government shall not grant exemption under this rule unless it is satisfied that such exemption would not adversely affect the safety, health, and welfare of the building worker.

—————  
**PART- II**  
**STATE ADVISORY COMMITTEE, REGISTRATION OF**  
**ESTABLISHMENTS**  
**CHAPTER-III**

**STATE ADVISORY COMMITTEE**

**10. Constitution of State Advisory Committee.**—The State Building and Other Construction Workers Advisory Committee (hereinafter referred to as the State Advisory Committee) shall consist of —

- |     |  |                             |
|-----|--|-----------------------------|
| (a) | a Chairperson to be appointed by the State Government  | <i>Chairperson</i>          |
| (b) | two Members of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh to be elected from the Himachal Pradesh Vidhan Sabha.  | <i>Members</i>              |
| (c) | a Member to be nominated by the Central Government.  | <i>Official Member</i>      |
| (d) | the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction  | <i>Official Member</i>      |
| (e) | the Chief Inspector of Factories   | <i>Member ex-officio</i>    |
| (f) | three members representing employers   | <i>Non-Official Members</i> |
| (g) | three members representing the building and other construction workers to be nominated by the State Government.  | <i>Non-Official Member</i>  |
| (h) | three members Secretary level Secretary (Labour)/Secretary (PWD)/ Secretary (MPP & Power)  | <i>Official Member</i>      |
| (i) | two members to be nominated by the State Government one representing State Level Associations of Architects or Engineers and one representing Accident Insurance Institutions. |                             |



**11. Terms of Office.**—(1) The Chairperson of the State Advisory Committee shall hold office as such for a period of three years from the date on which his appointment is notified in the Official Gazette.

(2) Each member referred to in clause (b) of rule 10 shall hold the office for three years or till he remains member Himachal Pradesh Vidhan Sabha, whichever is earlier.

(3) Each of the members referred to in clause (e), clause (f) and clause (g) of rule 10 shall hold office as such for a period of three years commencing from the date on which his appointment is notified in the official gazette.

Provided that where the appointment of the successor of any such member has not been notified in the official gazette on or before the expiry of the said period of three years, such member shall, notwithstanding the expiry of the period of his office, continue to hold such office until the appointment of his successor is notified in the official gazette.

(4) If a member is unable to attend a meeting of the Committee, the State Government may, after notice in writing to such members and the Chairperson of the State Advisory Committee nominate a substitute of such member to attend the meeting and such a substitute member shall have all the rights and privileges of such member in respect of that meeting.

(5) The State Advisory Committee shall be reconstituted after every three years.

**12. Resignations.** - (1) A member of the State Advisory Committee, not being an ex-officio, may resign his office by a letter in writing addressed to the State Government through **Secretary (Labour)**, with prior information to the Chairperson of such Committee.

(2) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted by the State Government or on the expiry of 30 days from the date of receipt of the letter of resignation by the **Secretary (Labour)** of the Government whichever is earlier.

**13. Cessation of membership.** - If any member of the State Advisory Committee not being an ex-officio member, fails to attend three consecutive meetings of such committee, without obtaining the leave of the Chairperson of such committee for such absence, he shall cease to be a member of such committee;

Provided that the State Government may, if it is satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending three consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such members shall continue to be a member of such committee.

**14. Disqualification for membership.**—(1) A person shall be disqualified for being a member of the State Advisory Committee,—

- (i) if he is of unsound mind and stands so declare by a competent court;
- (ii) if he is an un discharged insolvent; or
- (iii) if he has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude;

(2) Where a question arises as to whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the State Government shall decide such question.

**15. Removal from membership.**—The State Government may remove from office any member of the State Advisory Committee, if in its opinion such member has ceased to represent the interest which he purports to represent on such Committee.

Provided that no such member shall be removed unless a reasonable opportunity is given to him of making a representation against the purposed action under this rule.

**16. Manner of filling vacancies.**—When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the State Advisory Committee, the chairperson of such committee shall submit a report to the State Government and on receipt of such report, the State Government shall take steps to fill the vacancies by making an appointment from amongst the category of persons to which the person vacating membership belonged and the person so appointed shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is appointed.

**17. Staff of State Advisory Committee.**—(1) (i) The State Government may appoint one of its officers not below the rank of Deputy Labour Commissioner in the State Labour Department as Secretary to the State Advisory Committee and appoint such other staff being in the service of the Government, as it may think necessary, to enable such committee to carry out its functions.

(ii) The remuneration payable to such staff shall be such as may be decided by the State Government from time to time.

(2) The Secretary of the State Advisory Committee—

- (i) shall assist the Chairperson of such committee in convening meetings of the Committee;
- (ii) may attend the meetings of as such Committee but shall not be entitled to vote at such meetings;
- (iii) shall keep a record of the minutes of the meetings of such Committee; and
- (iv) shall take necessary measures to carry out the decisions at the meetings of such Committee.

**18. Allowances of members.**—(1) The traveling allowance of an official member of the State Advisory Committee shall be governed by the rules applicable to him for journey performed by him on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

(2) The non- official members of the State Advisory Committee shall be paid travelling allowance for attending the meeting of such Committee at such rates as are admissible to a grade one officer of the state Government and daily allowances shall be calculated at the maximum rate admissible to such grade one officer.

**19. Disposal of business.**—(1) Every matter which the State Advisory Committee is required to take into consideration shall be considered at a meeting of that Committee or if the Chairperson of such Committee so directs, by sending the necessary papers to every member for opinion and the matter shall be disposed of in accordance with the decision of the majority;

Provided that where there is no opinion of majority on a matter and the members of such Committee are equally divided the Chairperson of such Committee shall have a second or a casting vote.

**Explanation.**—The expression “Chairperson of the State Advisory Committee” for the purpose of this rule shall include the Chairperson of such Committee nominated or chosen under sub-rule (2) of rule 20 to preside over a meeting.

(2) No Act or proceedings of the State Advisory Committee shall be invalid merely for reasons of any vacancy in or any defect in constitution of the Committee.

20. **Meetings.**—(1) The State Advisory Committee shall meet at such places and at such times as may be decided by the Chairperson of such Committee and it shall meet at least once in six months.

(2) The Chairperson of such Committee shall preside over every meeting of the Committee in which he is present and in his absence he may nominate a member of the Committee to preside over such a meeting in his place and in the absence of such nomination by the Chairperson, the members of such Committee present in such meeting may choose from amongst themselves a member to preside over such a meeting.

21. **Notice of meetings and list of business.** - (1) Ordinarily, two weeks notice shall be given to the members of State Advisory Committee of a proposed meeting;

Provided that the chairperson of such Committee, if he is satisfied that it is expedient to do so, may give notice of longer period for such meeting which shall not exceed one month.

(2) No business except which is included in the list of business for a meeting of such committee shall be considered as such meeting without the permission of the chairperson of the Committee.

22. **Quorum.**—No business shall be transacted at any meeting of the State Advisory Committee unless at least five members of such committee are present;

Provided that if in any meeting of such committee less than five members are present, the Chairperson of such Committee may adjourn the meeting to another date informing members present and giving notice to the other members that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting whether there is prescribed quorum or not, and it shall there upon be lawful for him to dispose off the business at the adjourned meeting irrespective of the number of members attending.

---

#### CHAPTER- IV REGISTRATION OF ESTABLISHMENTS

23. **Manner of making application for registration of establishments.**—(1) The application referred to in sub section (1) of section 7 of the Act shall be made in triplicate, in form I annexed to these rules to registering officer of the area appointed under section 6 of the Act in which the building or other construction work is to be carried on by the establishment within sixty days from the commencement of work.

(2) Every application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by a Government Treasury Receipt issued by the Labour & Employment Department of the Himachal Pradesh Government, showing payment of fees for the registration of the establishment.

(3) Every application referred to in sub- rule (1) shall be either personally delivered to the registering officer or sent to him by registered post.

(4) On receipt of the application referred to in sub- rule (1), the registering officer shall, after noting thereon the date of receipt by him of the application, grant an acknowledgement to the applicant.

**24. Grant of certificate of registration.**—(1) The registering officer, after receiving application under sub-rule (1) of rule 23 shall register the establishment and issue a certificate of registration to the applicant within 30 days of receipt of application if such applicant has complied with all the requirements as laid down in these rules and has made the application within such period as specified under clause (a) and clause (b) of sub- section (1) of Section (7) of the Act .The certificate of registration to be granted by the registering officer shall be in Form-II annexed to these rules.

(2) The registering officer shall maintain a register in Form-III annexed to these rules showing the particulars of the establishments in relation to which certificate of registration have been issued by him.

(3) If, in relation to an establishment any change occurs in the ownership or management or other particulars specified in the certificate of registration, the employer of the establishment shall intimate the registering officer, within 30 days from the day when such change takes place, the date and particulars of such change, and the reasons thereof.

**25. Payment of additional fees and amendment of register etc.**—(1) Whereon receipt of the intimation under sub- rule (3) of rule- 24, the registering officer is satisfied that an amount higher than the amount, which has been paid by the employer as fees for the registration of the establishment is payable, he shall require such employer to pay additional sums which, together with the amount already paid by such employer, would be equal to such higher amount of fees payable for the registration of the establishment.

(2) Where, on receipt of the intimation referred to in sub- rule (3) of rule- 24, the registering officer is satisfied that there has occurred a change in the particulars of the establishment , as entered in the register in Form- III annexed to these rules, he shall amend the said register and record therein the change which has occurred:

Provided that the registering officer shall not carry out any amendment in the register in Form- III annexed to these rules unless the appropriate fees have been deposited by the employer.

**26. Conditions of Registration.**—(1) Every certificate of registration under rule-24 shall be subject to the following conditions, namely:—

(a) The certificate of registration shall be non-transferable ;

(b) the number of workmen employed as building workers in an establishment shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the certificate of registration; and

(c) save as provided in these rules, the fees paid for the grant of registration certificate shall be non-refundable.

(2) The employer shall intimate the change, if any, in the number of the workmen or the conditions of the work to the registering officer within 15 days.

(3) The employer shall, before thirty days of the commencement and completion of any building or other construction work, submit a written notice to the Inspector, having jurisdiction in

the area where the proposed building or other construction work is to be executed, intimating the actual date of commencement or, as the case may be, completion of such building or other construction work in Form- IV annexed to these rules.

(4) The certificate of registration of an establishment shall be valid only for such building and other construction work carried out by such establishment for which intimation require under sub- rule (3) has been given,.

(5) A copy of the certificate of registration shall be displayed at the conspicuous place at the premises where the building and other construction work is being carried on.

**27. Fees.**—(1) The fees to be paid for the grant of certificate of registration under rule 24 shall be as specified below, namely:—

If the number of workers proposed to be employed as workers for a building or/and other construction work on any day:—

(a) Is between 10 to 50	Rs. 100.00
(b) exceeds 50 upto 100	Rs. 500.00
(c) exceeds 100 but does not exceed 250	Rs. 1000.00
(d) exceeds 250 but does not exceed 500	Rs. 2500.00
(e) exceeding 500	Rs. 5000.00

(2) If the application for registration is not submitted within the time limit specified in sub-rule (1) of rule 23, late fee @ 25% of the rates of fees mentioned in sub- rule (1) shall be levied where the delay is upto one month, @ 50% where the delay is beyond one month and upto six months and 100% where the delay is beyond six months.

#### **CHAPTER-V APPEALS, COPIES OF ORDERS, PAYMENT OF FEES, ETC.**

**28. Filling of appeal before the appellate officer.**—(1) Every appeal under subsection (1) of Section 9 of the Act shall be preferred in the form of a memorandum signed by the aggrieved person or his authorized advocate and presented to the appellate person in person or sent to him by registered post.

(2) The memorandum shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against and a Treasury Receipt for rupees two hundred, issued by Labour & Employment Department of Himachal Pradesh Government.

(3) The memorandum shall set forth concisely and under distinct heads the grounds of the appeal.

(4) Where the memorandum of appeal does not comply with the provisions of sub-rule (2) and sub- rule (3), it may be returned to the appellant for the purpose of being amended within a time to be fixed by the appellate officer which shall not exceed 30 days from the date on which the order appeal against has been communicated to the appellant.

(5) Where the memorandum of appeal is in order, the appellate officer shall admit the appeal, endorse thereon the date of hearing of such appeal, and shall register the appeal in a book to be kept for the purpose called the register of appeals.

(6) (i) When the appeal has been admitted, under sub-rule (5) the appellate officer shall send the notice of the appeal to the registering officer against whose order the appeal has been preferred and the registering officer shall there upon send the record of the case to the appellate officer.

(ii) On receipt of the record, the appellate officer shall send a notice to the appellant to appear before him at such date and time as may be specified in the notice for the hearing of the appeal.

**29. Failure to appear on the date of hearing-** If the date fixed for hearing, the appellant does not appear, the appellate officer may dismiss the appeal for default of appearance of the appellant.

**30. Restoration of appeals.**—Where an appeal has been dismissed under rule-29, the appellant may apply to the appellate officer for the restoration of the appeal and if the appellate officer is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from appearing, the appellate officer shall restore the appeal on its original number:

Provided that an application for restoration under this rule shall not be entertained by the appellate officer after thirty days from the date of such dismissal.

**31. Hearing of appeal-** (1) If the appellant is present when the appeal is called on for the hearing, the appellate officer shall proceed to hear the appellant or his authorized advocate and pass an order on the appeal either confirming reversing or varying the order appealed against.

(2) The order of the appellate officer shall state the points for determination the decision thereon and reasons for such decisions.

(3) The order shall be communicated to the appellant and copy thereof shall be sent to the registering Officer against whose order the appeal has been preferred.

**32. Copy of order of registration or of order in appeal.**—Copy of the order of the registering officer or the appellate officer may be obtained by the person concerned or a person authorized by him on payment of fees of one hundred rupees for each order on making application to the registering officer or the appellate officer as the case may be, specifying the date and other particulars of the order made by the officer concerned. A copy of the certificate of registration, on loss or mutilation of such certificate may also be obtained in the like manner and on payment of like fees.

**33. Payment of Fees-** (1) All amounts of money payable on account of registration, appeal, supply of copies or duplicate copies of certificate of registration shall be paid through a crossed demand draft in favour of the registering officer and appellate officer, as the case may be, and made payable at the branch of the Bank specified by the State Government from time to time at the headquarters of the concerned registering officer or appellate officer.

(2) The registering officer or the appellate officer, as the case may be, on receipt of the demand draft under sub- rule (1) shall arrange to deposit the amount in the appropriate account in the Bank specified by the State Government from time to time in the account of 'Pay and Accounts Officer' of the Department of Labour under the relevant head of account.

**PART-III**  
**SAFETY AND HEALTH**  
**CHAPTER-VI**  
**GENERAL PROVISIONS**

34. **Excessive noise, vibration etc.-** An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that adequate measures are taken to protect building workers against the harmful effects of excessive noise or vibration at such construction site and the noise level in no case exceeds the limits laid down in Scheduled- VI annexed to these rules.

35. **Fire protection-** An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

- (a) such construction site is provided with-
  - (i) fire extinguishing equipment sufficient to extinguish any probable fire at such construction site;
  - (ii) and adequate water supply at ample pressure as per National Standards;
  - (iii) number of trained person require to operate the fire extinguishing equipment provided under sub-clause (1);
- (b) fire extinguishing equipment provided under sub- clause (1) of clause (a) is properly maintained and inspected at regular intervals of not less than once in a year by the responsible person and a record of such inspections is maintained.

(c) in case of every launch or boat or other craft used for transport of building workers and the cabin of every lifting appliances including mobile crane, adequate number of portable fire extinguishing equipment of suitable type shall be provided at each of such launch or boat or craft or lifting appliance.

36. **Emergency action plans.-** An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that in case more than five hundred buildings workers are employed at such construction site emergency action plan to handle the emergency like-

- (a) fire and explosion;
- (b) collapse of lifting appliances and transport equipment;
- (c) collapse of building, sheds or structures etc;
- (d) gas leakage or spillage of dangerous goods or chemicals;
- (e) drowning of building workers, sinking of vessels; and
- (f) land slides getting building worker buried, floods, storms and other natural calamities, is prepared and submitted for the approval of the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction.

37. **Fencing of motors, etc.—**An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that;

(a) all motors, cogwheels, chains and friction gearing, flywheels, shafting, dangerous and moving parts of machinery (whether or not driven by mechanical power) and steam pipes are securely fenced or lagged ;

(b) the fencing of dangerous parts of machinery is not removed from such machinery when it is in motion or in use,

(c) no part of any machinery which is in motion and which is not securely fenced is examine, lubricated, adjusted or repaired except by a person skilled for such examination, lubrication, adjustment or repairs;

(d) machine parts are cleaned when such machine is stopped; and

(e) when a machine is stopped for servicing or repairs, adequate measures are taken to ensure that such machine does not re- start inadvertently ;

**38. Lifting and carrying of excessive weight.**—An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,-

(a) no building worker lifts by hand or carries overhead or over his back or shoulder any material, article, tool or appliances exceeding in weight the maximum limits set out in the following table:—

Person	Maximum weight load
Adult man	55.00 K.G.
Adult women	30.00 K.G.
Adolescent male	30.00 K.G.
Adolescent female	20.00 K.G.

Unless aided by any other building worker or a mechanical device.

(b) no building worker aided by other building workers lift by hand or carry over head or over there back or shoulders, any material article, tool or appliance exceeding in weight, the sum total of maximum limits set out for each building worker separately under clause (a) unless aided by a mechanical device.

**39. Health and Safety Policy.**—(1) (a) Every establishment employing fifty or more building workers shall prepare a written statement of policy in respect of safety and health of building workers and submit the same for the approval of the Chief Inspector of Inspection of Building & Construction;

(b) the policy referred to in clause (a) shall contain the following, namely –

- (i) the intentions and commitments of the establishments regarding health, safety and environmental protection of building workers;
- (ii) organizational arrangements made to carry out the policy referred to in clause (a) specifying the responsibility at different levels of hierarchy;
- (iii) responsibilities of the principle employer, contractor, sub- contractor, transporter or other agencies involved in the building or other construction work;
- (iv) techniques and methods for assessment of risk to safety, health and environmental and remedial measures therefore;
- (v) arrangements for training of building workers, trainers, supervisors or other person engaged in the construction works; and
- (vi) other arrangements for making the policy referred to in clause (a) effective;



(c) the intention and commitment referred to in sub-clause (1) of clause (b) shall be taken into account in making decisions relating to plant, machinery, equipment, materials and placement of building workers.

(2) A copy of the policy referred to in clause (a) of sub-rule (1), signed by an authorized signatory shall be sent to the State Government.

(3) The establishment shall revise the policy referred to in clause (a) of sub-rule (1) as often as necessary under the following circumstances, namely:—

(i) whenever any expansion or modification having implication on safety and health of the building workers is made in such building or other construction work; or

(ii) whenever any new building or other constructions work, substances articles, or techniques are introduced having implication on health and safety of building workers.

(4) A copy of the policy referred to in sub-clause (a) or sub-rule (1) shall be displayed at the conspicuous places in Hindi and a local language understood by majority of building workers at a construction site.

**40. Dangerous and harmful environment.**—An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) When an internal combustion engine exhausts into a confined space or excavation or tunnel or any other workplace where neither natural ventilation nor artificial ventilation system is adequate to keep the carbon-monoxide content of the atmosphere below fifty parts per million, adequate and suitable measures are taken at such workplace in order to avoid exposure of building workers to health hazards;

(b) no building worker is allowed to enter any confined space or tank or trench or excavation wherein there is given off any dust, fumes or other impurities of such nature and to such extent as is likely to be injurious or offensive to the building worker or in which explosives, poisonous noxious or gaseous material or other harmful articles have been carried or stored or in which dry ice has been used as a refrigerant, or which has been fumigated or in which there is a possibility of oxygen deficiency, unless all practical steps have been taken to remove such dust, fumes or other impurities and danger which may be present and to prevent any further ingress thereof, and such work place or tank or trench or excavation is certified by the responsible person to be safe and fit for the entry of such building workers.

**41. Overhead Protection-** (1) The employer shall ensure at the building or other construction work that overhead protection is erected along the periphery of every building under construction which shall be of fifteen meters or more in height when completed.

(2) Over head protection referred to in sub-rule (1) shall not be less than two meters wide and shall be erected at a height not more than five meters above the base of the building and the outer edge of such overhead protection shall be one hundred fifteen milliliters higher than the inner edge thereof or shall be erected at an angle of not more than twenty degrees to its horizontal slopping into the building.

(3) The employer shall ensure at the building and other construction work that any area exposed to risk of falling material, article or objects is roped off or cordoned off or otherwise

suitably guarded from inadvertent entry of persons other than building workers at work in such area.

**42. Slipping, tripping, cutting, drowning and falling hazards.**—(1) All passageways, platforms and other places of construction work at the building or other construction work shall be kept by the employer free from accumulations of dust, debris or similar material and from other obstructions that may cause tripping.

(2) Any sharp projections or protruding nails or similar projections which may cause any cutting hazard to a building worker at the building or other construction work shall be removed or otherwise made safe by suitable measures by the employer.

(3) No employer shall allow any building worker at building or other construction work to use the passageway, or a scaffold, platform or any other elevated working surface which is in a slippery and dangerous condition and shall ensure that water, grease, oil or other similar substances which may cause the surface slippery, be removed or sanded, saw dusted or other covered with suitable material to make it safe from slipping hazard at a building or other construction work.

(4) Whenever building workers at a building or other construction work are exposed to the hazard of falling into water, they shall be provided by the employer with adequate equipment or saving themselves from drowning and rescuing from such hazard and if the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction considers necessary, well- equipped boat or launch manned with trained shall be provided by the employer at the site of such work.

(5) Every open side or opening in to or through which a building worker, vehicle or lifting appliance or other equipments may fall at a building or other construction work shall be covered guarded suitably by the employer to prevent such fall except where access is necessary by reasons of the nature of work.

(6) Whenever building workers at a building or other construction work are exposed to the hazards of falling from height while employed on such work, they shall be provided by the employer with adequate equipment or means for saving them from such hazards, such equipment or means shall be in accordance with the national standards.

(7) Wherever there is a possibility of falling of any material, equipment or building worker at a construction site relating to a building or other construction work, adequate and suitable safety net shall be provided by employer in accordance with the national standards.

**43. Dust, gases, fumes etc.** – An employer shall prevent concentration of dust, gases or fumes by providing suitable means to control their concentration within the permissible limit so that they may not cause injury or pose health hazard to a building worker at a building or other construction work.

**44. Corrosive substances** - The employer shall insure that corrosive substances, including alkalis and acids shall be stored and used by a person dealing with such substances at a building or other construction work in such a manner that it does not endanger the building worker and suitable protective equipment shall be provided by the employer to a building worker during handling or use of such substances at a building or other construction work and in a case of spillage of such substances on the building worker, immediate remedial measures shall be taken by the employer.

**45. Eye Protection** - Suitable personal protective equipment for the protection of eyes shall be provided by an employer and used by the building worker engaged in operations like welding,

cutting, chipping, grinding or similar which may cause hazard to his eyes at a building or other construction work.

**46. Head protection and other protective apparel.**- (1) Every building worker required to pass through or work within the areas at building or other construction work where hazard of his being stuck by falling objects or materials shall be provided by the employer with safety helmets of type and tested in accordance with the national standards.

(2) Every building worker required to work in water or in wet concrete or in other similar work at a building or other construction work, shall be provided with suitable water proof boots by the employer.

(3) Every building worker required to work in rain or in similar wet condition at building or other construction work, shall be provided with water proof coat with hat by the employer.

(4) Every building worker required to use, or handle alkalies, acid or other similar corrosive substances at a building or other construction work shall be provided with appropriate protective equipment by an employer, in accordance with the national standards.

(5) Every building worker engaged in handling sharp objects or materials at a building or other construction work which may cause hand injury, shall be provided with suitable hand gloves by the employer, in accordance with the national standards.

**47. Electrical hazards.**—(1) before commencement of any building or other construction work, the employer shall take adequate measures to prevent any worker from coming into physical contact with any electrical equipment or apparatus machines or live electrical circuit which may cause electrical hazard during the course of his employment at a building or other construction work.

(2) The employer shall display and maintain suitable warning signs at conspicuous places at a building or other construction work in Hindi and in a local language understood by the majority of the building workers.

(3) In work places at a building or other construction work where the exact location of underground electric power line is not known, the building workers using jack hammers, crow bars or other hand tools which may come in contact with a live electrical line, shall be provided by the employer with insulated protective gloves and footwear of the type in accordance with the national standards.

(4) The employer shall ensure that, as far as practicable, no wiring, which may come in contact with water or which may be mechanically damaged, is left on ground or floor at a building or other construction work.

(5) The employer shall ensure that all electrical appliances and current carrying equipment used at a building or other construction work are made of sound material and are properly and adequately earthen.

(6) The employer shall ensure that all temporary electrical installations at a building or other construction work are provided with earth-leakage circuit breakers.

(7) The employer shall ensure that all electrical installations at a building or other construction work comply with the requirements of any law for the time being in force.

48. **Vehicular Traffic.**— (1) Whenever any building or other construction work is being carried on, or is located in close proximity to a road or any other place where any vehicular traffic may cause danger to building workers, the employer shall ensure that such building or other construction work is barricaded and suitable warning signs and lights displayed or erected to prevent such danger and if necessary, he may make a request in writing to the concerned authorities to control such traffic.

(2) The employer shall ensure that all vehicles used at construction site of a building or other construction work comply with the requirements of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.

(3) The employer shall ensure that a driver of a vehicle of any class or description operating at a construction site of a building or other construction work holds a valid driving license under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

49. **Stability of Structures.**—The employer shall ensure that no wall, chimney or other structure or part of a structure is left unguarded in such condition that it may fall, collapse or weaken due to wind pressure, vibration or due to any other reason at a site of a building or other construction work.

50. **Illumination of passageways, etc.**—The employer shall ensure that illumination sufficient for maintaining safe working conditions at a site of a building or other construction work is provided where building workers are required to work or pass and for passageways, stairways and landing, such illumination is not less than that provided in the relevant national standards.

51. **Stacking of materials.**—The employer shall ensure, at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) all building material are stored or stacked in a safe and orderly manner to avoid obstruction of any passageway or place of work;

(b) material piles are stored or stacked in such a manner as to ensure stability;

(c) material or equipment is not stored upon any floor or platform in such quantity as to exceed its safe carrying capacity; and

(d) material or equipment is not stored or placed so close to any edge of a floor or platform as to endanger the safety of persons below or working in the vicinity.

52. **Disposal of debris-** The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) debris are handled and disposed by a method which does not cause danger to the safety of a person;

(b) debris are not allowed to accumulate so as to constitute a hazard;

(c) Debris are kept sufficiently moist to bring down the dust within the permissible limit;

(d) Debris are not thrown inside or out side from any height of such building or other construction work; and

(e) On completion of work, left over building material, article or other substance or debris are disposed off as soon as possible to avoid any hazard to any traffic or person.

53. **Numbering and marking of floors.**—The employer shall ensure that each floor or level of a building or other construction work is appropriately numbered or marked at the landing of such floor or level.

54. **Use of safety helmets and shoes.**— The employer shall ensure that all persons who are performing any work or services at a building or other construction work, wear safety shoes and helmets conforming to the national standards.

---

## CHAPTER-VII LIFTING APPLIANCES AND GEAR

55. **Construction and maintenance of lifting appliances.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work,-

(a) all lifting appliances, included their part and working gear whether fixed or moveable and any plant or gear used in anchoring or fixing of such appliances are,-

- (i) of sound construction work, sound material, and of adequate strength to serve the purpose for which these are to be used and all appliances shall be free from patent defects; and
- (ii) Maintained in good repair and working condition.

(b) (i) every drum or pulley around which the rope of lifting appliance is carried, is of adequate diameter and sound construction in relation to such rope ;

(ii) any rope which terminates at the winding drum of the lifting appliance is securely attached to such drum and at least three dead turns of such rope remain on such drum in every operating position of such lifting appliances; and

(iii) the flange of a drum projects twice the rope diameter beyond the last layer of such rope and if such projection is not available, other measures like anti-slackness guards shall be provided to prevent such rope from among of such drum;

(c) every lifting appliance is provided with adequate and efficient breaks which, -

- (i) are capable of preventing fall of a suspended load (including any test load) and of effectively controlling such load while it is being lowered ;
- (ii) act without shock ;
- (iii) have shoes that can be easily removed for running (iv) are provided with simple and easily accessibly means of adjustment;

Provided that nothing contained in this clause shall apply to steamwinch which can be operated as safely as with breaks as provided in accordance with this clause;

(d) controls of every lifting appliance –

- (i) are so situated that the driver of such appliance at his stand or seat has ample room for operating and has an unrestricted view of building or other construction

work, as far as practicable, and that he remains clear of the load and ropes and that no load passes over him ;

- (ii) are positioned with due regard to ergonomic considerations for toper operation of such appliance ;
- (iii) are so located that the driver of such appliance remains above the height of the heel block during the whole operation of such appliance;
- (iv) have upon them or adjacent to them clear markings to indicate their purpose and mode of operations;
- (v) are provided, where necessary, with a suitable locking device to prevent accidental movement or displacement ;
- (vi) move, as far as practicable, in the direction of the resultant load movement; and
- (vii) wherever automatic breaks are provided, automatically come to the neutral position in case of power failure.

**56. Test and periodical examination of lifting appliances.**—The employer shall ensure at construction site of a building or other construction work that, -

(a) all lifting appliances including all parts and gears thereof, whether fixed or moveable, are tested and examined by a competent person before being taken into use for the first time or after it has under gone any alterations or repairs liable to affect its strength or stability or after erection on a construction site and also once at least in every five years, in the manner specified in Schedule- I annexed to these rules;

(b) all lifting appliances are thoroughly examined by the competent person once at least in every twelve months and where the competent person making such examination forms the opinion that the lifting appliance cannot continue to function safely, he shall forth with give notice in writing to his opinion to the owner of the lifting appliance;

**Explanation-** For the purpose of this rule, thorough examination means a visual examination, supplemented, if necessary, by other means such as hammer test, carried out as carefully as the conditions permit, in order arrive at a reliable conclusion as to the safety of the parts examined; and, if necessary, for such examination, part of the lifting appliance and gear, shall be dismantled.

**57. Automatic safe load indicators.**—(a) The employer ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(i) every crane, if so constructed that the safe working load may be varied by raising or lowering of the jib or otherwise, is attached with an automatic indicator of safe working loads which gives a warning to there operator wherever the load exceeds the safe working load;

(ii) cut-out is provided which automatically arrest the movements by the lifting parts of every crane if the load exceeds the safe working load, wherever possible;

(b) the provisions of sub- clause (i) of clause (a) apply, except where it is not possible to install an automatic safe load indicator, in which a provision of a table showing the safe working loads at the corresponding inclinations or radii of the jib on the crane shall be consider sufficient.

58. **Installation.-** The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, –

- (a) fix lifting appliances are installed;
  - (i) by competent persons;
  - (ii) in a manner that such appliances cannot be displaced by the load, vibrations or other influences;
  - (iii) in a manner that the operator of such appliances is not exposed to danger from loads, ropes or drums; and
  - (iv) in a manner that the operator can either see over the zone of operation or communicate with all loading and un-loading points by, or other communication system;

(b) adequate clearance is provided between parts or loads of lifting appliances, and –

- (i) the fix objects such as walls and posts; or
- (ii) electrical conductors;

(c) the lifting appliances when exposed to wind loading are given sufficient additional strength, stability and rigidity to with stand such loading safely.

(d) No structure alterations or repairs are made on any part of the lifting appliances that affect the safety of such appliances without obtaining the opinion of the competent person to this effect.

59. **Winches.**—The employer shall ensure at the construction site of a building or other construction work that,

- (a) (i) winches are not used if control levers operate with excessive friction or play;
- (ii) double gear winches are not used unless a positive means of locking the gear shift is provided;
- (iii) there is no load other than the fall and the hook assembly on the winch while changing gear on a two gear winch;
- (iv) adequate protection is provided to winch operator against abnormal whether;
- (v) temporary seats or shelters for winch operators which may pose hazard to the winch operator or any other building workers are not allowed to be used;
- (vi) control levers are secured in the neutral position and, whenever possible, the power is shut off whenever winches are left unattended.

(b) in use of every steam winch-(i) measures are taken to prevent escaping steam from obscuring any part of the construction site or other work place or from other wise hindering or injuring any building worker;

(ii) extension control levers which tend to fall of their own weight are counter balanced;

(iii) winch operators are not permitted to use the winch control extension levers except for short handles on wheel type controls and that such levers are of adequate strength, secure and fastened with metal connections at the fulcrum and at the permanent lever;

(c) in use of every electric winch, a building or other construction worker is not permitted to transfer alter or adjust electric control circuits in case of any defect in such winch.

(d) Electric winches are not used for building work where-(i) the Electromagnetic break is unable to hold the load; or

(ii) one or more control points, either hoisting or lowering, are not operating properly.

60. **Buckets.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that tip- up buckets are equipped with a device that effectively prevents accidental tipping.

61. **Identification and marking of safe working load.**—The employer shall ensure at a construction site or other construction work that, -

(a) every lifting appliance and loose gear is clearly marked for its safe working load and identification by stamping or other suitable means;

(b) (i) every derrick (other than derrick crane) is clearly marked of its safe working load when such derrick is used in either in single purchase with a lower block or in union purchases in all possible block positions;

(ii) the lowest angle to the horizontal, to which the derrick may be used, is legibly marked;

(c) every lifting appliance having more than one working load is fitted with effectively means to enable the operator to determine safe working load at each point under all conditions of use;

(d) means to ascertain the safe working load for lifting gear under such conditions in which such gears may be used are provided to enable a worker to using such gear and such means shall consist of, -

(i) marking the safe working load in plane figures or letter upon the sling or upon a tablet or ring of durable material attached securely there to in case of chain slings; and

(ii) either the means specified in sub- clause (i) or notices so exhibited as can be easily read by any concerned building worker stating the safe working load for the various sizes of the wire rope slings used in case of wire rope slings.



**62. Loading of lifting appliances and lifting gears.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that –

(a) no lifting appliance, lifting gear or wire rope is used in an unsafe way and in such a manner as to involve risk to life of building workers, and they are not loaded beyond their safe working load except for testing purposes under the direction of a competent person in manner as specified in schedule annexed to these rules.

(b) No lifting appliance, lifting gear or any other material handling appliance is used, if: -

(i) the inspector having jurisdiction is not satisfied with reference to a certificate of test or examination or to an authenticated record maintained as provided under these rules; and

(ii) in the view of such Inspector, the lifting appliance, lifting gear or any other material handling appliance is not safe for use in building or other construction work; and

(iii) no pulley block is used in building or other construction work unless the safe working load and its identification are clearly marked on such block.

**63. Operator's cab or cabin,**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) the operator of every lifting machine in outdoor service is provided with a cab or cabin which, -

(i) is made of fire resistant material;

(ii) has a suitable seat, a footrest and protection from vibration;

(iii) affords the operator an adequate view of the area of operation;

(iv) affords the necessary access to working parts in cab;

(v) affords the operator adequate protection against the weather;

(vi) is adequately ventilated; and

(vii) is provided with a suitable fire extinguisher.

**64. Operation of lifting appliances.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that –

(a) every crane driver or lifting operator possess adequate skill in training in the operation of the particular lifting appliance;

(b) no person under 18 years of age is in control of any lifting appliance, scaffold winch, or to give signals to the operator;

(c) precaution is taken by the trained operator to prevent lifting appliance from being set in motion;

(d) the operation of lifting appliance is governed by signals, in conformity with the relevant national standards;

(e) the lifting appliance operator attention is not distracted while he is working;

(f) no crane, hoist, winch or other lifting appliance or any part of such crane, hoist, winch or other lifting appliance is except for testing purposes, loaded beyond the safe working load;

(g) during the hoisting operations effective precaution is taken to prevent any person from standing or passing under the load in such operations;

(h) operators does not leave lifting appliance unattended while power is on or load is suspended to such appliance;

(i) no person rides on a suspended load or any lifting appliance;

(j) every part of a load in course of being hoisted or lowered is adequately suspended and supported to prevent danger;

(k) every receptacle used for hoisting bricks, tile, slates or other material is suitably enclosed as to prevent the fall of any such materials;

(l) the hoisting platform is enclosed when loose material or loaded wheel-barrows are places directly on such platform or lowering, such materials or wheel barrows;

(m) no material raised, lowered or slowed with any lifting appliance in such a way as to cause sudden jerks to such appliance;

(n) in hoisting a barrow, any wheel of such barrow is not used as a means of support unless adequate steps are taken to prevent the axle of such wheel from slipping out of its bearings;

(o) long objects like planks or girders are provided with a tag line to prevent any possibility of danger while raising or lowering such objects;

(p) during the process of lending of material, a building worker is not permitted to lean out into empty space for finding out the loading and un loading of such materials;

(q) the hoisting of loads at places where there is regular flow of traffic is carried out in an enclosed space, or in case such hoisting is impracticable is enclosed space, measures are taken to hold up or divert the traffic during the time of such hoisting;

(r) adequate steps are taken to prevent a load, in the course of being hoisted or lowered from coming into contact with any object to avoid any displacement of such load;

(s) appliances are provided and used for guiding heavy loads when raising or loading heavy loads to avoid crushing hands of building workers during such raising or lowering of loads.

65. **Hoists.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that-

(a) hoist towers are designed to according to relevant national standards;

- (b) hoist shafts are provided with rigid panels or other adequate fencing –
- (i) at the ground level on all sides of such shafts; and
  - (ii) at all other levels on all sides of the access to such shafts;
- (c) the walls of hoist shafts, except at approaches, extent to at least two meters above the floor or platform of access to shafts ;
- (d) approaches to a hoist are provided with gates which are –
- (i) girded to maintain visibility;
  - (ii) at least two meters height; and
  - (iii) equipped with a device which requires such gate to be closed before the platform of such hoist can leave the landing and prevents the gate from being opened unless such platform, is at the landing;
- (e) approaches to a hoist are adequately lit;
- (f) the guides of hoist platforms offer sufficient resistance to bending and, to bucking, in the case of jamming, by provided a safety catch;
- (g) overhead beams and their supports are capable of holding the total maximum live and dead loads that such beams and supports will be required to carry, with a safety factor of at least five;
- (h) a clear space is provided, -
- (i) above the highest stopping place of a cage or platform to allow sufficient unobstructed travel of such cage or platform in case of over winding; and
  - (ii) below the lowest stopping place of such cage or platform;
- (i) adequate covering is provided above the top of hoist shafts to prevent materials from falling into such shafts;
- (j) outdoor hoist towers are erected on adequately form foundations and are securely braced, guided and anchored;
- (k) a ladder way extends firm the bottom to the top of every outdoor hoist tower in case no other ladder way exists within easy reach and such ladder way comply with the relevant national standards;
- (l) the rated capacity of a hoisting engine is at least one and half times the maximum load that such engine will be required to move;
- (m) all gearing on a hoisting engine is securely enclosed;
- (n) steam piping of a hoisting engine is adequately protected against accidental contact of such piping with a building worker;

- (o) electrical equipment of a hoisting engine is effectively earthed;
- (p) a hoist is provided with suitable devices to stop a hoisting engine as soon as the platform of such hoist reaches its highest stopping place;
- (q) a hoisting engine is protected by a suitable cover against weather and falling objects;
- (r) a hoisting engine setup in a public thoroughfare is completely enclosed;
- (s) all exhaust steam pipes discharge steam in such a manner that the steam so discharged does not scald any person or obstruct the operators view;
- (t) the motion of the hoist is not reversed without first bringing it to rest to avoid any harm from such reverse motion;
- (u) a hoist, not designed for the conveyance of persons, is not set in motion from the platform of such hoist;
- (v) pawls and ratchet- wheels of a hoist, requiring disengagement of such pawls from such ratchet-wheels, before the platform of such hoist is lowered, are not used;
- (w) a platform of a hoist is capable of supporting such maximum load, that such platform may carry, with a safety factor of at least three;
- (x) a platform of a hoist is equipped with suitable safety gear which can hold such platform with its maximum load in case its hoisting rope breaks;
- (y) on platform of a hoist, the wheelbarrows or truck are efficiently blocked in a safe position;
- (z) a cage of a hoist or a platform, where the building workers are required to enter such cage or to go on such platform at landing level, is provided with a locking arrangement to prevent such cage or platform from moving during the time a worker enters or leaves such cage or platform;
- (za) the sides of a platform of a hoist which, are not used for loading or unloading, are provide with toe- board and enclosures of a wire mesh or any other suitable means to prevent the fall of any part of a load from such platform;
- (zb) a platform of a hoist, which has any probability of falling and part of load from it, is provided with an adequate covering with such fall;
- (zc) the counter- weights of a hoist consisting of an assemblage of several parts are so constructed that such parts are rigidly connected together;
- (zd) the counter weights of a hoist run between guides;
- (ze) at every level of work the building workers are provided with adequate platform for performing such work; and
- (zf) a legible notice in Hindi as well as in a local language is displayed at, -

- (i) a conspicuous place of the platforms of a hoist and that such notice states the maximum carrying capacity of such hoist in kilograms;
- (ii) a conspicuous place on the hoisting engine and that such notice states maximum lifting capacity of such hoist in kilograms;
- (iii) a conspicuous place on a hoist authorized and certified for the conveyance of the person on the platform or cage and such notice states the maximum no of persons to be carried on such hoist at one time; and
- (iv) a conspicuous place on a hoist carrying goods and other materials and such notice states that such hoist is not meant for carriage of persons.

**66. Fencing of and means of access to lifting appliances.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

- (a) safe means of access is provided to every part of a lifting appliance;
- (b) the operators platform on every crane or tip driven by mechanical power is securely fenced and is provided with safe means of access and where to such platform is by a ladder, -
  - (i) the sides of such ladder extend to a reasonable height beyond such platforms or some other suitable handhold is provided in lieu thereof to prevent any falling of persons from such platform;
  - (ii) the handling place on such platform is maintained free from obstruction and slipping; and
  - (iii) in case the height of such ladder exceeds six meters, the resting platforms are provided on such ladder at every six meters of its height and where the distance between last platform so provided and the top end of such ladder is more than two meters then on such top end.

**67. Rigging of derricks.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that every derrick has current and relevant rigging plans and any other information necessary for the safe rigging of such derricks and its gear.

**68. Securing of derrick foot-** The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that appropriate measures are taken to prevent the foot of a derrick being lifted out of its socket or support.

**69. Construction and maintenance of lifting gear.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that –

- (a) every lifting gear is –
  - (i) of good design and construction, sound material and adequate strength to perform the work for which it is used;
  - (ii) free from patent defects; and
  - (iii) properly maintained in good repair and working order;

(b) components of the loose gear, at the time of its use, are renewed if one of its dimensions at any point has decreased by 10% or more by user;

(c) a chain is withdrawn from use when it is stretched and increased in length which exceeds five percent of its length or when a link of such chain is deformed or is otherwise damaged or raised scarves of defective welds is appeared on it;

(d) rings, swivels and end links attached to a chain are of the same materials as that of such chain;

(e) the voltage of electric supply to any magnetic lifting device does not fluctuate by more than plus ten percent or minus ten percent;

**70. Test and periodical examination of lifting gears.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) a lifting gear is initially tested for the manufacturer by a competent person, in manner specified in Schedule (I) annexed to these rules before taking into use or after undergoing substantive alterations which renders its any part liable to affect its safety and such gear alters such test shall subsequently by re- tested for the use of its owner at least once in every five years;

(b) a lifting gear in use is thoroughly examined once at least in every twelve months by a competent person;

(c) a chain in use is thoroughly examined once at least every month by a responsible person for its use; and

(d) certificates of initial and periodical tests and examination of loose gears under these rules are obtained in form- VII annexed to these rules.

**71. Ropes.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) no rope is used for building or other construction work unless-

(i) it is of good quality and free from patent defects; and

(ii) in the case of wire rope, it has been tested and examined by a competent person in the manner specified in Schedule-I annexed to these rules;

(b) every wire rope of lifting appliance or lifting gear used for building or other construction work is inspected by a responsible person for such use, once at least in every three months;

Provided that after any such wire is broken in such rope, it shall thereafter be inspected once at least in every month by the responsible person;

(c) no wire rope is used for building or other construction work if in any length of eight diameters of such wires, the total number of visible broken wires exceed ten percent of the total no. of wires in such rope, or such rope shows sign of excessive wear, corrosion or other defects which in the opinion of the person who inspects it or Inspector, having jurisdiction, is unfit for use;

(d) eye splices and loops of ropes for the attachment of hooks, rings and other such parts to wire ropes are made suitable thimble;

(e) a thimble or loop splice made in any wire rope slings conforms to the following standards, namely:-

- (i) wire rope slings shall have at least three tucks with full strand of rope and two tucks with one-half of the wires cut out of each of such strand in all cases, such strands shall be tucked against the lay of the rope;
- (ii) protruding ends of such strands in any splice of wire rope slings shall be covered or treated so as to leave no sharp points;
- (iii) a fiber rope or a rope sling shall have at least four tucks; tail of such tuck being whipped in a suitable manner; and
- (iv) a synthetic fiber rope or rope sling have at least four tucks with full strand followed by further tuck with one half filaments cut out of each of such strand and final tuck with one half of the remaining filaments cut out from such strands. Any portion of the splices containing such tucks, with reduced number of filaments, shall be securely covered with suitable tape or either materials;

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply where any other form of splice, which may be shown to be as efficient as the splice with above standards, is used.

**72. Heat treatment of lifting gears.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) all chains other than bridle chains attached to derricks and all rings, hooks, shackles and swivels used in hoisting or lowering of such derricks are effectively annealed under supervision of a competent person and at the following intervals, namely: -

- (i) such chains, rings, hooks, shackles and swivels which are not more than twelve and a half millimeter of length are so annealed at least once in every six months and;
- (ii) all other such chains, rings, hooks, shackles and swivels are so annealed at least once in every twelve months:

Provided that such annealing as referred to in sub- clause (I) and sub clause (II) shall not be required if the inspector, having jurisdiction, after obtaining the approval of the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction, directs that such chains, rings, hooks, shackles and swivels under go some other treatment and in such cases the treatment directed by such inspector shall be followed:

Provided further that in case such chains, rings, hooks, shackles and swivels used solely on such derricks and other hoisting appliances which are worked by hand, provisions of sub- clause (I) and sub-clause (II) as the case may be, shall apply as if for the period of six months and twelve months the periods of twelve months and two years have respectively been substituted their in:

Provided also that in case where the Inspector, having jurisdiction, is of the opinion that owing to the size, design material or frequency of use of any such chains, rings, hooks, shackles and swivels, the requirement of this clause for annealing is not necessary for the protection of building worker, he may after obtaining the approval of the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction, certify in writing to such employer that the subject to the conditions specified in such certification, such chains, rings, hooks, shackles and swivels are exempted from such annealing and there after the provisions of this clause shall apply subject to such exemption:

Provided also that this clause shall not apply to –

- (i) pitched chains, working on sprocket or sprocketed wheels;
- (ii) rings, hooks, shackles and swivels permanently attached pitched chains, pulley blocks or weighing machines; and
- (iii) hooks, and swivels having ball bearings or other case hardened parts;

(b) a chain or a loose gear made of high tensile steel or alloy steel is plainly marked with a mark indicating that it is so made;

(c) no a chain or a loose gear made of high tensile steel or alloy steel is subjected to any form of heat treatment except where such treatment is necessary for the purpose of repair of such chain or loose gear and that a such repair is made under the direction of the competent person;

(d) that the wrought iron gear, the past history of which not traceable, is suspected of being heat treated at incorrect temperature, is normalized before using it on any building or other construction work.

**73. Certificate to be issued after actual testing and examination, etc.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that a competent person issues a certificate for the purpose of rules 56, 62, 71 and rule 72 only after actual testing or, as the case may be, examination of the apparatus specified in the said rules.

**74. Register of periodical test, examination and certificates thereof,**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) a register in form XXVI, annexed to these rules is maintained and particulars of such tests and examination of lifting appliances, lifting gears and heat treatment as required under rules 56, 62 and rule 72 are entered in such register;

(b) certificate in respect of each of the following is obtained from competent person in the form as mentioned below, namely:—

- (i) in case of initial and periodical test and examination under rule 56 and rule 71, for—
  - (a) winches, derricks and their necessary gear in form V annexed to these rules;
  - (b) cranes or hoists and their accessories gear in form VI annexed to these rules;
- (ii) in case of test, examination and re- examination of loose gears under clause (d) of rule 70 in form VII annexed to these rules;



- (iii) in case of test, examination of wire ropes under rule 62 in form VIII annexed to these rules;
- (iv) in case of heat treatment and examination of loose gear under rule 72 in form IX annexed to these rules;
- (v) in case of annual thorough examination of the loose gear under clause (b) of rule 70, except where required particulars of such exemption have been enclosed in the register referred to in clause

(a) in form XXVI, annexed to these rules, and such certificates are attached to the register referred to in clause (a);

(c) the register referred to in clause(a) and the certificates referred to in clause (b) attached to such register are –

- (i) kept at such construction site in case such register and certificate relate to lifting appliances, loose gear and wire ropes;
- (ii) produces on demand before an inspector having jurisdiction; and
- (iii) retained for at least five years after the date of the last entry made in such register;

(d) No lifting appliance or lifting gear in respect of which an entry is required to be made in register referred to in clause (a) and certificate of test and examination are required to be attached in such register in the manner as specified in clause (a) or clause (b), as the case may be is used for building or other construction work unless the required entries been made in such register and certificates.

**75. Vacuum and magnetic lifting gear.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) no vacuum lifting gear, magnetic lifting gear or any other lifting gear where the load on it is held by adhesive power, is used while workers are performing operations beneath such gear;

(b) a magnetic lifting gear used in connection with building or other construction work is provided with an alternative supply of power, such as batteries, which may come into operation immediately in the event of failure of the main power supply; and

(c) no building worker shall work within the swinging zone of the lifting gear or load or building or other construction material suspended to such lifting gear;

**76. Knotting of chains and wire ropes.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that no chain or wire rope with a knot in it is used in building or other construction work.

**77. Carrying of persons by means of lifting appliances, etc.**—(1) The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that no building worker is raised, lowered or carried by a power - driven lifting appliance except -

- (a) on the drivers platform in the cage of a crane; or

- (b) on a hoist; or
- (c) on an approved suspended scaffold:

Provided that a building worker may be raised, lowered or carried by a power driven lifting appliance-

(i) in circumstances where the use of a hoist or of a suspended scaffold is not reasonably practicable and the requirements of sub-rule (2) are complied with; or

(ii) on an aerial cable way or aerial rope way in case where the requirements of sub-rule (2) are complied with;

(2) The requirements referred to in proviso to sub-rule (1) are as below, namely:—

- (i) that the appliance referred to in such proviso can be operated from one position only;
- (ii) that any winch used in connection with the appliance referred to in such proviso comply with the requirements of rule 59; and
- (iii) that no person shall be carried by the appliance referred to in such proviso except-
  - (a) in a chair or cage; or
  - (b) in a skip or other receptacle at least three feet deep which is suitable for safe carriage of a person and any such chair, cage, skip or other receptacle is made of good construction, sound material, and has adequate strength and is properly maintained with suitable means to prevent any occupant therein from falling out of it and is free from any material or tools which may interfere with the hand hold or foot hold of such occupant or otherwise endanger him; and
- (iv) that suitable measures shall be taken to prevent the chair, cage, skip or other receptacle from spinning or tipping in a manner dangerous to any occupant therein.

**78. Hoists carrying person-** The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

- (a) no building worker is carried by a hoist unless it is provided with a cage which, -
  - (i) is so constructed as to prevent, when its gates are shut, any building worker carried hoist from falling out it or from being trapped between any part of such cage any fixed structure or other moving part of such hoist or from being struck by articles or materials falling down the hoist way on which such hoist is moving; and
  - (ii) is fitted on each of its side from which, access is provided to a landing place with a gate which has efficient interlocking or other devices to secure so that such gate cannot be opened except when such cage is at a landing place and that such cage can not be moved away from any such place until such gate is enclosed.

(b) every gate in the hoist way enclosure of such hoist used for carrying persons is fitted with efficient interlocking or other devices to secure so that gate cannot be opened except when the cage of such gate is at the landing place, and that such cage cannot be moved away from the landing place, until such gate is closed.

(c) In every hoist used for carrying building workers, these are provided suitable and efficient automatic devices to ensure that the cage of such hoist comes to rest at a point above the lowest point to which such cage may be travel.

79. **Attachment of loads.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) when a sling is used to hoist long material, lifting beam is used to space the sling legs for proper balance and when a load is suspended at two or more points with slings, the eyes of the lifting legs of such slings are shackled together and such shackle or eyes of the shackled slings are placed on the hook or the eyes of such lifting legs are shackled directly to the hoisting block, ball or balance being, as the case may be;

(b) every container or receptacle used for raising or lowering stone, bricks, tiles, slates or other similar objects is so enclosed with the hoist as to prevent the fall of such objects;

(c) a loaded wheel barrow placed directly on a platform of a hoist for raising or lowering of such wheel- barrows is so secured that such wheel- barrows cannot move and such platform is enclosed to prevent the fall of the contents kept in such wheel- barrows; and

(d) landing of a hoist are so designed and arranged that building workers on such hoist are not required to lean out into empty space with loading and un-loading any material from such hoist.

80. **Tower Cranes.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) no person other than the operator trained and capable to work heights are employed to operate tower cranes;

(b) the ground on which a tower crane stands has adequate bearing capacity;

(c) bases for tower cranes and trucks for rail-mounted tower cranes are firm and leveled and such cranes are firm and leveled and such cranes are erected at a reasonable safe distance from excavation and are operated within gradient limits as specified by the manufacturer of such cranes;

(d) tower cranes are sited where there is a clear space available for erection, operation, and dismantling of such cranes;

(e) tower cranes are sited in such a way that the loads on such cranes are not handled over any occupied premises, public thoroughfares, railways or near power cables, other than construction works for which such cranes are used;

(f) where two or more tower cranes are sited and operated, every care is taken to ensure positive and proper communication between operators of such cranes to avoid any danger or dangerous occurrences;

(g) tower cranes used for loading magnet or demolition balls service, pilling operation or other similar operations which could impose excessive load stresses on the crane structure of such cranes; and

(h) the instructions of the manufactures of a tower crane and standard safe practices regarding such crane are followed while operating or using such crane.

**81. Qualification of operator of lifting winches and of signaler, etc.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that no person is employed to drive or operate a lifting appliance, whether driven by mechanical power or otherwise or to give signals to drive or operator of such lifting appliance or to work as a operator of a rigger or derricks unless he, -

- (i) is above eighteen years of age;
- (ii) is sufficiently competent and reliable;
- (iii) possesses the knowledge of the inherent risks involved in the operation of lifting appliances; and
- (iv) is medically examined periodically as specified in Schedule-VII annexed to these rules.

---

## CHAPTER-VIII RUNWAYS AND RAMPS

**82. Use of runways and ramps by building worker.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) runway or ramp provided for use by building workers is not less than four hundred and thirty millimeters in width and is constructed of not less than twenty- five millimeters thick planking or any other material of adequate strength to withstand the required load supported substantially in relation to the span and braced of such runway or ramp and design and construction of such runway or ramp is in accordance with the relevant national standard;

(b) every runway or ramp provided for use of building workers located more than three meters above the floor or ground is on open sides provided with a guard rail of adequate strength and height of not less than one thousand millimeters.

**83. Use by vehicles.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) all runways and ramps are of sound construction, strength and are securely braced and supported;

(b) every runway or ramp or ramp for the use of transport equipment like trailers, trucks, or heavier vehicles has a width of not less than three points seven meters and is provided with timber curbs or any other material of adequate strength with not less than two hundred millimeters by two hundred millimeters in width placed parallel to, and secured to, the sides of such runway or ramp and such runway or ramps are designed in accordance with the relevant national standards.

**84. Slope of Ramps.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that every ramp has a slope not exceeding one in four and the total rise of a

continuous ramp used by building workers carrying material or using wheelbarrows does not exceed three point seven meters, unless broken by horizontal landing at least one point two meters in length or as provided in accordance with the relevant national standards.

**85. Use by wheelbarrows, etc.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) every runway or ramp used for wheelbarrows, hand carts or hand trucks is not less than one meter in width and is constructed of not less than fifty millimeters thick planking and is supported and braced suitably for such use;

(b) every runway or ramp located more than three meter above the floor or ground is provided in the open sides with suitable guard rails of adequate strength.

---

### **CHAPTER-IX** **WORK ON or ADJACENT TO WATER**

**86. Transport by water.**—(1) The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) when any building worker has to proceed to or from any working place by water for purposes of carrying on a building or other construction work, proper measures are taken to provide for his safe transportation and vessels used for such purpose are used in the charge of a responsible person, and are properly equipped for safe navigation and are maintained in good condition;

(b) maximum number of persons which can safely carried in a vessel as certified under the relevant law in force is marked plainly and conspicuously on such vessel and such number is not exceeding during use of such vessel for carrying persons.

(2) the vessels referred in clause (a) of sub-rule (1) shall conform to the following namely:—

- (i) that adequate protection is provided to the building workers in such vessel from inclement weather;
- (ii) that such vessel is manned by adequate and experienced crew, as per the relevant law for the time being in force;
- (iii) that in case the bulwark of such vessels are lower than sixty centimeters from the level of the deck of such vessel, the open edge of such bulwarks are fitted with suitable fencing to a height of at least one meter above such deck and the post and stanchions and similar parts used in such fencing are not spaced more than two meters apart;
- (iv) that the number of life buoys on deck of such vessel is at least equal to the number of crew members of such vessel and is not less than two;
- (v) that all lifebuoys on deck of such vessel are kept in good state of maintenance and are so placed that if such vessel sinks then they remain to float and one of the such buoys is within the immediate reach of the Steer man of the such vessel and another is situated after part of such vessel; and

- (vi) that the position of the Steer man of the vessel is such that he has a reasonably free view of all sides.

**87. Prevention from drowning.-** The employer shall ensure at a construction site of building or other construction work that where, on or adjacent to the workplace of any construction site to which these rules apply, there is water into which a building worker employed for work on such site is, in the course of his employment, may fall and has the risk of drowning, suitable rescue equipment is provided and kept in an efficient state for ready use and measures are taken to arrange for the prompt rescue of such building worker from the danger of drowning and where there is special risk of such fall from the edge of adjacent land or from a structure adjacent to or above the water or from floating stage on such water, secure fencing is provided near the edge of such fencing may be removed or allowed to remain un- erected for the time and to extent necessary for the access of building workers to such work or the movement of material for such work.

## CHAPTER-X

### TRANSPORT AND EARTH MOVING EQUIPMENT

**88. Earth moving equipment and vehicles.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) all vehicles and earth moving equipment are made of good material, proper design and sound construction and are sufficiently strong for the purpose for which such equipment are used and are maintained in good state of repair and are properly used in accordance with standard safe operating practices:

Provided that the truck or trailer employed for transporting freight containers are of the size sufficient to carry the containers, without overhanging and provided with twist locks conforming to national standards, at all the four corners of each of such truck or trailers and such truck or trailers are certified for such use by an authority under the relevant law for the time being in force and is inspected by a responsible person, at least once in a month and record of such inspection is maintained.

(b) all transport or earth moving equipment and vehicles are inspected at least once a week by a responsible person and in case any defect is noticed in such equipment or vehicle, it is immediately taken out of use;

(c) power truck and tractors are equipped with effective brakes, head lights and tail lamps and are maintained in good repair and working order ;

(d) side stanchions on power trucks and trailers for carrying heavy and long objects are;

(i) of sound construction and free from defects;

(ii) provided with tie chains attached to the top across the loads for preventing such stanchions from spreading out; and

(iii) kept in position while loading and unloading;

(e) safe gangways are provided for to and for movement of building workers engaged in loading and unloading of lorries, trucks, trailers and wagons;

(f) trucks and other equipment are not loaded beyond their safe carrying capacity which shall clearly marked on such trucks and other equipment;

(g) handles of hand trucks are so designed as to protect the hands of the building workers working on such trucks, or such handles are provided with knuckle guards;

(h) no unauthorised person rides the transport equipment employed in such work;

(i) a driver of a transport equipment maneuvers such equipment under the direction of a signaler;

(j) adequate precautions such as isolating the electric supply or erecting over head barriers of a safe height is taken when earth moving equipment or vehicles are required to operate in dangerous proximity to any live electric conductor;

(k) vehicles and earth moving equipment are not left on a slope with the engine of such vehicle or equipment running;

(l) all earth moving equipment, vehicles or other transport equipment are operated only by such person who are adequately trained and possesses such skill as are required for safe operation of such equipment, vehicle or other transport equipment.

89. Power shovels and excavators.— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that—

(a) a shovel or an excavator whether operated, by steam or electric or by internal combustion, used for such work is constructed, installed, operated, tested and examined as require under any law for the time being in force and the relevant national standards;

(b) excavator equipped for use as mobile crane is-

i. examined and tested in accordance with the requirements for such mobile crane under these rules; and

ii. fitted with an automatic safe working load indicator;

(c) buckets or grabs of power shovels are propped to restrict the movement of such buckets or grabs while being repaired or while the teeth of such buckets or grabs are being changed.

**90. Bulldozers.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) an operator of the bulldozer before leaving such bulldozer, -

(i) applies the brakes;

(ii) lowers the blade and sipper; and

(iii) puts the shift lever into neutral;

(b) a bulldozer is left on level ground at the close of the work for which such bulldozer is used;

(c) the blade of a bulldozer is kept low when such bulldozer is moving up hill;

(d) the bulldozer blades are not used as brakes except in emergency.

**91. Scrapers.**— The employer shall ensure at a construction site of the building or other construction work that, -

- (a) a tractor and scraper is joined by safety line at the time of its operation;
- (b) the scraper bowls are propped while blades of such scraper are being replaced;
- (c) a scraper moving downhill is left in gear.

**92. Mobile asphalt layer and finishers.**—The employer shall ensure on a construction site of a building or other construction work that, -

(a) a mixture elevator is within a wooden or sheet metal enclosure with a window for observation, lubrication and maintenance;

(b) bitumen scoops have adequate covers;

(c) when asphalt plants are working on a public road, adequate traffic control is established on such road and the building workers working with such plant are provided with reflecting jackets;

(d) a sufficient number of fire extinguishers are kept in readiness on such workplace where fire hazards may exist;

(e) the materials are loaded on the elevator after the drying drum has warmed up of such elevator;

(f) no open light is used for ascertaining the level of asphalt; and

(g) inspection opening is not opened till there is a pressure in the boiler which may cause injury to a building worker.

**93. Pavers.**— The employer shall ensure at a construction site of building or other construction work that pavers are equipped with guards suitable to prevent building workers from walking under the skip of such pavers.

**94. Road rollers.**— The employer shall ensure at a construction site of building or other construction site that, -

(a) before a road roller is used on the ground, such ground is examined for its bearing capacity and general safety, especially at the edges of slopes such as embankments on such grounds;

(b) roller is not moved downhill with the engine out of gear.

**95. General safety.**— The employer shall ensure at a construction work that, -

(a) every vehicle or earthmoving equipment is equipped with –

(i) silencers;

(ii) tail lights;

(iii) power and hand brakes;

(iv) reversing alarms; and

(v) search light for forward and backward movement, which are required for safe operation of such vehicle or earth moving equipment;



(b) the cab of vehicle or earth moving equipment is kept at least one meter from the adjacent face of a ground being excavated ; and

(c) when a crane or shovel are travelling, the boom of such crane or shovel is in the direction of such travel and the bucket or scoop attached to such crane or shovel is raised and without load, except when such travelling is downhill.

---

## CHAPTER- XI

### CONCRETE WORK

**96. General provisions regarding use of concrete.** - The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) all construction with the use of concrete or reinforced concrete are based on plans as, -

(i) include specifications of steel and concrete and other material to be used in such construction;

(ii) give technical details regarding methods for safe placing and handling of such materials as specified in sub- clause (i)

(iii) indicate the type, quality and arrangement of each part of a structure of such construction; and

(iv) explain the sequence of steps to be taken for completion of such construction;

(b) form work and shores used for concrete work are structurally safe and are properly raced or tied together so as to maintain position and shape of such form work or shores;

(c) form work structure used for concrete work has sufficient cat-walks and other secure access for inspection of such structure if such structure is in to more tiers.

**97. Preparation and poring of concrete and erection of concrete structures.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) a building worker handling cement or concrete-

(i) wears close fitting clothing, globes, helmet or hard head, safety goggles, proper footwear and respirator or mask to protect him from danger in such handling;

(ii) keep as much of his body covered as is required to protect him from danger in such handling;

(iii) takes all necessary precautions to keep cement and concrete away from his skin in such handling.

(b) lime pits are fenced or enclosed;

- (c) lime pits are filled and emptied by such devices which do not require workers to go into the pit;
- (d) moving parts of elevators, hoist, screens, bunkers, chutes, grouting equipment used for concrete work and of other equipment used for storing transport and other handling ingredients of concrete are securely fenced to avoid contact of building workers with such moving parts; and
- (e) screw conveyors used for cement, lime and other dusty materials are completely enclosed.

**98. Buckets.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, —

- (a) concrete buckets used with cranes or arial cable ways are free from projections from which accumulations of concrete could fall;
- (b) movements of concrete buckets are governed by signals necessary to avoid any danger by such movements.

**99. Pipes and pumps.** —The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

- (a) a scaffolding carrying a pipe for pumped concrete is strong enough to support such pipe at time when such pipe is filled with concrete or water or any other liquid and to bear all the building workers who may be on such scaffold at such time, safely;
- (b) every pipe for carrying pumped concrete is,—
  - (i) securely anchored at its end point and at each curve on it;
  - (ii) provided near the top of such pipe with an air release valve; and
  - (iii) Securely attached to pump nozzle by a bolted collar or other adequate means;
- (c) the operation of a concrete pumps are governed by standard signals relevant in accordance with the relevant national standards; and
- (d) building workers employed around a concrete pump wears safety goggles.

**100. Mixing and pouring of concrete.**— The employer shall ensure a construction site of a building or other construction work that, —

- (a) the concrete mixture does not contain any material which may unduly affect the setting of such concrete or weaken such concrete or corrode steel used with such concrete;
- (b) when dry ingredients of concrete are being mixed in confined spaces such as silos,—
  - (i) the dust shall be exhausted at the time of such mixing; and
  - (ii) In case the dust can not be exhausted, as specified in sub- clause(i), the building workers shall wear respirators at the time of such mixing;
- (c) when concrete is being tipped from buckets ,building workers are kept out of the range of any kickbacks of such buckets; and

- (d) loads are not dumped or placed on settling concrete.

**101. Concrete panels and slabs.**— The employer shall ensure at a construction site of building or other construction work that, —

- (a) all parts of a concrete panel or concrete slab are hoisted uniformly;
- (b) concrete are adequately braced in their final position and such bracing shall remain such position until such panels are adequately supported by other parts of the construction for which such panels are used;
- (c) temporary bracing of concrete are securely fastened to prevent any part of such panel from falling when such panels are being moved.

**102. Stressed and tensioned elements.**—The employer shall ensure at a construction of a building or construction work that,—

- (a) building workers do not stand directly over jacking equipment while stressing of concrete girders and beams is being done;
- (b) a pre- stressed concrete unit is not handled except at points on such units and by the devices specified for such work by the manufacturers of such devices;
- (c) during transport, pre- stressed concrete girders or concrete beams are kept upright by bracing or other effective means;
- (d) anchor fittings for pre- tensioned strands of pre- stressed concrete girders or concrete beams are kept in a safe conditions in accordance with the instructions of the manufacturer of such anchor fittings;
- (e) building workers do not stand behind jacks or in line with tensioning elements and jacking equipment during tensioning operations of prestressed concrete girders or concrete beams; and
- (f) building workers do not cut wires of pre- stressed concrete girders or concrete beams under tensions before such concrete used for such girders or beams is sufficiently hardened.

**103. Vibrators.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, —

- (a) a building worker, who is in good physical condition, operates vibrators used in concreting work;
- (b) all practical measures are taken to reduce the amount of vibration transmitted to the operators working in concreting work;
- (c) when electric vibrators are used in concreting work, —
- (i) such vibrators shall be earthed;
- (ii) the leads of such vibrators shall be heavily insulated; and
- (iii) the current shall be switched- off when such vibrators are not in use.

**104. Inspection and Supervision.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, —

(a) a person responsible for a concreting work supervises the erection of the form work, shores, braces and other supports used for such concreting work;

(b) a person responsible for a concreting work makes a through inspection of every form work after erection of such form work in such concreting work to ensure that such form work is safe;

(c) a person responsible for a concreting work regularly inspects the formwork, shores, braces, re- shores and other supports during the placing of concrete;

(d) any unsafe condition which is discovered during the inspections mentioned under clauses (b) and (c) is remedied immediately; and

(e) a person responsible for a concreting work keeps all records of inspections referred to in clause (a) and clause (b) at the work place relating to such inspection and produces them for inspection upon the demand of an inspector having jurisdiction.

**105. Beams, floors and roofs.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) horizontal and diagonal bracings are provided in both longitudinal and transverse directions as may be necessary to provide structural stability to formwork used in concreting work and shores used in such concreting work are properly seated top and bottom and are secured in their places;

(b) where shores used in concreting work rest upon the ground, base plates are provided for keeping such shores firm and in level;

(c) where the floor to ceiling height of a concreting work exceeds nine meters or where the formwork deck used in such concreting work is supported by the shores constructed in two or more tiers, where the dead, live and impact loads on the formwork used in such concreting work exceed seven hundred kilogram per square meter, the structure of such form work is designed by a professional Engineer in the relevant field and the specifications and drawings of such formwork are kept at such construction site and produced on demand before the inspector having jurisdiction; and

(d) where the structure of the formwork used in concreting work is designed by a professional engineer such engineer shall be responsible for the supervision of construction and stability of such structure.

**106. Stripping.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) stripping of formwork used in concreting work commences until the concrete on such formwork is fully set, examined and certified to this effect by the responsible person and record of such examination and certification is maintained;

(b) stripped forms in concreting work are removed or stock piled promptly after stripping from all areas in which building workers are required to work or pass; and

(c) Protruding nails, wire ties and other form work accessories not required for subsequent concreting work are pulled, cut or other wise made safe.

**107. Re- shoring.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other constructions work that.—

(a) re- shoring used in concreting work is provided to a slab or beam for its safe support after its stripping or where such slab or beam is subjected to superimposed loads due to construction above such slab or beam; and

(b) the provisions applicable to shoring in a concreting work under this chapter shall also be applicable to re- shoring in such work;

---

## CHAPTER- XII

### DEMOLITION

**108. Preparation.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all glass or similar material or article in exterior openings are removed before commencing any demolition work and all water, stream, electric, gas and other similar supply lines are put- off and suitably capped and the concerned department of the appropriate government or local authority is informed and permission obtained wherever required before commencing such demolition work and wherever it is necessary to maintain water, gas or electric line or power during such demolition, such line shall be so located or protected with substantial coverings so as to protect it from damage and to afford safety to the building workers and the general public.

**109. Protection of adjacent structures.**— The employer responsible for a demotion work at a construction site of a building or other construction work shall, during demolition process of such demolition work, examined the walls of or structures adjacent to the structure to be demolished to determine the thickness, method of support to such adjacent structures and in case, such employer has reason to believe that any of adjacent structure is unsafe or may become unsafe during such demolition process, he shall not perform demolition activity affecting such unsafe adjacent structure unless and until remedial measures like sheet, shoring, bracing, or similar other means so as to safety and stability to such unsafe adjacent structure from collapsing are taken.

**110. Demolition of walls, partitions, etc.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that;

(a) any demolition of walls or partitions is proceeded in a systematic manner as per the standard safe operating practices and all work above each tier of any floor beams is completed before the safety of the support of such beam is impaired;

(b) masonry is neither loosened nor permitted to fall in such masses or volume or weight as to endanger the structural stability of any floor or structural support;

(c) no wall, chimney or other structure or part of a structure is left unguarded in such a condition that it may fall, collapse or weaken due to wind pressure or vibration;

(d) in the case of demolition of exterior walls by hand, safe footing is provided for the building workers employed for such demolition, in the form of sound flooring or scaffolds; and

(e) walls or partitions which are to be demolished by hand are not left standing more than one storey high above the upper most floor on which persons are working.

**111. Method of operation.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that debris, bricks and other materials or articles are removed,—

- (i) by means of chutes;
- (ii) by means of buckets or hoists;
- (iii) through opening in the floors; or
- (iv) by any other safe means.

**112. Access to floor.** —The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that safe access to and egress from every building is provided at all times in the course of demolition of such building by means of entrances, hallways, stairway or ladder run which are so protected as to safeguard the building workers using such means from falling material or articles.

**113. Demolition of structural steel,**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other constructions work that, —

(a) all steel structures are demolished column by column and tier by tier and every structural member which is being demolished is not under any stress and such structural member is suitably lashed to prevent it from any uncontrolled swinging or dropping or falling;

(b) large structural members are not thrown or dropped from the building but are carefully lowered by adopting suitable safe method; and

(c) where a lifting appliance like a derrick is used for demolition, the floor on which such lifting appliance rests is completely planked over or supported and such floor is of adequate strength to sustain bearing load for such lifting appliance and its operation.

**114. Storage of material or article,**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, —

(a) all materials or articles are not stored or kept on platform, floor or stairways of a building being demolished:

Provided that this clause shall not apply to the floor of a building when such floor is of such strength as to support safely the load to be superimposed by storing such materials or articles;

(b) an access to any stairway or passageways is not affected or blocked by storing any material or article; and

(c) suitable barricades are provided so as to prevent materials or articles from sliding or rebounding into any space used by the building workers.

**115. Floor openings.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that every opening used for the removal of debris from every floor which is not closed to access, except the top or working floor is provided with an enclosure from such floor to its ceiling, or such opening is so barricaded that no building worker has access to within a horizontal distance of six meters from such opening through which debris is being dropped.

**116. Inspection.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that a person responsible for demolition work makes continuous inspections during demolition process or such demolition work so as to detect any hazard resulting from weakened or deteriorated floors or walls or loosened materials or articles during such demolition process and that no building worker is permitted to work where such hazard exist unless remedial measures like shoring or bracing are taken to prevent such hazard.

**117. Warnings signs, barricades, etc.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) Barricades and warning signs are erected along every side throughout the length and breadth of a building or other construction work to be demolished to prevent unauthorised persons from entering into the site of such building or other construction work during demolition operation;

(b) During the demolition of an exterior masonry wall or roof from a point more than twelve meters above the adjoining ground level of such wall or roof, if persons below such wall or roof are exposed to falling objects, suitable and safe catch platform shall be provided and maintained at a level not more than six meter below the working level except where an exterior built-up scaffold is provided for safe and adequate protection of such persons; and

(c) Suitable and standard warning signs in accordance with national standards are displayed or erected at conspicuous places or position at the work place.

**118. Mechanical method of demolition.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that the following requirements are fulfilled in case the mechanical method of demolition like use of swimming weight, clamshell bucket, power shovel, bulldozer, or other similar mechanical methods are used for the purpose of demolition, namely:—

(a) that the building or structure or remaining portion thereof shall be not more than twenty meters in height;

(b) that where a swimming weight is used for demolition, a zone of such demolition having a radius of at least one and a half times the height of the structure or portion thereof being so demolished shall be maintained around the points of impact of such swimming weight;

(c) where a clamshell bucket is being used for demolition, a zone of demolition shall be maintained within eight meters of the line of travel of such bucket;

(d) that where other mechanical methods are being used to effect total or partial collapse of a building or other construction work, there shall be maintained, in the area into which the affected portion of such building or other construction work may fall, a zone of demolition at least one and a half times the height of such effected portion thereof; and

(e) no person other than building workers or other person essential to the operation of demolition work shall be permitted with substantial barricades.

## CHAPTER- XIII.

**EXCAVATING AND TUNNELLING WORKS**

**119. Notification of intention to carry out excavation and tunneling work.—** (1) Every employer carrying out any excavation or tunneling work at a construction site of a building or other construction work shall, within thirty days, prior to the commencement of such excavation or tunneling work, in- form in writing the detailed layout plans, method of construction and schedule of such excavation or tunneling work to the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction.

(2) In case compressed air is used in such excavation or tunneling work or any work incidental to or required for such excavation or tunneling work, the technical details and drawings of all man- locks and medical locks together with names and addresses of all construction medical officers having qualification as laid down in Schedule- XI annexed to these rules and so appointed by such employer for the purpose of such excavation or tunneling work shall be sent to the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction.

**120. Project Engineer.—** (1) Every employer undertaking any excavation or tunneling work shall appoint a project engineer for safe operation of such projects of such excavation or tunneling work for which such engineer is appointed.

(2) Such project engineer shall exercise overall control of the operations and the activities at such project and be responsible for carrying out the activities safely.

**121. Responsible person.—**(1) Every employer undertaking excavation or tunneling work at a construction site of a building or other construction work shall appoint a responsible person for safe operation for such excavation or tunneling work.

(2) Duties and responsibilities of the responsible person referred to in subrule

(1) shall include,—

(a) to carry out smoothly such excavation or tunneling work;

(b) to inspect and rectify any hazardous situation relating to such excavation or tunneling work; and

(c) to take remedial measures to avoid any unsafe practice or conditions relating to such excavation or tunneling work.

(3) The name and address of the responsible person referred to in sub- rule (1) shall be forwarded to the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction.

**122. Warning signs and notices.—** The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, —

(a) suitable warnings signs or notices, required for the safety of building workers carrying out the work of an excavation or tunneling, shall be displayed or erected at conspicuous places in Hindi and in a language understood by the majority of such building workers at such building workers at such excavation or tunneling work;



(b) such warning signs and notices with regard to compressed air working shall include, —

- (i) the danger involved in such compressed air work;
- (ii) fire and explosion hazards; and
- (iii) the emergency procedures for rescue from such danger or hazards.

**123. Register of employment etc.**— (1) Every employer shall ensure that a construction site of a building or other construction work where a excavation or tunneling work is being carried on, a register of employment of building workers carrying out such excavation or tunneling work, is maintained and produced on demand to the inspector having jurisdiction.

(2) Period of work of such excavation or tunneling work, in which such building workers are employed shall be maintained in a register on day to day basis and such register shall be produced on demands to the Inspector having jurisdiction.

**124. Illumination.**— (1) The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all workplaces where excavation or tunneling works are carried out shall be adequately illuminated in accordance with the relevant national standards.

(2) Every employer carrying out excavation of tunneling works at a construction site of a building or other construction work shall provide for emergency generators on such construction site to ensure adequate illumination at all workplaces where such excavation or tunneling work is being carried out, in case of power failure.

**125. Stability of structure.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) where there is any doubt as to stability of any structure adjoining the workplace or other areas to be excavated or where tunneling work is to be carried out, the project engineer referred to in rule 120 arranges for measured like under pinning, sheet piling, shoring, bracing or other similar means to support such structure and to prevent injury to any building worker working adjacent to such structure or damage to property or equipment adjacent to such structure;

(b) where any building worker engaged in excavation is exposed to hazard of falling or sliding material or article from any bank or side of such excavation which is more than one and a half meters above his footing, such worker is protected by adequate piling and bracing against such bank or side;

(c) the excavation and its vicinity are checked by a responsible person referred to in rule 121 after every rain, storm or other occurrences carrying hazards and incase a hazard is noticed at such checking, adequate protection against slides and cave into prevent such hazard is provided;

(d) temporary sheet piling installed for the construction of a retaining wall after excavation is not removed except on the advice of the responsible person referred to in rule 121 after an inspection carried out by such responsible person;

(e) where banks of an excavation are undercut, adequate shoring is provided to support the material or article over hanging such bank ;

(f) excavated material is not stored at least 0.65 meter from the edge of an open excavation or trench and the banks of such excavation or trench are stripped of loose rocks and other material which may slide, roll or fall upon a building worker working below such bank;

(g) adequate and suitable warnings signs are put up at conspicuous places at the excavation work to avoid any person falling into excavation or trenches; and

(h) the responsible person referred to in rule 121, shall ensure at the excavation work that no building worker may be struck or endangered by the excavation machinery or material or article used in such excavation.

**126. Piling, shoring and bracing.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) plank used for sheet piling in excavation or tunneling work is of sound material with adequate strength;

(b) shores and braces used in excavation or tunneling work are of adequate dimensions and are so placed as to be effective for their intended purposes; and

(c) earth supported shore or braces used in excavation or tunneling work bear against a footing of sufficient area and stability to prevent the shifting of such shores or braces.

**127. Safe access.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that ladders, stair cases or ramps are provided as the case may be for safe access to and egress from excavation where the depth of such excavation exceeds one point five meters and such ladders, stair cases or ramps comply with the relevant national standards.

**128. Trenches.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that a trench or excavation is protected against falling of a person by suitable measures if the depth of such trench or excavation exceeds one and a half meters and such protection is an improved protection in accordance with the design and drawing of a professional engineer, where such depth exceeds four meters.

**129. Depth of trenches.**—(a) where the depth of a trench requires two lengths of sheet piling, one above the other, the lower piling is set inside the bottom strings or wales of the upper piling and such sheet piling is driven down and braced as the excavation continues;

(b) all metal sheet piles used in excavation or a trench are welded end to end and secured by other similar means.

**130. Positioning and use of machinery.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that any machinery used in excavation and tunneling work is positioned and operated in such a way that such machinery does not endanger the operator of such machinery or any other person in the vicinity.

**131. Breathing apparatus.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) suitable breathing apparatus is provided to a building worker while working in compressed air environment for use at a excavation or tunneling work; and

(b) such breathing apparatus is maintained in good working condition at all times.

**132. Safety measures for tunneling operation.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) where there is a danger of falling or sliding of material from the roof face or wall of a tunnel, adequate measures such as shoring, supporting by means of rock bolt, segments or steel sets are taken for the safety of building workers;

(b) the excavated areas are made safe by use of suitably designed and installed steel sets, rocks bolts or similar other safe means;

(c) the responsible person referred to in rule 121 examines and inspects the workplaces in a tunnel before the commencement of work in such tunnel, and at regular intervals thereafter, to ensure safety of the building workers in such tunnel; and

(d) the portal areas of a tunnel with loose soil, rock, likely to cause injury to a person are adequately protected with supports.

**133. Pneumatic tools.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that supply lines to pneumatic tools used within a tunnel are fitted with water trap or safety chins or safety wire, as the case may be.

**134. Shafts.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) surroundings of a shaft used in excavation or tunnel work are protected from being washed away by a construction of sufficient height;

(b) where a building worker is required to enter a shaft at an excavation or tunneling work, safe means of access is provided for such entry;

(c) every shaft at excavation or tunneling work is provided with a steel casing, concrete piping, timber shoring or other materials of adequate strength for the safety of building workers working in such shaft;

(d) such casing or bracing are provided to a shaft at an excavation or tunneling work up to the depth of such shaft at an excavation or tunneling work according to the appropriate design for such casing and bracing; and

(e) a reinforced concrete raft and beam is provided around the opening of a shaft at an excavation or tunneling work if the ground surrounding such opening is unstable or unsafe.

**135. Lift for shaft.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that lift is provided for transport of building workers or materials or articles at an excavation or tunneling work required to descend more than fifty meters in a shaft.

**136. Means of communication.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) reliable and effective means of communication such as telephone or walkie – talkie are provided and are maintained in working order for arranging better and effective communication at an excavation or tunneling work at the following locations, namely, —

- (i) working chamber at the face of an excavation;
- (ii) intervals of hundred meters along the tunnel;
- (iii) working chamber side of a man lock near the door of such man lock;
- (iv) interior of each chamber of a man lock;
- (v) location conspicuous a lock attendant ‘station’;
- (vi) a compressor plant;
- (vii) a first aid station; and
- (viii) out- side the portal or the top of the shaft.

(b) such number of bells and whistles are made available at all times at the locations referred to in sub- clause (1) to sub clause (viii) of clause (a) as are necessary for the safety of persons at such locations.

**137. Signals.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that the standard audio or video signals are used in excavation or tunneling work and are conspicuously located or displayed near entrance to the work place and in such locations as may be necessary to bring such signals to notice of all building workers employed in such excavation or tunneling work.

**138. Clearances.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) the minimum lateral clearance of half a meter is maintained between any part of a vehicle and any fixture or any equipment used in an excavation or tunneling work after allowing the throw or swing of such fixture or equipment;

(b) the overhead clearance for a locomotive drive at excavation or tunneling work is not less than one point one zero meters above the seat of such driver and not less than two meters above the platform where such driver stands or of any other dimension in accordance with the relevant national standard.

**139. Shelters.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that the adequate number of shelters for the safeguard of the building workers are provided where, in the course of working, they are liable to be struck by a moving vehicle or other material handling equipment in a tunnel.

**140. Use of internal combustion engine.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that no internal combustion engine is used under ground in excavation or tunneling work unless such engine is so constructed that,—

- (a) the air entering the engine gets cleared before entry; and
- (b) no fumes or sparks are emitted by the engine.

**141. Inflammable oils.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that inflammable oils with the flash point below the working temperature that is likely to be encountered in a tunnel are not used in excavation or tunneling work.

**142. Coupling and hoses.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that only high pressure hydraulic hoses and coupling are used on hydraulic plants underground and such hoses and couplings are adequately protected against any possible damage in excavation or tunneling work.

**143. Hose installation.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all hydraulic lines and plants working at a temperature exceeding seventy degree centigrade are protected by adequate insulation or otherwise against accidental human contact in excavation or tunneling work.

**144. Fire resistant hoses.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all hydraulic hoses other than fire resistant hydraulic hoses are used when hydraulically activated machinery and equipment is employed in tunnels.

**145. Flame proof equipment.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that only flame proof equipment of appropriate type as per relevant national standard is used where there is a danger of flammable or explosive atmosphere being prevalent inside the tunnel.

**146. Storing of oil and fuel underground.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other constructions work that,—

(a) all oils, greases or fuels stored underground in excavated or tunneling work are kept in tightly sealed containers and in fire resistant at safe distances away from explosive and other flammable chemicals.

(b) appropriate flame proof installation is used such storage areas as specified in clause (a).

**147. Use of gases underground.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) petrol or liquefied petroleum gas or any other flammable substances are not used, stored inside the tunnel except with the prior approval of the project engineer under rule 120.

(b) after the use of the petroleum or liquefied petroleum gas, or highly inflammable substances referred to in clause (a), all remaining petroleum or liquefied petroleum gas or highly inflammable substances are removed immediately from such tunnel; and

(c) no oxy- acetylene gas is used in a compressed air environment in excavation or tunneling work.

**148. Water for fire- fighting.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) adequate number of water outlets are provided on excavation or tunneling work and are readily made accessible throughout the tunnel for fire- fighting purposes and such water outlets are maintained for effective fire- fighting;

(b) all air locks are equipped with fire- fighting facilities at excavation or tunneling work;

(c) an audible fire alarm is provided to warn the building workers whenever a fire breaks out on an excavation or tunneling work;

(d) adequate number and types of fire extinguishers, in accordance with relevant standards, are provided and made readily available to fight any outbreak of fire at an excavation or tunneling work;

(e) Fire extinguishers with vaporizing liquids and high pressure carbon dioxide are not used in tunnels or other confined spaces; and

(f) The instruction regarding steps to be followed to fight out break of fire, at an excavation or tunneling work, written in Hindi or local language understood by the majority of the building workers employed on such excavation or tunneling work, are displayed at conspicuous and vulnerable places of such excavation or tunneling work

**149. Flooding.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) watertight bulkheads doors are installed at the entrance of a tunnel to prevent flooding during a tunneling work where more than one tunnel is driven from a shaft;

(b) all necessary measures are taken to ensure that no building worker is trapped in any isolated section of a tunnel when any bulkhead door of such is closed;

(c) where there is a likelihood of flooding or water rushing into a tunnel during the tunneling work, arrangements are made for immediate starting of water pumps to take out water of such flooding or water rushing for giving alert signals to the building workers and other persons to keep them away from danger.

**150. Steel curtains.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that air tight steel curtains are provided in areas liable to flooding at tunneling work and in case of descending tunnels such curtains are provided in the top half of such tunnels to ensure the retention of pockets of air for rescue purpose.

**151. Rest shelters.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) where building workers employed in a compressed air environment in a tunneling work are required to remain at the work site for one hour or more after decompression from pressure exceeding one bar, adequate and suitable facilities are provided for such building workers to rest;

(b) every man- lock, medical lock and any other facility inside these locks at an excavation a tunneling work is maintained in a clean state and in good repairs;

(c) a first-aid room is provided and is readily available at a construction site of a tunneling work; and

(d) each man lock- attendant station is provided with a first aid box at a construction site of a tunneling work.

**152. Permissible limit of exposure of chemicals.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) the working environment in a tunnel or a shaft in which building workers are employed does not contain any of the hazardous substances in concentrations beyond the permissible limits as laid down in the schedule XII annexed to these rules;

(b) the responsible person referred to in rule 120 conducts necessary test before the commencement of the tunneling.

**153. Ventilation.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all working areas in a free air tunnel are provided with ventilation system as approved by the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction and the fresh air supplied in such tunnel is not less than six cubic meters per minute for each building worker employed underground in such tunnel and the free air flow movement inside such tunnel is not less than nine meters per minute.

**154. Air supply intake point.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that the air intake points for all air compressors are located at places where such intake air does not get contaminated with dust fumes, vapour and exhaust gases or other contaminates.

**155. Emergency generators.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) every compressed air system in a tunnel is provided with emergency power supply system for maintaining continued supply of compressed air in such compressed air system and is capable of operating air compressor and ancillary systems of such compressed air system ; and

(b) the emergency power supply system is maintained and is readily available at all times at an excavation or tunneling work;

**156. Air mains.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that every air main supplying air to the working chamber, man-lock or medical-lock used at an excavation or tunneling work is protected against accidental damage and where it is not practicable to provide such protection a stand- by air main is provided.

**157. Bulk head and air- locks.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) a bulk head or air tight diaphragms retaining compressed air, when used within a tunnel or a shaft, is constructed to withstand the maximum pressure at one point two five times the maximum working pressure of such bulk head or diaphragm and such bulkhead or diaphragm is tested before its each use by a responsible person referred to in rule 121 to ensure that such bulk head or diaphragm is in proper working order;

(b) such responsible person keeps the record of each test referred to in clause (a) and such record is produced for inspections to the inspector having jurisdiction on demand;

(c) the bulkhead or diaphragm referred to in clause (a) are made of sound material of adequate strength and are able to withstand to maximum pressure on which they are subjected to at any time of their use;

(d) a bulkhead anchorage and airlock is tested at its workplace at an excavation or tunneling work immediately after their installation at such place.

**158. Diaphragms.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all diaphragms which are in the form of horizontal decks across a shaft used at excavation or tunneling work are securely anchored.

**159. Portable electrical hand tools.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all portable electrical hand tools and inspection lamps used under ground or in a confined space at an excavation or tunneling work are operated at a voltage not exceeding twenty four volts.

160. Circuit breakers.— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) adequate members of differential ground fault circuit breakers are installed for every electrical distribution system and in sub- systems used at an excavation or tunneling work and the sensitivity of each of circuit breaker is adjusted in accordance with the requirement set out in accordance with the relevant national standards; and

(b) no semi- enclosed fuse unit is used in under ground place at an excavation or tunneling work.

161. Transformer.—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that no transformer is used in any section of a tunnel under compressed air unless such transformer is of the dry type and conforms to the relevant national standards.

**162. Live wire.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that there is no exposed live wire in working areas at an excavation or tunneling work which are accessible to building workers other than those authorized to work on such live lines.

**163. Welding sets.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all welding sets used in a tunnel are of adequate capacity and of suitable type approved by Chief Inspector of Inspections of Building & Construction.

164. Quality and quantity of air.— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) every working chamber at an excavation or tunneling work where compressed air is used, the supply of such air is maintained not less than zero point three cubic meters per minute per person working there in;

(b) a reserve supply of compressed air is made available at all times for man-locks and medical locks used at a tunneling work; and



(c) the air supplied in a compressed air environment at a tunneling work is as far as practicable free from odour and other contaminates, namely, dust, fumes and other toxic substances.

**165. Working temperature.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that the temperature in any working chamber at an excavation or tunneling work where building workers are employed does not exceed twenty-nine degree centigrade and that the arrangement is maintained for keeping records in which the temperatures measured by dry bulb and wet bulb inside such working chamber once in every hour and to produce such records for inspection on demand to the inspector having jurisdiction.

**166. Man- locks and working in compressed air environment.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) man- locks used at a tunneling work are of adequate strength, made of sound material and designed to with stand any air pressure, internal or external, to which it maybe subjected to in the normal use or in any emergency;

(b) (i) doors of man-locks at an excavation or tunneling work are made of steel;

(ii) man-locks used at a tunneling work are airtight and devices are provided for sealing the doors when such locks are under pressure;

(iii) the anchorage of a man- lock used at tunneling work have adequate strength to with stand the pressure exerted by air on the man- lock;

(iv) there is adequate room available for the building worker for working in the man- lock used at tunneling work; and

(v) where work is carried out in any compressed air tunnel, a manlock in accordance with the relevant national standards is used for such tunnel;

(c) (i) where a man- lock is used at tunneling work, safety instructions in Hindi and in local language understood by majority of building workers employed therein are displaced at conspicuous place at such tunneling work;

(ii) except in an emergency, compression and de- compression operations are carried out in a man- lock used at tunneling work;

(iii) in an emergency any material lock may be used at tunneling work for compression and de-compression of building worker and a record is kept in writing and produced for inspection on demand to the Inspector having jurisdiction;

(iv) material lock is used with the permission of Chief Inspector of Inspections of Building & Construction for compression and decompression of building workers, where it is impracticable to install both the man- lock and the material lock at a tunneling work;

(v) decompression of all building workers to atmospheric condition at tunneling work is carried out in accordance with a decompression procedures approved by the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction;

(vi) the man- lock at tunneling work is not used for any purpose other than compression or decompression of building workers;

(vii) no decanting of building worker at tunneling work is carried out without prior approval of Director General except in an emergency ;

(viii) in case a building worker collapses or is taken ill during his decompression in a man- lock used at tunneling work, the lock attendant of such man- lock raises the pressure in such manlock until such pressure is equal to the maximum pressure in which that building worker was exposed to in the working chamber prior to such de-compression and such lock attendant immediately reports the matter relating to such collapse to the medical lock attendant and medical officer on duty on such tunneling work;

(ix) a building worker who had previously received training with a trained building worker to work in a compressed air environment at tunneling work is employed to work independently in such a compressed air environment;

(x) a building worker who had undergone three de- compressions from a pressure exceeding one- bar in a period of eight hours at a tunneling work is not allowed to enter a compressed air environment except for the purpose of carrying out rescue work ;

(xi) a building worker employed in a compressed air environment for a period of eight hours in a day at tunneling work is not employed again in such environment unless he has spent not less than twelve consecutive hours of rest at atmospheric pressure;

(xii) no building worker is engaged in a compressed air environment at a pressure which exceeds three bars at tunneling work unless prior permission, in writing has been obtained from the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction for such arrangement.

(xiii) no building worker is engaged in a compressed air environment for more than fourteen consecutive days in a month at tunneling work;

(xiv) a register of employment of all building workers employed in compressed air environment at tunneling work, is maintained;

(xv) an identification badge is supplied to building worker employed in compressed air environment at tunneling work;

(xvi) the badge of a building worker referred to in sub- clause (xv) contains particulars of his name, location of the medical lock allotted to him for work, the telephone number of the Construction Medical Officer concerned for his treatment and the instruction in case of his illness of un known and doubtful causes;

(xvii) record of all identifications badges supplied to building workers under sub- clause (xvi), is kept in a register;

(xviii) every building worker whose name appears in a register referred to in sub- clause (xvii) wears the badge supplied to him under sub- clause (xv) at all times during his duty hours at tunneling work; and

(xix) suitable warning signs are displayed, in the compressed air environment at tunneling work, for the prohibition of following, namely:—

- (a) use of alcoholic drinks;
- (b) use and carrying of lighters, matches or other sources of ignition;
- (c) smoking; and
- (d) an entry to person who has consumed alcoholic drinks.

**167. Safety instruction.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all building workers employed in compressed air environment at tunneling work shall follow the instructions issued for their safety in the course of such employment.

**168. Medical- lock.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) a suitably constructed medical- lock is maintained at tunneling work where building workers are employed in a working chamber at a pressure exceeding one bar; and

(b) where more than one hundred building workers are employed in a compressed air working environment exceeding one bar at tunneling work, one medical lock is provided for every one hundred workers or part thereof and such medical lock is situated as near as possible to the main-lock used at such tunneling work.

---

#### CHAPTER- XIV

#### CONSTRUCTION, REPAIR AND MAINTENANCE OF STEEP ROOF

**169. Work on step roofs.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all practicable measures are provided to protect the building workers against sliding when carrying out work on steep roofs.

**170. Construction and installation of roofing brackets.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) roofing brackets are constructed to fit the pitch of steep roof and such brackets are used to provide level working platform;

(b) a roofing bracket referred to in clause (a) is secured in its place by nailing pointed metal projections attached to the underside of such bracket and securely driven into steep roof on which it is used or secured by a rope passed over the ridge pole and tie of such roof.

**171. Crawling boards.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) all crawling boards used for work on step roofs are of adequate strength, made of sound material and of the type approved for the purpose of their use as per relevant national standards;

(b) crawling board referred to in clause (a) are kept in good repairs and inspected by a responsible person before being taken into use;

(c) crawling board referred to in clause (a) is secured to a steep roof on which it is used by ridge hooks or other effective means; and

(d) a firmly fastened lifeline of adequate strength is strung beside each crawling board is referred to in clause (a) throughout its length while using such crawling boards.

## CHAPTER- XV

### LADDERS AND STEP- LADDERS

**172. Construction and safe use.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) every ladder or step- ladder used in building or other construction work is of good construction, made of sound material and of adequate strength for the purpose for which such ladder or step- ladder is used;

(b) when a ladder is used as a means of communication, such ladder is lashed to a fixed structure so that while working on such ladder it does not slip;

(c) a ladder or step- ladder does not stand loose bricks or other loose packing and has a level and firm footing;

(d) where it is required, in case of use of fixed ladders, sufficient foothold and hand load are provided for use by the building worker;

(e) every ladder is;

(i) secured so as to prevent undue swaying;

(ii) equally and properly supported on each of its upright;

(iii) so used as not to cause undue sagging;

(iv) placed as nearly as possible at an inclination of four in one; and

(v) the use of all ladders and step- ladders conform to the relevant national standards for their use;

**173. Rungs.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that no ladder is used which has a missing or defective rung or a rung which depends for its support solely on nails, spikes or other similar fixing.

**174. Material for ladders.** —The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all wooden ladders used in building work,

(a) are constructed upright of adequate strength and are made of straightgrained wood, free from defects and having the grain of such wood running lengthwise;

(b) have rungs made of straight- grained wood free from defects and mortised or securely notched into the upright; and

(c) have reinforcing metal ties, if the tenons of such ladders are not secured by wedges.

## CHAPTER- XVI

**CATCH PLATFORM AND HOARDINGS, CHUTES, SAFETY BELTS AND NETS**

**175. Catch platforms.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

- (a) catch platform is not used for storage of material or as a working platform;
- (b) catch platform is at least two meters wide and is inclined so that the position of outer edge of such platform is fifteen hundred millimeters higher than the inner edge;
- (c) the open end of catch platform is properly fenced to the height not less than one meter.

**176. Hoardings.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that hoardings are constructed when the Director General consider it necessary for protection of building workers and directs such employer to construct such hoardings.

**177. Chutes, its construction and use.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other constructions work that;

- (a) wooden or metal chutes which are at an angle of more than forty- five degrees to the horizontal and used for the removal of materials are closed on all sides except at their openings used for receiving or discharging of materials or articles;
- (b) all openings of chutes except their top openings are closed when not in used;
- (c) every chute
  - (i) is constructed of sound material, adequate strength and is suitable for the purpose it is intended for use;
  - (ii) exceeding twelve meters in height is constructed in accordance with the design and drawings of a professional engineer for such construction and approval of the Chief Inspector of inspections of Building & Construction;
- (d) a suitable warning notice is displayed at conspicuous location, return in Hindi and in a local language, at the discharge and of every chute; and
- (e) every chute is cleared when debris has accumulated to a height which can pose danger to building worker but such clearance is done in no case less frequently than once a day.

**178. Safety belt and its use.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

- (a) safety belt, lifelines and devices for the attachment of such lifelines conform to the relevant national standards;
- (b) every building worker is supplied with safety belt and safety lifelines for his protection and such building worker uses such belts and life lines during the performance of his work.

(c) all building workers using safety belts and safety life lines have the knowledge of safe use and maintenance of such belts and life lines are supplied with necessary instructions; and

(d) the responsible for supervising the use of safety belts and safety life lines referred to in clause (b) inspects and ensure that safety belts and lifelines are fit for use before taken into use at every time.

**179. Safety net and its use.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) every safe net is of adequate strength, made of sound material and is suitable for use and conforms to the relevant national standards;

(b) the responsible persons for maintenance of safety net and their use ensures safe fixing of such safety nets and provides such safety nets with suitable and sufficient anchorage so that the purposes for which safety net is intended for use, is served.

**180. Storage of safety belts and nets, etc.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that proper arrangement is made for the safe storage of safety belts, safety lifelines and safety nets when they are not in use and are protected against mechanical damage, damages from chemicals and damages from biological agents.

## CHAPTER- XVII

### STRUCTURAL FRAME AND FORMWORK

**181. General provision.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) the trained building worker under the direct supervision of a person responsible for structural frame and form work, are employed for erection of such structural frame or form work, dismantling of building and structure and performance of an engineering work form work; and

(b) adequate measures are taken to guard against hazards arising from any temporary state of weakness or unsuitability of a structure.

**182. Formwork, false work and shoring.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) Formwork and false work are so designed, constructed and maintained that such framework and false work support the load that may be imposed on them; and

(b) such form work is so erected that working platform, means of access, bracing, means of handling and stabilising could easily be fixed with such formwork.

**183. Erection or dismantling of steel and prefabricated structure.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) the safety of building workers employed for the erection or dismantling of steel structures and prefabricated structures is ensured from danger by using appropriate means such as the following, namely;

- (i) ladder, gangway or fixed platform;
  - (ii) platform, buckets, boatswain's chair or other appropriate means suspended from lifting appliances;
  - (iii) safety harness, lifelines, catch net or catch platform; and
  - (iv) power-operated mobile working platforms.
- (b) the work of erection or dismantling of buildings or structures or formwork or false work or shoring or any other civil engineering work is carried out by trained building workers under the supervision of a person responsible for such work;
- (c) steel or pre fabricated structures are so designed and made that such structures can be safely transported or erected; and weight of each unit of such structures is clearly marked on such unit;
- (d) the design of each such part maintains stability of each part of the structures referred to in clause (a), clause (b) and clause (c), when erected, and to prevent danger, the design shall explicitly take into account,—
- (i) the relevant conditions and methods of attachment in the operations of stripping, transport, storing and temporary support during erection of such part; and
  - (ii) safeguards, such as provisions of railing with working platforms, and for mounting such railings and platforms easily on the structural steel or prefabricated parts;
- (e) the hooks and other devices built in or provided on the structural steel or prefabricated parts that are required for lifting and transporting such parts are so shaped, dimensioned and positioned to withstand the stresses to which such hooks or other devices are subjected;
- (f) prefabricated parts made of concrete are not stripped or erected before such concrete has set and hardened sufficiently to the extent provided for in the plans, and such parts are examined by the responsible person for any sign of damage before their use;
- (g) store places are so constructed that,—
- (i) there is no risk of structural steel or prefabricated parts falling or overturning;
  - (ii) storage conditions generally ensure stability and avoid damage having regard to the method of storage and atmospheric conditions; and
  - (iii) racks are set on firm ground and designed so that units cannot move accidentally in such store places;
- (h) structural steel or prefabricated parts are not subjected to stresses prejudicial to their stability while they are stored or transported or raised or set down;
- (i) tongs, clamps and other appliances for lifting structural steel and prefabricated parts are—
- (a) in such shape and dimensions as to ensure a secure grip without damaging such parts; and

(b) marked with the maximum permissible load in the most unfavorable lifting conditions;

(j) structural steel or pre fabricated parts are lifted by such methods and appliances that prevent them from spinning accidentally;

(k) structural steel or prefabricated parts are provided with railings and working platforms before raising such parts to prevent any danger of falling of building workers, materials or articles at the time of any work with such parts;

(l) all reasonably practical measure are taken to avoid injury to building workers structure or equipment while structural steel or prefabricated parts are handled or stored or transported or raised or lowered;

(m) structures are not worked on during violent storms or high winds or any other such hazardous situation;

(n) the risk of falling to which building workers, moving on high or slopping girders, may be exposed is limited by all means of adequate collective protection or by the use of a safety harness which is well secured to a sufficiently strong support;

(o) structural steel parts which are to be erected at a great height are, as far as practicable, assembled on the ground;

(p) when structural steel or prefabricated parts are being erected, are sufficiently extended area underneath the workplace shall be barricaded or guarded;

(q) steel trusses which are being erected are adequately shored, braced or guyed until they are permanently secured in position; and

(r) structural members are not forced into place by the hoisting machine while any building worker is in such a position that he is likely to be injured by such operation.

184. Form work.— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) all form works are properly designed keeping in view the safety of building worker, building or structures;

(b) a responsible person for structural frame and formwork—

(i) inspects and examines the material, timber, structural steel and scaffolding for its strength and suitability before being taken into use;

(ii) lays down procedures to cover all stages of such structural frame and formwork;

(iii) supervises such structural frame and formwork;

(iv) take all necessary steps or measures to correct any situation with a view to prevent accident or dangerous occurrence during performances of such structural frame and form work.



185. Deshoring.— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

- (a) when shoring is removed sufficient props are left in place of such shoring to prevent any possible hazard; and
- (b) deshoring is adequately braced or tied together with support to prevent any hazard.

## CHAPTER- XVIII

### STACKING AND UNSTACKING

186. **Stacking and unstacking of materials and articles.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) where stacking, unstacking, stowing or unstowing of construction material or article, or handling in connection there with cannot be safely carried out un aided, reasonable measure to guard against accident or dangerous occurrences are taken by shoring or otherwise to prevent any danger likely to be caused by such handling;

(b) stacking of material or article is made on firm foundation not liable to settle and deviate such material or article and does not overload the floor on which such staking is made;

(c) the material or articles, are not stacked against partition or walls of a ware house or store place unless it is known that such partition or the wall is of sufficient strength to with stand the pressure of such materials or articles;

(d) the materials or articles are not stacked to such a height and in such a manner as would render the pile of such stack unstable and cause hazards to the building workers or the public in general;

(e) where the building workers are working on stack exceeding one point five meters in height , safe means of access to the stack is provided;

(f) all stacking or un stacking operations are preformed under the supervision of a responsible person for such stacking or unstacking;

(g) the stacking of construction materials or articles is not made near the site of excavation, shaft, pit any other opening;

(h) stacks which may lean heavily or become unstable or collapse are barricaded.

187. **Stacking of cement and other material bags.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) a stack pile is not more than ten bags in height unless such stack pile is stacked in a suitable enclosure or otherwise adequately supported;

(b) while removing bags from the stack pile, the stability of such stack pile is ensured;

(c) bags containing cement or lime are stored in dry places;

- 
- (d) the materials like bricks, tiles or blocks are stored on a firm ground;
  - (e) reinforcing steel is stored according to its shape, size and length;
  - (f) stack of reinforcing steel is kept as low as possible;
  - (g) no pipe is stored on rack or in stack where such pipe is likely to fall by rolling;
  - (h) the angle of repose is maintained where loose material are stacked; and
  - (i) when dust- laden material is to be stored or handled, measures are take to suppress the dust produced by such storing or handling and suitable personal protective equipment are supplied to and used by the building workers working for such storing or handling.

---

## CHAPTER- XIX

### SCAFFOLD

**188. Scaffold construction.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

- (a) every scaffold and every component thereof is of adequate construction, made of sound material and free from defects and is safe for the purposes for which it is intended for use;
- (b) in case bamboo is used for scaffolding, such bamboo is of suitable quality, good condition, free from protruding knots and stripped off to avoid any injury to building workers during handling such bamboo; and
- (c) all metal scaffolds used in a building or other construction work conform to the relevant national standards.

**189. Supervision by a responsible person.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that no scaffold is erected, added, altered or dismantled except under the supervision of a responsible person for such erection, addition, alteration or dismantling.

**190. Maintenance.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

- (a) the scaffold used in a building or other construction work is maintained in good repairs and the measures are taken against its accidental displacement or any other hazard;
- (b) no scaffold or part thereof is partly dismantled and allowed to remain in such a condition unless,—
  - (i) the stability or safety of the remaining portion of such scaffold has been ensured by a responsible person for the safety of such scaffolds; and
  - (ii) in case the remaining part of such scaffold cannot be used by the building workers, necessary warning notice written in Hindi and in a language understood by the majority of the

building workers that such scaffold is unfit for use, is displayed at the place where such scaffold is erected .

**191. Standards, ledger, putlogs.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

- (a) standards of a scaffold are-
  - (i) plumb, where practicable;
  - (ii) fixed sufficiently close together to secure the stability of such scaffold having regard to all the possible working situations and conditions for the intended view of such scaffold;
  - (iii) spaced, as close as practicable, to ensure safety and stability of such scaffold;
- (b) in adequate measures are taken to prevent displacement of a standard of a scaffold either by providing sole, plate or a base plate, as necessary;
- (c) ledgers of metal scaffold are placed at vertical intervals with due regard to safety and stability of such scaffold; and
- (d) bamboo ledgers are kept as nearly as possible and are placed and fastened to the standard of a scaffold with due regard to the stability of such scaffold.

**192. Working platform.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

- (a) working platform is provided around the face or edge of a building adjoining at every uppermost permanent floor of such building under construction and at any level where construction work of such building is carried out;
- (b) a platform is designed to suit the number of building workers to be employed on each bay of scaffold work on such platform and the materials or articles and tools to be carried with them in such bay;
- (c) the safe working load and the number of building workers to be employed in each bay of scaffold are displayed for the information of all the building workers employed at such construction site.

**193. Board, plank and decking.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

- (a) board, plank and decking used in the construction of a working platform is of uniform size and strength and is capable of supporting the load and number of building workers in accordance with the relevant national standards keeping in view the safety of such building workers;
- (b) metal decking, which forms the part of a working platform is provided with non skid surface;
- (c) no board or plank which forms the working platform is projected beyond its end support unless it is effectively prevented from tripping or lifting;

(d) board, plank and decking is fastened and secured;

(e) at any one time, not more than two working platforms per bay, are used to support building workers or materials or articles at such bay;

(f) adequate measures are taken to prevent injury which may be caused by falling material and objects by using safety nets or others suitable means;

(g) concrete, other debris or materials are not allowed to accumulate at any platform on a scaffold; and

(h) where a work is to be done at the end of a wall, working platform at such workplace is faced or, where ever practicable, atleast zero point sixty metros beyond the end of such wall.

**194. Repair of damaged scaffold.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) no building worker is permitted to work on a scaffold which has been damaged or weakened unless adequate safety measures have been taken to ensure the safety of such building worker;

(b) necessary warning signs are displayed at such places where repairs of scaffold are undertaken.

**195. Opening.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) there is no opening in any working platform except for allowing access to such working platform;

(b) whenever opening on a platform is unavoidable, necessary measures for protection against falling of objects or building worker; and

(c) access from one working platform to another platform on a scaffold, if required, is provided with suitable and safe ladder for the use of building workers working on such platform.

**196. Guard rails.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that every side of a working platform which a person is liable to fall is provided with suitable and safe guard rails and toe boards of adequate strength to prevent fall of any building worker, material tools from such platform.

**197. Scaffold used by building workers of different employers.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) where a scaffold or a part of a scaffold is used, which has previously been used by another employer for his building workers, such scaffolds or part thereof is used only after its inspection and examination by a responsible person for its use that such scaffold or part is safe and fit for such use;

(b) if any rectification, alteration or modification in a scaffold or part thereof is needed to suit its use, such rectification, alteration or modification is made in consultation with the responsible person referred to in clause (a) before using such scaffold or part.

**198. Protection against electric power line.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all necessary and practical measures for protection are taken to prevent any building workers, working on a scaffold from coming into contact with the electric wires or dangerous equipment.

**199. Screening nets and wire nets.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that where a scaffold is erected in an area where the construction activities may pose hazards to pedestrians or vehicular traffic near by from the falling of objects, wire nets or screening nets are used to envelope such scaffold.

**200. Tower scaffold.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) the height of every tower scaffold used in building or other construction work is not more than eight times, the lesser of a base dimension of such scaffold;

(b) a tower scaffold is lashed to a building or a fixed structure before being used by the building workers;

(c) any tower scaffold which can be moved or castered is,—

(i) constructed with due regard to the stability and, if necessary, adequately weighted at the base;

(ii) used only on plane and even surface; and

(iii) has casters provided with positive locking devices to hold such scaffold in position;

(d) no building worker remains on board scaffold, tools, material when it is being shifted from one position to another position.

**201. Gear for suspension of scaffold.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) chains, ropes, or lifting gears used for suspension of a scaffold are of adequate strength made of sound material and suitable for the purposes of their use and are maintained in good repairs;

(b) chains, wires, ropes or metal tubes used for the suspension of a scaffold are,—

(i) properly and securely fastened to every anchorage point and to the scaffold ledgers of other main supporting members used for the support of such scaffold; and

(ii) so positioned as to ensure stability of the scaffold.

**202. Trestle, scaffold and cantilever scaffold.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, -

(a) no trestle scaffold is constructed with more than three tiers or if its working platform is more than four point five meters above the ground or floor or other surface upon which such

scaffold is erected, such trestle scaffold is designed by professional engineer and has the approval of the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction before being taken into use;

(b) no trestle scaffold is erected on a suspended scaffold;

(c) no cantilever or jib scaffold is used unless it is adequately supported, fixed and anchored on opposite side of its support has out-riggers of adequate length and where necessary sufficiently supported and braced to ensure safety and stability of such scaffold; and

(d) no working platform resting on bearers let into a wall at one end without other support is used unless such bearers are of adequate strength, braced through the wall and securely fastened on the other side.

**203. Scaffold supported by building.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) no part of a building is used as support or part of a scaffold unless such part of the building is made of sufficient strength and made of sound material to afford safe support;

(b) overhanging eaves gutters are not used for supporting scaffold; and

(c) suspended scaffold is made of in accordance with the relevant national standards before being used by the building workers.

**204. Use of winches and climbers for suspended scaffold.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) no suspended scaffold is raised or lowered by winches or climbers unless such scaffold is made of sound material, adequate strength and has been tested and certified safe for use of winches or climber for such raising or lowering by a competent person before being taken into use;

(b) all suspended scaffolds counter balanced by counter weights are of types, approved by the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction before being taken into use for building or other construction work;

(c) the working platform of suspended scaffold is securely fastened to the building or structure as to be safe and to prevent such platform from swinging; and

(d) the safe working load which a suspended scaffold can carry, is displayed where such scaffold is being used.

**205. Safety devices for suspended scaffold.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that every suspended scaffold, raised or load by the winches or climbers, is provided at each of its suspension point with a safety rope with automatic safety device mounted on each of such rope so that such safety rope with such automatic safety device supports the platform of such scaffold in the event of failure of the primary suspension wire ropes, winches, climbers or any other part of the mechanism used for raising or lowering such suspended scaffold:

Provided that this rule shall not apply,—

(a) where the platform of such scaffold is supported with two independent suspension wire ropes at or near each end of such platform so that in the event of failure of one of such suspension wire rope, the other wire rope is capable of sustaining the weights of such platform and its load and prevent it from tilting; or

(b) where a system is incorporated which operates automatically to support the platform of such scaffold and its load in event of failure of the primary suspension wire rope of such scaffold.

## CHAPTER- XX

### COFFERDAMS AND CAISSONS

**206. General Provisions.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) every cofferdam and caissons is,—

(i) of good construction, sound material and of adequate strength;

(ii) provided with adequate means for building worker to reach safety at the top of such cofferdam or caissons, as the case may be, in the event of inrush of water;

(iii) provided with safe means of access to every place where building workers are employed in such cofferdam and caisson, as the case may be;

(b) the work relating to construction, positioning, modification or dismantling of cofferdams or caissons is carried out under the supervisions of a responsible person;

(c) all cofferdams and caissons are inspected by a responsible person at intervals as specified by the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction;

(d) a building worker is allowed to work in a cofferdam or caisson after such cofferdam or caisson is inspected and found safe by responsible person within such preceding period as approved by the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction and a record of such inspection is maintained in a register;

(e) the work in compressed air in a cofferdam or caisson is—

(i) carried out in accordance with the procedure laid down in the relevant national standards;

(ii) carried out by such building workers who have completed eighteen years of age and are medically examined as required under rule- 223 carried out under the supervision of responsible person;

(f) if the work in cofferdam or caisson is carried out in shifts, a record of the time spent by each building worker in each such shift for carrying out the work is maintained in a register with particulars of time taken for the compression of such building worker, if any;

(g) at every work site or project in a cofferdam or caisson, where building workers are employed to work in compressed air environment, a construction medical officer assisted by a nurse or trained first-aid attendant, is available at all times at such site or project during such work; and

(h) there is one stand by reserve compressor to meet the emergency at each work-place or project in a cofferdam or caisson.

**207. Pressure Plant and equipment.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that –

(a) The pressure plant and equipment,—  
(i) are examined and tested by the competent person before being put into use for such work;

(ii) is of proper design and construction sound material and adequate strength to perform the work for which it is used; and

(iii) is properly maintained in good repairs and working conditions.

(b) the pressure plant and equipment referred to in clause (a) is fitted with, -

(i) a suitable safety valve or other effective device to provide maximum safe discharge pressure from being exceeded at any time;

(ii) a suitable pressure gauge with a dial range not less than one point five times and not exceeding twice the maximum working pressure, easily visible and designed to show all times, the internal pressure in Kilogram per square centimeter and marked with the maximum safe working pressure at such plant and equipment; and

(iii) a suitable stop valve or valves by which the pressure plant or the system of the pressure plant may be isolated from the source of supply of pressure or otherwise.

(c) every pressure plant or equipment shall be thoroughly examined by the competent person,—

(i) externally, once in every period of six month;

(ii) internally, once in every period of twelve months; and

(iii) by hydraulic test once in a period of four years.

---

## CHAPTER- XXI

### SAFETY ORGANISATION

**208. Safety Committees.**—(1) Every establishment wherein five hundred or more building workers are ordinarily employed, there shall be a Safety Committee constituted by the employer which shall be represented by equal number of representatives of employer and building workers employed in such establishment. In no case the number of representatives of the employer shall exceed the representatives of building worker. The Committee shall be representatives of the recognized unions wherever such unions exist.



(2) The main functions of the Safety Committee shall be,—

(a) to identify probable causes of accident and unsafe practices in building or other construction work and to suggest remedial measures;

(b) to stimulate interest of employer and building workers in safety by organizing safety weeks, safety competition, talks and film shows on safety, preparing posters or taking similar other measures as and when required or as necessary;

(c) to go round the construction site with a view to check unsafe practices and detect unsafe conditions and to recommend remedial measures for their rectification including First Aid Medical and Welfare Facilities;

(d) to look into the health hazards associated with handling different types of explosives, chemicals and other construction material and to suggest remedial measures including use of proper personal protective equipment;

(e) to suggest measures for improving welfare amenities in the construction site and other miscellaneous aspect of safety, health and welfare in building or other construction work;

(f) to bring to the notice of the employer the hazards associated with use, handling and maintenance of the equipment used during the course of building and other construction work.

(3) The safety committee shall meet at regular intervals at least once in a month and it shall be chaired by the senior person having overall control over the affairs of the construction site.

(4) The agenda and minutes of the meeting shall be circulated to all concerned it shall be in the language understood by majority of the building workers and shall be produced to the Inspector on demand for inspection.

(5) The decisions and recommendations of the safety committee shall be complied with by the employer within reasonable time limit.

**209. Safety officers.**— (1) In every establishment wherein five hundred or more building workers are ordinarily employed, the employer shall appoint safety officers as per the scale laid down in schedule VIII annexed to these rules.

(2) Duties, qualifications and the conditions of service of safety officers appointed under sub- rule (1) shall be as provided in schedule- VIII annexed to these rules.

(3) Where ever number of workers employed by single employer is less than five hundred, such employers may form a group and appoint a common safety Officer for such group of employers with prior permission of Chief Inspector of Inspections of Building & Construction.

**210. Reporting of accidents.**— (1) Notice of any accident on the construction site which either,—

(a) Causes loss of life; or

(b) Disables a building worker from working for a period of forty eight hours or more immediately following then accident, shall forth with be sent by telegram, telephone, fax or similar

other means including special massager with in four hours in case of fatal accident and seventy two hours in case of other accident involving building worker, to—

(i) The Labour Commissioner (State) having jurisdiction in the area in which the establishment in which such accident or dangerous occurrence took place is located. Such Labour Commissioner (State) shall be the authority appointed under section- 39 of the Act;

(ii) Board with which the building worker involved in accident was registered as a beneficiary ;

(iii) Chief Inspector of Inspections of Building & Construction; and

(iv) The next of kin or other relative of building worker involved in accident.

(2) Notice of any accident at a construction site of a building or other construction work which

(a) causes loss of life; or

(b) disables such building worker from work for more than ten days following the accident , shall also be sent to,—

(i) the Officer Incharge of the nearest police station;

(ii) the District Magistrate or if the District magistrate by orde so desires to the Sub-Divisional Magistrate.

(3) In the case of an accident falling under clause (b) of sub- rule (1) or clause (b) of sub- rule (2) the injured building worker shall be given first aid and immediately thereafter be transferred to a hospital or other place for medical treatment.

(4) Where any accident causing disablement subsequently results in death of a building worker, notice in writing of such death shall be communicated to the authorities as mentioned in sub- rule (1) and sub- rule (2) with in seventy two hours of such death.

(5) The following classes of dangerous occurrences shall be reported to the Inspector having jurisdiction, whether or not any death or disablement is caused to a building worker, in the manner prescribed in sub- rule (1), namely:—

(a) collapse or failure of lifting appliances or hoist or conveyors or other similar equipment for handling building or construction material or breakage or failure of rope, chain or loose gears; overturning of cranes used in building or other construction work; falling of objects from height;

(b) collapse or subsidence of soil, any wall floor gallery, roof or any other part of any structure, platform staging, scaffolding or any means of access including formwork;

(c) contact work, excavation, collapse of transmission

(d) explosion of receiver or vessel used for storage, at a pressure greater than atmospheric pressure, of any gas or gaseous or any liquid or solid used as building material;

(e) fire and explosion causing damage to any place on construction site where building workers are employed;

- (f) spillage or leakage of hazardous substances and damage to their container;
- (g) collapse, capsizing toppling or collision of transport equipment; and
- (h) leakage or release of harmful toxic gases at the construction site.

(6) In case of failure of a lifting appliance, loose gear, hoist or building and other construction work machinery and transport equipment at a construction site of a building or other construction work, such appliances, gear, hoist, machinery or equipment and the site of such occurrence shall, as far as practicable be kept undisturbed until inspected by the inspector having jurisdiction.

(7) Every notice given under sub- rule(1), sub- rule (2) or sub- rule (4) shall be followed by a written report to the inspector, authority under section 39 of the Act, the Board and the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction in Form XIV under proper acknowledgement.

**211. Procedure for enquiry into cases of accident or dangerous occurrence.—** (1) The enquiry under sub- section (2) or sub- section (3) of Section 39 of the Act, as the case may be conducted by the authority referred to in sub- clause (i) of clause (b) of sub- rule (1) of Rule 210, in the following manner, namely:—

(a) The enquiry shall be commenced as early as it may be, and in any case, within fifteen days of the receipt of notice of accident or dangerous occurrences under rule- 210.

(b) The enquiry may be conducted by the authority referred to in sub clause (i) – clause (b) of sub- rule (1) of rule- 210 either himself or by an enquiry officer appointed by such authority;

(c) The authority or enquiry officer, as the case may be, shall serve or cause to be served, notices in writing, informing the date, time place of such enquiry officer;

(d) Notwithstanding the provision of clause (b) for the purpose of notifying other person who may in any way be concern or be interested in such enquiry, the authority or enquiry officer, as the case may be, may publish notice of such enquiry in one or more local newspapers in forming the date, time and place of such enquiry;

(2) The person entitled to appear at the enquiry may include,—

(a) an inspector or any officer of the State Government or an undertaking or public body, concerned with the enforcement or compliance of safety provisions of the Act and the Rules in the concerned establishment;

(b) a trade union or a workers association or an employers association;

(c) the worker involved in the accident or his legal heir or authorized representative;

(d) the owner of the premises in which the accident took place; and

(e) any other person, at the discretion of the authority or the enquiring officer, as the case may be, who may be interested in or be concerned with the cause of an accident or may have knowledge about such cause or is likely to give material evidence or produce a relevant document in connection with such accident or dangerous occurrence.

(3) In case the entitled person referred to in sub- rule (2) is a body corporate, a company or any other organisation, association, group of persons such group may be represented through an authorised representative including a counsel or a solicitor.

(4) Subject to the provisions of sub- rule (5) the enquiry shall be held in public.

(5) In cases where,—

(a) the State Government is of the opinion that the matter of the enquiry or any part of it are of such nature that it would be against the interest of national security to hold the enquiry in camera; or

(b) on an application made by any party to the enquiry, the authority or the enquiry officer, as the case may be, referred to in sub- rule (1), if it or he is of the opinion that the holding of public enquiry will lead to disclosure of information relating to a trade secret, decides to hold the enquiry of such part of it in camera, such enquiry shall not held in public.

(6) Information disclosed by any person during the course of hearing or evidence in the cases covered under sub- rule (5) shall not be disclosed to any person except for the purpose of the enquiry.

(7) The person entitled to appear under sub- rule (2), called for evidence or representing in an enquiry shall be entitled to make an opening statement, give evidence, request the enquiry officer to call for specified document or evidence, cross examine other person or to the extent and at the stage permitted by the authority or enquiry officer holding the enquiry.

(8) Any evidence in an enquiry may be admitted at the discretion of the authority or enquiry officer during the enquiry, who may, also direct that the documents to be tendered in evidence may be inspected by any person entitled or permitted to appear as such enquiry and that facilities be afforded to such person to take or obtain copies thereof.

(9) The authority or the enquiry officer holding an enquiry may authorize any person being an officer of the State Government, to assist such authority or enquiry officer where necessary, for the purpose of conducting the enquiry, and the officer so authorised may enter the premises of the concerned establishment during working hours.

(10) The findings of the enquiry alongwith all evidence, in original, including statements of witnesses shall be forward to the authority specified under section 39 of the Act within five days of the completion of the enquiry in cases where such- enquiry was not conducted by such authority itself.

(11) A copy of the findings alongwith a brief statement of facts relating to an enquiry conducted under this rule shall be forwarded to the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction and the State Government by the authority referred to in sub- rule (1) of rule 210.

## CHAPTER- XXII

**EXPLOSIVES**

212. Handling of explosives, — The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) all explosives are handled, used or stored in accordance with the instructions and the material data sheet supplied by the manufacturers of such explosives:

(b) the use of explosives is carried out in safe manner to avoid injury to any person and under the direct supervision of a responsible person; and

(c) before using any explosive, necessary warning and danger signals are erected, at conspicuous places of such use to warn the building workers and the general public of the danger involved in such use.

**213. Precautions.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) notwithstanding the provisions of rule 212 the following precautions are observed at the places of transporting, handling, storage and use of such explosives, namely:—

(i) prohibition of smoking, naked lights and other sources of ignition in the vicinity where explosives are handled, stored and used;

(ii) to keep safe distance and to use non-sparking tools while opening packages containing explosives; and

(iii) to stop the use of explosives and handling thereof while the weather conditions are not suitable for such use or handling.

(b) In addition to the provisions of this chapter, all measures and precautions required to be observed for use, handling, storing or transportation of explosives under the rule framed under the explosives Act, 1884(4 of 1884) are observed.

## CHAPTER- XXIII

**PILING**

**214. General Provisions.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) all pile-driving equipment are of good design and sound construction, taking into account the ergonomic principles and are properly maintained;

(b) a pile driver is firmly supported on a heavy timber still, concrete bed or other secured foundation;

(c) in case a pile driver is required to be erected in dangerous proximity to an electrical conductors, all necessary precautions are taken to ensure safety;

(d) the hoses of steam and air hammer are securely lashed to such hammer so as to prevent them for whipping in case of connection or break;

(e) adequate precautions is taken to prevent the pile driver from overturning;

(f) all necessary precautions is taken to prevent hammer from missing the pile; and

(g) a responsible person for inspecting pile-driving equipment, inspects such equipment before taking into use and takes all appropriate measures as required for the safety of building workers before commencing piling work by such equipment.

**215. Stability of adjacent structure.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that where there is any question of stability of a structure for its adjoining areas to be piled, such structure is supported, where necessary, by underpinning, sheet piling, shoring, bracing, or by other means to ensure safety and stability of such structure and to prevent injury to any person.

**216. Protection of operator.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that an operator of every pile- driving equipment is protected from falling objects, steam, cinders or water by substantially covering or otherwise or by other means.

**217. Instruction to and supervision of building workers working on pile-driving equipment.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that every building worker working on a pile- driving equipment is given instructions regarding safe work procedure to be followed in piling operation and is supervised by a responsible person throughout such work.

**218. Entry of unauthorised person.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all piling areas where pile-driving equipment is in use are effectively cordoned off to prevent entry of unauthorised persons.

**219. Inspections and maintenance of pile-driving equipment.** —The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) pile- driving equipment is not taken into use until it has been inspected by a responsible person and found to be safe for such use;

(b) pile- driving equipment in use is inspected by a responsible person for such inspection at suitable intervals to ensure safety to the building worker working on such equipment; and

(c) all pile lines and pulley blocks are inspected by a responsible person before the beginning of each shift of piling operations.

**220. Operation of pile- driving equipment.** —The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that, —

- (a) only experienced and trained building worker operates piling so as to avoid any probable danger from such operation;
- (b) piling operations are governed by generally prevalent and accepted signals so as to prevent any probable danger from such operations;
- (c) every building worker employed in piling operation or in the vicinity of such piling operation wears ear protection and safety helmet or hard hat and safety shoes;
- (d) piles are prepared at a distance, at least equal to twice the length of the longest pile, from the place of piling operations; and
- (e) when a pile driver is not in use, the hammer of such pile driver is blocked at the bottom of the heads of such pile driver.

**221. Working platform on piling frames.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that where a structural tower supports the lead of a pile driver, suitable working platform of adequate strength are provided on levels of such leads at which it is necessary for the building workers to work and such platforms are provided with a safety railing and toe boards on each side of such platform, except on the hammer of such pile driver or lead sides of such platform and where such platforms cannot be provided with such railing and toe boards, a safety belt is provided to each building worker.

**222. Pile testing.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

- (a) the testing of pile is conducted under the supervision of a responsible person for such testing;
- (b) all practicable measures like displaying of warning notices, barricades the areas and other similar measures are taken to protect the area where the pile testing is carried out; and
- (c) entry to a pile testing area is prohibited to general public to ensure safety.

---

## CHAPTER- XXIV

### MEDICAL FACILITIES

**223. Medical examination of building workers, etc.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

- (a) (i) a building worker who is employed for a work involving such risk or hazards, inherent in such work as the Chief Inspector of inspections of Building & Construction considers appropriate for the periodical medical examination of such worker, is medically examined at such intervals as the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction may direct from time to time;
- (ii) every operator of a crane, winch or other lifting appliance, transport equipment or vehicle, is medically examined before employing such operator and again periodically, at such intervals as the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction may direct from time to time;

(iii) the medical examination referred to in sub- clause (i) and subclause (ii) is in accordance with Schedule- VII, annexed to these rules and is conducted by such medical officers or at such hospitals as are approved by the State Government for the purpose from time to time; and

(iv) in case of a building worker who is exposed to special occupational health hazard owing to job or work assigned to such worker, the periodical medical examination referred to in sub- clause (i) or sub- clause (ii) includes special investigation as may be deemed necessary by the construction medical officer examining such building worker for the diagnosis of occupational disease.

(b) no building worker is charged for the medical examination referred to in sub-clause (i) or sub- clause (ii) of clause (a) and the cost of such examination is borne by the employer employing such building worker.

(c) certificate of medical examination referred to in sub- clause (i) or subclause (ii) of clause (a) of every building worker employed by him is maintained in a register in form- XI annexed to these rules and such register shall be made available to the inspector having jurisdiction, on demand.

(d) the record of the medical examination referred to in sub clause (i) or sub-clause (ii) or clause (a) of every building worker employed by him is maintained in a register in form- XII annexed to these rules and such register shall be made available to the Inspector having jurisdiction, on demand.

(e) in case a construction medical officer examining a building worker under sub-clause (i) or sub- clause (ii) of clause (a) is of the opinion that such building worker so examined is required to be taken away from the building or other construction work at which he is employed for health protection, such medical officer shall inform the employer of such building worker accordingly and such employer shall inform such opinion to the Board where such worker is registered as a beneficiary.

**224. Duties of construction medical officer.**— (1) The medical examination referred to in sub- clause (i) or sub- clause (ii) of clause (a) of rule- 222 shall be carried out by a construction medical officer.

(2) The duties and responsibilities of such construction medical officer shall be given below, namely:—

- (a) medical examination of building workers;
- (b) first- aid care including emergency medical treatment;
- (c) notification of occupational diseases to the concerned authorities in accordance with these rules;
- (d) immunization services;
- (e) medical record, upkeep and maintenance;
- (f) health education including advisory services on family planning, personal hygiene, environmental sanitation and safety; and
- (g) referral services.



**225. Occupational health centres.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work involving hazardous processes specified under Schedule- IX annexed to these rules that,—

(a) an occupational health Centre, mobile or static is provided and maintained in good order at such site;

(b) services and facilities as per the scale laid down in Schedule- X annexed to these rules are provided at the occupational health Centre referred to in clause (a);

(c) a construction medical officer appointed at an occupational health Centre possesses the qualification as laid down in Schedule- XI, annexed to these rules.

**226. Ambulance Room.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) in case five hundred or less workers are employed at such construction site there is an ambulance room at such construction site or an arrangement with a nearby hospital for providing an ambulance room and such ambulance room is in the charge of a qualified nurse and the services of such ambulance room is available to building worker employed at such construction site at every time when he is at work;

(b) in case more than five hundred building workers are employed at such construction site there is an ambulance room with effective communication system and such ambulance room is in charge of a qualified nurse and the service of such ambulance room is available to a building worker employed at such construction site at every time when he is at work, and such ambulance room is in overall charge of a construction medical officer;

(c) an ambulance room referred to in clause (a) or clause (b) is equipped with the articles specified in Schedule- IV, annexed to these rules; and

(d) record of all cases of accidents and sickness treated at the ambulance room referred to in clause (a) or clause (b) is maintained and produced to the inspector having jurisdiction on demand.

**227. Ambulance van.**—The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that an ambulance van is provided at such construction site or an arrangement is made with a nearby hospital for providing such ambulance van for transportation of serious cases of accidents or sickness of the building workers to the hospital promptly and such ambulance van is maintained in good repair and is equipped with standard facilities specified in Schedule V annexed to these rules.

**228. Stretchers.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that sufficient number of stretchers is provided with at such construction site so as to be readily available in an emergency.

**229. Occupational health services for the building workers.**— (1) The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work, where more than five hundred building worker are employed that, —

(a) a special medical service or an occupational health services available at such construction site at all times and such service shall,—

- i. provide first aid and emergency treatment;
- ii. conducts special medical examination for occupational hazards to such building workers before their employment and thereafter at such intervals as may be specified by the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction from time to time;
- iii. conduct training of first aid personnel of such medical service;
- iv. render advice to such employer on conditions of work and improvement required to avoid hazards to the health of such building worker;
- v. promote health education, including family welfare among such building workers;
- vi. co-operate with the Inspector having jurisdiction in the direction, measurement and evaluation of chemical, physical or biological factors suspected of being harmful to such building workers; and
- vii. undertake immunisation for all building workers against tetanus, typhoid, cholera and other infectious diseases.

(b) the special medical service referred to in clause(a) collaborates with the labour Department or any other concerned department or service of the Government of H.P. in matters of treatment, job placement, accident prevention and welfare of such building workers.

(c) the special medical service referred to in clause(a) is headed by a construction medical officer and is provided with adequate staff, laboratory and other equipments.

(d) the premises of the special medical service referred to in clause (a) are conveniently accessible, comprise at least a waiting room, a consulting room , a treatment room, a laboratory and suitable accommodation for nurses and other staff of such service.

(e) the special medical service referred to in clause (a) maintains records pertaining to its activities referred to in sub- clauses (i) to (vii) of clause (a) and sends to the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction, once in every three months , information in writing on,—

- (i) the state of health of such building workers; and
- (ii) the nature and causes of occupational injuries or diseases suffered by any of such building workers treatment provided to such worker and measures taken to prevent reoccurrence of such injury or diseases.

**230. Notice of poisoning or occupational diseases,—** The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) when a building worker contracts any disease specified in Schedule- II annexed to these rules, a notice in form- XIII annexed to these rule is sent without delay to the Inspector, having jurisdiction, and to the Board with which such building worker is registered as a beneficiary;

(b) if any medical practitioner or construction medical officer attends on a building worker suffering from any disease referred to in clause (a), such medical practitioner or construction medical officer sends information regarding the name and full particulars of such building worker and the disease suffered by him, to the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction without delay.

**231. First aid boxes.—** The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) sufficient number of first-aid boxes or cupboards are provided and maintained for providing first-aid to the building workers;

(b) every first-aid box or cupboard is distinctly marked "First-Aid" and is equipped with the articles specified in Schedule- III annexed to these rules' and

(c) nothing except appliances or requisites for first-aid is kept in a first-aid box or cupboard and such box or cupboard is so kept as to be protected against contamination by dust or other foreign matter and against penetration of moisture and such box or cupboard is kept in the charge of a person trained in first-aid and is always readily available during working hours.

**232. Emergency care services or emergency treatment service.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) essential life saving aids and appliances required to handle,—

- (i) head injuries and spinal injuries;
- (ii) bleeding;
- (iii) fractures and dislocations of bones and joints;
- (iv) crush injuries;
- (v) shock, including electric shock;
- (vi) dehydration due to any cause;
- (vii) snake bite, insect bite, scorpion and bee stings;
- (viii) burns, including chemical burn;
- (ix) bends or diverse paralysis;
- (x) other surgical, gynecological, obstetric or pediatric emergencies ;
- (xi) drowning; and
- (xii) sunstroke and frost bite to building workers, are provided and properly maintained under the supervision of a construction medical officer,—

(b) the essential life saving aids for any emergent situation referred to in subclauses (i) to (xii) of clause (a) are provided to an injured or a sick building worker during his transportation from such building site to a hospital and till such building worker is attended by a doctor in such hospital; and

(c) any other equipment or facilities required for emergency care or treatment to the building workers arising from special local conditions and construction processes at such building site, as specified by the State Government from time to time, are provided.

## CHAPTER- XXV

### INFORMATION TO BUREAU OF INDIAN STANDARDS

**233. Furnishing of Information to Bureau of Indian Standards.**— The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) every architect and other professional like structural engineer or project engineer involved in the execution of a building or other construction project, furnishes to the Bureau of

Indian Standards, the details regarding the material articles or processes used in such building and other construction project for which the Indian Standards are already available;

(b) the architect and other professional referred to in clause (a) informs to the Bureau of Indian Standards, the details of building materials, articles or processes used in the building and other construction activities for which the Indian Standards and the performance of such materials, articles or processes alongwith the suggestions for their improvement to enable the Bureau of Indian Standards to consider and form necessary standards.

---

#### PART- IV

### HOURS OF WORK, WELFARE, PAYMENT OF WAGES, REGISTERS AND RECORDS ETC

#### CHAPTER- XXVI

### HOURS OF WORK, REST INTERVALS AND WEEKLY OFF, ETC

**234. Hours of work, intervals of rest and spread over etc.—** (1) No building worker employed in building or other construction work shall be required or allowed to work for more than nine hours a day or forty-eight hours a week.

(2) No building worker employed in building or other construction work shall be required or allowed to work continuously for more than five hours unless he had an interval of rest of not less than half an hour.

(3) The working day of a building worker employed in building or other construction work shall be so arranged that inclusive of the intervals of rest, if any shall not spread over more than twelve hours on any day.

(4) When a building worker works in any building or other construction work for more than nine hours on day or for more than forty- eight hours in any week, he shall, in respect of overtime work, be entitled to wages at double the ordinary rate of wages.

**235. Weekly rest, payment for work done on the day of rest at overtime rate, etc.—**  
(1) Subject to the provisions of these rules, each building worker employed in building and other construction work shall be allowed a day rest every week (hereinafter referred to as the rest day which shall ordinarily be Sunday, but the employer may fix any other day of week as the rest day:

Provided that the building worker shall be informed of the day fixed as the rest day and of any subsequent change in such rest day before the change is effected, by display of a notice to that effect in the place of employment at the place specified by the Inspector having jurisdiction in this behalf.

(2) No building worker employed in building or the construction work shall be required or allowed to work on a rest day unless he already had or will have a substituted rest

day for a whole day on one of the five days immediately before or after such rest day;

Provided that no substitution shall be made which results in a building worker working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

- (3) Where a building worker employed in a building or other construction work has worked on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days before or after the rest day as provided in sub- rule (1) and sub- rule (2), such rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which such substituted rest day occurs.
- (4) A building worker employed in building or other construction work shall be granted wages for a rest day, calculated at the rate applicable to the day preceding such rest day and in case he has worked on a rest day and has been given a substituted rest day and in case he has worked on a rest day and has been given a substituted rest day he shall be paid wages for such rest day on which he worked at the overtime rate and wages for such substituted rest day at the rate applicable to the day preceding such substitute rest day.

**Explanation I**—For the purpose of this rule <sup>^</sup>preceding day<sup>^</sup> means the last day preceding a rest day or a substituted rest day, as the case may be, on which a building worker had worked and where such substituted rest day falls on a day immediately after such rest day, such <sup>^</sup>preceding day<sup>^</sup> means the last day preceding such rest day on which such building worker had worked.

**Explanation II**— For the purpose of this rule, <sup>^</sup>week <sup>^</sup> shall mean a period of seven days beginning at midnight on a Saturday night.

**236. Night Shifts.**— Where a building worker employed in building or other construction work works on a shift which extends beyond midnight,—

- (a) a rest day for the purpose of rule 235 shall mean a period of twentyfour consecutive hours beginning from the time when such shifts ends;
- (b) the hours after midnight during which such building worker has worked shall be counted towards the previous day; and
- (c) the following day shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends.

**237. Application of provisions of this chapter to certain classes of building workers.**— (1) The provisions of this chapter shall apply to the classes of building workers specified under clauses (a) to (d) of sub- section (2) of section 28, of the Act subject to the following, namely:—

- (a) no building worker employed in building or other construction work shall be required or allowed to work continuously for more than fifteen hours a day inclusive of intervals of rest or sixty hours in a week;

Provided that intervals of rest not less than half – an hour are given after every five hours of continuous work as laid down in subrule (2) of rule 233:

(b) no building worker employed in building or other construction work shall be required or allowed to work for more than fourteen consecutive days unless a rest of twenty- four hours is given for rest to such worker.

(2) Where the working hours in respect of a building worker employed in building or other construction work have exceeded the hours of work as laid down in sub- rule (1) of rule 233 or where such worker has been deprived of a rest day due to application of sub- rule (1) of this rule, such worker shall be paid at double the rate of normal wages in respect of the work done in excess of such daily or weekly hours and for work done on such rest day.

---

## CHAPTER- XXVII

### NOTICES, REGISTERS, RECORDS AND COLLECTION OF STATISTICS

**238. Notice of wage periods, etc.—** (1) Every employer shall cause to display at the conspicuous place of the workplace of an establishment under his control, notice showing the rates of wages of the building workers working in such establishment, hours of work of such worker, their wage periods, date of payment of such wages, names and addresses of the Inspectors having jurisdiction to such establishment and date of payment of unpaid wages to such workers, in English, Hindi and in local language understood by the majority of such building workers.

(2) A copy of the notice referred to in sub- rule (1) shall be sent to the Inspector having jurisdiction and whenever any change occurs relating to facts contained in such notice, such change shall be communicated by the employer to such Inspector.

**239. Notice of commencement and completion.—** (1) Every employer shall, at least thirty days before the commencement of any building or other construction work under his control, send or cause to be sent to the Inspector having jurisdiction, a written notice intimating the actual date of commencement, the probable date of completion and other such particulars as referred to in sub- section (1) of section 46 of the Act relating to such building or other construction work in form- IV, annexed to these rules.

(2) Where any change occurs in any of the particulars under sub- rule (1) the employer shall intimate such change to the Inspector having jurisdiction within two days of such change.

(3) Nothing contained in sub- rule (1) shall apply in case of such class of building or other construction work as the State Government may by notification specify to be emergent work.

**240. Register of persons employed as building workers.—** Every employer shall maintain in respect of each registered establishment, where he employs building workers, register in form- XV, annexed to these rules.

**241. Muster-roll, wages register, deduction registers, overtime registers and issue of wage books and service certificates.—** (1) Every employer shall, in respect of each work on which he employs building workers, maintain,—

(a) muster-roll and a register of wages in form- XVI and form- XVII, respectively, annexed to these rules:

Provided that a combined register of wage cum-muster- roll in form- XVIII, annexed to these rules shall be maintained by the employer where the wage period for such building worker is fortnight or less:

(b) a register of deductions for damage or loss, register of fines and register of advance in form- XIX, form- XX, form- XXI, respectively, annexed to these rules;

(c) a register of overtime in form- XXII annexed to these rules , for recording therein the number of hours of, and the wages paid for, overtime work, if any,

(2) Every employer shall, in respect of each work on which he engages building workers,—

(a) issue where the wage period is one week or more, wage book to each of such building worker in form- XXIII annexed to these rules to such building workers in which entries shall be made at least a day prior to the disbursement of wages to them;

(b) issue a service certificate to each of building worker on form-XXIV annexed to these rules to such building workers on termination of his service on account of completion of such work or for any other reason;

(c) obtain signature or thumb impression of each building worker against entries relating to him on the register of wages or musterroll-cum- wages register, as the case may be, and such entries shall be authenticated by the employer or his authorized representative.

(3) In respect of an establishment to which the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), or Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) or Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) applies the following registers and records required to be maintained by an employer under any of such Acts or the rules made there under, shall be deemed to be the registers and records maintained by the employer under these rules, namely:—

- (a) muster- roll;
- (b) register of wages;
- (c) register of deductions;
- (d) register of over- time;
- (e) register of fines;
- (f) register of advances; and
- (g) combined register of wages- cum- muster- roll.

(4) Notwithstanding anything contained in these Rules, where a combined or alternative form, in lieu of any of form specified under these rules, is sought to be used by an employer to avoid duplication of work for compliance with the provisions of any other Act or the rules framed there under or for administrative convenience, such combined or alternative form may be used with the prior approval of the State Government.

(5) Every employer shall, display at the conspicuous place of work site where he employs building workers, an abstract of the Act and these rules in English and in Hindi and in language understood by the majority of such building workers.

(6) Every employer shall ensure that the registers and other records required to be maintained under the Act or these rules are maintained complete and up-to-date. And unless

otherwise provided for, are kept at an office or the nearest convenient building with the precincts of the concerned work place.

(7) The registers and other records relating to an establishment and required to be maintained under the Act or these rules shall be maintained legibly in English and in Hindi.

(8) Every register or other record referred to in sub- rule (7) shall be preserved by the employer, to whom such a register or other record belongs, in original for a period of three calendar years from the date of last entry therein.

(9) Every register, record or notice maintained under the Act, or these rules shall be produced or caused to be produced by the employer concerned on demand before the Inspector or any other authority under the Act or any other person authorized by the State Government for such purpose.

(10) In case, where during a wage period, no deduction has been made from the wage of a building worker or no fine has been imposed on such building worker or no overtime has been performed by such building worker or no payment has been made for overtime work to such building worker, a “nil” shall be made against such wage period at the appropriate place in the relevant register maintained in forms- XIX, XX, XXI or XXII, as the case may be.

**242. Returns.**— Every employer of a registered establishment shall send annually a return relating to such establishment in duplicate in form XXV annexed to these rules to the registering officer having the end of each calendar year with a copy to the Inspector having jurisdiction.

---

## CHAPTER- XXVIII

### WELFARE OF BUILDING WORKERS

**243. Latrine and urinal accommodation.**— Latrines or urinals, as the case may be, required to be provided under section 33 of the Act shall be of the types as specified below, namely:—

(a) every latrine shall be under cover and so partitioned off as to secure privacy, and shall have a proper door and fastening;

(b) (i) where both male and female building workers are employed, there shall be displayed outside each block of latrines or urinals a notice containing therein “For Men Only” or “For Women Only” as the case may be, written in the language understood by the majority of such workers;

(ii) such notice shall also bear the figure of a man or woman, as the case may be;

(c) every latrine or urinals shall be conveniently situated and accessible to building workers at all times;

(d) every latrine or urinal shall be adequately lighted and shall be maintained in clean and sanitary condition at all times;



(e) every latrine or urinals other than those connected with a flush sewage system shall comply with the requirements of the public health authorities;

(f) water shall provide by means of a tap or otherwise so as to be conveniently accessible in or near every latrine or urinal; and

(g) the walls, ceilings and partitions of every latrine or urinals shall be whitewashed or colour- washed once in every period of four months.

**244. Canteens.**— (1) In every place wherein not less than two hundred and fifty building workers are ordinarily employed, the employer of such building workers shall provide an adequate canteen in the manner as specified in this rule for the use of such building workers.

(2) The canteen, referred to in sub- rule (i) shall consist of a dining hall with furniture sufficient to accommodate building workers using such canteen, a kitchen, store-room, pantry and washing places separately for building workers and for utensils.

(3) (i) The canteen referred to in sub- rule (i) shall be sufficiently lighted at all times when any person has access to it;

(ii) the floor of such canteen shall be made of smooth and impervious material and inside walls of such canteen shall be limewashed or colour- washed at least once in every six months:

Provided that such inside walls of the kitchen of such canteen shall be lime washed once in every three months.

(4) (i) The precincts of the canteen referred to in sub- rule (i) shall be maintained in a clean and sanitary conditions;

(ii) waste water from such canteen shall be carried away in suitable covered drains and shall not be allowed to accumulate in the surroundings of each canteen;

(iii) suitable arrangements shall be made for the collection and disposal of garbage from such canteen. And

(5) Building of the canteen referred to in sub- rule (i) shall be situated at the distance not less than fifteen point two meters from any latrine or any source of dust, smoke or obnoxious fumes.

**245. Foodstuff to be served in the Canteen.**—The foodstuff and other items to be served in the canteen, referred to in sub- rule (i) of rule 244, shall be in conformity with the normal dietary habits of the building workers.

**246. Serving of tea and snacks at the workplaces.**— At a building or other construction work where a workplace is situated at a distance of more than zero point two kilometer from the canteen provided under sub- rule (i) of rule 244, arrangements shall be made by the employer employing building workers at such places for serving tea and light refreshment to such building workers at such places.

**247. Charges of food stuff.**— (1) The charges for food stuffs, beverages and other items served in the canteen provided under sub- rule (i) of rule 244 shall be based on “no profit no loss” and the price list of such items shall be conspicuously displayed in such canteen.

(2) In arriving at the prices of items referred to in sub- rule (i), the following shall not be taken into consideration as expenditure, namely:—

- (a) the rent for the land and building of such canteen;
- (b) the depreciation and maintenance charges for the building and equipment provided in such canteen;
- (c) the cost of purchase, repairs and replacements of equipments including furniture, crockery, cutlery, utensils and uniforms provided to the employees of such canteen;
- (d) the water charges and other charges incurred for lighting and ventilation of such canteen; and
- (e) the interest on the amount spent for providing and maintaining furniture and other equipment for such canteen.

---

## CHAPTER- XXIX

### WAGES

**248. Payment of wages.**— An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,—

(a) the wages of every building worker employed at such construction site where less than one thousand such building workers are employed are paid before the expiry of the seventh day and in other cases before the expiry of tenth day after the last day of the period in respect of which such wages are payable;

(b) in case the employment of such building workers is terminated by or on behalf of such employer, the wages earned by such building worker are paid before the expiry of the second working day from the day on which employment of such building worker is terminated; and

(c) all payments of wages are made on a working day at such construction site and during the working time and on a date notified in advance and in case the work is completed the final payment of wages is made within forty-eight hours of such completion of work.

**249. Display of notice of wage regarding date of payment of wages.**— An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that a notice showing the period for which wages are to be paid, place and time of disbursement of such wages is displayed at a conspicuous place of such construction site in English, in Hindi and in a local language understood by the majority of building workers employed at such construction site.

## PART-V

## CHAPTER- XXX

THE HIMACHAL PRADESH BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION  
WORKERS WELFARE BOARD

**250. Definitions.**— (1) In this chapter unless the context otherwise, requires:—

- (a) “Board” means the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board constituted under section 18 of the Act;
- (b) “Contribution” means the sum of money payable to the fund by the beneficiary;
- (c) “Family” means the husband or wife and minor sons and unmarried daughters of the building worker and the parents solely dependent on him.
- (d) “Fund” means the H.P. Building and other Construction Workers Welfare Fund constituted by the Board under section 24 of the Act.
- (e) “Secretary” means the secretary of the Board appointed under section 19 of the Act;
- (f) “Year” means a financial year.

**251. Constitution of the Board.**— (1) The Board shall consist of,—

- (i) a Chairperson appointed by the Government.
- (ii) a member nominated by the Central Government.
- (iii) Not more than five persons representing the building and other construction works appointed by the State Government.
- (iv) Not more than five persons from among the employers of construction and building workers appointed by the Government.
- (v) Not more than five members representing the State Government of whom one shall be the Chief Inspector of Inspection of Building and Construction of the State, one shall be a representative of Finance Department, one shall be a representative of Law Department, one shall be a representative of Labour Department and one shall be a representative of Welfare Department.

Provided that one of the nominated members of the Board shall be a woman provided that the number of members appointed under clauses (iii), (iv) and (v) of sub- rule (i) shall be equal.

(2) The term of office of the Chairperson and the members of the Board other than the official members shall be three years from the date of their appointment:

Provided that the members may continue in office till their successors are appointed.

**252. Filling up of casual vacancies.**— A member nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the members in whose place he is nominated.

**253. Meeting of the Board.** —The Board shall ordinarily meet once in two months:

Provided that the Chairperson shall, within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one third of the members of the Board call a meeting there of.

**254. Notice of meeting and list of business.**— Notice intimating the date, time and venue of every meeting together with a list of business to be transacted at the meeting shall be sent by registered post or by special messenger, to each member fifteen days before the meeting:

Provided that when the Chairperson calls a meeting for considering any matter which in his opinion is urgent, notice of not less than three days shall be deemed sufficient.

**255. Chairperson to preside at meetings.**— (1) The Chairperson shall preside over every meeting of the Board in which he is present, and if, for any reason the Chairperson is unable to attend the meeting any member nominated by the Chairperson in this behalf shall preside over the meeting.

(2) When the Chairperson is absent and no member has been nominated by the Chairperson under sub- rule (i), the members present shall elect one of them to preside over the meeting and the members so elected shall exercise all the powers of the Chairperson in conducting the meeting.

(3) No business shall be transacted at any meeting of the Board unless at least six members are present, of whom one shall be from among those nominated under clause (v) of sub-rule (1) of rule 266.

**256. Absence from the State.**—If any member leaves the State for a period of exceeding 180 days without intimation to the Chairperson he shall be deemed to have resigned from the Board.

**257. Transaction of business.**— Every question considered at a meeting of the Board shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting and in the event of any equal votes the Chairperson shall have and exercise a casting vote.

**258. Minutes of the meeting.**— Every decision taken at a meeting of the Board shall be recorded in a minutes book at the same meeting and signed by the Chairperson. The minutes book shall be a permanent record.

**259. Fees and allowances.**— (1) Every non- official member of the Board shall be paid a sitting fee of two hundred rupees or amount as may be fixed by the State Government from time to time, for attending meeting of the Board. This fee shall not be applicable for sub- committee meetings.

(2) The Chairperson shall be paid a sitting fee of six hundred rupees or amount as may be fixed by the State Government from time to time for attending the meeting of the Board.

(3) Every non- official member shall be paid travelling allowance and daily allowance for attending the meeting of the Board at such rates admissible to Grade- I Officers of the Government.

(4) The travelling allowance and daily allowance of an official member shall be governed by the rules applicable to him for journey performed on official duties and shall be paid by the Board.

**260. Appointment of sub-committees.—** (1) The Board may appoint such subcommittees as it may deem fit for the proper discharge of its duties and the members of such sub-committee shall be allowed travelling allowance and daily allowance at the rates and subject to the conditions specified under rule 259.

(2) Constitution of Sub Committee: - The Committee shall consist of the following persons namely:—

- (a) Chairperson of the Board;
- (b) One member representing the employees;
- (c) One member representing the building workers; and
- (d) Two members representing the Government.

(3) The Chairperson of the Board shall be the Chairperson of the subcommittee also. If the Chairperson is absent at any time the members present shall elect among them to preside over the meeting.

(4) No business shall be transacted at a meeting of the sub-committee unless at least three members of the Committee are present of whom one shall be from the members representing employers and another shall be from the members representing building workers.

(5) The term of the sub-committee shall be one year from the date of its constitution:

Provided that the sub-committee shall continue in office until a new committee is constituted:

Provided further that in no case the sub-committee shall continue beyond a period of two years from the date of its original constitution.

(6) The recommendation of the sub-committees shall be placed before the Board for its decision.

**261. Power, duties and functions of the Board.—**

- (1) the Board shall be responsible for,—
  - (a) all matters connected with the administration of the fund;
  - (b) laying down policies for the deposits of the amount of the fund;
  - (c) submission of annual budget to Government for sanction;
  - (d) submission of annual report to Government on the activities of the Board;
  - (e) proper maintenance of accounts;
  - (f) collection of contribution to the fund and other charges;
  - (g) launching of prosecution for and on behalf of the Board;
  - (h) speedy settlement of claims and sanction of advances and other benefits; and
  - (i) proper and timely recovery of any amount due to the Board.

(2) The Board shall furnish information to Government on such matters as the Government may refer to it, from time to time.

**262. Secretary to the Board.**— (1) The Secretary of the Board shall be the Chief Executive Officer of the Board.

(2) The Secretary shall, with the approval of the Chairperson issue notice to convene meetings of the Board and keep the record of minutes and shall take necessary steps for carrying out the decisions of the Board.

**263. Appointment of Secretary and other Officers.**— (1) the Board may, with the prior concurrence of the Government, appoint an officer of the Government not below the rank of Deputy Labour Commissioner of the Labour Department as Secretary of the Board.

- (2) The Board may, with the prior concurrence of the Government, appoint—
- (i) as many officers of the Government, not below the rank of, Labour Officer in the Labour Department; and
  - (ii) such other officers and employees of any other department of th Government, as it considers necessary, to assist the Board in the efficient discharge of its function under the Act.

**264. Administration and financial powers of the Secretary.**— (1) The Secretary of the Board may, without reference to the Board, sanction expenditure and contingencies, supplies and services and purchase of articles, refund for administrating the fund subject to the limit upto which he may be authorized to sanction expenditure on any single item from time to time by the Board.

(2) The Secretary may also exercise such other administrative and financial powers other than those specified in sub- rule (1) above, as may be delegated to him from time to time by the Board.

(3) The Board may, from time to time, delegate, subject to such conditions as it may deem fit, administrative and financial powers to any other officer under its control and supervision to the extent considered necessary for its efficient functioning.

**265. The Himachal Pradesh Building and other Construction Workers Welfare Fund.**— (1) The Board may as soon as may be after the coming into force of these rules, constitute a Fund by the name “The Himachal Pradesh Building and other Construction Workers, Welfare Fund” in accordance with the provision of the Act and these rules.

(2) The fund shall vest in and be administered by the Board.

(3) There shall be credited to the Fund;

(a) grant of loan or advances if any, made by the Government of India or by the State Government or any local authority;

(b) the contribution paid by the Board from such other sources as may be decided by the Central or State Government; and

(c) all sums received by the Board from such other sources as may be decided by the State Government.

**266. Membership.**— (1) Every building worker who has completed 18 years of age but has not completed 60 years of age and who is not a member in any other welfare fund established under any law for the time being in force and who has completed 90 days of service as a building worker in the year immediately preceding shall be eligible for the membership in the fund.

(2) A certificate to prove age as specified below shall also be submitted along with the application:

- (i) School records.
- (ii) Certificates from the Registrar of Births and Deaths.
- (iii) In the absence of the above certificates, a certificate from a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon in Government Service.

(3) Certificate or wage slip or appointment letter from the employer or contractor that the applicant is a construction worker shall be produced along with the application for registration. In case such a certificate is not available a certificate issued by the registered Construction Workers Unions or a Certificate issued by Labour Inspector of the concerned area or by the Executive Officer of the Panchayat may also be considered.

(4) Every building worker eligible to become a beneficiary to the Fund shall submit an application in form- XXVII to the Secretary or to an officer authorised by him in this behalf. Every such application shall be accompanied by the documents mentioned in this rule and a registration fee of Rs. 15/- (Fifteen only).

(5) Where the Secretary of the Board or an officer authorised by him, is satisfied that the applicant fulfils the conditions, such building worker shall be registered as a member.

(6) Any person may within 30 days, file an appeal to the Board against the decision taken under sub- rule (5) and the decision of the Board thereon shall be final.

(7) The building worker shall also file a nomination in form- XXVIII. The nomination shall stand revised in the name of the spouse on his acquiring a family or on the happening of any legal change in the status of family.

(8) The Secretary of the Board or other officer authorised by him in this behalf shall issue to every beneficiary an identity card with a photo of the beneficiary affixed in form- XXXII and maintain a register of identity cards so issued in form- XXXIII.

**267. Contribution to the Fund.**—(1) A beneficiary of the fund shall contribute to the fund Rs. 20/- per mensem. This contribution shall be remitted in advance once in three months in any of the banks specified by the Board in the district in which the member resides.

(2) If a beneficiary commits default in the payment of contribution continuously for a period of one year, he shall cease to be a beneficiary of the Fund. However, with the permission of the Secretary or an officer authorised by him in this behalf the membership may be resumed on repayment of arrears of contribution with a fine of Rs. 2/- per month subject to the condition that such resumption shall not be allowed more than twice.

**268. Duty of the employer to file returns.**— (1) Every employer shall within 15 days from the commencement of this rule send to the Secretary of the Board a consolidated return

containing the particulars of the building workers entitled to be registered showing their basis wages, allowances and the amount being spent for the free supply of food, if any.

(2) Every employer shall sent a return on monthly basis to the Secretary or any other officer authorised by him in this behalf a return in form- XXX showing the details of the workers entitled to be registered as well as those who left the service during the preceding month.

(3) Every employer shall furnish to Secretary or any other officer authorised by him in this behalf, in form- XXXI particulars regarding the branches, Directors, Managers, Occupiers, Partners, person/ persons who has/have the altimate control over the affairs of his establishment.

269. Maintainance and production of Records and Register.— (1) Every employer shall maintain a Register showing the particulars of the building workers and a Register of contribution in such form as may be directed by the Secretary or other officer authorised by him.

(2) Every employer shall when ever the Secretary or any other officer authorised by him requires in person or by notice in writing to produce the record in respect of building workers, shall deliver such records to the officer concerned in time and if the record are not returned he shall issue a receipt for the records so retained by him.

**270. Transfer of accumulation in any Existing Fund.**— (1) If a worker who becomes a member of this Fund, the concerned authorities shall transfer such deposit in the name of that member to this Fund.

(2) The authority of the other welfare fund shall, furnish to the Secretary or any other officer authorised by him in this behalf a statement showing the total accumulation in the credit of every memebre on the date of transfer under sub- rule (1) and the amount of advance if any taken by the member.

**271. Maternity Benefit.**— The women employees who are beneficiary of the fund shall be given Rs.1,000/- (Rupees one thousand only) each as maternity benefit during the period of maternity. On an application made by her in form- XXXIV with such other documents as may be specified shall be submitted for this benefit,—

Provided that this benefit shall not be allowed for more than twice.

**272. Eligibility for pension.**—(1) If a person had been a beneficiary for atleast 3 years continusouly immediately before attaining the age of 60 years he shall be eligible to get a pension and shall pension will become payable from the first day of succeeding to the month in which he completes 60 years of age.

**273. Procedure for payment of pension.**— (1) An application for pension shall be submitted in form- XXXV to the Secretary of the Board or the officer authorised by him for the purpose.

(2) If in the opinion of the Secretary of the Board or the officer authorised by him the applicant is eligible for pension, he shall sanction pension and send the pension sanctioning order to the applicant:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard,



(3) If it is found that the applicant is not eligible for pension, the application shall be rejected, and the applicant informed accordingly.

(4) The applicant may file an appeal before the Board against the decision taken under sub- rule (3) within 60 days from the date of the receipt of the order. However the Board may for sufficient reason in writing condone the delay upto one year in filing the appeal.

(5) The amount of pension shall be Rs. 200/- (Rupees two hundred only) per mensem. An increase of Rs. 10/- shall be given for every completed year of service beyond 5 years . The Board may with the previous approval of the Government revise the pension.

(6) The pension sanctioning authority shall maintain a register in form-XXXVI.

(7) The modelty for the disbursement of the Pension shall be decided by the Board.

**274. Advance for purchase or construction of house.**—(1) The Board may on application by a member, sanction an amount not exceeding Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only) as advance for the outright purchase of a house or for the construction of house. The beneficiary shall along with the application in form-XXIX produce such documents as may be specified by the Board.

(2) No advance under sub- rule (1) shall be sanctioned to those who do not have membership in the fund continuously for five years and having 15 years service for superannuation.

(3) A completion certificate shall be submitted to the Secretary of the Board within six months from the date of drawl of advance. The amount sanctioned as advance shall be recovered in equal instalments as may be fixed by the Board.

**275. Disability Pension.**— (1) The Board may sanction an amount of Rs. 200/- (Rupees two hundred only) per mensem as disability pension to a beneficiary who is permanently disabled due to paralysis, leprosy, T.B., accident etc. In addition to this pension he will be eligible for an exgratia payment of not more than Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only) depending upon the percentage of disability and subject to such conditions as may be fixed by the Board.

(2) The application for disability pension and exgratia payment under subrule (1) shall be made in form- XXXIX with such certificates and other documents as may be specified by the Board.

**276. Loan for the purchase of Tools.**—An amount of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only) will be sanctioned as loan to the members of the fund , for the purchase of tools. Those who have completed 3 years membership in the fund and those who remit contribution regularly will be eligible for this loan. The beneficiary should not have completed 55 years of age. The loan amount shall be recovered in not more than sixty instalments. An application in form- XL shall be made for this loan with such other documents as may be specified by the Board.

**277. Payment of Funeral Assistance.**—The Board may sanction an amount of Rs. 1,000/- (Rupees one thousand only) to the nominees/ dependents of a deceased member, towards funeral expenses. An application in form- XLI, shall be submitted for this benefit.

**278. Payment of Death Benefit.**—(1) The Board may sanction an amount of Rs. 15,000/- of death. If the death is due to an accident, during the course of employment, the nominee/ dependents of the member shall be given Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only) towards death benefit.

(2) The register of death benefit shall be maintained in form- XXXVIII.

**279. Application for Death Benefit.**—(1) A nominee who is entitled to Death benefit under this rule shall submit to the Secretary or any other officer authorised by him an application in form-XXXVII. A certificate regarding the death 'accident death' issued by a Government doctor not below the rank of an Assistant Surgeon shall be produce along with the application and other documents specified by the Board.

(2) The Secretary or the officer authorised by him may on receipt of the application conduct an enquiry with regard to the eligiblity of the applicant.

(3) If the Secretary or the officer authorised by him is satisfied that the person who has applied for financial assistance is entitled for such benefit he may sanction the amount.

(4) A person aggrieved by any decision taken under sub- rule (3) may file an appeal before the Board within 60 days from the date of receipt of the order under that sub- rule and the decision of the Board thereon shall be final.

**280. Medical Assistance to beneficiaries.**—The Board may sanction financial assistance to the beneficiaries who are hospitalised for five or more days due to accident or any deasease. The financial assistance shall be Rs. 200/- for the first five days and Rs. 20/- each for the remaining days, subject to the maximum Rs. 1000/- (Rupees one thousand only). This assistance shall also be given to the beneficiary met with accident and put in plaster at residence. If disability is resulted due to accident, the worker shall be eligible for a financial assistance up to maximum Rs. 5000/- (Rupees five thousand ony) depending upon the percentage of disability. The application in form- XLII or XLVI shall be submitted with such other documents as may be specified by the Board.

**281. Financial assistance for Education.**—Upto two children of the members shall be eligible for such financial assistance as may be determined by the Board for such courses of study as may be specified by the Board from time to time. An application in Form- XLIII shall be submitted with such documents and within such time as may be specified by the Board.

**282. Financial assistance for Marriage.**—The Buiding workers having continous membership for 3 years shall be eligible to get financial assitance of Rs. 5,100/- (Rupees five thousand & one hundred only) for the marriage of their children. A female member of this Fund is also eligible to for this assistance for her own marriage. This assitance shall be sanctioned for the marriage of two children of the beneficiary. An application in form- XLIV shall be submitted alongwith such other documents as may be specified the Board.

**283. Family Pension.**—In the event of death of a pensioner, family pension shall be given to the surviving spouse provided he or she does not remarry. If the worker has no spouse his or her children, if a son/ sons under 25 years of age and if a daughter/ daughters unmarried and under 25 years of age. They shall be entitled for family pension by sharing the pension equally. The amount of pension will be fifty persent of the pension received by the pensioner or Rs.100/- which ever is higher. An application in form- XLV shall be submitted with such documents as may be spacificed by the Board with in three months from the date of death of the pensioner.

284. **Recovery of advances and loans.**—The Board shall have the power to stipulate the conditions for the recovery of loan and advances.

285. **Refund of the contribution of deceased member.**— 1) On the death of a member the amount of contribution standing in his credit shall be given to his nominee. In the absence of a nominee the amount shall be paid to his legal heirs in equal shares.

(2) All financial benefits under these rules other than death benefit and medical assistance for accidents shall become payable only after one year of a person becoming member of the fund.

286. **Personal Accident Insurance Scheme.**—The Board may permit Group Indexed Personal Accident Scheme for the Building and other construction workers being run by Insurance Company on the pattern of daily wage worker of PWD and others Departments of the State Government of Himachal Pradesh.

287. **Accounts.**—(1) Excluding the administrative expenses, all interest, rent and other income realised and all profits or losses if any, on the investment shall be credited or debited, as the case may be, to an account called the “Interest Suspenses Account”

(2) The Secretary of the Board or any other officer authorised by him shall submit a statement to the Government on 15th Day of March every year or on such date as the Government may specify, an annual report appending a classified statement of the assets of the fund.

288. **Investment of amount .**—All moneys belonging to the Fund may be invested in the Nationalised Banks or Scheduled Banks or in the securities referred to in clauses (a) to (d) of Section- 20 of the Indian Trust Act, 1882.

289. **Utilization of the Fund.**—(1) The fund shall not, without the previous approval of Government, be expended for any purpose other than those mentioned in the Act and the Rules.

290. **Expenditure from the Fund.** - (1) All expenses for the administration of the fund, fees and allowances of the Directors of the Board, Salaries, Leave Salaries, Joining time pay, Travelling allowance compensatory allowances, Charge allowances, pension contribution and other benefits of personal expenses, for the legitimate needs of the Board and the stationary expenses shall be met from the administrative Account of the Fund.

(2) The amounts incurred by the Government for the administrative account of the fund shall be treated as a loan which shall be repayed from the administrative account.

291. **Report regarding the functioning of the Board.**—A report on the functioning of the Board during every financial year shall be approved by the Board before the 15th Day of June next year and be submitted to the Government before the 31<sup>st</sup> Day of July of that year.

292. **Copies of the Registers and reports to be furnished.**—The Secretary of the Board shall furnish copies of the register and annual report of the fund to any employer or member of the fund on return application and on payment of such fees as may be specified by the Board in his behalf with the approval of the Government.

293. **Recovery of arrears.**—If any amount due from an employer or a member is in arrears, the Secretary of the Board or any other Officer authorised by him in this behalf shall, after ascertaining the amount of arrears, issue a certificate for that amount to the Collector of the District

concerned. On receipt of the certificate, the District Collector shall recover the amount in the same manner as arrears of land revenue.

294. **Execution of contract.**—All orders and other instruments shall be made and executed in the name of the Board and shall be authenticated by such persons as the Board may specify.

—————

**PART VI**  
**MISCELLANEOUS PROVISIONS**

**CHAPTER-XXXII**  
**POWERS OF CHIEF INSPECTOR OF INSPECTIONS OF BUILDING & ONSTRUCTION**  
**AND INSPECTORS**

**295. Power to engage experts, agencies.**—(1) The Chief Inspector of Inspections of Building & Construction may engage experts or agencies, as deemed necessary, from the fields of civil engineering, structural engineering, architecture, and other disciplines of occupational safety, health and environment, as when required, for the purpose of conducting and inspection, investigation or enquiry into the cause of an accident or a dangerous occurrence or otherwise.

(2) The experts referred to in sub- rule (i) shall, -

(a) possess a degree in the relevant field from a recognized university;

(b) possess not less than ten years experience of working in the relevant field out of which at least five years shall be in the field of occupational safety, health and environment.

(3) Agencies referred to in sub- rule (i) shall be of national standing in the relevant field and registered under the relevant law.

(4) The state Government may, from time to time, prepare a panel of experts and agencies referred to in sub- rule (i).

(5) An engineer or expert or agency employed under sub- rule (i) shall be paid such travelling allowances and daily allowances as are allowed to him by his organisation where he is employed or such travelling allowances and daily allowance as is admissible to Class- I officer of the Government of Himachal Pradesh.

(6) In addition to travelling allowances and daily allowances referred to in subrule

(5) to an engineer or architect or agency, they shall also be paid honorarium at the rates as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette from time to time.

296. **Powers of Inspectors.**—(1) An Inspector may, at a construction site of a building or other construction work within local limits for which he is appointed, -

(i) examine such construction site or place or premises used for such building or other construction work;

(ii) take on the spot or otherwise such evidence of any person which he may deem necessary for the purpose of any examination or enquiry connected with such building and other construction work directly or indirectly;

(iii) take photographers, video clips, sample weight or measures or record or make such sketches as he may consider necessary for the purpose of any examination or enquiry under these rules; and

(iv) hold an enquiry into the cause of any accidents or dangerous occurrence which he has reasons to believe was the result of any operation connected with or incidental to such building or construction work, or of non-compliance with any of the provisions of the Act or these rules.

(2) An Inspector may, within the local limits for which he is appointed issue show cause notice or warning to employers regarding the safety, health or welfare of building workers provided under the Act or the rules made there under.

(3) An Inspector may within the local limits for which he is appointed, file in a court having jurisdiction a complaint or other proceeding relating to an offence under the Act.

(4) An Inspector may, within the local limits for which he is appointed, direct any contractor or any employer for getting the building workers medically examined in accordance with the provisions of these rules.

(5) An Inspector may, within the local limits for which he is appointed require a person having power of supervision and control of a construction work or the employer, project in-charge of such construction site, as the case may be, to provide such means or assistance as may be required by such inspector for entry, inspection, examination or enquiry for the exercise of his powers under sub-section

(i) of section 43 of the Act or this rule in relation to such construction site, or project.

**297. Prohibition Order.**—(1) If it appears to the Inspector that any site or place at which any building or other construction work is being carried on, is in such condition that it is dangerous to life, safety or health of building workers or the general public, he may, in writing serve on the employer of building workers or on the owner of the establishment or on the person in charge of such site or place an order prohibiting any building or other construction work at such site or place until measure have been taken to remove the cause of the danger to his satisfaction.

(2) An Inspector serving an order under sub- rule (i) shall endorse a copy to the Chief Inspector of inspections of Building & Construction.

(3) Such prohibition order shall be complied with by the employer forthwith.

(4) Any person aggrieved by an order under sub- rule (1), may within fifteen days from the date on which the order is communicated to him, may prefer an appeal to the Chief Inspector of inspections of Building and Construction, to the Secretary Labour to the Government of Himachal Pradesh, and the Chief Inspector or the Secretary Labour, as the case may be, shall, after giving the appellant an opportunity of being heard, dispose of the appeal expeditiously as possible.

Provided further that the prohibition shall be complied with, pending the decision of the Chief Inspector of Inspections of Building & Construction or the Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh.

**SCHEDULE-I**

[See rules 56(a), 70(a) and 71]

Manner of test and examination before taking lifting appliance, lifting gear and wire rope into use for the first time.

**Test Loads:**

1. **Lifting appliances.**—Every lifting appliance with its accessory gear, shall be subjected to a test load which shall exceed the safe working load (SWL) as specified in the following table:—

**Table**

Safe Test load	Test load
Up to 20 tonnes	25 percent in excess of safe working load
20 to 50 tonnes	5 tonnes in excess of safe working load
Over 50 tonnes	10 percent in excess of safe working load

2. **Lifting gear.**—(a) Every ring, hook, chain, shackle, swivel, eye-bolt, plate clamp, triangular plate or pulley block except single sheave block shall be subjected to a test load which shall not be less than the load as specified in the following table:—

**Table**

Safe Working Load(in tonnes)	Test load (in tonnes)
Up to 25	2x safe working load
above 25	(1.22 x safe working load) + 20

(b) In case of a single sheave block, the safe working load shall be the maximum load which can safely be lifted by the block when suspended by its head fitting and the load is attached to a rope which passes around the sheave of the block and a test load not less than four times the proposed safe working load shall be applied to the head of the block.

(c) In the case of a multi sheave block the test load shall not be less than the Load as specified in the following table:—

**TABLE**

Safe Working Load(in tonnes)	Test load (in tonnes)
Up to 25	2x safe working load
above 25	2x safe working load
25 to 160	(0.9933 x safe working load) + 27
above 160	1.1 x safe working load.

(d) In the case of hand- operated pulley blocks used with pitched chains and rings, hooks, shackles or swivels, permanently attached thereto, a test load not less than 50 per cent in excess of safe working load shall be applied.

(e) In the case of a pulley block fitted with a bucket, the bucket shall be tested and the load applied to the bucket when testing that block will be accepted as test load of the bucket.

(f) In the case of a sling having two legs, the safe working load shall be calculated when the angle between the legs is 90 degree. In case of multi- legged slings the safe working load shall be calculated as per national standards.

(g) Every lifting beam lifting frame, container spreader, buckets tub, or other similar devices shall be subjected to a test load which shall not less than the load as specified in the following:—

**TABLE**

Safe Working Load(in tonnes)	Test load (in tonnes)
Up to 10	2x safe working load
10 to 160	(1.04)x safe working load)+ 9.6
above 160	1.1x safe working load

(h) *Wire ropes.*—In the case of wire ropes a sample shall be tested to destruction. The test procedure shall be in accordance with recognized national standards. The safe working load of the rope is to be determined by dividing the load at which the sample broke by a co-efficient of utilization, determined as specified in the following table:—

**TABLE**

Item	Co-efficient of utilisation
(1)	(2)
(a) Wire rope forming part of sling safe working load of the Sling: Safe working load up to and equal to ten tonnes. Safe working load above ten tonnes and up to and equal to 160 tonnes.	5 10 (8.85x SWL)+1910
(b) Safe working load above 160 tonnes. Wire rope as integral part of lifting appliance: SWL of the lifting appliance; Safe working load upto and equal to 160 tonnes.	3 10 (8.85x SWL)+1910

(i) Before any test is carried out, a visual inspection of the lifting appliance or lifting gear involved shall be conducted and any visible defective gear shall be replaced or renewed.

(j) After being tested, all the lifting gears shall be examined to see whether any parts have been injured or permanently deformed by the test.

**Procedure for testing.—**

(3) **Derricks.**—(a) A derrick shall be tested with its boom at the minimum angle to the horizontal for which the derrick is designed (generally 15 degrees) or at such greater angle as may be agreed. The angle at which the test has been carried out shall be mentioned in the test certificate. The test load shall be applied by hoisting moveable weights. During the test, the boom shall be swung with the test load, as far as practicable in both directions.

(b) A derrick boom, designed to be raised with power, with the load suspended, shall, in addition to the tests at (a) be raised (with the load suspended) to its maximum working angle to the horizontal and the two outermost positions.

(c) While test loading of a heavy lift derrick, the competent person responsible for tests using moveable weights shall ascertain from the owner of the vessels or floating platform that the stability of the vessel or platform is adequate for the test.

(4) The derricks tested under clause (3) shall not be used in union purchase rig unless:

(a) The derricks rigged in union purchase are tested with the test load appropriate to the SWL in union purchase (at the designed headroom and with the derrick booms in their approved working position):—

(b) The safe working load of that derrick in union purchase rig has also been specified by a competent person in a report in Form-V.

(c) Any limitations or conditions specified in the said report are complied with : and

(d) The two hoist ropes are coupled together by a suitable swivel assembly.

*Note.*—The safe working loads of derricks (for each method of rig including union purchase) shall be shown on the certificate of test and marked on the derrick booms.

(5) **Lifting appliances.**—(a) the test load shall be lifted and swung, as far as possible, in both directions. If the jib or boom of the crane has a variable radius, it shall be tested with test loads at the maximum and the minimum radii. In case of hydraulic cranes when owing to the limitation of pressure, it is impossible to lift a test load in accordance with table under item (1), it will be sufficient to lift the greatest possible load which shall be more than safe working load.

(b) the test shall be preformed at maximum/ minimum and intermediate radius points as well as such points in the arc of rotation as the competent person may decide. The test shall consist of hoisting, lowering, breaking and swinging through all positions and operations normally performed. An additional test shall be made by operating the machinery at maximum working speed with the SWL suspended.

(6) **Use of spring or hydraulic balances, etc. for the test loading.**—All tests shall normally be carried on with the help of dead weights. In use of periodical test, replacements or renewals, test load may be applied by means of a suitable springs or hydraulic balances. In such case, test load shall be applied with the boom as far out as practicable in both directions. The test shall not be taken as satisfactory unless the balance has been certified for accuracy by the competent authority within 2.0 % and the pointer of the machine has remained constant at the test load for a period of at least five minutes.

(7) **Testing machine and dead weights.**—(a) a suitable testing machine shall be used for testing of chains, wire ropes and other lifting gears.

(b) testing machines and balances to be used in test loading, testing and checking shall not be used unless they have been certified for accuracy at least once in the proceeding 12 months by the competent authority.

(c) Moveable weights used for the test loading of the lifting appliances having a safe working load not exceeding 20 tones shall be checked for accuracy by means of suitable weighing machine of certified accuracy.



(8) **Through examination after testing or test loading.**—After tested or test loaded, every lifting appliances and associated gear shall be thoroughly examined to see that no part has been damaged or permanently deformed during the test. For this purpose, the lifting appliance or gear shall be dismantled to the extent considered necessary by the competent person.

## SCHEDULE-II

[See rule 230 (a)]

### Notifiable Occupational Diseases in Building and other Construction work

1. Occupational dermatitis.
2. Occupational Cancer.
3. Asbestosis.
4. Silicosis.
5. Lead poisoning including poisoning by any preparation or compound of lead or their sequelae.
6. Benzene poisoning, including poisoning by any of its homologues, their nitro or amido derivatives or its sequelae.
7. Occupational asthma.
8. Pesticide poisoning.
9. Carbon monoxide poisoning
10. Toxic jaundice
11. Toxic anaemia.
12. Compressed air illness (caissons disease )
13. Noise induced hearing loss.
14. Isocyanates poisoning
15. Toxic nephritis

## SCHEDULE-III

[See rule 231 (b)]

### CONTENTS OF FIRST AID BOX

- (i) Sufficient number eye wash bottles filled with distilled water or suitable liquid clearly indicated by a distinctive sign which shall be visible at all times.
- (ii) 4% xylocaine eye drops and boric acid eye drops and soda by carbonate eye drops.
- (iii) 24 small sterilised dressings.
- (iv) 12 medium size sterilized dressings.
- (v) 12 large size sterilized dressings.
- (vi) 12 large size sterilized burn dresses.
- (vii) 12 (15 cm) packets of sterilized cotton, wool.
- (viii) (200 ml) bottle of certimide solution (I) or suitable antiseptic solution.
- (ix) 1 (200ml) bottle of mercurochrome (2%) solution in water.
- (x) 1(120ml) bottle of sal- volatile having the doses and mode of administration indicated on the label.
- (xi) A pair of scissors.
- (xii) 1 role of adhesive plaster (6 cm into one meter).

- (xiii) 2 role of adhesive plaster (2 cm into one meter).
- (xiv) Twelve pieces of sterilized eye pads in separate sealed packets.
- (xv) A bottle containing hundred tablets (I each of 325 mg) of aspirin or any other analgesic.
- (xvi) Twelve roller bandages ten cms wide.
- (xvii) Twelve roller bandages 5cms wide.
- (xviii) 1 tourniquet.
- (xix) a supply of suitable splints.
- (xx) 3 packets of safety pins.
- (xxi) Kidney tray.
- (xxii) A snake bite lancet.
- (xxiii) 1 (30ml) bottle containing potassium permanganate crystals.
- (xxiv) 1 copy of first aid leaflet issued by the Directorate General.
- (xxv) 6 triangular bandages.
- (xxvi) 2 pairs of suitable sterilized latex hand gloves.

#### SCHEDULE-IV

[See rule 226(c)]

#### ARTICLES FOR AMBULANCE ROOM

- (i) A glazed sink with hot and cold water always available.
- (ii) A table with a smooth top at least 180cm x 105cm.
- (iii) Means for sterilizing instruments.
- (iv) A couch.
- (v) Two stretchers.
- (vi) Two buckets or containers with close fitting lids.
- (vii) Two rubber hot water bags.
- (viii) A kettle and spirit stove or other suitable means for boiling water.
- (ix) Twelve plain wooden splints 900cm x 100cm x 6cm.
- (x) Twelve plain wooden splints 350cm x 75cm x 6cm.
- (xi) Six plain wooden splints 250cm x 50cm x 12cm.
- (xii) Six woolen blankets.
- (xiii) Three pairs artery forceps.
- (xiv) One bottle of spirits anemia anemic arenations (120ml).
- (xv) Smelling salt.
- (xvi) Two medium size sponges.
- (xvii) Six hand towels.
- (xviii) Four kidney trays.
- (xix) Four cakes of toilets preferable antiseptic soap.
- (xx) Two glass tumblers and two wine glasses.
- (xxi) Two clinical thermometers.
- (xxii) Two tea spoons.
- (xxiii) Two graduated (120 ml) measuring glasses.
- (xxiv) Two minimum measuring glasses.
- (xxv) One wash bottle (1000cc) for washing eyes.
- (xxvi) One bottle (one litre) carbolic lotion 1 in 20.
- (xxvii) Three chairs.
- (xxviii) One screen.
- (xxix) One electric hand torch.

- (xxx) Four first aid boxes or cupboards stocked to the standards prescribed in the Schedule-VII.
- (xxxii) An adequate supply of tetanus toxoid.
- (xxxiii) Injections- morphia, pethidine, atropine, adrenaline, coramine, novocaine (6 each).
- (xxxiv) Carmine liquid (60 ml).
- (xxxv) Tablets- antihistaminic anti spasmodic (25 each).
- (xxxvi) Syringes with needles- 2cc, 5cc, 10cc and 500cc.
- (xxxvii) Three surgical scissors.
- (xxxviii) Two needle holders, big and small.
- (xxxix) Suturing needles and materials.
- (xl) Three dissecting forceps.
- (xli) Three dressing forceps.
- (xlii) Three scalpels.
- (xliii) One stethoscope and a B.P. apparatus.
- (xliv) Rubber bandage-pressure bandage.
- (xlv) Oxygen cylinder with necessary attachments.
- (xlvi) Atropine eye ointments.
- (xlvii) I.V. Fluids and sets 10 nos.
- (xlviii) Suitable, foot operated, covered, refuse containers.
- (xlviii) Adequate number of sterilized paired, latex hand gloves.

#### SCHEDULE-V

[See rule (227)]

#### Contents of Ambulance Van or Carriage

The Ambulance Van shall have equipment prescribed as under:

(a) **General.**—A portable stretcher with folding and adjusting devices with the head of the stretcher capable of being tilted upward. Fixed suction unit with equipment. Fixed oxygen supply with equipment. Pillow with case sheets, blankets, towels, emergency bag, bed pan, urinal glass.

(b) **Safety equipment.**—Flaros with life of 3000 minutes, floor, light, flash lights, fire-extinguishers (dry power type), insulated guntlets.

(c) **Emergency care equipment.**—(i) **Resuscitation.**—Portable suction unit, portable oxygen unit, bag-valve mask, head operated artificial ventilation unit, airways, mouthgagtracheostomy adapters, short spine board, I.V. fluids with administration units, B.P. manometer-cuff-stethoscope.

(ii) **Immobilisation.**—Long and short padded boards, wire ladder splints, triangular bandage-long and short spine boards.

(iii) **Dressing.**—Guaze pads –100 mm x 100 mm- universal dressing 250mm x 1000 mm, roll of aluminum foils- soft roller bandages 150mm x 5mm, yards-adhesive tap in 75 mm roll-safety pins, bandage sheets, burn sheets.

(iv) **Poisoning.**—Syrup of ipecac activated charcoal prepackaged dose, snake bite kit, drinking water.

(v) **Emergency medicine.**—As per requirement (under the advice of CMO).

### SCHEDULE-VI

[See rule 34)

#### PERMISSIBLE EXPOSURE IN CASES OF CONTINUOUS NOISE

Total time of exposure (continuous or a Number of short- term exposures) per day	Sound pressure level in dBA. In hours.
(1)	(2)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
¾	107
½	110
¼	115

*Notes:*—1. No exposure in excess of 115 dBA is to be permitted.

2. For any period of exposure falling between any figure and the next higher or lower figure as indicated in column 1, the permissible sound pressure level is to be determined by extrapolation on a proportionate basis.

### SCHEDULE-VII

[See rule 81(iv) and 223(a) (iii)]

#### Periodicity of Medical Examination of Building Workers

1. The employer shall arrange a medical examination of all the building workers employed as drivers/ operators of lifting appliances and transport equipments before employing, after illness or injury if, it appears that the illness or injury may affect his fitness and thereafter once in every two years upto the age of forty and once in a year thereafter.

2. Complete and confidential records of medical examination shall be maintained by the employer or the physician authorised by him.

3. The medical examination shall include :

(a) full medical and occupational history.

(b) Clinical examination with particular reference to, -

(i) General Physique:

(ii) *Visio* -Total visual performance using standard orthorator like Titmus vision Tester should be estimated and suitability for placement ascertained in accordance with the prescribed job standards.

(iii) *Hearing* - Persons with normal hearing must be able to hear a forced whisper at 24 feet. Persons using hearing must be able to hear a warning about under noisy conditions.

(iv) *Breathing* - Peak flow rate using standard peak flow meter and the average peak flow rate determined out of these readings of the test performed, the results recorded at pre- placement medical examination could be used as a standard for the same individual at the same attitude for reference during subsequent examination.

(v) *Upper Limbs*-Adequate arm function and grip (both arms)

(vi) *Lower Limbs*-Adequate leg and foot function.

(vii) *Spin*-Adequate flexible for the job concerned.

(viii) *Genera.*-Mental alertness and stability with good eye, hand and foot co-ordination

(c) Any other tests which the examining doctor considers necessary.

### SCHEDULE-VIII

[See rules 209(1) and 209(2)]

#### Number of Safety Officers, Qualification, Duties Etc.

##### Appointment of Safety Officers

**No. of safety officers.**—Within six months of coming into operation of these rules, every establishment employing more than 500 building workers and every other employer of building worker shall appoint safety officers as laid down in the scale given below:—

1. Upto 1000 building workers-one safety officer:
2. Upto 2000 building workers-two safety officers:
3. Upto 5000 building workers-three safety officers:
4. Upto 10,000 building workers-four safety officers.

For every additional 5000 building workers or part thereof one safety officer.

Any appointment, when made shall be notified to the inspector giving full details of the qualification, terms and conditions of service.

**Qualification.**—(a) A person shall not be eligible for appointment as a safety officer unless he/she:

(i) possesses a recognized degree in any branch of engineering or technology and had a practical experience of working in a building or other construction work in supervisory capacity for a period of not less than 2 years or possesses a recognized diploma in any branch of engineering or technology and has had practical experience of building or other construction work in supervisory capacity for a period of not less than 5 years;

(ii) possesses a degree or diploma in industrial safety with at least one paper in construction safety (as elective) and recognized by the State Government in this behalf; and

(iii) has adequate knowledge of the language spoken by majority of building workers from the construction site in which he is to be appointed.

(b) Notwithstanding the provisions contained in clause (a) any person who,

(i) possesses a recognized degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5 years in the department of State Government which deals with the administration of the Factories Act, 1948 and or Dock Workers (Safety, Health and Welfare Act, 1986 and or Building or Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.

(ii) possesses a recognized degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5 years training education constancy or research in the field of accident prevention in industry or in any part or in any institution or in any establishment dealing with building or other construction work shall also be eligible for appointment as a safety officer;

Provided that, in case of person who has been working as safety officer in industry or port or in any institution or in any establishment dealing with building or other construction work for a period of- not less than 3 years on the date of commencement of these rules, the Chief Inspector may, subject to such conditions that he may specify, relax all or any of the above said qualification.

**Condition of service.**—(a) where number of safety officers appointed exceeds one, one of them shall be designated as Chief safety Officer and shall have the status higher than the others. The Chief safety Officer shall be in over all charge of the safety functions as a envisaged in sub-clause (IV) and also other safety Officers working under his control.

(b) The Chief Safety Officer or Safety Officer, where only one safety officer is appointed shall be given the status of chief executive and he shall work directly under the control of his Chief Executive. All other safety Officers shall be given appropriate status to enable them to dispatch their functions effectively.

(c) The scale of pay and allowances to be granted to the safety officers including the Chief Safety Officers and the other conditions of their service shall be the same as those of the officers of corresponding status of the establishment in which they are employed.

**Duties of Safety Officer.**—(a) The duties of a Safety Officer shall be to advice and assist the employer in the fulfillment of his obligations, statutory or otherwise concerning prevention of personal injuries and maintaining a safe working environment. These duties shall include the following, namely.—

- (i) to advise the building workers in planning and organizing measures necessary for effective control of personal injuries;
- (ii) to advise on safety aspects in a building or other construction work and to carry out detailed safety studies of selected activities;
- (iii) to check and evaluate the effectiveness of action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries;
- (iv) to advise purchasing and ensuring high quality of personal protective equipment conforming to national standards;

- (v) to carry out safety inspections of building or other construction work in order to observe the physical conditions of work and the work practices and procedures followed by building workers and to render advice on measures to be adopted for removing unsafe physical conditions and preventing unsafe actions by building workers;
- (vi) to investigate all fatal and selected accidents.
- (vii) to investigate the case of occupational diseases contacted and reportable dangerous occurrences.
- (viii) to advise on the maintenance of such records as are necessary to accidents, dangerous occurrences and occupational diseases;
- (ix) to promote the working of safety committees and to act as an advisor to such committees.
- (x) to organize any association with concerned department, comparing, completions, contests and other activities which will develop and maintain the interest of building workers and establishments and maintain safe conditions of work and procedures.
- (xi) to design and conduct either independently or in collaboration with other agencies suitable training and educational programmes for prevention of accidents to building workers.
- (xii) to frame safe rules and safe working practices in consultation with senior officials of the establishment.
- (xiii) supervise and guide safety precautions to be taken in ports building and other construction work of the establishment.

**Facilities to be provided to safety officer.**—The employer shall provide each safety officer with such facilities, equipment and information that are necessary to enable him to discharge his duties effectively.

**Prohibition of performance of other duties.**—No safety officer shall be required or permitted to do any work which is unconnected to, inconsistent with or detrimental to the performance of the duties prescribed in this Schedule.

**Exemptions.**—Chief Inspector may in writing exempt any employer or other group or employers from any or all provisions to these rules subject to compliance with such alternative arrangements as may be approved by him.

---

**SCHEDULE-IX**  
[See rule (225)]

**HAZARDOUS PROCESS**

1. Roof Work.
2. Steel erection.
3. Work under and over water.
4. Demolition.
5. Work in confined spaces.

---

**SCHEDULE-X**

[See rule 225(b)]

**Services and facilities to be provided in occupational health centres**

1. One full time construction medical officer for building or other construction work, employing workers upto one thousand and one additional construction medical officer for every additional one thousand workers or part thereof.
2. The staff, including one nurse, one dresser- cum- compounder, one sweeper-cum-ward boy with each construction medical officer for full work hours.
3. The occupational health centre with a floor area of minimum fifteen square meters constituting two rooms with smooth walls and impervious service, adequately illuminated and ventilated.
4. Adequate equipment for day to day treatment.
5. Necessary equipment to manage any medical emergency.

---

**SCHEDULE-XI**

[See rules 119(2) and 225(c)]

**Qualification of construction Medical Officer**

1. MBBS degree from a Medical Institute recognised by the Medical Council of India; and
2. Diploma in industrial health or equivalent post- graduate certificate of training in industrial health or health.
3. A Medical Officer having working experience in organisation/ establishment involved in policy, execution and advice and safety and health of workers employed in mines, ports and docs, factories and building and other construction works, for a period of not less than 3 years may subject to the satisfaction the Chief Inspector of Inspections of Building and Constructions may be required to possessing the training referred to in item (2) above.
4. The syllabi of the courses leading to the above certificates and the organization conducting such courses shall be approved by the Government of Himachal Pradesh who may also from time to time prepare a panel of such organizations.
5. Complete particulars including name, qualification and experience of the construction Medical office will be intimated to the Inspector having jurisdiction.



**SCHEDULE-XII**

[See rule 152(a)]

*Permissible levels of certain chemical substances in the work environment*

Sr. No.	Substance	Permissible limit of exposure limit			
		Time-weighted average concentration (TWA)(8hrs.)		Short-term exposure (STEL) (15min)*	
		ppm	Mg/ m <sup>3</sup> **	ppm	Mg/ m <sup>3</sup> **
1	2	3	4	5	6
1.	Acetaldehyde	100	180	150	270
2.	Acetic acid	10	25	15	37
3.	Acetone	750	1780	1000	2375
4.	Aerolein	0.1	0.25	0.3	0.8
5.	Acrylonitrile-Skin(S.C.)	2	4.5	-	-
6.	Aldrine-Skin	-	0.25	-	-
7.	Allyl chloride	1	3	2	6
8.	Ammnoia	25	18	35	27
9.	Aniline-Skin	2	10	-	-
10.	Anisidine (O-,p- isomers)Skin	0.1	0.5	-	-
11.	Arsenic & soluble compounds (as As)	-	0.2	-	-
12.	Benzene (S.C.)	10	30	-	-
13.	Beryllium & compound (As Be) (S.C.)	-	0.002	-	-
14.	Boron trifluoride-C	1	3	-	-
15.	Boromine	0.1	0.7	0.3	2
16.	Butane	800	1900	-	-
17.	2-Butanone (Methyl ethyl Ketone-MBK)	200	590	300	885
18.	n-Butyl acetate	150	710	200	950
19.	n-Butyl	50	150	-	-
20.	Sec/tart. Butyl acetate	200	950	-	-
21.	Butyl mercaptan	1.5	-	-	0.5
22.	Cadmium Dust and salts (as CD)	-	0.05	-	-
23.	Calcium oxide	-	2	-	-
24.	Carbaryl (Sevin)	-	5	-	-
25.	Carbofuran (Furadan)	-	0.1	-	-
26.	Carbon disulphade-Skin	10	30	-	-
27.	Carbon monoxide	50	55	400	440
28.	Carbon tetrachloride-Skin(S.C.)	5	30	-	-
29.	Chlodane-Skin	-	0.5	-	-
30.	Chlorine	1	3	3	9
31.	Chlorobenzene (monochlorobenzene)	75	350	-	-
32.	Chlorofom (S.C.)	10	50	-	-
33.	Bis (Chloromethy) ether (H.C)	0.001	0.005	-	-
34.	Chromic acid and chromates (as Cr.)	-	-	-	-

35.	Chromous salts (as Cr.)	-	0.5	-	-
36.	Copper fume	-0.2	-	-	-
37.	Cotton dust, raw	-	0.2	-	-
38.	Cresolall isoi- ners- Skin	5	22	-	-
39.	Cyanides(as CN)-Skin	-	1	-	-
40.	Cyanogens	10	20	-	-
41.	DDT (Dishloro diphenyl tri chloroethane)	-	1	-	-
42.	Demeton-Skin	0.01	0.1	-	-
43.	Diazinon-Skin	-	0.1	-	-
44.	Dibutyl phthalate	-	5	-	-
45.	Iorvos (DDVP)-Skin Dich	0.1	1	-	-
46.	Dieldrin-Skin	-	0.25	-	-
47.	Dinitrobenzene (all isomers)-Skin	0.15	1	-	-
48.	Dinitrotolouence-Skin	-	0.25	-	-
49.	Diphenyl (Biphenyl)	0.2	1.5	-	-
50.	Endosulfan (Thiodan) Skin	-	0.1	-	-
51.	Endrin-Skin	-	0.1	-	-
52.	Ethyl acetate	400	1400	-	-
53.	Ethyl alcohol	1000	1900	-	-
54.	Ethylamine	10	18	-	-
55.	Flurides (as F)	-	2.5	-	-
56.	Flurine	1	2	2	4
57.	Formadehyde (S.C)	1.0	1.5	2	3
58.	Formic acid	5	9	-	-
59.	Gasoline	300	900	500	1500
60.	Hydrazine-Skin(S.C)	0.1	0.1	-	-
61.	Hydrogen chloride-C	5	7	-	-
62.	Hydrogen cyanide-Skin-C	10	10	-	-
63.	Hydrogen fluorine (as F)-C	3	2.5	-	-
64.	Hydrogen peroxide	1	1.5	-	-
65.	Hydrogen sulphide	10	14	-	-
66.	Iodine-C.1	0.1	1	-	-
67.	Iron Oxide Fume (Fe 0) (as Fe)	-	5	-	-
68.	Isoarnyl acetate	100	525	-	-
69.	Isoamiy alcohol	100	360	125	450
70.	Isobutyl alcohol	50	150	-	-
71.	Lead, inorg, dusts and fumes (asPb)	-	0.15	-	-
72.	Lindane-Skin	-	0.5	-	-
73.	Malathion-Skin	-	10	-	-
74.	Manganese dust and compounds	-	5	-	-
75.	Manganese Fume (as Mn)	-	1	-	-
76.	Mercury (as Hg)-Skin	-	-	-	-
	(i) Alkyi compounds	-	0.01	-	0.03
	(ii) All forms except alkyi vapour	-	-	-	-
	(iii) Aryl & inorganic compounds	-	0.05	-	-
		-	0.1	-	-
77.	Methyl Alcohol (Mehanol )-Skin	200	260	250	310

78.	Methyl collosolve (2-Methoxyethanol)-Skin	5	16	-	-
79.	Methyl isobutyl ketone	50	205	75	300
80.	Methyl isocyanate-Skin	0.02	0.05	-	-
81.	Naphthalene	10	50	15	75
82.	Nickel carbonyl (as Ni)	0.05	0.35	-	-
83.	Nitric acid	2	5	4	10
84.	Nitric oxide	25	30	-	-
85.	Nitrobenzene-Skin	1	5	-	-
86.	Nitrogen dioxide	3	6	5	10
87.	Oil mist, mineral	-	5	-	10
88.	Ozone	0.8	0.2	0.3	0.6
89.	Parathion-Skin	-	0.1	-	-
90.	Phenol-Skin	5	19	-	-
91.	Phorate (Thimet)-Skm	-	0.05	-	0.2
92.	Phosgene (Carbonyl chloride)	0.1	0.4	-	-
93.	Phosphine	0.3	0.4	1	1
94.	Phosphoric acid	-	1	-	3
95.	Phosphorus (yellow)	-	0.1	-	-
96.	Phosphorus pentachloride	0.1	1	-	-
97.	Phosphorus trichloride	0.2	1.5	0.5	3
98.	Pierie acid-Skin	-	0.1	-	0.3
99.	Pyridine	5	15	-	-
100.	Silane(silicon tetrahydride) 5	7	-	-	-
101.	Sodium hydroxide-C	-	2	-	-
102.	Styrene, monomer (Phenylethylene)	50	215	100	425
103.	Sulphur dioxide	2	5	5	10
104.	Sulphur hexafluoride	1000	6000	--	
105.	Sulphuric acid	-	1	-	-
106.	Tetraethyl lead (as Pb)-Skin	-	0.1	-	-
107.	Toluene (Toluol)	100	375	150	560
108.	0-Toluidine-Skin(S.C)	2	9	-	-
109.	Tributyl phosphate	0.2	2.5	-	-
110.	Trichloroethylene	50	270	200	1080
111.	Uranium, natural (as U)	-	0.2	-	0.6
112.	Vinyl chloride (H.C)	5	10	-	-
113.	Welding fumes	-	5	-	-
114.	Xylene (o-,m-p-isomers)	100	435	150	655
115.	Zinc oxide				
	(i) Fume	-	5.0	-	10
	(ii) Dust (Total dust)	-	10	-	-
116.	Zirconium compounds (as Zr)	-	5	-	10

**Ppm:** Parts of vapour or gas per million parts of contaminated air by volume at 25C and 760 mm of Hg.

**Mg/m:** milligram of substance per cubic metre of air.

\* Not more than 4 times a day with atleast 60 min. intervals between successive exposures.

$$** \text{ mg/ m}^3 = \frac{\text{Molecular weight}}{24.45} \times \text{X ppm}$$

**G** denotes Ceiling Limit.

**Skin** denotes potential contribution to the overall exposure by the coetaneous route including mucous membranes and eye.

**S.C.** denotes Suspected Human Carcinogen.

**H.C.** denotes Confirmed Human Carcinogen.

Substance	Permissible time-weighted average concentration (TWA) (8 Hrs.)
Silica, SiO	
(a) Crystalline	
(i) Quartz	
1. In terms of dust count	10600 m ppm
	% Quartz=10
2. In terms of respirable dust	10 mg/ m <sup>3</sup>
	% Respirable Quartz+ 2
3. In terms of total dust	30 mg/ m <sup>3</sup>
	% Quartz+ 3
(ii) Cristobalite	Half the limits given against quartz
(iii) Tridmite	Half the limits given against quartz.
(iv) Silica fused	Same limits as for quartz.
(v) Tripoli	Same limits as in formula in item (2) given against quartz
(b) Amorphous Silicates	10 mg/m <sup>3</sup> , Total dust
Asbestos (h.C.)	*2 fibres/ml, greater than 5 m in length and less than 3 m in the breadth ratio equal to or greater Than 5 m in breadth ratio equal to or greater than 3:1
Portland Cement	10 mg/m <sup>3</sup> , Total dust containing less than 1% quartz.
Coal Dust	2 mg/m <sup>3</sup> , respirable dust fraction containing less than 5% quartz.

**mmpcm:** Million particles per cubic meter of air, based on impinger samples counted by light- field techniques.

\* As determined by the membrane filter method at 400- 450 x magnification (4 mm objectives) phase contrast illumination.

\* Respirable Dust:

Fraction passing a size-selector with the following characteristics:

Aerodynamic Diameter (m) unit density (sphere)	% passing selector
<2	90
2.5	75
3.5	50
5.0	25
10	00

**FORM-I**

[See rule 23(1)]

**Application for Registration of Establishments Employing Building Workers**

1. Name and address of the Employer:
2. Name and location of the Establishment  
Where building or other construction work is to be carried on:
3. Postal address of the Establishment:
4. Full name and permanent address, if any, of the Establishment:
5. Full name and address of the Manager or person responsible for the supervision and control of the Establishment;
6. Nature of building or other construction work carried/is to be carried on in the Establishment;
7. Maximum number of building workers to be employed on any day;
8. Anticipated date of completion of the building or other construction work;
9. Anticipated date of completion of the building or other construction Work;
10. Particulars of demand draft enclosed

**DECLARATION BY EMPLOYER**

1. I hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.
2. I undertake to abide by the provisions of the building and other Construction Workers (Regulation of Employment and condition of Service) Act, 1996 and the Rules made there under.

(For Office use)

**Signature of the Employer  
or other authorized person.  
Office of the Registering  
Officer.**

(under the Building and other Construction Act, 1996 & the Rules made there under.)

Date of receipt of application:

**FORM-II**

[See rule 24(1)]

No. .... Date .....

**Government of Himachal Pradesh****Office of the Registering Officer**

A Certificate of Registration is hereby granted under sub- section (3) of section 7 of the Building and other Construction Work (Registration of Employment and conditions of Service) Act, 1996 and the Rules made thereunder, to M/s.....having the following particulars subject to conditions laid down in the Annexure:

1. Postal address/location where building or other construction work is to be carried on by the employer.
2. Name and address of the Employer including location of the building and other construction work.
3. Name and permanent address of the establishment.
4. Nature of work in which building workers are employed or are to be employed.
5. Maximum number of building workers to be employed on any day by the employer.
6. Probable date of commencement and completion of work.
7. Other particulars relevant to the employment of building workers.

**(Signature of Registering  
Officer)**

*(With seal)*

**Annexure.**

The registration granted hereinabove is subject to the following conditions, namely:-

- (a) the certificate of registration shall be non-transferable.
- (b) the number of workmen employed or building workers in the establishment shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the certificate of registration;
- (c) save as provided in these rules, the fees paid for the grant of registration certificate shall be non-refundable;
- (d) the rates of wages payable to building workers by the employer shall not be less than the rates prescribed under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) for such employment where applicable, and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates so fixed; and
- (e) the employer shall comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

**FORM-III**

[See rules 24(2) and 25(2)]

**Register of Establishments**

Sr. No.	Registration No. and Date	Name and address, location of the establishment registered where a building or other construction is to be carried on	Name of the employer and his address	Nature of building or other construction work
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Name and permanent address of Establishment	Probable date of commencement of work	Maximum No. of building workers to be employed on any day	Probable duration of building or other construction work & probable date of completion	Remarks
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

**FORM-IV**

[See rules 26(3) and 238(1)]

**Notice of commencement /completion of building and other construction work**

1. (i) Name and address (permanent) of the establishment.....  
.....  
(ii) Name of the Employer and address.....  
.....
2. Name and situation of place where the building and other construction is proposed to be carried on.....
3. Number and date of Certificate of registration.....
4. Name and address of the person Incharge of the construction work.....  
.....
5. Address to which the communication relating to building or other construction work may be sent.....  
.....
6. Nature of work involved and the facilities including plant or machinery provided.....  
.....
7. The arrangement/ storage of explosives if any to be used in building or other construction work.....  
.....
8. In case the notice is for commencement of work, the approximate duration of work.  
.....  
.....I/We hereby intimate that the building or other construction work (Name of work) having registration number ....., dated ..... is likely to commence /is likely to be completed with effect from ..... (date) /on (date).

**(Signature of the Employer)**

To,

The Inspector,

.....

.....

**FORM-V**

[See rules 56 and 73(b) Schedule I]

**CERTIFICATE OF INITIAL AND PERIODICAL TEST AND EXAMINATION  
OF WINCHES, DERRICKS AND THEIR ACCESSORY GEAR**

Test Certificate No.....

- (a) In case of construction site, name of the construction site where lifting appliances a fitted/located :

<i>Situation and Description of lifting appliances and gear with distinguishing number or marks (if any) which have been tested, thoroughly examined</i>	<i>Angle to the horizontal of derrick boom at which test load applied</i>	<i>Test load applied</i>	<i>Safe working load at the angle shown in column(2)</i>
1	2	3	4
	(Degrees)	(Tonnes)	(Tonnes)

5. Name and address of public service, association, company, or firm or testing establishment making the test and examination.

6. Name and position of the Competent person of public service, association, company or firm or testing establishment.

I certify that on the ----- day of -----20-----the lifting appliance shown in Col (1) together with its necessary gear was tested in the manner set forth overleaf in my presence that a careful examination of the said lifting appliances after the test showed that it had with stood the test load without injury or permanent deformation and that the safe working load of the said lifting appliance and accessory gear is as shown in column (4)

Date..... Seal

**Signature of the Competent Person-egistration/  
Authority number of the competent person.**



**FORM-VI**

[See rules 56 and 74(b)]

**CERTIFICATE OF INITIAL AND PERIODICAL TEST AND EXAMINATION OF  
CRANES OR HOISTS AND THEIR ACCESSORY  
GEAR**

Test Certificate No.....

(a) Name of the construction site where Cranes or hoists are fitted/ located:

<i>Situation and Description</i>	<i>For jib cranes radius at the test load was applied</i>	<i>Test load applied</i>	<i>Safe working load for jib cranes at radius shown in column (2)</i>
1	2	3	4
	(Meters)	(Meters)	(Tonnes)

5. Name and address of public service, association or firm or testing establishment making the test and examination.
6. Name and position of Competent Person of public service, association, company or Firm or testing establishment.

I certify that on the .....day of .....the above lifting appliances together with its accessory gear, was tested in the manner set forth overleaf that a careful examination of the said lifting appliance and gear after the test showed that it had withstood the test load without injury or permanent deformation; and the safe working load of the said lifting appliance and gear is as shown in column (4).

Date.....

Seal

**Signature of the Competent Person.**  
**Registration/Authority**  
**Number of the Competent person.**

**FORM-VII**

[See rules 69 and 74(b) (ii)]

**CERTIFICATE OF INITIAL AND PERIODICAL TESTS AND  
EXAMINATION OF LOOSE GEARS**

Test Certificate No.....

(a) Name of the construction site Where loose gears are fitted /located.

<i>Distinguishing Number or mark</i>	<i>Description dimension and material of gear/device</i>	<i>Number tested</i>	<i>Date of test)</i>	<i>Test load applied (Tonnes</i>	<i>Safe Working load (Tonnes)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

7. Name and address of manufacturer or suppliers:
8. Initial test and examination certificate No. and date (only in case of periodical test and examination)
9. Name and address of public service, Association Company or firm or testing Establishment making the test and examination.
10. Name and position of Competent Person in public service, association, company or Firm or testing establishment.

I certify that on the .....day of .....200 above gear was tested and examined in the manner set forth overleaf ; the examination showed the said/gear /device withstood the test load without injury or deformation and that the safe working load of the said gear/device is as shown in column 6.

Date..... Seal

*Signature of the Competent Person.  
Registration/Authority number  
of the Competent person.*

\_\_\_\_\_

**FORM-VIII**

[See rules 71and 74(b)]

**CERTIFICATE OF TEST AND EXAMINATION OF WIRE ROPE BEFORE BEING  
TAKEN INTO USE**

Test Certificate No.....

- (1) Name and address of maker or supplier :
- (2) (a) Circumference /diameter of rope  
(b) Number of strand  
(c) Number of wire per strand  
(d) Lay  
(e) Core.
- (3) Quality of wire(e.g. Best Plough steel)
- (4) (a) Date of test of sample of rope  
(b) Load at which sample broke (tonnes)  
(c) Safe working load of rope(tonnes)  
(d) Intended use.
- (5) Name and address of public service, Association, company firm or testing Establishment

- making the test and examination.
- (6) Name and position of competent in public service, association, company or firm or testing Establishment making the test and examination.

I certify that the above particulars are correct, and that the test and examination were carried out by me and no defect affecting its safe working load (SWL) were found.

Date..... Seal

**Signature of the Competent Person.  
Registration/Authority number of  
the Competent person.**

**FORM-IX**

[See rules 72 and 74(b)]

**CERTIFICATE OF ANNEALING OF LOOSE GEARS**

Test Certificate No.....

Name of the Construction site where loose Gears are fitted/located

<i>Distinguishing Number or mark</i>	<i>Description of gear</i>	<i>Number of the certificate of test &amp; examination</i>	<i>Number annealed</i>	<i>Date of annealing</i>	<i>Defects found at careful inspection after annealing</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

7. Name and address of public service, Association, company or firm or testing establishment carrying out the annealing and inspection.
8. Name and position of Competent Person in Public service, association, company, or firm or testing establishment.

I certify that on the date shown in column (5) the gear described in columns (1) to (4) was effectively annealed under my supervision that after being so annealed every article was carefully inspected and that no defects affecting its safe working condition were found other than those indicated in column (6)

Date..... Seal

**Signature of the Competent Person.  
Registration/Authority number of  
the Competent person.**

**FORM-X**

[See rules 69 and 73]

**CERTIFICATE OF ANNUAL THOROUGH EXAMINATION OF LOOSE  
GEARS EXEMPTED FROM ANNEALING**

Name of the Construction Site where loose gears are fitted/ located:

<i>Distinguishing number or mark</i>	<i>Description of Gear</i>	<i>Number of certificate of initial and periodical test and examination</i>	<i>Remarks</i>
(1)	(2)	(3)	(4)

5. Name and address of public service, association, company or firm or testing establishment making the test and examination
6. Name and position of Competent Person in Public service, association, company or firm or testing establishment.

I certify that on the ----- day of----- 20\_\_\_\_. The above gear described in column (2) was thoroughly examined that no defects affecting its safe working condition were found other than those indicated in column (4)

Date..... Seal

**Signature of the Competent Person.  
Registration/ Authority number of  
the Competent person.**

**FORM-XI**

[See rule 223(c)]

## Certificate of Medical Examination

1. Certificate Serial No.....

Date.....

Date .....

2. Name

.....

Identification marks: 1. ....

2. ....

3. Fathers name .....

4. Sex .....

5. Residence .....Son/ Daughter/ Wife of Shri .....

.....

6. Date of birth, if available

.....

Certificate age

7. Physical

fitness.....  
.....

I hereby certify that I have personally examined (name)-----  
Son/daughter/Wife of.....residing at.....  
.....who is desirous of being employed in building and construction work and that his/  
her age as nearly as can be ascertained from my examination ..... Years and that he/ she is fit  
for employment in ..... as an adult/ adolescent.

8. Reason for

1. Refusal of certificate

.....  
.....  
.....

2. Certificate being revoked.-----

-----  
-----

**Signature/Left hand thumb  
Impression of building worker**

**Signature with seal  
Medical Inspector/ C.M.O.**

*Note:*—1. Exact details of cause of physical disability should be clearly stated.  
2. Functional/ productive abilities should also be stated if disability is stated.

**FORM-XII**

[See rule 223(d)]

**Health Register**

(In respect of persons employed in Building and other construction work involving hazardous processes)

Name of the Construction Medical Officer/ Medical Inspector

(a) Mr.....From.....to.....  
(b) Mr.....From.....to.....  
(c) Mr.....From.....to.....

Sr. No	Works No.	Name of Building worker	Sex	Age (Last birthday)	Date of employment of present work	Date of leaving or transfer to other work
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1.						
2.						

Reasons for leaving transfer or discharge	Nature of job or occupation	Raw Material or by-product handled	Date of Medical examination by certifying Surgeon Medical Inspector/ CMO	Result of medical examination	If suspended from work state period of suspension with detailed reasons
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Certified fit to resume duty on with signature of Medical Inspector/CMO	If certificate of unfitness or suspension issued to worker
(14)	(15)

**Signature with date of Medical Inspector/ CMO**

Note: (i) Column (8) - Detailed summary of reason for transfer or discharge should be stated.

(ii) Column (11) should be expressed as fit/ unfit/ suspended.

**FORM-XIII**  
[See rule (230) (2)]

**Notice of Poisoning or Occupational Notifiable diseases**

1. Name and address of the Employer.....
2. Name of the building workers and his work no. if any.....
3. Address of the building worker.....
4. Sex and age.....
5. Occupation.....
6. State exactly what the patient was doing at the time of contacting the Disease  
.....
7. Nature of poisoning or disease from which the building worker is suffering from  
.....

Date

**Signature of the Employer/CMD**

*Note:* When a building worker contacts any disease specified in schedule 6 a notice in this form shall be send forthwith to the Chief Inspector.

**FORM-XIV**  
[See rule 210(7)]

**Report of Accident and Dangerous Occurrences**

1. Name of the Project/ work

2. Location of project/ work

3. Stage of construction work

4. Particular of employer

(a) Main contractor firm/company

(b) sub contractors particulars

Name:

Name:

Address :

Address:

Phone Numbers :

Phone Numbers:

Nature of Business

Nature of Business:

5. Particulars of injured-person:

(a) Name .....

(First)

(Middle)

(Surname)

(b) Home

Address:.....

(c) Occupation

(d) Status of the worker: Casual/Permanent

(e) Sex: Male/Female

(f) Age:

(g) Experience:

(h) Marital Status: Married/Unmarried/Divorced.

6. Particulars of Accident:

(a) Exact place where accident occurred

(b) Date

(c) Time:

(c) What the injured person was doing at the time of accident

(d) Weather condition

(e) How long employed by you for this particular job

(f) Particulars of equipment/machine/tool involved and condition of the same after the accident occurred.

(g) Brief description of the accident

7. Nature of injuries

(a) Fatal

(b) Non-Fatal

(c) If non- fatal, state precisely the nature of injuries (*Describe in detail the nature of injury, for instance fracture of right arm sprain etc.*)

(d) First aid: Given/Not Given

(d) If not, give the reasons

(e) Name and designation of the person by whom first aid was given

(f) If admitted to hospital, Name of the Hospital

Address of the Hospital

Phone No: ..... Name of the Doctor: .....

## 8. Mode of Transport used:

Ambulance      Truck      Tempo      Taxi      Private Car

9. (a) How much time was taken to shift the injured person. If very late, state the reasons

(b) How the reporting was made?

Telephone

Telegram

Special Messenger

Letter

(c) Who visited the accident site first and what action was proposed by him

(d) What are the actions taken for the investigation of the accident by the employer describe about photographs/ video film/ Measurement taken etc.

## 10. Particulars of the person given witness:

(a) Name Address Occupation

1. ....

2. ....

3. ....

(a) Whether temporary/ permanent

## 11. Particulars in case of fatal:

Date: ..... Time: ..... Place: .....

Whether registered with Building and other Construction

Workers Welfare Board (If yes, give Reg. No.)

## 12. Dangerous Occurrences as covered under the Regulation No. (give details)

(a) collapse of failure of lifting appliances, hoist, conveyors etc.

(b) collapse or subsidence of soil, any wall, floor, gallery etc.

(c) collapse of transmission towers, pipelines, bridges etc.

(d) explosion of receiver, vessel etc.

(e) fire and explosion

(f) spillage or leakage of hazardous substances.

(g) Collapse, capsizing toppling or collision of transport Equipment.

(h) failure of lifting appliance, loose gear, hoist or building and other construction work machinery, transport equipment etc.

## 13. Certificate from the Employer or authorised signatory.

I certify that to the best of my knowledge and belief, the above particulars are correct in every respect.

Place:

**Signature  
Designation**



c.c. Forwarded for information and follow-up action:

1. ....
2. ....
3. ....

Note : If more than one person is involved then for each persons information is to be filled-up in separate forms.

**FORM-XV**  
[See rule 240]

**Register of Building Workers Employed by the employer**

Name & Address of establishment where building and other construction work is to be carried on  Nature and location of work:	Name and permanent address of establishment

S.No.	Name and surname of workman	Age and sex	Father's/Husband's name	Nature of Employment/ Designation	Permanent home address of workman (Village Taluk and District)
1	2	3	4	5	6

Local Address	Date of commencement of employment	Signature or thumb impression of workmen	Date of termination of employer	Reasons for termination
7	8	9	10	11

If the building worker is/was beneficiary, the date of registration as a beneficiary, the registration No. and the name of Welfare Board	Remarks
12	13

**FORM-XVI**  
[See rule 241(1) (a)]

**Muster Roll**

Name & Address of establishment where building and other construction work is to be carried on				Name and permanent address of establishment	
				For the Month of .....	
<i>Sr. No.</i>	<i>Name of the building worker</i>	<i>Sex</i>	<i>Father's/ Husband's name</i>	<i>Date</i> 1 2 3 4 5	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6

**FORM-XVII**  
[See rule 241 (1)(a)]

**Register of Wages**

Name & Address of establishment where building and other construction work is to be carried on Nature of building or other construction work			Name and permanent address of establishment		
			Name and address of the employer		
			Wage period Monthly		
<i>S.No.</i>	<i>Name of workman</i> 2	<i>S. No. in the register of workman</i>	<i>Designation/ nature of work done</i>	<i>No. of days worked</i>	<i>Units of work done</i>
1	2	3	4	5	6

<i>Daily rates of wages/piece rates</i>	<i>Basic wages</i>	<i>Dearness Allowances</i>	<i>Overtime</i>	<i>Other cash payments (Nature of payment to be indicated)</i>	<i>Total</i>
7	8	9	10	11	12

<i>Deduction if any (indicate nature)</i>	<i>Net amount</i>	<i>Signature/ Thumb impression of workman</i>	<i>Initial of employer/or his representative</i>
13	14	15	16

**FORM-XVIII**  
[See rule 241(1) (a)]

**Form of Register of Wages-cum-Muster Roll**

Name & Address of establishment where building and other construction work is to be carried on Nature of building or other construction work	Name and permanent address of establishment
---	---

<i>S. No.</i>	<i>Sr. No. in Register of building workers</i>	<i>Name of employee</i>	<i>Designation/ nature of work</i>	<i>Daily attendance/ units worked</i>	<i>Total attendance units of work done</i>
1	2	3	4	5	6

<i>Daily rate of wages/piece-rate</i>	<i>Basic wages</i>	<i>Dearness Allowances</i>	<i>Overtime</i>	<i>Other cash payments (Nature of payment to be indicated)</i>	<i>Total</i>
7	8	9	10	11	12

<i>Deduction if any (indicate nature)</i>	<i>Net amount</i>	<i>Signature/Thumb impression of workman</i>	<i>Initial of employer/ or his representative</i>
13	14	15	16

**FORM-XIX**

[See rule 241(1) (b)]

**Register of Deductions for damage or Loss**

Name & Address of establishment where building and other construction work is to be carried on			Name and permanent address of establishment		
Nature of building or other construction work					
				Name and address of the employer	
				Wage period Monthly	
<i>S.No.</i>	<i>Name of work</i>	<i>Father's/ Husband's name</i>	<i>Designation/ Nature of employment</i>	<i>Particulars of damage/Loss</i>	<i>Date of damage or loss</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Whether building worker showed</i>	<i>Name of persons in whose</i>	<i>No. of installment</i>	<i>First installment</i>	<i>Last Installment</i>	<i>Amount of deduction</i>

<i>cause against deduction</i>	<i>presence building workers explanation was heard.</i>				<i>imposed</i>
7.	8.	9.	10.	11.	12.

**FORM-XX**

[See rule 241(1) (b)]

**Register of Fines**

Name & Address of establishment where building and other construction work is to be carried on			Name and permanent address of establishment			
Nature of building or other construction work						
				Name and address of the employer		
				Wage period Monthly		
<i>S.No.</i>	<i>Name of building worker</i>	<i>Father's/ Husband's name</i>	<i>Designation/Nature of employment</i>	<i>Ac/ Omission for which fine imposed</i>	<i>Date of Offence</i>	
1.	2.	3.	4	5.	6.	
<i>Whether building worker</i>		<i>Name of persons in</i>	<i>Wage periods</i>	<i>Amount of fine</i>	<i>Date on which fine</i>	<i>Remarks.</i>

<i>showed cause against fine</i>	<i>whose presence building workers explanation was heard.</i>	<i>and wages payable</i>	<i>imposed</i>	<i>realised</i>	
7	8.	9.	10.	11.	12.

**FORM-XXI**

[See rule 241(1) (b)]

**Register of Advances.**

Name & Address of establishment where building and other construction work is to be carried on Nature of building or other construction work			Name and permanent address of establishment		
			Name and address of the employer		
<i>S. No.</i>	<i>Name</i>	<i>Father's/ Husband's name</i>	<i>Designation/ Nature of employment</i>	<i>Wage period and wages payable</i>	<i>Date and amount of advance given</i>
1	2	3	4	5	6
<i>Purpose (s) for which advance is sought</i>		<i>No. of installments by which advance to be repaid</i>	<i>Date and amount of each installment repaid</i>	<i>Date on which last installment was repaid.</i>	<i>Remarks.</i>
7		8	9	10	11

**FORM-XXII**

[See Rule 241 (1) (c)]

**Register of Overtime.**

Name & Address of establishment where building and other construction work is to be carried on			Name and permanent address of establishment		
<i>S. No.</i>	<i>Name of the building worker</i>	<i>Father's/ Husband's name</i>	<i>Sex</i>	<i>Designation/ Nature of employment</i>	<i>Date on which over time worked</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.

<i>Total over time worked or production in case of piece rate</i>	<i>Normal rate of wage</i>	<i>Over time rate of wages</i>	<i>Over time earnings</i>	<i>Date on which over time wages paid</i>	<i>Remarks.</i>
7.	8.	9.	10.	11.	12.

**FORM-XXIII**

[See rule 241 (2) (a)]

**Wage Book**

1. Number of days worked
2. Number of units worked in case of piece rate workers
3. Rate of daily/ monthly wages/ piece rates
4. Amount of over time wages
5. Gross wages payable.
6. Deductions, if any, on account of the following;
  - (a) Fines
  - (b) damage or loss
  - (c) loans and advances
  - (d) Subscription towards provident fund
  - (e) Subscription towards the fund of the building worker welfare
  - (f) Any other deduction e.g. subscriptions to Co- operative Society or account of loans from Co- operative Society/ housing loan, or contribution to any relief fund as per provision of clause (P) of subsection (2) of Section 7 of Payment of Wages Act or for payment of any premium of Life Insurance Corporation.
7. Net amount of wages paid

**Initial of the Employer or his  
Representative.**

**FORM-XXIV**

[See rule 241 (1) (b)]

**Service certificate**

Name and permanent address of the establishment	Name and address/ location where the building or other construction work carried on/ to be carried on
Nature and location of the work Name and address of the workman Age and Date of birth Identification marks Fathers/ Husbands name	

Sr. No.	Total period for which employed		Nature of work done	Rate of wages (with particulars of unit in case of piece work)	If the building worker was beneficiary his registration No., date and the name of the board
	From	To			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Reasons/ grounds on which the employment terminated				Remarks	
(7)				(8)	

(Signature of the Employer)

**FORM-XXV**

[See rule 242]

Annual return of employer to be sent to the registering officer Year ending 31<sup>st</sup> December.

1. Full name and full address of the establishment of the building and other construction work (Place, Post Office, District)
2. Name and permanent address of the establishment
3. Name and address of the employer
4. Nature of building and other construction work carried on
5. Full name of the Manager or person responsible for supervision and control of the establishment
6. Number of building worker ordinarily employed
7. Total number of days during the year on which building workers during were employed
8. Total number of man days worked by building workers during the year
9. Maximum number of building workers employed on any day during the year
10. The number of accidents that took place during the year as under;
  - (a) The total number of accidents.
  - (b) The number of accidents resulting disablement of building worker for less than 48 hours, the no. of building workers involved and the number of man days lost.
  - (c) The number of accidents resulting in disablement of building workers beyond 48 hours but not resulting any permanent partial permanent total disablement, the no. of building workers involved and the number of man days lost on account of such accidents
  - (d) The number of accidents resulting in permanent partial or total disablement, the no. of building workers involved and the no. of man days lost on account of such accidents.
  - (e) The number of accidents resulting in deaths of building workers and the number of resultant deaths, the Inspectors appointed by the State Government, under the Act



shall direct the owners of establishments registered under this Act, to send the copies of Annual returns submitted by the employers of registered establishments in respect of the concerned State Government or appropriate Government to the Chief Inspector of the provisions by section 60 of the Act.

11. Change, if any, in the management of the establishment, its location or any other particulars furnished to the Registering Officer, in the application for registration indicating also the dates.

Place

Date

(Signature of the Employer)

**FORM-XXVI**

[See rule 74 (b)]

**PART- I.**

**Register of Periodical Test- Examination of lifting appliance and gears etc.**

**Initial and periodical load test of lifting appliances and their annual thorough examination**

“Thorough examination” means a visual examination, supplemented, if necessary, by other means such as a hammer test, carried out as carefully as the conditions permit, in order to arrive at a reliable conclusion as to the safety of the parts examined, and if necessary for such examination parts of the lifting appliances and gear shall be dismantled.

**(A)**

**Initial and periodical load test of lifting appliances.**

Situation and description of lifting appliances tested with distinguishing number of marks, if any.	No. of certificate of test and examination of competent person	I certify that on the date on which I have appended my signature the lifting appliance shown in column (1) was tested and no defects affecting its safe working condition were found other than those shown in column (5)	Remarks (to be signed and date)

		Date and signature with seal	Date and signature with seal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**(B)****Annual thorough examination.**

I certify that on the date to which I have appended my signature, the lifting appliance shown in column (1) was thoroughly examined and no defects affecting its safe working conditions were found other than those shown in column (12).

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Note.—If all the lifting appliances are thoroughly examined on the same date it will be sufficient to enter in column (1) “All lifting appliances”. If not, the parts which have been thoroughly examined on the dates must be clearly indicated.

**PART-II****Initial and periodical load test of loose gears and annual thorough examination List of loose gear:**

The following classes of loose gears namely:-

1. Chains made of malleable iron;
2. Plate link chains;
3. Chains, rings, hooks, shackles and swivels made of steel;
4. Pitched chains;
5. Rings, hooks, shackles and swivels permanently attached to pitched chains, pulley blocks, container, spreaders, trays, slings, baskets, etc, and any other similar gear;
6. Hooks and swivels having screw-threaded parts or ball bearing or other casehardened parts; and
7. Bordeaux connections.

**Initial test and periodical load test of loose gears**

Distinguishing No. and marks	Description of loose gear tested and examined	No. of certificates of test and examination of competent person	I certify that on the date on which, I have appended my signature the lifting appliance shown in column (1) and (2) was thoroughly examined and no defects effecting its safe working condition were found other than those shown in column (6)		Remarks to be signed and dated
			Date and signature with seal	Date and signature with seal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					

2.					
3.					
4.					
5.					

I certify that on the date to which, I have appended my signature, the loose gears shown in column (1) and (2) were thoroughly examined by me and no defects affecting their safe working conditions were found other than those shown in column (10).

(7)	(8)	(9)	(10)

**PART-III**

**Annealing of chains, rings, hooks, shackles and swivels (other than those exempted)**

(See Part- II)

12.5 mm and smaller chains, rings, hooks, shackles and swivels in general use other chains, rings, hooks, shackles and swivels in general use.	If used with lifting appliance driven by power, must be annealed once atleast in every six months. If used solely with lifting appliance worked by hand, must be annealed once atleast in every twelve months. If used with lifting appliance driven by power, must be annealed once atleast in twelve months. If used solely with lifting appliance worked by hand, must be annealed once atleast in every two years.

**Note.**—It is recommended though not required by rules- that annealing should be carried out in suitably constructed furnace heated to temperature between 1100 degree and 1300 degree Fahrenheit or 600 degree and 700 degree Centigrade, for a period between 30 and 60 minutes.

Distinguishing No. or mark	Description of gear annealed	No. of the certificate of test and examination	I certify that on the date on which, I have appended my signature, the gear described in column (1) and (2) was effectual annealed under my supervision; that after being so annealed and that no defects effecting its safe working condition were found other than those shown in column (7)			Remarks to be signed and dated
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

**FORM- XXVII**

[See rule 266(4)]

**Application for registration**

1. Name .....
2. Address .....
3. Whether SC/ ST Yes or No .....
4. Name of father .....
5. Marital Status .....
6. Date of birth .....
7. Name address and register No .of the establishment where the applicant is working .....
8. Nature of job/ employment .....
9. E S I/ P F No. ....
10. Name and address of employer .....
11. Total service no. ....
12. Rate of subscription .....
13. Name of bank and branch, where subscription is to be paid .....
14. If the applicant is already a member of any other welfare board, the name of such boards and registration number of the applicant .....

The above facts are true to the best of my knowledge and information.

Place

Date

(Signature of applicant)

**(Name and signature of employer)****FORM- XXVIII**

[See rule 266 (7)]

**Nomination Form**

I nominate the following person/ persons as rightful dependents, to receive all the dues from the fund on my behalf and in the event of my death, as rightful heirs to receive all benefits due to me.

<i>Name and address of Nominee/ Nominees</i>	<i>Relationship with member</i>	<i>Age of nominee</i>	<i>Amount to be given to each nominee</i>

Place

Date

Name Address Registration No  
& Address of the worker.

**FORM- XXIX**

[See rule 274(1)]

Application No. .... Fee Rs. ....

**APPLICATION FOR HBA**

(For new Construction/ Maintenance/ Purchase of Land with building)

1. (a) Name of the applicant  
(b) Permanent Address  
(c) Present address
2. Date of birth
3. Date of retirement
4. (a) Register Number  
(b) Date of Registration  
(c) Rate of remittance  
(d) Total amount remitted  
(e) Date of last remittance  
(f) Total amount remitted  
(g) Whether the membership has ever been received, if so details  
(h) Details of revival
5. Purpose of advance (new construction/ Maintenance/ Purchase of land with building)
6. Whether the applicant has a house of his own (give details)
7. Amount of advance required
8. Details of land property  
(a) Panchayat/ Town  
(b) Village  
(c) Taluk  
(d) District  
(e) Area  
(f) Survey number  
(g) Valuation of the property
9. Whether the applicant has received any other loan for HBA, give detail
10. Estimate for construction/maintenance of building as per plan
11. Details of the amount raised apart from the loan
12. Whether the applicant has received loan previously from this Board

**DECLARATION**

I hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place:

Signature

Date:

Name:

***Details of documents to be produced:***

1. Plan and estimate (approved)
2. Encumbrance Certificate of 14 years

3. Location Certificate
4. Land tax receipt
5. Original documents
6. Attested copy of ration card (Page 2, 4) for maintenance application
7. Ownership of the building (for maintenance only)
8. Terminal benefit declaration
9. Attested copies of identity card and passbook
10. Title clearance certificate
11. Age certificate of the building (for maintenance only)
12. Valuation certificate of the property.
13. No objection certificate from the authorities for construction.
14. Declaration from the applicant that neither he/she/nor his/her spouse or children own a house (for new construction).

### MORTGAGE DEED

This Deed of Mortgage is executed on this the .....day of.....two thousands and .....by Shri/ Smt.....son/ daughter/ wife of .....age.....residing at .....village.....Taluk.....District .....and Shri/Smt.....son/daughter/wife of Shri.....aged.....residing at.....Taluk.....District.....

(hereinafter called the Mortgagor/ Mortgagor which expression shall include his/her/their executors, administrators, legal representatives and assigns) a favour of the State Building and other Construction Workers Welfare Act and having its Chief Office at Shimla (thereinafter called the Mortgage which expression shall include its successors or assigns wherever the context or meaning thereof shall so require or permit).

Whereas the Mortgagor/Mortgager has/have applied to the Mortgagor a loan of Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only) for the construction of a house on the land more particularly mentioned and described in the schedule hereunder written: -

AND WHEREAS on the request of the Mortgager/ Mortgagors the Mortgagee has agreed to lent an advance in two installments to the mortgagor a loan of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty thousand only) subject to the, terms and conditions herein contained and having the repayment thereof, secured in the manner hereinafter expressed.

### NOW THIS DEED WITNESSETH AS FOLLOWS

1. In pursuance of the said agreement and in consideration of the sum of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty thousand only ) now lent and advance/and paid by the Mortgagee to the Mortgagor/Mortgagors hereby transfers/transfer by way of simple Mortgage the immovable property, more particularly mentioned and described in the schedule hereunder written together with the building to be constructed thereon and other improvements thereon from time to time to the intent that of the said property and the building and other construction improvements shall remain and be charged as security for payment to the Mortgagee of the said loan amount interest and cost and the mortgagee shall have the first charge over the same.

2. The loan amount shall be paid to the Mortgagor/by the Mortgagee in two installments that the first installment of a sum of Rs. 20,000/- (Rupees Twenty thousand only) equal to 40% of the loan sanctioned shall be paid to the Mortgagor/ Mortgagors for starting construction, that the second and final Installment of Rs. 30,000/- (Rupees Thirty thousand only) equal to the 60% of the loan shall be paid after the completing the construction of the roof and on starting and finishing works. The construction of the building shall be completed in all respects utilizing the second installment and certificate of completion shall be produced within two months from the receipt of last installments.
3. The installment shall be paid only subject to the availability of funds and the non payment of amounts due to paucity of funds shall not entitle the Mortgagor/ Mortgagors to release any lose that he/she/they may sustain on that account from the Mortgagee.
4. The Mortgagor/Mortgagors hereby assure upto the Mortgagee that he/she/they is are the absolute owners of the property mentioned in the schedule hereto and that they are free from any encumbrance or charge of any description whatsoever or any attachment on restraints on alienation.
5. The Mortgagor/ Mortgagors shall not at any time during the continuance of this security create any Mortgage lien or charge by way of hypothecation, pledge, or otherwise create encumbrance of any kind whatsoever in respect of the properties described in the schedule hereto or any part thereof, or let or lease them except with the prior permission in writing of the Chief Executive Officer, Himachal Pradesh Building and other Construction Workers Welfare Board until the whole amount with interest are fully repaid.
6. The loan shall bear interest at the rate of 5% per annum or such other higher rate of interest as may be fixed by the Mortgagee from time to time.
7. The loan shall be repaid by the Mortgagor/ Mortgagors in monthly installments at the rate as wood be fixed and intimated by the Mortgagee. The first installment becoming due on the expiry of six months from the date of disbursement of the first installment, subsequent installments shall be paid on or before the tenth day of succeeding month for 167 months. Any interest due on the loan amount outstanding on the date of payment of an installment shall be paid along with the installment.
8. At the time of disbursement of the Second installment the Mortgagee shall deduct the interest and other expenses due on the first installment till the date of payment of the second installment. If the Mortgagee pays only a part of the loan amount to the Mortgagor due to the Non- availability of funds such part of the loan shall be repaid by the Mortgagor in installments at the rate as would be fixed and intimated by the Mortgagee.
9. If the Mortgagor/Mortgagors dies/dye before the disbursement of the remaining installments of the loan after having received one or more installments of the loan and if his/her/their heir or heirs executor/executors refuses/refuse to avail of the remaining installments and also refuses or refuse to complete the construction of the house according the approved plan and estimate within one year after the date of disbursement of the first installment of the loan, the whole loan advanced with interest shall be liable to be summarily recovered by proceeding against the properties moveable or immovable of the deceased mortgagor/Mortgagors under the provision of the Revenue Recovery Act for the time being enforce and the relevant provisions of the State Building and other Construction Workers

Welfare Rules, as if such sum were arrears of public Revenue due on loan or in such other manner as the Mortgagee may deem fit.

10. If the heir/heirs executors of the deceased Mortgage/Mortgagors does/do not require the balance installments of the loan and are, however willing to complete the construction at her/his with their cost the amount already paid to the mortgagor/mortgagors out of the sanctioned loan will be treated as the actual amount of the loan sanctioned and the recovery shall be effected at the rate of installment prescribed for that amount of loan.
11. The Mortgagor/Mortgagors shall remit the installments in the Banks prescribed by the Mortgagee in the manner specified for this purpose or by the Challans prescribed by the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board.
12. If any installment of principal or interest is not remitted on the due dates a penal interests at the rate of 5% in addition to the usual rates shall be paid and such amount as are not paid on due dates.
13. The loan amount shall be utilised only for the purpose for which it is sanctioned. Each installment of the loan referred to clause- II above shall be utilised within the time limit prescribed. In case the Mortgagor/Mortgagors fails/fail to claim the subsequent installments within three months from the drawl of the previous installments such previous installment shall be treated as the last installment unless the time is extended by the mortgagee and recovery shall commence as provided in the terms and conditions prescribed for the grant of the loan.
14. If the Mortgagor/Mortgagors fails/fail to utilize any installment of loan within the maximum period admissible and does not apply for subsequent installment of loan as provide in the conditions to entire amount already disbursed shall be recoverable from him/her/them with interest in jump.
14. A. If the Mortgagor/ Mortgagors is/ are found to have failed in utilizing the amount for the construction of house as specified in the Mortgage deed within the prescribed period, the Mortgagee is entitled to realise the entire loan amount plus other charges with interest in a lump after the issuance of a registered notice directing to pay the amount within a period of 30 days.
  - (1) If the Mortgagor/Mortgagors repay the amount due in lump sum within the stipulated period the mortgage deed shall be released.
  - (2) If the Mortgagor/Mortgagors fails/fail to repay the amount due within the period of 60 days as stipulated above the mortgagee will have the right to take step to realise the entire dues to the Board in lump. In addition to that a penalty not exceeding 5% of the loan amount actually received by the loanee or rupees 1,000/- (Rupees One Thousand only) whichever is higher shall also be realised from the Mortgagor/Mortgagors.
15. In the event of any information furnished in the application being found falls or materially in correct, the Mortgagee shall cancel the loan and recover the entire amount outstanding in lump sum with interest accrued thereon by selling the mortgaged property besides taking such legal action against the borrowers as may be considered desirable.



16. The Mortgager/Mortgagors shall not alter or modify the building constructed in accordance with the plan approved by the Mortgagee so as to diminish the value of the property or construct any other building in the property, offered as security till the entire amount with interest are rapid.
17. In case of the Mortgagor's at any time make default in the payment of two consecutive installments or commits breach of all or any of the terms and conditions contained herein the balance of the principal of sum which shall for the time being remain unpaid together with interest accrued thereon and all sums found due to the Mortgagee under or by virtue of these presents shall forthwith become payable in a lump at once and in case of default of payment of the whole sum immediately the Mortgagee shall have power without the intervention of any court to take possession of the Mortgaged property and to sell the same. The balance of the sale proceeds after adjusting all amounts due to the Mortgagee will be disbursed to the Mortgagor. The Mortgagee shall also have all the powers vested in the Mortgagee under the provisions of the Transfer of Property Act, 1882.
18. Without prejudice to any or all of the other rights and remedies of the Mortgagee under or by virtue of these presents shall be recoverable from the Mortgagor/ Mortgagors and his/ her/ their properties, movable and immovable under the provisions of the Revenue Recovery Act for the time being in force as though they are arrears of Public Revenue due on land and in accordance with there relevant provisions of the Himachal Pradesh Building and other construction Workers Rules in any other manner as the Mortgagee may deem fit.
19. The Mortgagor/Mortgagors shall be bound by the terms of the application form and the conditions attached thereto which shall form part of this deed as if they are incorporated on this deed.
20. This Mortgage has been fully explained to the Mortgagor/Mortgagors and the Mortgagor/Mortgagors has/have executed these presents fully understanding the implications thereof and all his/her/their obligations there under and after receiving such advice.

**THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO**

(here enter details of all land and buildings)

IN WITNESS WHERE of Shri/ Smt .....  
 The Mortgagor/s here to set his/ her/ their hands the day and year first above, written  
 signed by Shri/ Smt.....in the presence of witness:

- 1.
- 2.

Signed by Shri/ Smt.....in the presence of witnesses:

- 1.
- 2.

**STAGE CERTIFICATE FOR RELEASE OF SECOND INSTALLMENT OF ADVANCE  
SANCTIONED BY THE HIMACHAL PRADESH BUILDING AND  
OTHER CONSTRUCTION WORKERS WELFARE BOARD UNDER HOUSING  
LOAN SCHEME**

**BENEFICIARY**

1. Reg. No.....
2. Name.....
3. Address.....
4. Signature.....

**PROPERTY**

- District.....
- Tehsil.....
- Village.....
- Sy. No.....

The construction of building in the property detailed above by beneficiary specified above has reached/completion of foundation basement and on completion work upto lintel level/completion of the lintel work/completion of the linter work and 50% of the work of the roof and stored the materials for the work and 50% of the work of the roof and has been completed 40% of the finished work as per the plan and the beneficiary is eligible for the second installment of the loan sanctioned by the Himachal Pradesh Building and other Construction Workers Welfare Board.

Certified that the work valued at Rs.....has been carried out by the beneficiary as on.....

Place:

**(Signature of District Executive Officer/  
T.E.O. or any Authorized officer with name  
and Designation)**

Date:

**FORM. NO- XXX**  
[See rule 268(2)]

**Return for the month of.....Regarding the details of workers**

Name and Address of the Establishment:

<i>Sr. No</i>	<i>No. of workers as on the close of previous month</i>	<i>No. and Name's of worker's who left service during the month</i>	<i>No &amp; name's of worker's to be registered</i>	<i>No. of workers as on the close of current month</i>

Place:

**(Signature of the Employer)**

Date:

**FORM NO- XXXI**

[See rule (268(3))]

**Particulars of Establishment**

1. Name of the Establishment.
2. Nature of Establishment. Whether Company/Partnership firm/ sole Proprietorship
3. Name of the partners/ Directors/ Proprietor
4. Name of Managing Partner/ Managing Director/ Person who is in ultimate control of the establishment
5. Details of branches
6. Details of occupiers

**(Name, Signature and Designation)**

Place:

Date:

(Office Seal)

**FORM- XXXII**

[See rule 266(8)]

**FORM OF IDENTITY CARD  
PAGE- I**

Space for affixing  
attested PHOTO

**Signature, date and official  
Designation of the registering Authority  
(with office seal)**

**PAGE-II**

Name of Member

Address

Male/Female

Name of Job

Registration No.

District

Date of Registration

Name of Bank &amp; Branch in which subscription is to be paid

Subscription rate: Rs. 20/-

---

**PAGE- III**

Date of Birth

Completed age

Date of retirement

Marital status: Married/Unmarried

Name of wife/husband

Address

Whether wife/husband, a member of this board: Yes/ No

If so, name and registration No.

Name of Nominees

Relationship with the member

Signature/Thumb impression of the member

Signature/Thumb impression of the member

**(Official designation and  
Signature of Registering Authority)**

**FORM – XXXIII**

[See rule 266(8)]

**REGISTER OF IDENTITY CARDS**

Name of district.....

Sr. No	No. of Identity Cards	Date of issue	Name and address of the worker	Signature of District Executive Officer	Remarks
1	2	3	4	5	6

**FORM- XXXIV**

[See rule 271]

**APPLICATION FOR THE MATERNITY BENEFIT**

1. Name and Address of applicant
2. Registration No.
3. Date of completion of 60 years
4. Date of payment of 1st subscription amount and Name of Bank
5. Default if any and reasons thereof
6. Date of payment of last subscription amount, date and name of Bank
7. List of documents:
  - (a) Identity Card
  - (b) Pass book
  - (c) Challans
8. Address to which pension is to be sent
9. Any other information (Details of benefit if any, From other Welfare Boards)

The facts mentioned above are true to my knowledge and information.

**Name and Signature of applicant.**

Place:

Date:

**Form for Medical Certificate**

(To be obtained from a Medical Officer)

I.....have.....Exam ined  
 Smt.....age..... years and wife of  
 Shri.....she is pregnant running .....month.

She had delivered a child on.....

**Name of the Doctor & Seal.**

Place:

Date:

**FORM- XXXV**

[See rule 273(1)]

**Application for Pension**

1. Name and address of applicant
2. Registration No.
3. Date of completion of 60 years.
4. Date of payment of 1st subscription amount and name of bank.
5. Default if any and reasons thereof.
6. Date of payment of last subscription amount, date and name of bank.
7. List of documents
  - (a) Identity Card.
  - (b) Pass Book
  - (c) Challans
8. Address at which pension is to be sent.
9. Any other information (Details of benefit if any, from other welfare Boards)

The facts mentioned above are true to my knowledge and information

Place.....

Date.....

(Name and signature of applicant)

**FORM- XXXVI**

[See rule 273(6)]

**Register of Payment of Pension**

P.P. No.	Name and address of the pensioner with Membership No. in the Himachal Pradesh Building & Other Construction Workers Welfare Board.	Date of Birth, Date of Entry in the scheme	Date of retirement	Total Service	No. and date of order of sanctioning authority
1	2	3	4	5	6
Date of Commencement of	Monthly Rate of pension	Dated initials of Secretary/ District Employment Officer		Remarks order on Cancellation of pension etc. may be noted here	

pension			with reasons and date effect under initials of Secretary/ Chief Executive Officer.
7	8	9	10

**Details of the Pension Paid**

Month/Year	Amount of pension Rs.	Date of sending of Money Order	Dated initials of Chief Executive Officer/Secretary	Remarks (Details of undelivered H.O. etc.) may be noted here
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>16</b>

**FORM-XXXVII**

[See rule 279(1)]

1. Name and address of applicant
2. Relationship with worker
3. Name and address of the worker
4. Registration No.
5. Age & Date of Birth
6. Worker whether married
7. Nature of Death (Give details.)
8. Details of documents submitted
9. Amount of financial assistance applied for.

The above details are true to my knowledge and information.

**Name and Signature.**

Place:

Date:

**FORM- XXXVIII**

[See rule 278(2)]

**Register of Death Benefit**

Sr. NO	Date of receipt of application	Name & Register No. of worker	Period of remittance	Date of death	Order No. & date	Name & Address of Nominee with	Amount of Death Benefit	Refund of Amount/ total	Initials	

**FORM- XXXIX**

[See rule 275(2)]

**APPLICATION FOR DISABILITY PENSION**

1. Name and Address of applicant
2. Age and date of Birth
3. Registration Number
4. Date of payment of first subscription amount and name of Bank and Branch
5. Date of payment of last subscription amount and name of Bank and Branch
6. Total amount of subscription
7. Details of disease/ accident
8. Nature of disability due to disease/ accident
9. Details of treatment in Government hospitals, Date of admission and date of discharge.
10. Whether the patient was in plaster? If so, for how many days?
11. Amount spent for treatment (should be supported by medical bills counter signed by the treating doctor).
12. List of documents submitted
13. Details of benefits received, if any, before.
14. Details of benefits received if any from government or any other institution for the above treatment.

The above facts are true to my knowledge and information.

Place:

**(Name & Signature of Applicant)**

Date:



**FORM- XL**  
[See rule 276]

Application No..... Fee Rs. 2/-

**APPLICATION FOR INSTRUMENT LOAN**

1. Name of the Applicant:
2. Fathers/ Husband name:
3. Residential Address:
4. Register No.
5. Name of Bank in which contribution remitted:
6. Age and Date of Birth:
7. Monthly Income:
8. Details of other properties if any, owned or possessed by the applicant:
9. Details of sureties:  
Name and Address  
Occupation & Address  
Age & Date of Birth  
Present net monthly income  
*Details of other properties owned/ possessed by the surety*  
Whether the surety has offered  
Himself as surety for any other  
Transaction earlier, if so, the details
10. Whether salary certificate From the employer is attached.
11. PARTICULARS OF INSTRUMENTS

**TO BE PURCHASED**

- (A) Description
  - (B) Make
  - (C) Model
  - (D) Invoice price  
(copy enclosed)
  - (E) Name & Address of supplier/dealer
12. (a) Amount of loan applied for  
(b) No. of monthly installments  
Proposed for re- payment.

**DECLARATION**

- A. I/We confirm that the funds will be used for the stated purpose only and will not be used for speculation and/ or anti- social purpose.
- B. I/We understand that the Board has the right to recall the funds if they are not used for the stated purposes.
- C. I/We understand that the sanction of the facility is at the direction of the Board and I/We will execute necessary Security Documents as per the Boards requirements to its satisfaction.

Place:

**(Signatures of Applicant)**

Date:

Surety- I. Name & Signature.

(For Office Use only)

The application submitted by Shri.....employed as ..... in.....has been verified. The certificate of employment and surety in respect of the borrower/ surety has been attached alongwith the undertaking by the employer.

An amount of Rs.....(Rupees.....) may be sanctioned for the purpose being the amount requested/amount eligible 75 % of the invoice amount to be recovered of Rs.....(Rupees.....) in .....equal monthly installments. The last installments will be amount outstanding after remittance of the .....installments including other dues to the Board at the time of closing of the loan amount.

Sanctioned/ Rejected

**Chief Executive Officer.**

**Secretary.**

**HIMACHAL PRADESH BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS  
WELFARE BOARD, GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH**

**EMPLOYMENT CERTIFICATE**

Certified that Shri/ Smt.....S/o  
D/o.W/o.....of.....House.....Town.....  
.....Village.....Tehsil.....District.....now residing  
at.....House  
.....Town/.....Village.....Tehsil.....District is a permanent/  
officiating/acting/provisional.....(designation).....

**DETAILS OF HIS/ HER SERVICE ARE AS UNDER**

1. Date of entry into service.....
2. Date of which continuous service beings.....
3. Date of retirement.....

**DETAILS OF HIS/ HER PAY, ETC. ARE AS UNDER**

Scale of pay Rs. ....	Recoveries Rs. ....
1. Basic pay.....	(a) Provident fund.....
2. Dearness Allowance.....	(b) LIC recoveries.....
3. HRA.....	(c) Income Tax.....
4. Compensatory Allowance.....	(d) Loan recoveries
	1.....
	2.....
	3.....
5. Other Allowances.....	(e) Other recoveries
	1.....
	2.....

TOTAL (A) .....TOTAL (B).....  
NET SALARY: - (A) - (B) = Rs.....  
Place.....Signature.....  
Date.....Name.....

(Office seal)

**Designation of the Head of office/  
Department.**

### UNDERTAKING FOR RECOVERY FROM PAY

I.....(Name in full).....(Office/  
department) owe to Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board,  
the sum of Rs.....(Rupees.....) and interest as per P.N.I.  
Bond dated.....which I/he (borrower) have/has undertaken to repay in equated  
monthly installments in connection with the said transactions monthly recoveries of such amounts  
as may be fixed by the Board from time to time of which information will be given the Board may  
be made from my salary at source and remitted or paid to the Board or its duly authorized  
representative.

Place:

(Signature of Employee)

Date:

I agree to effect the above recoveries.

Place:

(Signature of the Head of Office/ Department.)

Date:

---

**FORM- XLI**

[See rule 277]

### APPLICATION FOR FUNERAL BENEFIT

1. Name and Address of Applicant
2. Relationship of applicant with the worker
3. Name and address of worker
4. Registration No.
5. Date of Registration
6. Date of payment & first subscription, amount and Name of bank, branch
7. Date of payment of last subscription, amount, name of bank, branch
8. Duration of membership
9. Whether membership was live?

10. Date of death of the worker
11. Reason for death.
12. Whether applicant is the nominee of the worker?
13. If not, whether the applicant has submitted dependence certificate
14. Name, age & date of birth of the nominee
15. If nominees are minor, name of guardian and his relationship with the children
16. Whether consent letters from other nominees submitted?  
(where the no. of nominees is more than one)
17. Whether certificate of guardian- ship submitted by the minor children
18. Amount of benefit, applied for

The above facts are true to my best of knowledge and information.

Place,

(Name & Address of applicant)

Date:

\_\_\_\_\_

**FORM- XLII**

[See rule 280]

**APPLICATION FOR MEDICAL BENEFIT**

1. Name and address of applicant
2. Age and date of birth.
3. Registration Number
4. Date of payment of first subscription amount and Name of Bank
5. Date of payment of last subscription amount and Name of bank.
6. Total amount remitted.
7. Details regarding disease/surgery
8. Disability if any, due to disease or surgery
9. Period of treatment as patient in Government hospitals (Date of admission in the hospital and date of discharge)
10. List of documents submitted.
11. Details of medical benefits received, if any before.

The facts mentioned above are true to my knowledge and information.

Place:

Date:

(Name and Address of applicant)

**FORM- XLIII**

[See rule 281]

**APPLICATION FOR EDUCATIONAL SCHOLARSHIP**

Name of Course ..... Year .....

1. Name of the student
2. Male/ Female
3. (a) SC/ ST  
(Whether proof is attached)
4. Name of college and affiliated University/ Board
5. Name and year of Course
6. Date of admission to the course
7. Age & Date of birth of the student
8. Details of qualifying examination passed  
Name of Exam Name of affiliated Month & Year of passing University/ Board/State  
qualifying examination
9. Marks scored in the qualifying examination Maximum marks  
Subject Marks scored Maximum Marks Percentage Total marks
10. (a) Name of parent of applicant  
(b) Registration No.  
(c) Date of payment of first subscription  
(d) Date of payment of last subscription  
(e) No of Installments paid  
Total subscription paid  
(f) Permanent address  
(g) Has the membership been revived Yes/ No  
If so, Period of revival

The facts mentioned above are true to my knowledge. If selected for the scholarship. I promise that I will abide by the condition stipulated in the scheme.

Place :

**(Name & Signature of the student)**

Date :

**Affidavit of the Parents of the Student.**

I, ..... (Name and address) S/o or D/o (Name & address).....Solemnly affirm the following;

1. My son /daughter Mr./ Miss ..... is studying for .....(name and years of course).
2. I am a member of the Board since ..... (year) with registration Number.
3. Subscription has been paid upto.....
4. If any of the above facts are found to be wrong later, the scholarship amount granted to the student will be remitted back by me. The decision of Secretary in this regard will be applicable to me and it will be final and I agree with the.....
5. I also agree to recover any amount of default due from me.

Place:

**(Name & Signature)**

Date:

(To be signed before MLA/ MP / Panchayat President / Gazetted Officer of State or Central)

I certify that Shri/ Smt.....who has signed above has put the signature in my presence.

Place:

Date: (Seal)

**Attesting Officer  
Name  
Official Designation.**

I, .....Head of .....(Name of institution) hereby certify that Shri/Smt .....is a.....year student of..... course. I have examined the application submitted by the student and I am convinced that it is correct. This institution is affiliated to the .....University/ Board.

Place:

(Office Seal)

**Signature of Principal/ Head  
Name Official Designation.**

#### **ENQUIRY REPORT OF DISTRICT EXECUTIVE OFFICER**

1. Shri/Smt .....is a live member of this Board, having registration No.....and is paying subscription regularly.

2. He/ he has paid subscription regularly from.....to ..... He/ she has not defaulted payment of subscription. Membership has been revived for the period from.....to.....I recommend/do not recommend the application (reason for rejection)

**(District Executive Officer)**

FORM- XLIV  
[See rule 282]

#### **Application for marriage assistance**

1. Name of applicant :
2. Address :
3. Registration No. :
4. Age and Date of Birth:
5. Date of payment of first subscription, Amount, Name Bank & Branch:
6. Duration of membership
7. Is membership live?
8. If application is for the marriage of son/ daughter
  - (1) Whether husband or wife, a member of this Board?
  - (2) If so, has she/ he applied for the financial assistance.
  - (3) Date of Birth of the son/ daughter who is getting.
  - (4) Address of the bride or bridegroom of the son/ daughter
  - (5) Date and place of marriage.

- (6) Date & No. of the certificate  
 (7) Have you applied for financial assistance for the marriage of any other son/ daughter; if so details of the same.
9. If application is for the Marriage of self (for women worker only)  
 (1) Name and address of husband/ bridegroom  
 (2) Date & Place of Marriage  
 (3) No. & Date of Marriage Certificate Name of authority who issued the certificate
10. Are you in receipt of any financial Assistance for the purpose from Government or any other institution The above facts are true to the best of my knowledge and information.

Place:

(Name & Signature of the applicant)

Date:

FORM- XLV  
 [See rule 283]

**APPLICATION FOR FAMILY PENSION**

1. Name and address of applicant.
2. Address of the pensioner/ worker.
3. Relationship with worker.
4. Date of death of the worker.
5. Monthly pension received by the worker.
6. Whether applicant is receiving pension from Government or any other institution? If yes, details thereof.
7. Whether applicant is receiving salary from Government/ Semi Government/ private institutions? If yes, details thereof.
8. List of documents submitted.

The above facts are true to the best of my knowledge and information.

Place:

(Name & Signature of applicant)

Date:

**LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION**

1. Death certificate of the worker
2. Village officer's Certificate showing relationship between the applicant and the worker
3. Village officers certificate stating that the applicant is not receiving any pension from Government/ Semi Government/ Private Institution
4. Village Officer's Certificate stating that the applicant is not receiving any salary from Government/ Semi Government/ Private Institutions.

**FORM- XLVI**

[See rule 280]

**APPLICATION FOR EX- GRATIA MEDICAL ASSISTANCE FOR ACCIDENTS**

1. Name and address of applicant.
2. Age and Date of Birth.
3. Registration No.
4. Date of payment of first subscription.  
Challan No. Amount, Name of Bank, branch.
5. Date of payment of last subscription, Challan No., Amount  
Name of Bank, branch.
6. Total amount of subscription.
7. Details regarding accident.
8. Nature of disability due to accident.
9. Whether treated in Government Hospital? If so, date of admission and date of admission and date of discharge.
10. Whether the applicant was in plaster? If so, for how many days.
11. Details of documents submitted.
12. Financial assistance applied for.
13. Have you received any financial assistance for treatment before? If yes, give particulars.

The above facts are true to the best of my knowledge and information.

Place:

**(Name and Signature of applicant)**

Date: